# 60 वीं वार्षिक रिपोर्ट
# 60th Annual Report
## 2017-18

ईसीजीसी लि.

ECGC Ltd.

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

(भारत सरकार का उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिमों से रक्षा प्रदान करेंगे.

You focus on exports. We cover the risks.

## विज़न

निर्यात ऋण बीमा
व व्यापार संबंधी बेहतरीन
सेवाएँ प्रदान करना।

## VISION

To excel in providing
export credit insurance
and trade-related services.

## मिशन

भारतीय निर्यात बाज़ार की बढ़ती हुई
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
उपलब्ध स्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए
किफायती बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएँ प्रदान कर
भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना।

## MISSION

To support the Indian export industry by
providing cost-effective insurance and
trade-related services to meet the growing
needs of the Indian export market through
the optimal utilisation of available resources.

## पंजीकृत कार्यालय :

एक्स्प्रेस टॉवर्स, 10 वीं. मंजिल, नरीमन पॉईंट, मुंबई- 400 021
CIN: U74999MH1957GOI010918

## REGISTERED OFFICE

Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai- 400 021
CIN: U74999MH1957GOI010918

**कंपनी सचिव**
**COMPANY SECRETARY**

श्रीमती स्मिता वी. पंडित
Smt. Smita V. Pandit

**नियुक्त बीमांकिक**
**APPOINTED ACTUARY**

श्रीमती योगिता अरोरा
Smt. Yogita Arora

**संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक**
**JOINT STATUTORY AUDITORS**

मेसर्स बंशी जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार, मुंबई
फर्म पंजीकरण सं. 100990W

M/s. Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants, Mumbai
Firm Registration No. 100990W

मेसर्स ए. जे. शाह एंड कंपनी
सनदी लेखाकार, मुंबई
फर्म पंजीकरण सं. 109477W

M/s. A. J. Shah & Co.
Chartered Accountants, Mumbai
Firm Registration No. 109477W

**बैंकर**
**BANKERS**

कार्पोरेशन बैंक
Corporation Bank

आई डी बी आई बैंक
IDBI Bank

# विषय-वस्तु / Contents


| क्र. सं. Sr. No. | विवरण / Particulars | पृष्ठ संख्या Page No. |
|---|---|---|
| | निदेशक मण्डल<br>Board of Directors | 4 |
| | वरिष्ठ प्रबंधन<br>Senior Management | 6 |
| | निष्पादन विशेषताएँ- पिछला दशक<br>Performance Highlights – The Past Decade | 7 |
| | अध्यक्ष का वक्तव्य<br>Chairman's Statement | 10 |
| | निदेशकों की रिपोर्ट<br>Directors' Report | 18 |
| | कंपनी शासन - अनुबंध I<br>Corporate Governance - Annexure I | 34 |
| | कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व - अनुबंध II<br>Corporate Social Responsibility - Annexure II | 53 |
| | प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण<br>Management Discussion & Analysis | 60 |
| | लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण<br>Audited Financial Statements | |
| | राजस्व खाता, लाभ हानि खाता एवं तुलन पत्र<br>Revenue Account, Profit & Loss Account & Balance Sheet | 87 |
| | वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 15)<br>Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15) | 94 |
| | महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 16)<br>Significant Accounting Policies (Schedule 16) | 109 |
| | लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 17)<br>Notes to Accounts (Schedule 17) | 119 |
| | मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात<br>Key Analytical Ratios | 140 |
| | प्राप्तियाँ एवं भुगतान खाता<br>Receipts & Payments Account | 147 |
| | वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन की रिपोर्ट<br>Management Report on Financial Statements | 149 |
| | लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट<br>Auditors' Report | 156 |
| | नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ<br>Comments of CAG | 167 |
| | सेवा तंत्र<br>Service Network | 169 |

# निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

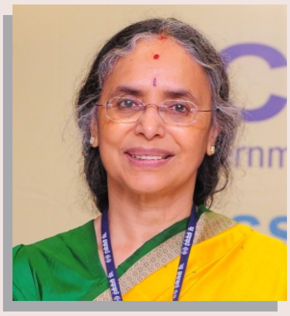

**श्रीमती गीता मुरलीधर**
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक , ईसीजीसी लिमिटेड
**Smt. Geetha Muralidhar**
Chairman-cum-Managing Director, ECGC Ltd.

**श्री सुनील कुमार**
अपर सचिव, वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
(20/04/2018 तक सदस्य)
**Shri Sunil Kumar**
Additional Secretary,
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry, GOI
(ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018)

**डॉ सौरभ गर्ग**
संयुक्त सचिव , आर्थिक मामलों का विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
(27/11/2017 तक सदस्य)
**Dr. Saurabh Garg**
Joint Secretary,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, GOI
(ceased to be a Member w.e.f. 27/11/2017)

**श्रीमती मीना हेमचंद्र**
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
(30/11/2017 तक सदस्य)
**Smt. Meena Hemchandra**
Executive Director
Reserve Bank of India
(ceased to be a Member w.e.f. 30/11/2017)

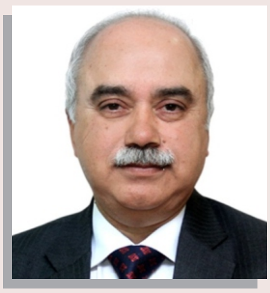

**श्री राजीव ऋषि**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
(31/07/2018 तक सदस्य)
**Shri Rajeev Rishi**
Chairman and Managing Director,
Central Bank of India
(ceased to be a Member w.e.f. 31/07/2018)

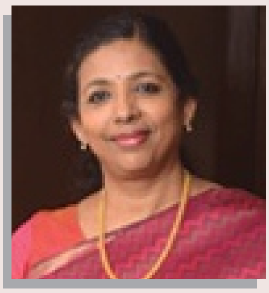

**श्रीमती एलिस जी. वैद्यन**
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
भारतीय साधारण बीमा निगम
**Smt. Alice G. Vaidyan**
Chairman-cum-Managing Director,
General Insurance Corporation of India

**श्री गणेश कुमार गुप्ता**
अध्यक्ष
भारतीय निर्यात संगठन महासंघ
**Shri Ganesh Kumar Gupta**
President, Federation of Indian Export
Organisations

# निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

**श्री माणेक एरूच डावर**
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ,
स्पेंटा मल्टीमिडिया प्रा. लि.
**Shri Maneck Eruch Davar**
Chairman and Managing Director,
Spenta Multimedia Pvt. Ltd.

**श्रीमती सरनला मालती रानी**
निदेशक
**Smt. Saranala Malathi Rani**
Director

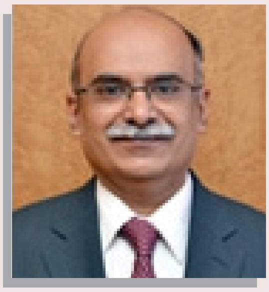

**श्री एम. सेंथिलनाथन**
कार्यपालक निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड
**Shri M. Senthilnathan**
Executive Director, ECGC Ltd.

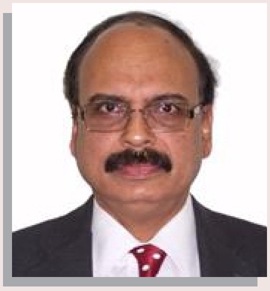

**श्री अरुण तिवारी**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
(30/06/2017 तक सदस्य)
**Shri Arun Tiwari**
Chairman and Managing Director,
Union Bank of India
(ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2017)

**श्री ए. के. मिश्रा**
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
(31/07/2018 तक सदस्य)
**Shri A. K. Misra**
Executive Director
Reserve Bank of India
(ceased to be a Member
w.e.f. 31/07/2018)

**श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं**
अपर सचिव, वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
**Shri Bidyut Behari Swain**
Additional Secretary,
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry, GOI

**श्री गोविंद मोहन**
संयुक्त सचिव , आर्थिक मामलों का विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
(22/06/2018 तक सदस्य)
**Shri Govind Mohan**
Joint Secretary,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, GOI
(ceased to be a Member w.e.f. 22/06/2018)

**श्री के. राजारमन**
संयुक्त सचिव , आर्थिक मामलों का विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
**Shri K. Rajaraman**
Joint Secretary,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, GOI

## वरिष्ठ प्रबंधन / SENIOR MANAGEMENT

श्रीमती गीता मुरलीधर — Smt. Geetha Muralidhar
अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक — Chairman-cum-Managing Director

श्री एम. सेंथिलनाथन — Shri M. Senthilnathan
कार्यपालक निदेशक — Executive Director

श्री वी. धर्मराजन — Shri V. Dharmarajan
कार्यपालक निदेशक — Executive Director

## महाप्रबंधक / GENERAL MANAGERS

1. श्रीमती पद्मावती आर.
2. श्रीमती तापसी डे
3. श्री सी. एन. ए. अम्बरसन
4. श्री सुनील जोशी
5. श्री परमदीपलाल ठाकुर
6. श्री राजीव पी. मानवी
7. श्री शिवाजी नार्वेकर

1. Smt. Padmavathy R.
2. Smt. Tapasi De
3. Shri C.N.A. Anbarasan
4. Shri Sunil Joshi
5. Shri Paramdeep Lal Thakur
6. Shri Rajiv P. Manavi
7. Shri Shivaji Narvekar

## उप महाप्रबंधक / DEPUTY GENERAL MANAGERS

1. श्री निर्दोष चोपड़ा
2. श्री बलबीर सिंह मान
3. श्रीमती स्मिता वी. पंडित
4. श्री पी. एस.मुरली
5. श्री डी.वी.एस. साईंरामन
6. श्री ईशनाथ झा
7. श्री जयप्रकाश मेनन
8. श्री उत्तम मुखर्जी
9. श्री जे. के. महापात्र
10. श्री एन. सुब्रमणियम
11. श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
12. श्री सुबीर कुमार दास
13. श्री अभिषेक कुमार जैन
14. श्री आनंद सिंह
15. श्री आर.के.पांडियन
16. श्री कुमार अंशुमन
17. श्री गौरव अंशुमन
18. श्री आर. सुब्रमणियन
19. श्री यशवंत बी. ब्रीद

1. Shri Nirdosh Chopra
2. Shri Balbir Singh Maan
3. Smt. Smita V. Pandit
4. Shri P.S. Murali
5. Shri D.V.S. Sairaman
6. Shri Ishanath Jha
7. Shri Jayprakash Menon
8. Shri Uttam Mukherjee
9. Shri J.K. Mahapatra
10. Shri N. Subramanian
11. Shri Sristiraj Ambastha
12. Shri Subir Kumar Das
13. Shri Abhishek Kumar Jain
14. Shri Anand Singh
15. Shri R. K. Pandian
16. Shri Kumar Anshuman
17. Shri Gaurav Anshuman
18. Shri R. Subramanian
19. Shri Yashwant B. Breed

# निष्पादन विशेषताएँ - पिछला दशक / PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(₹ करोड़) (₹ Crores)

| वर्ष / YEAR | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **संरक्षित कारोबार मूल्य / VALUE OF BUSINESS COVERED** | | | | | | | | | | |
| अल्पावधि पॉलिसियाँ * / ** Short Term Policies * / ** | 1,77,349.00 | 1,72,788.00 | 1,35,871.97 | 1,33,983.00 | 1,31,343.62 | 1,26,100.41 | 1,19,621.00 | 93,127.40 | 85,686.85 | 68,870.85 |
| अल्पावधि ई सी आई बी *** / **** Short Term ECIB *** / **** | 4,56,684.00 | 4,48,604.00 | 1,27,534.80 | 1,38,555.00 | 1,38,149.89 | 1,33,250.78 | 1,20,118.65 | 3,31,758.29 | 2,71,273.95 | 2,61,731.51 |
| मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers | 7,415.57 | 6,027.26 | 5,979.06 | 7,652.00 | 9,762.82 | 10,160.31 | 6,886.48 | 7,002.65 | 6,767.51 | 4,855.11 |
| कुल / Total | 6,41,448.57 | 6,27,419.26 | 2,69,385.83 | 2,80,190.00 | 2,79,256.33 | 2,69,511.50 | 2,46,626.13 | 4,31,888.34 | 3,63,728.31 | 3,35,457.47 |
| **प्रीमियम आय / PREMIUM INCOME** | | | | | | | | | | |
| अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies | 367.95 | 359.99 | 382.99 | 383.87 | 388.57 | 360.68 | 355.89 | 333.66 | 289.43 | 246.71 |
| अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB | 843.22 | 881.07 | 910.64 | 942.29 | 869.68 | 751.72 | 601.82 | 510.57 | 486.78 | 464.18 |
| मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers | 29.25 | 26.56 | 27.1 | 36.24 | 45.48 | 44.85 | 47.12 | 41.23 | 36.79 | 33.79 |
| कुल / Total | 1,240.42 | 1,267.62 | 1,320.73 | 1,362.40 | 1,303.73 | 1,157.25 | 1,004.83 | 885.46 | 813.00 | 744.68 |
| **प्रदत्त दावे / CLAIMS PAID** | | | | | | | | | | |
| अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies | 136.70 | 206.85 | 127.32 | 126.98 | 109.29 | 113.69 | 87.03 | 160.90 | 270.02 | 217.23 |
| अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB | 1,131.48 | 655.50 | 995.52 | 462.85 | 639.55 | 396.61 | 626.00 | 459.63 | 371.70 | 234.19 |
| मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers | 14.99 | 22.99 | - | - | 148.65 | 38.20 | - | - | - | - |
| कुल / Total | 1,283.17 | 885.34 | 1,122.84 | 589.83 | 897.49 | 548.50 | 713.03 | 620.53 | 641.72 | 451.42 |
| **की गयी वसूलियाँ / RECOVERIES MADE** | | | | | | | | | | |
| अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies | 18.55 | 9.77 | 7.80 | 9.61 | 5.76 | 7.40 | 6.31 | 9.27 | 16.33 | 56.97 |
| अल्पावधि ई सी आई बी Short Term ECIB | 166.39 | 109.76 | 106.06 | 142.52 | 144.53 | 104.71 | 152.59 | 110.65 | 110.87 | 151.29 |
| मध्यम व दीर्घावधि रक्षाएं Medium & Long Term Covers | 0.67 | 19.14 | 0.18 | 8.02 | 8.02 | 8.42 | 9.74 | 16.14 | 6.40 | 0.32 |
| कुल / Total | 185.61 | 138.67 | 114.04 | 160.15 | 158.31 | 120.53 | 168.64 | 136.06 | 133.60 | 208.58 |

नोट : * इसमें घोषणा आधारित पॉलिसियाँ तथा जोखिम आधारित पॉलिसियाँ शामिल है। वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा उसके पश्चात जोखिम आधारित पॉलिसियों के अधीन संरक्षित कारोबार का मूल्य , वित्तीय वर्ष 2010-11 तक प्रत्येक पॉलिसी के लिए निर्धारित औसत हानि सीमा , अनुमानित निर्यात पण्यावर्त के आधार पर अनुमानित मूल्य है।

Note : Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FY 2011-12 and onwards is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy and that for years till FY 2010-11, the estimate of export turnovers.

** कस्टमाइज्ड एम बी ई पॉलिसियों के अंतर्गत जो.मू. सकल हानि सीमा ( ए एल एल) का 20 गुना लिया गया है क्योंकि इसमें ए एल एल से निर्यात पण्यावर्त अनुपात 5% तक होता है जबकि सामान्य एम बी ई पी में 10% या अधिक होता है। जो.मू. की गणना की संशोधित प्रक्रिया 01.04.2017 से प्रभावी है एवं वर्तमान तिमाही से लागू की गई है। विवरण को तुलनात्मक बनाने के लिए पिछले वर्ष 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के आंकड़ों की पुनर्गणना की गई है।

The RV for customized MBE Policies has been taken as 20 times of the Aggregate Loss Limit (ALL), the reason being under customized policies, the ALL to Export Turnover (ETO) ratio is upto 5% unlike normal MBEPs where the ratio is 10% or more. The revised procedure of calculating the RV has been implemented with retrospective effect from 1.4.2017 and implemented in the current quarter of reporting. To make the comparison equitable, the last year's figure w.e.f 1.4.2016 to 31.03.2017 has also been reworked.

*** वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं उसके बाद बैंकों द्वारा मंजूर सीमाएं जो कंपनी द्वारा रक्षित हैं तथा वित्त वर्ष 2010-11 तक मंजूर सीमा के अंतर्गत औसत बकाया को दर्शाता है।

Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Company for the financial years 2011-12 and onwards and the limits sanctioned till FY 2010-11.

**** ये अनुमान, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में किए गए हैं। ये अनुमान आर बी आई से प्राप्त आंकड़ों एवं अल्पावधि निर्यात के अंतर्गत व्यापार चक्र 90 दिन के आधार पर हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना के लिए कंपनी द्वारा रक्षित बकाया निर्यात ऋण एवं चार के कारक से गुणन किया गया है।

The estimation has been done in compliance of the instruction of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value.

# निष्पादन विशेषताएँ 2017-18 / PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2017-18

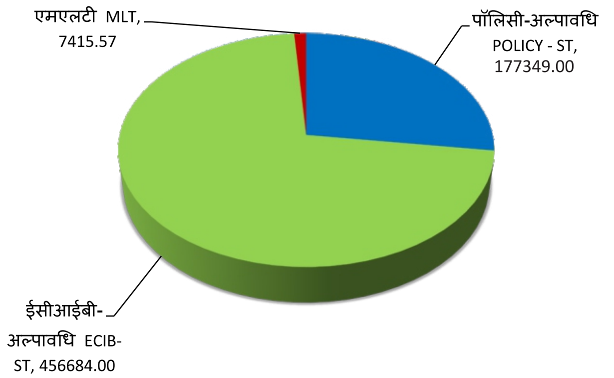


**कुल रक्षित व्यापार (आरवी) ₹ 6,41,448.57 करोड़ (दि. 31.03.2018 तक) /**
**Total Business Covered (RV) ₹ 6,41,448.57 cr (as of 31.03.2018)**

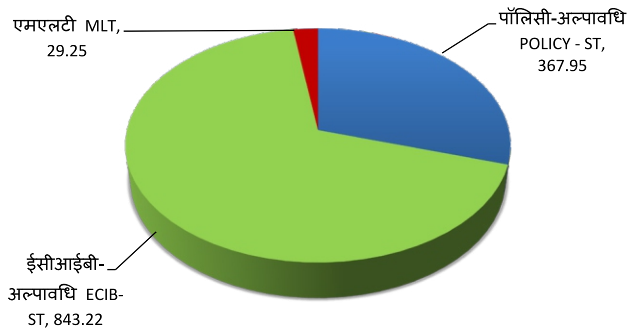


**कुल प्रीमियम आय ₹1240.42 करोड़ (दि. 31.03.2018 तक) /**
**Total Premium Income ₹ 1240.42 cr (as of 31.03.2018)**

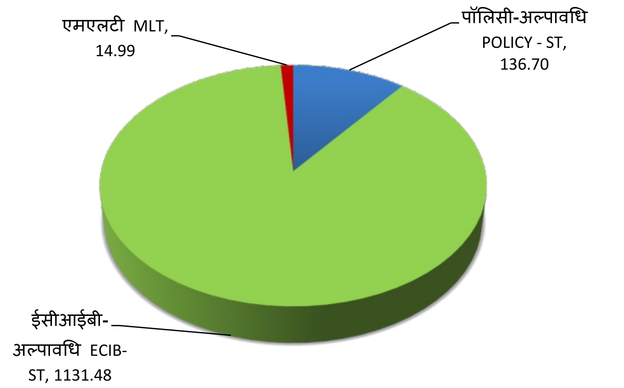


**कुल प्रदत्त दावे ₹1283.17 करोड़ (दि. 31.03.2018 तक) /**
**Total Claim Paid ₹1283.17 cr (as of 31.03.2018)**

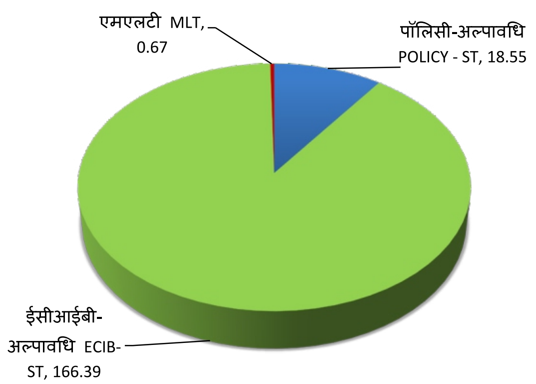


**कुल की गई वसूली ₹185.61 करोड़ (दि. 31.03.2018 तक) /**
**Total Recoveries Made ₹185.61 cr (as of 31.03.2018)**

- ईसीआईबी - अल्पावधि : बैंको के लिए निर्यात ऋण बीमा - अल्पावधि / ECIB - ST : Export Credit Insurance for Banks - Short Term
- पॉलिसी - अल्पावधि / Policy - ST : Policy - Short Term
- एमएलटी - मध्यम तथा दीर्घावधि / MLT : Medium and Long Term

ईसीजीसी की 60 वर्ष की यात्रा के इतिवृत्त का विमोचन करते हुए माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ।

Release of chronicle of ECGC's 60 years journey by Hon'ble Commerce & Industry Minister.

## अध्यक्ष का वक्तव्य

## CHAIRMAN'S STATEMENT

**श्रीमती गीता मुरलीधर**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

**Smt. Geetha Muralidhar**
Chairman-cum-Managing Director

1. वित्त वर्ष 2017-18 भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से काफी अनिश्चिततापूर्ण और अस्थिरता पूर्ण अवधि रही। विश्व भर की शान्ति तथा प्रगति को भंग करने में राजनितिक तथा आर्थिक अस्थिरताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बहुपक्षीय प्रतिबद्धता में गिरावट के साथ साथ भूराजनितिक जोखिमों में वृद्धि, विगत वर्ष की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के ज़रिये विश्व भर में देशों को प्रभावित करने वाली व्यापार युद्ध की संभावनाएं काफी बढ़ गयी हैं। इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद, वस्तु तथा सेवाकर जैसे सुधारों के साथ भारतीय अर्थवयवस्था व्यापार महाशक्ति बनने की क्षमता रखता है।

2. भारत द्वारा , विनिर्माण के क्षेत्र में ''मेक इन इंडिया'' के प्रोत्साहन से विश्व व्यापर का चैम्पियन बनने के सुअवसर का लाभ उठाया जा सकता है। बड़े तथा एमएसएमई ईकाइयों को उनके परिचालनों के वैश्वीकरण तथा उनके

1. The financial year 2017-18, was yet another period of uncertainty, instability and fragility as regards international trade. Political tensions and economic vulnerabilities fuelled the concerns regarding the peace and progress all over the world. Escalation of geo political risks coupled with decline in commitment to multilateralism were the pronounced trends in the year gone by. The risk of trade war may ripple through global supply chains hurting countries across the world. Despite these challenging times, India has the potential to become a trade powerhouse with its economy being remarkably resilient with reforms like introduction of Goods & Services Tax.

2. India can seize the present opportunity to champion the world trade to go hand in hand with the "Make in India" impetus to manufacturing. The time is ripe for building

उत्पाद व सेवाओं के निर्यातों में सहायता करते हुए उनकी निर्यात क्षमता के निर्माण के लिए यही सही समय है। निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) , किसी भी देश की निर्यात नीति का अपरिहार्य अंग होती हैं तथा ईसीजीसी, विश्व भर में सबसे पुरानी ईसीए में से एक होने के कारण निर्यात प्राप्तियों तथा निर्यात ऋण की बीमा रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुकरणीय सेवाओं के लिए इसे सबसे पुराने एवं बड़े विभिन्न ईसीए के बीच होने वाले प्रतिस्पर्धा में सर्वोत्तम ईसीए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

3. दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹96,101 करोड़ की अधिकतम देयता के साथ कम्पनी की कुल 34,740 रक्षाएं सक्रिय रहीं। वर्ष के दौरान कुल संरक्षित जोखिम मूल्य निर्यातकों हेतु ₹1,77,349 करोड़ तथा बैंकों के लिए ₹4,56,684 करोड़ रहा। मध्यम व दीर्घावधिक क्षेत्र के लिए संरक्षित मूल्य सहित कुल बीमित मूल्य ₹6,41,449 करोड़ रहा जोकि देश के कुल निर्यातों का 33% है। यह उल्लेखनीय है कि हमारे पोर्टफोलियो में 85% से अधिक हिस्सा केवल एम एस एम ई क्षेत्र के निर्यातकों का है जिनकी प्राप्तियों पर रक्षा के लिए अधिकतम देयताएं लगभग ₹20 करोड़ तक अथवा बैंकों के साथ जिनकी निर्यात ऋण सीमायें है उनके लिए लगभग ₹50 करोड़ तक हैं।

4. अधिकतम रक्षा यूरोप तथा उत्तरी अमरीका के लिए रहीं, परन्तु यहाँ यह ध्यान देना अनुउचित नहीं है कि इसमें अधिकांश हिस्सा खुली रक्षा तथा लम्बी ऋण अवधि जैसे संव्यवहारों का रहा। कुल रक्षा के प्रतिशत में एशिया के हिस्से में लगातार वृद्धि हो रही है तथा यह कुल रक्षा के एक तिहाई हो गया है। कुल जोखिम मूल्य में प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग माल, कपास, टेक्सटाइल तथा तैयार वस्त्र, कृषि व बागान एवं रसायन व फार्मा क्षेत्रों का अधिकतम हिस्सा ज़ो कि जोखिम मूल्य का 60% रहा।

5. बैंकिंग उद्योग की वर्तमान तनावग्रस्त परिस्थिति में निर्यातकों को ऋण के रूप में प्रदान की जाने वाली कार्यकारी पूँजी के सन्दर्भ में ईसीजीसी की सुनियोजित भूमिका और अधिक समाचीन हो जाती है। बैंकों को जारी की जाने वाली सम्पूर्ण पण्यावर्त रक्षाओं के अधीन खातों की संख्या में पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्बंधित वर्षों के दौरान वितरित अग्रिमों के साथ लगातार गिरावट हो रही है। पिछले चार वर्षों में इस पोर्टफोलियो के अधीन महत्वपूर्ण निर्यातकों की संख्या 19000 से घटकर 14000 हो गयी है। ₹28,800 करोड़ के मध्यम व दीर्घावधिक निर्यातों को एनईआईए , परियोजना निर्यातों के संवर्धन के लिए स्थापित ट्रस्ट , के साथ जोखिमों की हिस्सेदारी

the export capacity by helping both large and MSME units to globalize their operations and export their products and services. The role of an Export Credit Agency (ECA) is indispensable in the export strategy of any country and ECGC being one of the oldest ECAs in the world has been playing a crucial role in insuring the export receivables and lending to exports. The exemplary service rendered has been validated by the best ECA award won against competition from older and larger ECAs.

3. The Company had 34,740 covers in force with a Maximum Liability of ₹96,101 cr as at the end of the year on 31.03.2018. The total Risk Value covered during the year for exporters was ₹1,77,349 cr and for banks was ₹4,56,684 cr. Taking into account the value covered for Medium and Long Term sector, the total insured value comes to ₹6,41,449 cr which is 33% of the total exports of the country. It is notable to observe that our portfolio consist of more than 85% of MSME exporters only whose Maximum Liabilities for receivables cover would be upto ₹20 cr or whose export credit limits with banks would be upto ₹50 cr only.

4. While the maximum coverage was to Europe and North America, it is pertinent to note that it constituted predominantly of high risk transactions like open delivery and longer credit periods. The share of Asia in the total coverage has also been rising steadily and stands at almost one third of the total coverage. As regards major sectors covered, Engineering goods, cotton, textiles and Readymade garments, Agriculture & plantations and chemicals & Pharma constitute the maximum share with over 60% of the total risk value.

5. The systemic role of ECGC in the context of Working Capital lending to exporters has never been more pertinent than in the present stress scenario in the banking industry. The number of accounts under the whole turnover covers issued to banks continues to decline as in previous three years alongwith the advances disbursed in the respective years. The distinct exporters under this portfolio have shrunk to almost 14000 from over 19000 in the last four years. Under the Medium and Long Term covers, exports of value of ₹28,800 cr have been supported by sharing the risks with NEIA, a Trust set up for

कर समर्थन प्रदान किया गया।

6. बैंकों को अधिक मूल्य के दावों के निपटान के फलस्वरूप प्रदत्त दावों का सकल मूल्य, सकल अर्जित प्रीमियम की तुलना में अधिक रहा। वर्ष के दौरान बैंकों तथा निर्यातकों दोनों को कुल ₹1283 करोड़ के दावों की अदायगी की गयी जो कि अब तक की सर्वाधिक अदायगी है। इसके अतिरिक्त, भविष्य में अदायगी के लिए ₹6,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गंभीर तनाव के बावजूद, इस वर्ष कर पूर्व लाभ ₹130 करोड़ रहा तथा भारत सरकार ( भा स ) को ₹18 करोड़ का लाभांश प्रदान किया गया। वर्ष की समाप्ति तक कंपनी का निवेश पूंजी स्तर ₹8,800 करोड़ रही। हीरक जयंती समारोह की समाप्ति पर आयोजित निर्यातक पुरस्कार समारोह में 29 निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया। माननीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री द्वारा इस अवसर पर ईसीजीसी की 60 वर्षों की यात्रा सम्बन्धी इतिवृत का विमोचन किया गया।

7. ईसीजीसी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, व्यावसायिकता,सामाजिक प्रतिक्रियात्मकता तथा नैतिक कारोबार प्रथाओं में सुधारों को अपनाने के साथ मूल्याधारित संचालन वाले संगठन के रूप में अपने को बनाए रखते हुए ग्राहकों के संतोष पर विशेष ध्यान देते हुए उच्चतम कंपनी प्रथाओं का पालन करने में विश्वास रखता है। हमारी सीएसआर पहलों के अधीन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समर्थन प्रदान किया गया है। कंपनी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए उसे पुरस्कृत भी किया जाता रहा है।

8. कम्पनी निदेशक मंडल के सभी निदेशकों के योगदान की सराहना करती है। श्री ए के मिश्र, श्री गोविन्द मोहन, श्री गणेश कुमार गुप्ता तथा श्री विद्युत बिहारी स्वाईं ,वर्ष के दौरान बोर्ड में शामिल हुए हैं। वर्ष के दौरान श्री सुनील कुमार, श्री अरुण तिवारी, डॉ सौरभ गर्ग तथा श्रीमती मीना हेमचन्द्र बोर्ड से कार्यमुक्त हुए। हम बैंकों तथा निर्यातकों के आभारी हैं जिन्होंने अपने निर्यात कारोबार में ईसीजीसी को प्रमुख भागीदार के रूप में शामिल रखना जारी रखा है। हम वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सी ए जी, नीति आयोग, डी पी ई, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आई आर डी ए आई को उनके नियमित समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

9. बहुपक्षीय मुक्त व्यापार मजबूत वैश्विक आर्थिक नेतृत्व पर आधारित होता है जो इस प्रकार के सहयोग को संवर्धित तथा प्रोत्साहित करते हैं। भारत के पास विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था व तेजी से एक बड़ी अर्थव्यवस्था में विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के कारण, उस भूमिका की अदायगी का स्वर्णिम अवसर उपलब्ध

promoting project exports.

6. The gross claims payout during the year exceeded that of gross premium income owing to the landmark settlement of claims to banks. The total claims paid during the year to both banks and exporters has been at the highest ever at ₹1283 cr. In addition, provisions of ₹6000 cr has been set aside for future payouts. Despite this huge stress, profit of ₹130 cr before tax with a dividend of ₹18 cr to Government of India (GoI) has been concluded. The investment asset levels of the Company are over ₹8800 cr as at the end of the year. An exporters' awards function was held at the conclusion of Diamond Jubilee celebration wherein 29 exporters were honored. A chronicle of ECGC's 60 years journey was also released on this occasion by Hon'ble Commerce & Industry Minister.

7. ECGC believes in the highest degree of corporate practices exercised by adopting best standards of transparency, accountability, professionalism, social responsiveness and ethical business practices with improved focus on customer satisfaction to maintain itself as a value driven organization. Under our CSR initiatives, various projects in education, health and other key sectors have been supported. The company continues to follow its commitment to work in Hindi with dedication and receive awards.

8. The Company places on record its appreciation for the contribution of all the Directors on the Board. Mr. A.K. Misra, Mr. Govind Mohan, Mr. Ganesh Kumar Gupta and Mr.Bidyut Behari Swain joined the Board during the year. Mr.Sunil Kumar, Mr. Arun Tiwari, Dr. Saurabh Garg and Mrs. Meena Hemchandra ceased to be on the Board during the year. We are grateful to exporters and banks who continue to regard ECGC as an indispensable partner in their export endeavor. We extend our sincere thanks to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, CAG, NITI Aayog, DPE, Reserve Bank of India and IRDAI for their continued support.

9. Multilateral free trade depends on strong global economic leaders who can promote and fuel such co-operation. India being the sixth largest economy and the fastest growing large economy has the golden opportunity to play that role. Despite the trade

है। भारत के लिए व्यापार संरक्षणवाद तथा परिवर्तनशील बाजार स्थितियों के कारण तेज वृद्धि अपेक्षित है। हाल के वर्षों में आई एम एफ द्वारा समर्थित विन्यासगत सुधारों के फलस्वरूप , देश के अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने की संभावना बढ़ गई है।

10. व्यापार सभी पक्षों के लिए लाभकारी होना चाहिए तथा व्यापार में जोखिम हमेशा व्याप्त तो रहते ही हैं। ईसीजीसी, अपने ग्राहकों को जोखिमों का अनुमान लगाने तथा उसे कम करने में सहायता करता है। वर्तमान तनावग्रस्त समय में, सक्रिय निर्यात ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में ईसीजीसी की सुनियोजित भूमिका का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली ₹2,000 करोड़ की प्रस्तावित अतिरिक्त पूँजी इस संगठन पर भारत सरकार के विश्वास की दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। पिछले 61 वर्षों में हमने काफी लम्बा सफर तय किया है तथा राष्ट्र के निर्यात संवर्धन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के उत्तरोत्तर प्रयास निरंतर जारी रखेंगे।

**श्रीमती गीता मुरलीधर**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

protectionism and volatile market conditions, faster growth is expected for India. Structural reforms undertaken in recent years will ensure a solid track ahead for the country as endorsed by IMF with India marching ahead of its peers. .

10. Trade is supposed to be a “win-win” for all players and there has never been a time without risks. ECGC helps customers anticipate the risks and offers the right mitigants too. Its systemic role in ensuring proactive export credits has to be intensified in these stressful times. The faith reposed by GoI in the organization is fortified by the proposed capital infusion of ₹2000 cr. In the last 61 years, we have come far and will do much further in advancing the cause of export promotion of the nation.

**Smt. Geetha Muralidhar**
Chairman-cum-Managing Director

अ.प्र.नि. , ईसीजीसी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग श्री सी.आर. चौधरी को लाभांश के ₹15 करोड़ का चेक प्रदान करते हुए।
CMD ECGC handing over Dividend Cheque of ₹15.00 crores to Hon'ble Union Minister of State for Commerce & Industry Shri C. R. Choudhury.

वर्ष 2017 के दौरान हाँगझोऊ,चीन में सम्पन्न ब्रिक्स के ईसीए प्रमुखों की बैठक।
BRICS Heads of ECAs meeting held in 2017 at Hangzhou, China.

वर्ष 2018 के दौरान रोम,इटली में सम्पन्न जी-12 के ईसीए प्रमुखों की बैठक।
G-12 Heads of ECAs meeting held in 2018 at Rome, Italy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत तथा सचिव, वाणिज्य, अमेरिका सरकार की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते अप्रनि, ईसीजीसी एवं अध्यक्ष(कार्यकारी), यूएस, एक्ज़िम।
CMD, ECGC and Chairman and President (acting), US EXIM, signing the MoU in the presence of the Commerce and Industry Minister, India and the Secretary, Commerce of US Government.

यूलर हर्मस, जर्मनी के साथ द्विपक्षीय बैठक।
Bilateral Meeting with Euler Hermes, Germany.

ईजीएफआई, ईरान तथा ईसीजीसी के मध्य द्विपक्षीय बैठक।
Bilateral Meeting between EGFI, Iran & ECGC.

"ईसीजीसी- भारतीय निर्यातक उत्कृष्टता पुरस्कार 2017" के दौरान पुरस्कार विजेता।
Award winners at "ECGC-Indian Exporters Excellence Awards 2017".

## निदेशक मंडल की रिपोर्ट

## DIRECTORS' REPORT

प्रिय सदस्यों,

ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ, कंपनी की 60वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

### वित्तीय विशेषताएं

आपकी कंपनी की वित्तीय विशेषताएं, समीक्षाधीन अवधि के लिए निम्नलिखित हैं:

(₹ लाखों में)

| विवरण | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|
| पण्यावर्त (सकल प्रीमियम) | 124041.71 | 126762.49 |
| वित्तीय प्रभार, कर, मूल्यह्रास / परिशोधन पूर्व लाभ(पीबीआईटीडीए) | 13296.64 | 41085.42 |
| घटाएं : वित्तीय प्रभार | - | - |
| मूल्यह्रास / परिशोधन पूर्व लाभ(पीबीटीडीए) | 13296.64 | 41085.42 |
| घटाएं : मूल्यह्रास | 318.11 | 336.00 |
| कराधान पूर्व निवल लाभ (पीबीटी) | 12978.53 | 40749.42 |
| कराधान हेतु प्रावधान | 5549.98 | 12535.01 |
| कराधान पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी) | 7428.55 | 28214.41 |
| प्रस्तावित लाभांश | 1500.00 | 7250.00 |
| लाभांश कर | 308.33 | 1475.93 |

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के ₹885.34 करोड़ की तुलना में कम्पनी द्वारा कुल ₹1283.17 करोड़ के दावों की अदायगी की गई। पुनर्बीमा के हिस्से, वसूलियों और प्रावधानों के समायोजन के उपरांत वहन किए गए दावे, पिछले वर्ष के दौरान ₹1056.65 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹1138.59 करोड़ हो गए। पिछले वित्तीय वर्ष के ₹656.06 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निवेश और अन्य आय 6.13%. की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए ₹696.29 करोड़ हो गई ।

पिछले वर्ष के दौरान ₹1,267.62 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने 2.5% की गिरावट के साथ ₹1,240.42 करोड़ का सकल प्रीमियम अर्जित किया। पुनर्बीमा अर्पण तथा असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों के समायोजन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अर्जित प्रीमियम (निवल ) के आंकड़े गत वर्ष के ₹871.57 करोड़ की तुलना में गिरावट दर्ज करते हुए ₹839.24 करोड़ (-3.71% वृद्धि) रहे ।

### लाभ और विनियोजन

पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1255.62 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रचालनों से कुल आय 1.18% बढ़कर ₹1270.41 करोड़ हो गई । वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹138.10 करोड़ की प्रचालन हानि की तुलना में,कम्पनी द्वारा ₹130.05 करोड़ की प्रचालन हानि प्रदर्शित की। पिछले वर्ष के ₹407.49 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान रु ₹129.79 करोड़ का कर पूर्व

Dear Members,

The Directors of ECGC Limited (ECGC) are pleased to present the 60th Annual Report of the Company, together with the audited financial statements, for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2018.

### FINANCIAL HIGHLIGHTS

Your Company's financial highlights for the period under review are given below:

(₹ in Lakhs)

| Particulars | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|
| Turnover (Gross Premium) | 124041.71 | 126762.49 |
| Profit Before Finance Charges, Tax, Depreciation/ Amortization (PBITDA) | 13296.64 | 41085.42 |
| Less : Finance Charges | - | - |
| Profit before Depreciation/ Amortization (PBTDA) | 13296.64 | 41085.42 |
| Less : Depreciation | 318.11 | 336.00 |
| Net Profit Before Taxation (PBT) | 12978.53 | 40749.42 |
| Provision for Taxation | 5549.98 | 12535.01 |
| Profit/(Loss) After Taxation (PAT) | 7428.55 | 28214.41 |
| Proposed Dividend | 1500.00 | 7250.00 |
| Dividend Tax | 308.33 | 1475.93 |

During the FY 2017-18, the total claims paid by the Company is ₹1283.17 Crore against ₹885.34 Crore in the previous FY. After adjusting for reinsurers share, recoveries and provisions, the incurred claim increased for the FY 2017-18 to ₹1138.59 Crore against ₹1056.65 Crore for the previous FY. Investment and other income have increased to ₹696.29 Crore in FY 2017-18 up from ₹656.06 Crore in the previous FY reflecting a growth of 6.13%.

The Gross Premium earned by the Company during the FY 2017-18 was ₹1240.42 Crore against ₹1267.62 Crore during the previous FY registering a decline of 2.15%. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for un-expired risks, the premium earned (Net) for the FY 2017-18, decreased to ₹839.24 Crore, against ₹871.57 Crore for the previous FY(-3.71% growth).

### PROFITS AND APPROPRIATIONS

During the FY 2017-18, total income from operations was up by 1.18% to ₹1270.41 Crore from ₹1255.62 Crore in the previous FY. During the FY 2017-18, the Company posted an Operating Loss of ₹130.05 Crore compared to an Operating Profit of ₹138.10 Crore during the previous

क्षेत्रवार प्राप्त सकल प्रीमियम (₹ करोड़ में)
Segment-wise Gross Premium Received (₹ in Crores)

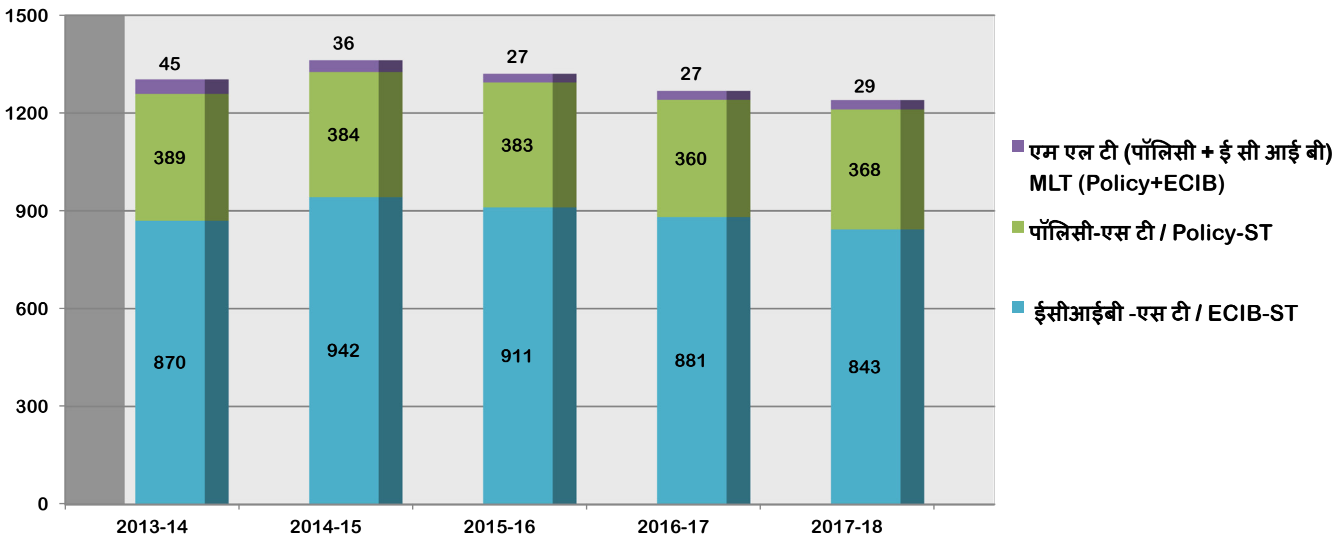


एम एल टी : मध्यम व दीघावधि; ईसीआईबी : बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा; एस टी : अल्पावधि
MLT : Medium and Long Term ; ECIB : Export Credit Insurance for Banks ; ST : Short Term

लाभ (पी बी टी) हुआ । वर्ष के दौरान ₹55.50 करोड़ के आय कर और पूर्व अवधि समायोजन का प्रावधान करने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के ₹282.14 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में विनियोजन के लिए उपलब्ध करोत्तर लाभ (पी ए टी) ₹74.29 करोड़ रहा।

## लाभांश

निदेशन मण्डल प्रत्येक रु 100 के 15,00,00,000 इक्विटी शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर ₹ 1/- के पूर्ण और अंतिम लाभांश की सहर्ष सिफारिश करता है, जो ₹15 करोड़ होता है। कुल लाभांश, उस पर लाभांश वितरण कर के साथ ₹18.08 करोड़ होगा जो ₹74.29 करोड़ के करोत्तर लाभ (पीएटी) का 24.34% का पे आउट अनुपात निरूपित करता है।

## प्रारक्षित निधियाँ

दिनांक 29 मई, 2018 को सम्पन्न बोर्ड ने अपनी 414वीं बैठक में ₹67.92 करोड़ सामान्य प्रारक्षित निधि रखना प्रस्तावित किया है।

## अदावी लाभांश को निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अंतरण

चूंकि पिछले वर्ष कोई अदत्त/अदावी लाभांश घोषित व अदा नहीं किया गया, अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

## शेयर पूंजी

31 मार्च, 2018 को कंपनी का निवल मूल्य ₹3737.11 करोड़ (31 मार्च, 2017 को ₹3619.19 करोड़) था, जिसमें ₹1500 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूंजी में नवीनतम वृद्धि द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त ₹50 करोड़ की राशि सहित) की चुकता पूंजी व ₹2237.11 करोड़ की प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष शामिल है।

FY. During the FY 2017-18, Profit Before Tax (PBT) was ₹129.79 Crore, against ₹407.49 Crore in the previous FY. After providing ₹55.50 Crore towards income tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the FY 2017-18 was ₹74.29 Crore, against ₹282.14 Crore in the previous FY.

## DIVIDEND

The Board of Directors are pleased to recommend a full and final dividend of ₹1 per Equity Share on the 15,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each, amounting to ₹15.00 Crore. The total dividend, along with the dividend distribution tax thereon, amounts to ₹18.08 Crore, representing a pay-out ratio of 24.34% of the PAT of ₹74.29 Crore.

## RESERVES

The Board, at its 414th Meeting, held on May 29, 2018, proposed to trasnsfer ₹67.92 Crore to General Reserve.

## TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Since there was no unpaid/unclaimed Dividend declared and paid last year, the provisions of Section 125 of the Companies Act, 2013 do not apply.

## SHARE CAPITAL

As of March 31, 2018 the Company's Net Worth was ₹3737.11 Crore (₹3619.19 Crore as on March 31, 2017), comprising Paid-up Share Capital of ₹1500 Crore (including ₹50 Crore received from the Central

क. **प्रतिभूतियों की वापसी खरीद :**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी प्रतिभूति की वापसी खरीद नहीं की है ।

ख. **स्वेट इक्विटी**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है ।

ग. **बोनस शेयर्स**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए हैं ।

घ. **कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना**

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना प्रदान नहीं की है ।

## कंपनी के बहिर्नियम

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के बहिर्नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया।

## शोधक्षमता मार्जिन

31 मार्च, 2018 को शोधक्षमता अनुपात, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्रधिकरण (आईआरडीएआई) के 1.5 गुना के मानदंड की तुलना में 9.86 गुना है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

Government by way of fresh infusion of capital during FY 2017-18) and Reserves and Surplus of ₹2237.11 Crore.

a. **BUY BACK OF SECURITIES**

The Company has not bought back any of its securities during the year under review.

b. **SWEAT EQUITY**

The Company has not issued any Sweat Equity Shares during the year under review.

c. **BONUS SHARES**

No Bonus Shares were issued during the year under review.

d. **EMPLOYEES STOCK OPTION PLAN**

The Company has not provided any Stock Option Scheme to the employees.

## MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

During the FY 2017-18 there was no change in the Memorandum of Association of the Company.

## SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio as on March 31, 2018, is 9.86 times, against the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) norm of 1.5 times. The details are as under:

**प्रदत्त सकल दावे (₹ करोड़ में)**
**Gross Claims Paid (₹ In Crores)**

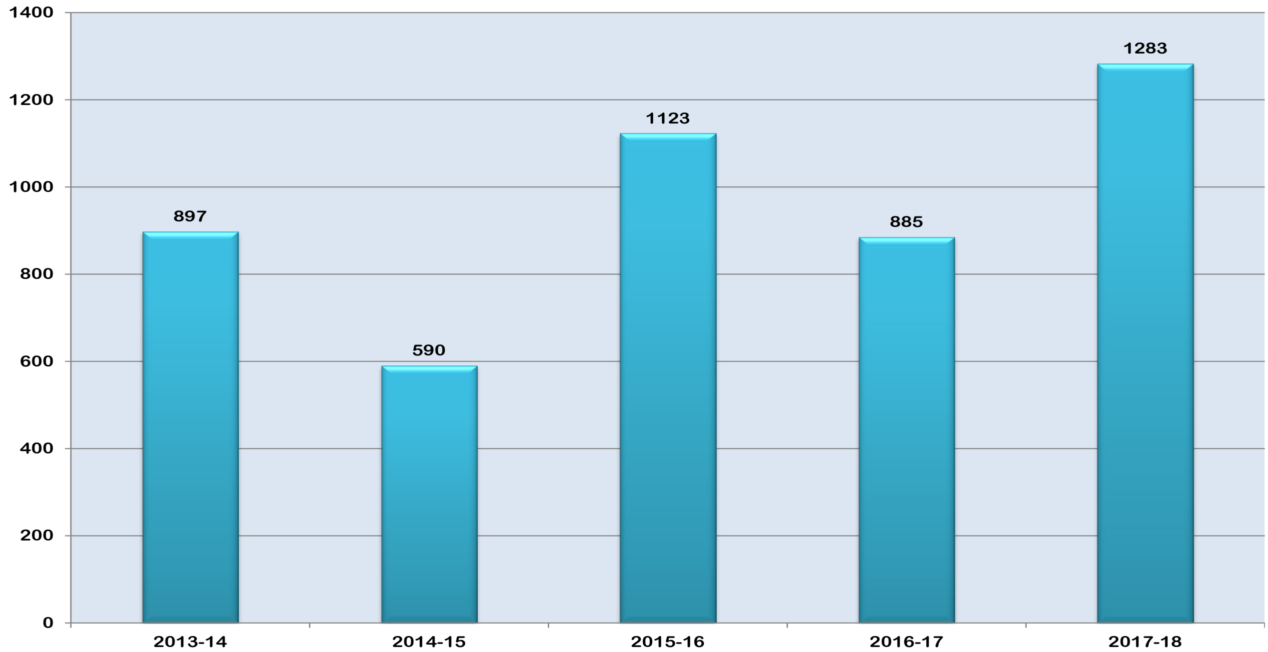

| विवरण | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|
| विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन(आर.एस.एम.) (₹करोड़ में) | 361.17 | 391.93 |
| उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन (ए.एस.एम.) (₹करोड़ में) | 3561.22 | 3406.12 |
| शोधक्षमता अनुपात(कुल ए.एस.एम. / आर.एस.एम.) (गुना) | 9.86 | 8.69 |

## अधिकतम देयता

किसी भी समय कंपनी की अधिकतम देयता (अ.दे.) भारत सरकार द्वारा कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72(ख) के अंतर्गत अनुमोदित, 31 मार्च, 2018 को ₹1,00,000 करोड़ अपरिवर्तनीय है । दिनांक 31 मार्च, 2018 को अ.दे. ₹96,101 करोड़ थी।

## नये उत्पादों का प्रारम्भ

वित्त वर्ष 2017-18 में, कम्पनी द्वारा निर्यात प्राप्ति (फैक्टरिंग जोखिम) बीमा करार नामक उत्पाद, फैक्टरिंग कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों एवं बैकों को उनके द्वारा फैक्टर किये गये और भुगतान न प्राप्त किये गए बिलों पर, विदेशी खरीदार अथवा राजनीतिक जोखिम के कारण हो सकने वाली हानियों से रक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।

## निवेश

कंपनी के निवेश आई आर डी ए आई के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं ।

## प्रबंधन व्यय

संबंधित नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 ग के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा वहन किए गए प्रबंधन व्यय, आई आर डी ए आई के 29.01% के मानदंड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में सकल प्रीमियम आय के रूप में 16.87% (पिछले वर्ष 16.19%) रहा ।

**विविध समूह / कॉर्पोरेट**

(₹ करोड़ में)

| बीमाकर्ता द्वारा भारत में बीमांकित कुल सकल प्रीमियम का भाग | प्रीमियम | प्रीमियम का प्रतिशत | स्वीकृत व्यय |
|---|---|---|---|
| प्रथम | 200.00 | 35.00% | 70.00 |
| अगला | 150.00 | 30.00% | 45.00 |
| शेष | 890.42 | 27.50% | 244.86 |
| भारत में कुल बीमांकित प्रीमियम | 1240.42 | | 359.86 |
| स्वीकार्य व्यय का % | | | 29.01 |

| Particulars | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|
| Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹ in Crore) | 361.17 | 391.93 |
| Available Solvency Margin (ASM) (₹in Crore) | 3561.22 | 3406.12 |
| Solvency Ratio (Total ASM / RSM) (Times) | 9.86 | 8.69 |

## MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability (ML) that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, remains unchanged at ₹1,00,000 Crore as of March 31, 2018. The ML as on March 31, 2018 was ₹96,101 Crore.

## INTRODUCTION OF NEW PRODUCTS

In the FY 2017-18, Company introduced a new product named 'Export Receivables (Factors Risks) Insurance Agreement', providing protection to factoring companies, financial institutions and Banks, against the losses they may incur, in the event the bills factored by them had remained unrealized owing to overseas Buyer's Risk or Political Risks.

## INVESTMENT

The investments of the Company have been in conformity with the guidelines of the IRDAI.

## MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938, read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company, as a percentage of the Gross Premium Income during the FY 2017-18 stand at 16.87% (previous FY 16.19%) against the IRDAI norm of 29.01%.

**Miscellaneous Group / Corporate**

(₹ In Crore)

| Part of the total Gross Premium of the insurer written in India | Premium | Percentage of Premium | Allowable Expenses |
|---|---|---|---|
| First | 200.00 | 35.00% | 70.00 |
| Next | 150.00 | 30.00% | 45.00 |
| The Balance | 890.42 | 27.50% | 244.86 |
| Total Written Premium in India | 1240.42 | | 359.86 |
| % of Allowable Expenses | | | 29.01 |

चुकता पूँजी एवं प्रारक्षित निधियां (निवल मालियत) (₹ करोड़ में)
Paid-up Capital and Reserves (Net Worth) (₹ in Crores)

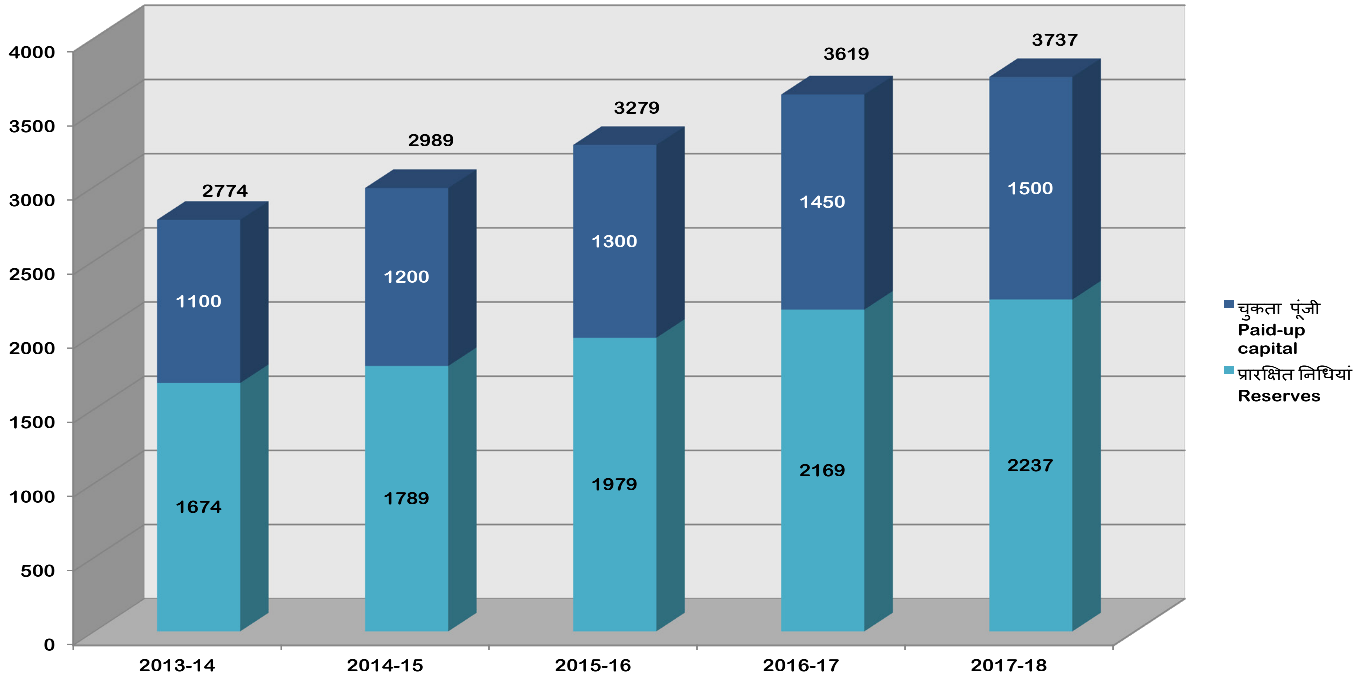


## राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एन ई आई ए )

एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित के उद्देश्य से मध्यम एवं दीर्घावधि व उच्च मूल्य की परियोजनाओं को ऋण जोखिम सुरक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। 31 मार्च, 2018 को ट्रस्ट के पास ₹2685.26 करोड़ की बीमांकन राशि है। ट्रस्ट की बीमांकन क्षमता ₹53,705 करोड़ है जिसका 25% अर्थात ₹13,426 करोड की राशि कम्पनी द्वारा जारी एम.एल.टी. रक्षाओं हेतु प्रारक्षित है। ₹7843 करोड़ की सीमा तक वर्तमान में प्रभावी 75 प्रोजेक्ट के लिये 177 रक्षाएं प्रभावी हैं जिनको एन.ई.आई.ए. के साथ साझा किया जा रहा है।

## निदेशक मण्डल

कंपनी भारत सरकार की 100% के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के संचालन, प्रबंधन व निदेशन के सभी अधिकार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल के पास हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक(पॉलिसी मामले) के अतिरिक्त निदेशक मण्डल के सभी निदेशक गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) सहित निदेशक मण्डल के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान तीन अंशकालिक निदेशकों यथा, श्री अरुण कुमार तिवारी, अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया; डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव (निवेश अनुभाग), आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय तथा श्रीमती मीना हेमचंद्र, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक का कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त

## NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term duration (MLT) high-value projects which are desirable from the point of view of national interest. The Trust has an underwriting corpus of ₹2685.26 Crore as of March 31, 2018. The underwriting capacity of the Trust is ₹53,705 Crore of which 25% amounting to ₹13,426 Crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. Risk in respect of 177 covers issued supporting 75 projects in force has been shared with NEIA to the extent of ₹7843 Crore.

## BOARD OF DIRECTORS

The Company is 100% owned by the Government of India. The general powers of superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board, other than the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director (Policy Matters), are Non-Executive Directors. All members of the Board, including the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director (Policy Matters) are appointed by the President of India.

During the FY 2017-18, three Part-Time Directors viz., Shri Arun Tiwari, Chairman and Managing Director, Union Bank of India; Dr. Saurabh Garg, Joint Secretary (Investment Division), Department of Economic Affairs,

हुआ। तीन अंशकालिक निदेशक यथा श्री गणेश कुमार गुप्ता,अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इन्डियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स; श्री गोविंद मोहन, संयुक्त सचिव (निवेश अनुभाग), आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, श्री ए.के. मिश्र कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, को बोर्ड में निदेशकों के रूप में शामिल किया गया।

अंशकालिक निदेशक, श्री सुनील कुमार, अपर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का दिनांक 20/04/2018 को कम्पनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया इसके साथ ही श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं, अपर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को दिनांक 20/04/2018 को श्री सुनील कुमार, अतरिक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्थान पर बोर्ड में शमिल किया गया।

इस रिपोर्ट की तारीख तक मण्डल में तेरह अंशकालिक निदेशकों में से पांच का स्थान रिक्त है। इन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक का पुनर्चयन/ पुनर्नियुक्ति नहीं की गयी।

## निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके दायित्वों के निर्वाह से संबन्धित कंपनी की नीति

नामांकन तथा परिश्रमिक समिति के गठन से संबन्धित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(3) के अधीन प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुणों, निदेशकों की स्वतन्त्रता तथा अन्य संबन्धित मामलों के लिए किसी भी प्रकार की नीति का निरूपण नहीं किया गया है। मण्डल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

## वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरण के उद्धरण कम्पनी की वेबसाइट https://www.ecgc.in. पर उपलब्ध हैं।

## स्वतंत्र निदेशकों की घोषणाएँ

जैसे कि हमारी कंपनी सूचीबद्ध / सार्वजनिक कंपनी नहीं है अतः स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबन्धित धारा 149 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

## समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों क़ी संख्या

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के मण्डल की पांच बैठकों का आयोजन किया गया।

Ministry of Finance and Smt. Meena Hemchandra, Executive Director, Reserve Bank of India ceased to be Directors of the Company. Three Part-Time Directors viz., Shri Ganesh Kumar Gupta, President, Federation of Indian Export Organizations; Shri Govind Mohan, Joint Secretary (Investment Division), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance and Shri A.K. Misra, Executive Director, Reserve Bank of India, have been inducted on the Board.

Shri Sunil Kumar, Additional Secretary- Ministry of Commerce & Industry, Part-Time Director ceased to be Director of the Company from 20/04/2018 as Shri Bidyut Behari Swain, Additional Secretary- Ministry of Commerce & Industry has been inducted on the Board of the Company on 20/04/2018 in place of Shri Sunil Kumar, Additional Secretary- Ministry of Commerce & Industry.

As on the date of this Report, five of the thirteen positions of Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

There was no Director who got re-elected/ re-appointed during the year under review.

## COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES

The provisions of Section 178(1) relating to constitution of Nomination and Remuneration Committee are not applicable to the Company and hence the Company has not devised any policy relating to appointment of Directors, payment of Managerial remuneration, Directors qualifications, positive attributes, independence of Directors and other related matters as provided under Section 178(3) of the Companies Act, 2013. All the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India.

## ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is provided at Company's website https://www.ecgc.in.

## DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

The provisions of Section 149 pertaining to the appointment of Independent Directors do not apply to our Company as it is not a listed/ public Company.

## NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company had five Board Meetings during the financial year under review.

## लेखापरीक्षा समिति के विन्यास का प्रकटन तथा सतर्कता तंत्र का प्रावधान

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :-

| क्र. सं. | निदेशकों के नाम |
|---|---|
| 1. | श्री बिद्युत बिहारी स्वाई<br>(दि. 20/04/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्ति) |
| 2. | श्री गोविंद मोहन<br>(दि. 27/11/2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त) |
| 3. | श्री ए. के. मिश्र<br>(दि. 07/03/2018 से सदस्य के रूप में नियुक्त) |
| 4. | श्री राजीव ऋषि<br>(दि. 07/11/2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त) |
| 5. | श्रीमती एलिस जी. वैद्यन<br>(दि. 11/02/2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त) |
| 6. | श्री गणेश कुमार गुप्ता<br>(दि. 01/05/2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त) |
| 7. | श्री माणेक एरूच डावर<br>(दि. 22/03/2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त) |
| 8. | श्रीमती सरनला मालती रानी<br>(दि. 22/03/2017 से सदस्य के रूप में नियुक्त) |
| 9. | डॉ. सौरभ गर्ग<br>(दि. 10/11/2014 से सदस्य के रूप में नियुक्त)<br>(दि.27/11/2017 को सदस्य के रूप में कार्यभार समाप्त) |
| 10. | श्री अरुण तिवारी<br>(दि. 07/11/2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त)<br>(30/06/2017 से सदस्य के रूप में कार्यभार समाप्त) |
| 11. | श्रीमती मीना हेमचंद्र<br>(दि. 15/07/2015 से सदस्य के रूप में नियुक्त)<br>(30/11/2017 से सदस्य के रूप में कार्यभार समाप्त) |
| 12. | श्री सुनील कुमार<br>(दि. 17/08/2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त)<br>(20/04/2018 से सदस्य के रूप में कार्यभार समाप्त) |

लेखापरीक्षा समिति की उपरोक्त संरचना में स्वतंत्र निदेशकों यथा श्री ए. के. मिश्र, श्री राजीव ऋषि, श्रीमती एलिस जी. वैद्यन, श्री गणेश कुमार गुप्ता, श्री माणेक एरूच डावर तथा श्रीमती सरनला मालती रानी, का बहुमत है।

कंपनी ने सतर्कता तंत्र स्थापित किया है तथा कर्मचारियों व अन्य निदेशकों द्वारा जताई गयी वास्तविक शंकाओं का लेखा परीक्षा समिति द्वारा समाधान किया जाता है शंका जताने वाले कर्मचारियों तथा निदेशकों की उत्पीड़न से रक्षा हेतु कंपनी द्वारा उचित उपाय किए गए हैं। कंपनी ने, सह कर्मचारियों तथा कंपनी के हितों से संबन्धित मामलों की रिपोर्टिंग पर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का प्रावधान किया है।

## सहायक कंपनियाँ , संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

## DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following members –

| Sr. No. | Name of the Directors |
|---|---|
| 1. | Shri Bidyut Behari Swain<br>(appointed as a Member since 20/04/2018) |
| 2. | Shri Govind Mohan<br>(appointed as a Member since 27/11/2017) |
| 3. | Shri A. K. Misra<br>(appointed as a Member since 07/03/2018) |
| 4. | Shri Rajeev Rishi<br>(appointed as a Member since 07/11/2016) |
| 5. | Smt. Alice G. Vaidyan<br>(appointed as a Member since 11/02/2016) |
| 6. | Shri Ganesh Kumar Gupta<br>(appointed as a Member since 01/05/2017) |
| 7. | Shri Maneck Eruch Davar<br>(appointed as a Member since 22/03/2017) |
| 8. | Smt. Saranala Malathi Rani<br>(appointed as a Member since 22/03/2017) |
| 9. | Dr. Saurabh Garg<br>(appointed as a Member since 10/11/2014)<br>(ceased to be a Member since 27/11/2017) |
| 10. | Shri Arun Tiwari<br>(appointed as a Member since 07/11/2016)<br>(ceased to be a Member since 30/06/2017) |
| 11. | Smt. Meena Hemchandra<br>(appointed as a Member since 15/07/2015)<br>(ceased to be a Member since 30/11/2017) |
| 12. | Shri Sunil Kumar<br>(appointed as a Member since 17/08/2016)<br>(ceased to be a Member since 20/04/2018) |

The above composition of the Audit Committee consists of independent Directors viz., Shri A. K. Misra, Shri Rajeev Rishi, Smt. Alice G. Vaidyan, Shri Ganesh Kumar Gupta, Shri Maneck Eruch Davar and Smt. Saranala Malathi Rani who form the majority.

The Company has established a vigil mechanism and oversees through the Audit Committee, the genuine concerns expressed by the employees and other Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairman of the Audit Committee on reporting issues concerning the interests of co-employees and the Company.

## SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

## जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार का जमा न तो स्वीकार किया है न ही नवीकृत किया है।

## भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कंपनी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है। विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय मापदण्डों के आधार पर पिछले तीन वर्षों में कंपनी का निष्पादन "बहुत अच्छा'' की श्रेणी में रहा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, ईसीआईबी व्यापार में बढे हुए डिफॉल्ट के कारण कंपनी का निषादन " अच्छा से कुछ न्यून" दर्ज किए जाने की सम्भावना है।

## संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2016-17 की ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षत लेखों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 5 जनवरी, 2018 एवं 27 दिसंबर, 2017 को प्रस्तुत की गई थी ।

## कर्मचारियों का विवरण

सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है जिनका वार्षिक पारिश्रमिक वर्ष के लिये 60 लाख रु. अथवा इससे अधिक हो।

## ग्राहक हित रक्षा तंत्र

कंपनी ने अपने ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा कक्ष की स्थापना की है। कंपनी की ग्राहक शिकायत निवारण नीति कंपनी की वैबसाइट पर उपलब्ध है । नीति के अनुसार, अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय का उच्च अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है तथा शिकायत पर विभिन्न अधिकारियों/समितियों द्वारा चार बार विचार किया जा सकता है।कंपनी के प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ कार्यपालकों की एक सर्वोच्च ग्राहक शिकायत समिति (ए सी जी सी) स्थापित की गई है, जो कि कंपनी में किसी ग्राहक की शिकायत के लिए उच्चतम आंतरिक अपील-प्राधिकारी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की 12 बैठकें हुई जिसमें 52 मामलों को निपटाया गया । वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, तीन सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें न्यायिक, बैंकिंग, तथा ऋण बीमा क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल है इसकी वित्तीय वर्ष 2017-18 में चार बैठकें हुई व 16 मामलों पर निर्णय लिया गया।

कंपनी आई आर डी ए आई के केंद्रीयकृत संघटित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी आई जी एम एस) से जुड़ी है जिसमें ग्राहक सीधे लॉग ऑन कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं । वर्तमान में ग्राहकों के

## DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposit during the year under review.

## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

As per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises, every year, a Memorandum of Understanding (MOU) is signed with Department of Commerce and Industry, Government of India. Based on an assessment of various financial and non-financial parameters, the Company's performance has been rated as "Very Good" in the previous three years. The performance of the Company is expected to be rated "just below Fair" for the FY 2017-18 due to increase in defaults under ECIB business.

## PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

Annual Report of the ECGC Ltd, Mumbai, for the year 2016-17, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon, was placed before the Lok Sabha and the Rajya Sabha on January 05, 2018, and December 27, 2017, respectively, in compliance with the requirements under Section 394 of the Companies Act, 2013.

## PARTICULARS OF EMPLOYEES

There was no employee who was employed throughout the financial year, and was in receipt of aggregate remuneration of Rupees sixty lakhs or more for that year.

## CUSTOMER CARE MECHANISM

The Company has set up a Customer Care Cell, situated at the Head Office at Mumbai and headed by a General Manager, for redressing grievances of its customers. The Customer Grievance Redressal Policy of the Company is placed on the Company's website. As per the policy, the decisions taken by an official would be reviewed by a higher authority and the complaint can be dealt with four times by different Officials/ Committees. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office, is the highest in-house Appellate Authority for any customer complaint against the Company. The Committee has met 12 times and disposed 52 cases during the FY 2017-18. A three member Independent Review Committee (IRC) has also been constituted during the FY 2013-14, consisting of external experts in the field of Judiciary, Banking and Credit Insurance, which met 4 times during the FY 2017-18 and decided 16 cases.

The Company is linked to the Centralized Integrated Grievance Management System (CIGMS) of the IRDAI,

पास आई.जी.एम.एस. अथवा कंपनी की वैबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा शिकायत पोर्टल के माध्यम अर्थात केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) द्वारा प्रचालित शिकायत निवारण प्रणाली का भी एक हिस्सा है ।

## ऊर्जा संरक्षण व प्रौद्योगिकी विलयन का विवरण

कंपनी(लेखा) नियमों,2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अनुसरण में वांछित सूचना, कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए, कंपनी द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

## विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी का विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य(पिछले वर्ष शून्य) था जबकि इसी अवधि के दौरान मुख्यतः विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त वसूली के कारण विदेशी मुद्रा व्यय ₹-118.73 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹146.54 करोड़) रहा जबकि पुनर्बीमा के प्रीमियम का भुगतान भारतीय रुपए में किया गया क्योंकि आई आर डी ए आई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से विदेशी पुनर्बीमा कम्पनियों को कम्पनियों को अपनी शाखाएं भारत में खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

## नियुक्त बीमांकिक

कंपनी ने आई आर डी ए आई के विधिवत अनुमोदन से परामर्श आधार पर नियुक्त बीमांकिक ( ए ए ) अनुबंधित किया है। साधारण बीमा व्यापार के लिए नियुक्त बीमांकिक ( ए ए ) के कर्तव्य एवं दायित्व, आई आर डी ए आई (नियुक्त बीमांकिक) के विनियमन 2000 के खंड (ख) विनियमन 8 के अंतर्गत यथा निर्धारित हैं । वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक अलग "बीमांकन विभाग" का भी गठन किया गया जो, उपगत परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर)/ उपगत परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) अनुमानों, आस्ति देयता प्रबंधन, अपेक्षित दावा लागत अनुमान, वित्तीय स्थिति रिपोर्ट, आर्थिक पूंजी परिकलन, उत्पाद मूल्य पुनरीक्षण और पुनर्बीमा तनाव परीक्षण करने में नियुक्त बीमांकिकों की सहायता करता है। नियुक्त बीमांकिक की रिपोर्ट तथा टिप्पणियां कम्पनी के समग्र जोखिम प्रबंधन रणनीतियों में सहायक होती हैं।

## सांविधिक लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा उनके दिनांक 2 अगस्त, 2017 के पत्र के जरिये संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा शाखाओं के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गयी, जिसका संज्ञान दिनांक 07 नवंबर, 2017 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में लिया गया तथा लेखा परीक्षा समिति क़ी सिफारिश के अनुसार सी एंड ए जी द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक क़े लेखा परीक्षा शुल्क को निदेशक

which customers can directly log on to and lodge their complaints. Policyholders now have the option of registering their respective complaints either at the IGMS or through the Company's website. In addition, the Company is a part of the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms at Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

## PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Information pursuant to Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, read with the Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is not required to be given by the Company in view of the nature of the business of the Company.

## FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the Financial Year under review was NIL (NIL in the previous Financial Year) while Foreign Exchange outgo during the same period was ₹-118.73 Crore (₹146.54 Crore in the previous Financial Year) mainly due to the recoveries for claims which is received in Foreign Currency from the reinsurers while the premium for Reinsurance is paid in INR, as IRDAI has allowed foreign reinsurance companies to open branches in India from FY 2017-18.

## APPOINTED ACTUARY

The Company has engaged an Appointed Actuary (AA), on consultancy basis, with due approval of the IRDAI. The duties and obligations of the AA for General Insurance business are as per Clause (b) Regulation 8 of the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2000. A separate 'Actuarial Department' had also been set up in the FY 2012-13, which provides support to the AA in the Actuarial functions such as preparation of Incurred But Not Reported (IBNR) / Incurred But Not Enough Reported (IBNER) Claims estimation, Asset Liability Management Report, Expected Claim Costs Estimation, Financial Condition Assessment Report, Economic Capital Computation, Product Pricing & Review, etc. The reports and observations of the AA contribute towards the overall risk management strategies of the Company.

## STATUTORY AUDITORS

The Joint Statutory Auditors and the Branch Auditors were appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for Audit of Accounts of the Company for the Financial Year (FY) 2017-18 vide their letter dated August 02, 2017, the same was taken on record by the Board at its meeting held on November 07, 2017, and the audit fees for each of the appointed auditors by C&AG were

मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। दिनांक 10 अगस्त, 2017 को सम्पन्न 59वीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित संकल्प के जरिये निदेशक मण्डल ने अपने शेयरधारकों को प्राधिकृत किया है कि वे , वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक निर्धारित करें व अनुमोदित करें तथा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।

## लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का अपना लेखा परीक्षा तंत्र है जिसमें समवर्ती लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और निवेश संव्यवहारों की लेखा परीक्षा संबन्धित प्रणालियाँ शामिल हैं, जो व्यवसाय के स्वरूप और इसके प्रचालनों के आकार के अनुरूप हैं । लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय व कंपनी की विभिन्न शाखाओं की प्रक्रियाओं के साथ साथ संव्यवहार भी शामिल हैं ।लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों की निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है । मेसर्स बंशी जैन एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई फर्म संख्या 100990 डब्ल्यू तथा मेसर्स ए जे शाह एंड कम्पनी, सनदी लेखाकार, मुम्बई, फर्म संख्या 109477 डब्ल्यू, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रधान कार्यालय के लेखों एवं समेकित लेखों की लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं । शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न है ।

## भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षकों (सी ए जी) की कंपनी के लेखों पर टिप्पणी

सी ए जी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति निदेशक मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। यह निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

## कंपनी शासन

कंपनी का कम्पनी शासन दर्शन सभी संबन्धित सांविधिक एवं विनियामक निधारणों का समय पर अनुपालन करना तथा सघन कंपनी शासन प्रचलनों का निर्माण एवं उसका कड़ाई से अनुपालन करना है। विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है (अनुबंध I)

## इस वित्तीय विवरण के वित्तीय वर्ष के अंत तक तथा इस रिपोर्ट की तारीख के बीच , कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन व प्रतिबद्धताएं घटित हुई हैं -

approved by the Board as was recommended by the Audit Committee. The Board was authorized by the Shareholders vide its resolution passed at the 59th AGM held on August 10, 2017 to fix and approve the remuneration of the Joint Statutory Auditors to be appointed by the C&AG under Section 139(5) of the Companies Act, 2013, for the Head Office and Branch Offices of the Company for the FY 2017-18 and necessary certificate from the Joint Statutory Auditors for FY 2017-18 has been obtained as required under Section 141 of the Companies Act, 2013.

## AUDITORS' REPORT

The Company has in place an audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related Systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors Report covers the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors. M/s. Banshi Jain & Associates, Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 100990W and M/s. A.J. Shah & Co., Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 109477W, are the Joint Statutory Auditors appointed by the C&AG, to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2017-18. The Report of the Auditors to Shareholders is appended to the Audited Financial Statements.

## COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

A copy of the certificate issued by C&AG would be provided at the next Board Meeting. It shall be forming part of the Directors Report as an addendum to the same.

## CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the relevant statutory and regulatory prescriptions on time, as also to formulate and adhere to sound Corporate Governance Practices. A detailed Corporate Governance Report is annexed to and forms an integral part of this Directors' Report (Annexure I).

## MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

The following material changes and commitment occurred during the year under review affecting the financial position of the Company –

## I. अंधेरी प्रॉपर्टी का अद्यतन

**कार्यालय परिसर**

1. निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2015 को सम्पन्न अपनी 398वीं बैठक के दौरान कार्यालय भवन के लिए, सीपीडबल्यूडी से दिनांक 26.05.2015 के पत्र में वर्णित ₹111,24,12,901/- के अनुमानित व्यय को अनुमोदन प्रदान कर दिया था। उक्त हेतु ही ईसीजीसी एवं केन्द्रीय लोक कार्य विभाग (सी.पी.डबल्यू.डी.) के मध्य दिनांक 06/06/2016 को अंधेरी प्लॉट पर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

2. स.ज्ञा. के अनुसार, सी.पी.डब्लू.डी. नें विनिर्माण करार के अनुसार अनुमानित राशि के 10% के तीसरी किश्त की मांग की तदनुसार, कम्पनी द्वारा सी.पी.डब्लू.डी. को दिनांक 14/08/2017 को ₹11,12,41,290/- का भुगतान किया गया। कम्पनी द्वारा कार्यालय परिसर हेतु भुगतान के 30% के रूप में कुल ₹33,37,23,870/- की अदायगी की है।

3. मेसर्स एस.ए.एम. इंडिया बिल्टवैल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 30/03/2017 से कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। सीपीडबल्यूडी अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यालय परिसर का 29% कार्य पूर्ण हो चुका है।

**आवासीय परिसर**

1. 7 नवंबर 2016 को आयोजित 405 वीं बैठक में निदेशक मंडल ने ₹73,95,80,728 / - के प्रारंभिक अनुमान पर आवासीय परिसर के निर्माण को मंजूरी दे दी थी। ईसीजीसी और सीपीडब्ल्यूडी ने ईसीजीसी के आवासीय भवन परिसर के निर्माण के लिए 10/01/2017 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने 30/01/2017 को ₹73,95,80,728 /- की अनुमानित प्रारंभिक लागत के 10% की प्रारंभिक जमा के लिए सीपीडब्ल्यूडी को ₹7,39,58,073/- का भुगतान किया है।

2. सीपीडब्ल्यूडी ने आवासीय भवन परिसर के निर्माण के लिए निविदा जारी की है। निविदा 28/12/2017 को खोली गई थी लेकिन निविदा अभी किसी को प्रदान नहीं की गयी है।

3. कंपनी ने ग्रेटर मुंबई (एमसीजीएम) के नगर निगम से 02/12/2017 के पत्र प्राप्त किया है, जिसमें बताया गया है कि आरएच 2.1 (अस्पताल), आरओएस 1.1 (सार्वजनिक खुला स्थान) का अनाआरक्षण को अनुमोदन दिया गया है। हालांकि, डीपी सड़क (विकास योजना) 9.15 मीटर जो कि प्लॉट को बीच से काटती है, को अनारक्षित नहीं किया गया है और संशोधित चित्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

4. कंपनी ने डीपी रोड को अनारक्षित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग से अपील की है। महाराष्ट्र सरकार के 08/05/2018 की अधिसूचना के अनुसार डीपी रोड को अनारक्षित

## I. Update of Andheri Property

**Office premises**

1. The Board of Directors in its 398th meeting held on 15th July, 2015 had approved construction of office building at a preliminary estimate of ₹111,24,12,901/- as intimated by Central Public Works Department (CPWD) vide their letter dated 26/05/2015. The Memorandum of Understanding (MoU) for the same has been signed between ECGC and CPWD on 06/06/2016 for Construction of Office Building at our Andheri Plot.

2. As per the MoU, CPWD had demanded third instalment of deposit @10% of the estimated amount from ECGC on award of construction contract. Accordingly, Company has made a payment of ₹11,12,41,290/- to CPWD on 14/08/2017. The Company has so far made total payment of ₹33,37,23,870/- being 30% deposit towards Office Building.

3. M/s. Sam India Builtwell Pvt. Ltd. has started the construction work for office building from 30/03/2017. As informed by CPWD officials 29% of work has been completed for office building.

**Residential premises**

1. The Board of Directors in its 405th meeting held on 7th November, 2016 had approved construction of Residential Complex at a preliminary estimate of ₹73,95,80,728/-. ECGC and CPWD have signed MOU on 10/01/2017 for Construction of ECGC's Residential Buildings Complex. The Company has made a payment of ₹7,39,58,073/- to CPWD towards initial deposit of 10% of estimated preliminary cost of ₹73,95,80,728/- on 30/01/2017.

2. CPWD has floated tender for Construction of Residential Building complex. The tender was opened on 28/12/2017 but contract is yet to be awarded.

3. The Company has received letter dated 02/12/2017 from Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) informing that the de-reservation of R.H. 2.1(Hospital), ROS 1.1(Public Open Space) has been approved. However, D.P. Road (Development Planning) admeasuring 9.15 metres which cuts across the plot is not de-reserved and advised to submit the revised drawings.

4. The Company has appealed to the Urban Development Department, Government of Maharashtra for de-reserving the DP Road. The Govt. of Maharashtra vide notification dated 08/05/2018 has de-reserved the DP Road, which

कर दिया गया है, जो अपने आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के एक महीने बाद प्रभावी होगा (सार्वजनिक राय के लिए यदि कोई हो)। सीपीडब्ल्यूडी वैधता को विस्तारित करने के बावजूद एल 1 बोलीदाता को अनुबंध देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि ठेकेदार दिनांक 15/05/2018 से परे बोली की वैधता बढ़ाने के लिए सहमत नहीं था। इसलिए, सीपीडब्ल्यूडी को निविदा प्रक्रिया को खारिज करना पड़ा। अनारक्षण प्रभावी होने के बाद एमसीजीएम को लेआउट जमा करने पर पुन टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

**मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड**

1. वर्तमान में कम्पनी, मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा प्रारम्भ किये गए वाद की कार्यवाही में संलग्न है जो कि कम्पनी द्वारा इसके कार्यालय सह आवासीय परिसर के निर्माण हेतु करार को कम्पनी द्वारा रद्द करने के कारण प्रारम्भ हुई जबकि मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, परियोजना संविदाकार ने दिनांक 30 जून, 2015 को हमारे समक्ष ₹23,02,81,857 का दावा दायर किया है, ई.सी.जी.सी. ने ₹31,63,42,930 की क्षतिपूर्ति का दावा किया है।

2. मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड नें राष्ट्रीय कम्पनी विधि ट्रिब्यूनल(एनसीएलटी) के समक्ष जून 2017 में दीवालिया होना दायर किया है तथा एनसीएलटी ने 'मोरेटोरियम' का आदेश पारित कर दिया है। इस मामले की पिछली सुनवाई मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड तथा ईसीजीसी के मध्य न्यायाधीश श्री वी. सी. डागा के समक्ष दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को हुई थी। मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर 'मोरेटोरियम' के कारण वर्तमान में वाद पर रोक है।

## II. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम का अद्यतन

1. कंपनी ने वर्ष 2010 में एचसीएल टेक्नोलॉजीस लिमिटेड को सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के रूप में नियुक्त किया था ताकि पूरा आईटी समाधान प्राप्त हो सके, जिसमें अनुकूलन और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर घटकों का एकीकरण, हार्डवेयर का प्रावधान, सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्राप्त करना, डेटा केंद्र स्थापित करना शामिल है। सह-होस्टेड वाणिज्यिक डेटा केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ कार्यान्वयन के समर्थन के लिए नए आईटी बुनियादी ढांचे का प्रबंधन भी शामिल था।

2. एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की संविदा 12 अगस्त, 2016 समाप्त कर दी गई तथा समाप्ति प्रक्रिया के अंतर्गत एचसीएल के साथ एक समझौता बैठक का आयोजन दिनांक 1 फरवरी, 2017 को किया गया जिसमे कोई सहमति नहीं बन पाई।

3. कम्पनी ने एसआई द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ₹12.44 करोड के मूल्य की निष्पादन गारन्टी की मांग की तथा इसे वित्तीय वर्ष 2016-17 के लाभ एवं हानि खाते में विविध आय के अंतर्गत प्रदर्शित किया।

4. एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने परस्पर संगत समझौते हेतु

would become effective one month after publication in its official gazette (for public opinion if any). CPWD was not in a position to award the contract to L1 bidder despite extending the validity twice, as the contractor did not agree to extend the validity of the bid beyond 15/05/2018. Hence, CPWD had to reject the tender process. The process for retendering would be started on submission of layout to MCGM after the de-reservation becomes effective.

**M/s. Unity Infraprojects Ltd.**

1. The Company has been involved in an arbitration proceedings initiated by M/s Unity Infraprojects Limited after the contract for construction of Office cum Residential buildings in Andheri property was terminated by the Company. While M/s. Unity Infraprojects Limited, Project Contractor have submitted a claim on us to the tune of ₹23,02,81,857/-, on June 30, 2015, ECGC has claimed a compensation of ₹31,63,42,930/-.

2. M/s Unity Infraprojects has filed for insolvency before National Company Law Tribunal (NCLT) in June 2017 and the NCLT had passed an Order of 'Moratorium'. The last hearing in the arbitration before Justice V.C. Daga between M/s Unity Infraprojects and ECGC was held on 20th December, 2017. In view of the moratorium imposed on M/s. Unity Infraprojects Limited, the arbitration proceeding is currently stayed.

## II. Update of Information Technology Implementation Program

1. The Company had appointed HCL Technologies Ltd. as System Integrator (SI) in the year 2010 to provide an end to end IT solution, including customisation and integration of application software components, provisioning of hardware, procuring of systems software licenses, setting up data centres at the co-hosted Commercial Data Centres as also management of new IT infrastructure for the post implementation support.

2. The contract of HCL Technologies Limited was terminated on August 12, 2016, and a settlement meeting was held with HCL on February 01, 2017 under the termination process of the contract, which did not result in settlement.

3. The Company has invoked Performance Guarantees for value of ₹12.44 Crore provided by SI and treated as Miscellaneous Income in the Profit and Loss Account of the Financial Year (FY) 2016-17.

4. HCL Technologies Ltd. requested for a second meeting in order to explore amicable settlement,

दूसरी बैठक के लिए अनुरोध किया, एवं कानूनी सलाहकार के मार्गदर्शन के अनुसार, बैठक 11 अक्टूबर, 2017 को आयोजित की गई, लेकिन इसका परिणामस्वरूप कोई समझौता नहीं हुआ। इसके बाद, एचसीएल टेक्नोलॉजीस लिमिटेड को 10 जनवरी, 2018 को डिमांड नोटिस भेजा गया ।

5. एचसीएल टेक्नोलॉजीस लिमिटेड निर्धारित अवधि के भीतर डिमांड नोटिस का जवाब देने में असफल रही, और निर्धारित अवधि में, हमारे कानूनी सलाहकार ने 01 मार्च, 2018 को एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को समझौते की शर्तों के अनुसार मध्यस्थता हेतु अंतिम नोटिस भेजा जिसमें एचसीएल लिमिटेड को ईसीजीसी की ओर से मध्यस्थ की नियुक्ति के सम्बंध में सूचित करते हुए ₹39.99 करोड़ की मांग की गई ।

6. एचसीएल टेक्नोलॉजीस लिमिटेड से मध्यस्थता की अंतिम नोटिस का जवाब 9 अप्रैल, 2018 को हमारे कानूनी सलाहकार द्वारा प्राप्त किया गया जहां एचसीएल ने ईसीजीसी की ओर से नियुक्त मध्यस्थ को खारिज कर दिया और इसके बजाय सुझाव दिया कि मध्यस्थता के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाए जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। एचसीएल ने 04 अप्रैल, 2018 (9 अप्रैल, 2018 को प्राप्त) के अपने पत्र के माध्यम से ₹183.32 करोड़ की मांग की, एचसीएल ने 27 जनवरी, 2017 के अपने पूर्व के पत्र में 183.32 करोड़ के दावों के लिए एक बयान जोड़ा था। इसे 21 मार्च, 2017 को अपने पत्र में एचसीएल द्वारा फिर से दोहराया गया।

7. समझौते की शर्ते निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक पक्ष उनकी तरफ से मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और दोनों मध्यस्थ एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे, हमारे निर्देशों पर हमारे कानूनी सलाहकार ने एचसीएल टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के सुझाव को खारिज कर दिया है।

8. कालांतर में एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने हमें यह सूचित किया कि उन्होने एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की ओर से मध्यस्थ नियुक्त कर लिया है तथा वाद की प्रक्रिया तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के उपरांत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ होगी।

9. वाद के फैसले के अनुसार , कम्पनी द्वारा आवश्यक्ता अनुसार सम्बंधित वित्तीय वर्ष, जिस वर्ष फैसला होता, में समुचित लेखा समायोजन किया जाएगा ।

### कंपनी के विकास और जोखिम प्रबंधन पॉलिसी के विषय में वक्तव्य:

कंपनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा व्यापार के क्षेत्र में है तथा एक गैर-जीवन बीमा कंपनी के रूप में आईआरडीएआई में पंजीकृत है। निर्यात ऋण जोखिम का समुच्चयन व्यापार की प्रकृति में अंतर्निहित है । कम्पनी द्वारा, अपने आंतरिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के माध्यम से कम्पनी के जोखिम प्रोफाइल का प्रबंधन करने अपनी जोखिम प्रबंधन पॉलिसी का पुनर्मूल्यांकन किया गया । जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में कंपनी,

and as per the legal counsel's guidance, the meeting was held on October 11, 2017, but did not result in settlement. Subsequently, HCL Technologies Ltd. was served with a Demand Notice on January 10, 2018.

5. HCL Technologies Ltd. failed to respond to the Demand Notice within the stipulated period, and subsequently, our legal counsel served the final notice of arbitration as per the terms of the agreement to HCL Technologies Ltd. on March 01, 2018 demanding ₹39.99 Crore from HCL and also informing HCL Technologies Ltd. of the arbitrator appointed on behalf of ECGC.

6. A response to the final notice of arbitration from HCL Technologies Ltd. was received by our legal counsel on April 09, 2018, where HCL have rejected the arbitrator appointed on behalf of ECGC, and instead suggested that a single arbitrator to be appointed for the arbitration who shall be acceptable to both parties. HCL has reverted vide their letter dated April 04, 2018 (received on April 09, 2018) and raised demand of ₹183.32 Crore, HCL vide its earlier letter dated January 27, 2017 had appended a statement for claims of ₹183.32 Crore. This was reiterated by HCL again in their letter dated March 21, 2017.

7. Since the terms of the agreement specify that each party shall appoint an arbitrator on their behalf, and the two arbitrators shall appoint a third arbitrator, on our instructions our legal counsel has rejected the suggestion of HCL Technologies Ltd.

8. Subsequently HCL Technologies Ltd. has informed that they have appointed an arbitrator on behalf of HCL Technologies Ltd. Arbitration proceedings shall commence after the third arbitrator is appointed by both the arbitrators, in the current FY 2018-19.

9. Based on the arbitration award, the Company will make appropriate accounting adjustments, if required during the relevant FY in which the award is given.

### STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The Company is in export credit risk insurance business and is registered as a non-life insurance company with IRDAI. Aggregation of export credit risks is inherent in the nature of business. The Company has reviewed its Risk Management Policy to establish enterprise-wide information system and manage the risk profile of the Company, through its internal risk management framework. As part of risk management, the Company endeavours to obtain adequate reinsurance support in

व्यापार के सभी क्षेत्रों में विवेकपूर्ण सीमा लागू करने के साथ साथ पर्याप्त पुनर्बीमा सहायता प्राप्त करने हेतु भी प्रयासरत है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) विवेकपूर्ण सीमा और विकास के लिए निवेश मानदंडों के कार्यान्वन पर निगरानी क्ररती है जो कंपनी के व्यापार के जोखिम प्रोफाइल को प्रभावित करता है। कंपनी निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है जो शेयरधारकों और पॉलिसी धारकों की निधियों से मिलकर बना है। निवेश जोखिम का प्रबंधन पूरे उद्योगों और प्रतिभूतियों मे निवेश द्वारा किया जाता है तथा निवेश इस प्रकार से किया जाता है जिससे न्यूनतम नकदी जोखिम, निवेश पर ईष्टतम लाभ के साथ प्राप्त किया जा सके। इसपर बोर्ड की निवेश समिति द्वारा निगरानी रखी जाती है। कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिसंपत्ति देयता प्रबंधन(एएलएम) पॉलिसी का अनुसरण करती है। एएलएम की स्थिति से बोर्ड की आरएमसी को तिमाही आधार पर अवगत कराया जाता है।कम्पनी द्वारा इसके जोखिम प्रबंधन प्रणाली में सुधार कर इसे गत्यात्मक बनाने के उद्देश्य से नए कार्य प्रारम्भ किये हैं।

### कंपनी क़ी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व अभिक्रमों पर बनी नीति और उसके कार्यान्वन का विवरण:

**अनुलग्नक II** में संकलित

### कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा किए गए निवेश का ब्यौरा

शून्य

### संबन्धित पक्ष के साथ किए गए समझौते अथवा संविदा का ब्यौरा

सामान्य रूप से व्यापार में उचित दूरी के आधार पर की गयी संविदाओं अथवा समझौते अथवा अंतरण:

एनईआईए ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा स्थापित एक पब्लिक ट्रस्ट है। ईसीजीसी इस ट्रस्ट की देखरेख करता है। कार्यपालक निदेशक इस ट्रस्ट के प्रबंधन ट्रस्टी तथा अप्रनि इसकी अध्यक्ष हैं। ईसीजीसी प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए 5% प्रीमियम आय का हकदार है। ईसीजीसी वर्ष 2006 से इस ट्रस्ट का प्रबंधन कर रहा है।

### निदेशक का दायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशकगण निदेशक के दायित्व वक्तव्य का समर्थन करते है और ये सुनिश्चित करते हैं कि-

(क) कंपनी ने यदि कोई सामग्री निकासी हुई है तो उसके संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करते समय उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का प्रयोग किया है।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 2018 को कम्पनी के कार्यो की उचित एवं निष्पक्ष स्थिति तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के सही लाभ को दर्शाने हेतु निदेशको ने ऐसी लेखांकन पॉलिसी का चुनाव किया है और उन्हे लगातार लागू किया गया है तथा ऐसे निर्णय लिए और अनुमान लगाए हैं जो तार्किक और विवेकपूर्ण हैं।

addition to implementing exposure norms for prudential limits in all the lines of business. The Risk Management Committee of Board (RMC) monitors the implementation of exposure norms for prudential limits and developments that affect the risk profile of the business of the Company. The Company manages an investment portfolio that comprises shareholders and policyholders funds. The investment risks are managed by investing across industry and securities, in such a way that ensures liquidity risks are minimized with optimum return on the investment. It is monitored by Investment Committee of the Board. The Company follows the Board approved Asset Liability Management (ALM) policy. The ALM position is reported to the RMC of the Board on a quarterly basis. The Company has initiated action to improve its risk management functions further to make it dynamic.

### DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Placed at **Annexure II**

### PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Nil

### PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

Details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis in the ordinary course of business:

NEIA Trust is a Public Trust formed by Government of India. ECGC is administering the Trust. Executive Director (Policy Matters) is the Managing Trustee and CMD is the Chairman of the Trust. ECGC is entitled for 5% of Premium Income to meet administrative expenditure. ECGC is managing the Trust since 2006.

### DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that –

(a) The Company had, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards, along with the proper explanations relating to material departures, if any;

(b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2018 and of the profit of the Company for the FY ended March 31, 2018;

(ग) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा किसी तरह के धोखे अथवा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, लेखांकन रिकॉर्ड को तैयार करने में निदेशकों ने यथेष्ट तथा पर्याप्त सावधानी बरती है ;

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, लेखांकन 'लाभकारी कारोबार वाले संस्थान' के आधार पर किया।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी के अनुपालन हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्धारण किया है जो कि यथोचित है और प्रभावी रूप से काम कर रहा है ; तथा,

(च) निदेशकों ने सभी संगत कानूनों के अनुपालन हेतु एक समुचित तंत्र का निर्धारण किया है तथा यह तंत्र यथोचित है और प्रभावी रूप से काम कर रहा है ।

## आभार प्रदर्शन

निदेशक मण्डल अभिलिखित रूप से, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई ), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिज़र्व बैंक और विभिन्न देशों में स्थित भारतीय उच्चायोग कार्यालय का, कंपनी को सतत सहयोग और मार्गदर्शन हेतु तथा कंपनी के मामलों और विकास में विशेष रुचि दिखने के लिये आभार व्यक्त करता है। निदेशकगण निर्यातकों, बैकों और पुनर्बीमा कंपनियों के भी आभारी हैं जिन्होंने कंपनी पर अपना सतत विश्वास बनाए रखा। निदेशकगण रेटिंग एजेंसियों और ऋण वसूलीकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने क्रमश कंपनी के बीमांकन तथा वसूली के कार्य में कंपनी की सहायता की। साथ ही निदेशकगण एफ़आईईओ, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औधोगिक संस्थानों, व्यापार मंडलों, व्यापारिक संस्थाओं तथा बीमा ब्रोकरों के प्रति उनके समर्थन और फीडबैक के लिए आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक गण अभिलिखित रूप में, लेखापरीक्षकों को समय समय पर उनके द्वारा दी गयी सलाहों और समर्थन के लिए, धन्यवाद देते हैं। निदेशकगण सभी कर्मचारी तथा अधिकारियों के भी आभारी हैं जिन्होंने सतत निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और कंपनी को इसके व्यापार में अग्रणी स्थान पर बने रहने के लिए सक्षम बनाया।

कृते निदेशक मण्डल और उनकी ओर से

**गीता मुरलीधर**
**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2018

(c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) The Directors had prepared the accounts for the FY ended March 31, 2018, on a 'going concern' basis;

(e) The Directors, had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

(f) The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Department of Economic Affairs and Department of Financial Services, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, Government of India, Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI), the Comptroller & Auditor General of India, Reserve Bank of India and offices of the Indian High Commission in various countries, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are thankful to the Exporters, Banks and Reinsurers for their continued trust reposed in the Company. The Directors thank the rating agencies & debt collection agents who have contributed to the Company's underwriting and recovery efforts respectively. The Directors also, thankfully place on record, the feedback and support received from the FIEO, various Export Promotion Councils, and Industrial Organisations, Chambers of Commerce, Trade Organisation and Insurance Brokers. The Directors place on record, their thanks for the valuable advice and support received from time to time, from the Auditors. The Directors express their deep sense of appreciation to all the Employees and Officers who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

For and on behalf of the Board of Directors

**Geetha Muralidhar**
**Chairman-cum-Managing Director**

Place: New Delhi
Date: May 29, 2018

प्रेस बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा करते हुए अ.प्र.नि.।
CMD addressing the Press meet to announce the financial result for FY 2017-18.

दिनांक 8 से 11 फरवरी,2018 के दौरान न्यू एग्रीकल्चर ग्राउंड, पुणे में आयोजित "महाटेक 2018" में ईसीजीसी पुणे शाखा द्वारा प्रतिभागिता।
ECGC Pune branch participated in "MAHATECH 2018"Exhibition which was held in New Agriculture Ground, Pune from 8 to 11 February 2018.

मुरादाबाद शाखा द्वारा निर्यातक एवं बैंकर्स बैठक का आयोजन।
Exporters and Bankers Meet conducted by Moradabad Branch.

## कम्पनी शासन पर ईसीजीसी का दर्शन

कंपनी सम्प्रेषण में पारदर्शिता एवं ईमानदारी तथा सभी हितधारकों के लिए पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए संगत तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं कंपनी शासन की श्रेष्ठ पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु कंपनी प्रयासरत और प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा तथा हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम कंपनी नीतियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, हामीदारी पॉलिसी/ प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों/ प्रथाओं तथा लेखा पॉलिसियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रही है । सभी पॉलिसियाँ/ प्रक्रियाएं वैधानिक व नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए बनाई गयी हैं।

## निदेशक मण्डल

कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुछेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक(जहां अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो और वहाँ वही व्यक्ति हो ), एक कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिकतम 13 निदेशक हों व जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद तथा निर्यात से जुड़े लोग शामिल होते हैं। आज की तारीख़ तक बोर्ड के अंशकालिक निदेशकों के तेरह स्थानों में से पांच स्थान रिक्त हैं । इन रिक्तियों को भरने कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

स्वतंत्र निदेशक (गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक यथा सा क्षे उ (डी पी ई) दिशानिर्देशों के अनुसार) ने बोर्ड को यह दर्शाते हुए अपने प्रकटनों को प्रस्तुत किया है कि उन्होने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता को वे पूरा करते हैं।

31/03/2018 तक निदेशक मण्डल में शामिल निदेशकों के नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति की तारीख़ तथा श्रेणियाँ जिनके आधार पर उन्हे नियुक्त किया गया, का विवरण निम्नलिखित **सारणी 1** में दर्शाया गया है:

## ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to Government of India owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them, for creation and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/ procedures, prudent risk management policies/ practices and accounting policies. All policies/ procedures are framed conforming to legal and to ethical responsibilities.

## BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association of the Company. Articles 57 and 63 provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director and not less than three and not more than thirteen other directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. As on date, five of the thirteen positions for Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies has already been initiated.

The Independent Directors (Non-Executive Part-Time Non-Government Directors i.e. Non-Official Directors as per DPE Guidelines) have submitted their disclosure to Board that they fulfil all the requirements as to qualify for their appointment as an Independent Director under the provision of the Companies Act, 2013.

The names of Directors on the Board as on 31/03/2018 along with their qualification, dates of appointment and categories under which they were appointed, are furnished in **Table 1** below:

सारणी 1 / Table 1

| क्रम सं. Sr. No. | निदेशकों के नाम Name of the Directors | योग्यता Qualification | बोर्ड में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment on Board | श्रेणी Category |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती गीता मुरलीधर<br>Smt. Geetha Muralidhar | बी.एस.सी.,एम.कॉम (बैंकिंग एवं बीमा),पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तथा इन्टरनेशनल बिज़नेस ऑपरेशन्स<br>B. Sc., M.Com. (Banking and Insurance), PG Diploma in Human Resource Management and International Business Operations | 23/06/2015 | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक<br>Chairman-cum-Managing Director |
| 2. | श्री सुनील कुमार<br>Shri Sunil Kumar | एम ए (समाज शास्त्र)<br>M.A. (Sociology) | 17/08/2016 (दि.20/04/2018 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>17/08/2016 (ceased to be a Director w.e.f. 20/04/2018) | गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)<br>Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI) |
| 3. | श्री गोविंद मोहन<br>Shri Govind Mohan | इंजीनियरिंग स्नातक (इलेक्ट्रिकल)<br>Bachelor of Engineering (Electrical) | 27/11/2017 | गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार)<br>Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI) |
| 4. | श्री ए.के.मिश्र<br>Shri A. K. Misra | बी.एस.सी.,एमबीएम,एमपीए (हॉवर्ड)<br>B.Sc.,MBM, MPA (Harvard) | 07/03/2018 | गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक<br>Non-Executive Part-Time Non-Government Director |
| 5. | श्री राजीव ऋषि<br>Shri Rajeev Rishi | बी ए , एल एल बी<br>B.A., LLB | 06/09/2016 | गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक<br>Non-Executive Part-Time Non-Government Director |
| 6. | श्रीमती एलिस जी. वैद्यन<br>Smt. Alice G. Vaidyan | एम.ए. (अँग्रेजी साहित्य.) एफ़.आई.आई.आई<br>M.A. (Engl. Lit.), FIII | 08/02/2016 | पदेन, गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक<br>Ex-Officio Non- Executive Part-Time Non-Government Director |
| 7. | श्री गणेश कुमार गुप्ता<br>Shri Ganesh Kumar Gupta | इंटर साइंस<br>Inter Science | 01/05/2017 | पदेन, गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक<br>Ex-Officio Non- Executive Part-Time Non-Government Director |
| 8. | श्री माणेक एरुच डावर<br>Shri Maneck Eruch Davar | बी ए (ऑ)<br>B.A. (Hons) | 30/01/2017 | पदेन, गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक<br>Non-Executive Part-Time Non-Government Director |
| 9. | श्रीमती सरनला मालती रानी<br>Smt. Saranala Malathi Rani | बी एस सी ( बी ज़ेड सी) बी एल ( बैचलर ऑफ लॉ )आईआरपीएम<br>B.Sc. (BZC), B.L. (Bachelor of Law), IRPM | 16/02/2017 | पदेन, गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक<br>Non-Executive Part-Time Non-Government Director |

| क्रम सं. Sr. No. | निदेशकों के नाम Name of the Directors | योग्यता Qualification | बोर्ड में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment on Board | श्रेणी Category |
|---|---|---|---|---|
| 10. | श्री एम. सेंथिलनाथन<br>Shri M. Senthilnathan | बी.एससी., एम.बी.ए<br>B.Sc., MBA | 30/12/2015 | कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)<br>Executive Director (Policy Matters) |
| 11. | श्री अरुण तिवारी<br>Shri Arun Tiwari | एम एस सी (रसायन शास्त्र), कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोर्स<br>M.Sc. (Chemistry), Course in Computer Programming | 06/09/2016 (दि. 30/06/2017 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>06/09/2016 (ceased to be a Director w.e.f. 30/06/2017) | गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक<br>Non-Executive Part-Time Non-Government Director |
| 12. | डॉ. सौरभ गर्ग<br>Dr. Saurabh Garg | बी.टेक., एम.बी.ए., पीएच.डी.<br>B.Tech., MBA, Ph.D. | 03/11/2014 (27/11/2017 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>03/11/2014 (ceased to be a Director w.e.f. 27/11/2017) | गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक<br>Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI) |
| 13. | श्रीमती मीना हेमचंद्र<br>Smt. Meena Hemchandra | एम.ए. (अर्थशास्त्र), सीएफए<br>M.A. (Economics), CFA | 06/07/2015 (30/11/2017 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>06/07/2015 (ceased to be a Director w.e.f. 30/11/2017) | गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक<br>Non-Executive Part-Time Non-Government Director |

## BRIEF DESCRIPTION OF NEW DIRECTORS:-

1. **Shri Govind Mohan-**

   Shri Govind Mohan, IAS, B.Tech, serves as a Joint Secretary at Department of Economic Affairs of Ministry of Finance, Government of India. Shri Mohan has been Government Nominee Director at Central Bank of India. He joined as Director on the Board of the Company on November 27, 2017.

2. **Shri Bidyut Behari Swain-**

   Shri Bidyut Behari Swain, IAS has been appointed as Additional Secretary, Department of Commerce, Government of India. He joined as Director on the Board of the Company on April 20, 2018.

3. **Shri Anil Kumar Misra-**

   Shri Anil Kumar Misra is an Executive Director in the Reserve Bank of India, responsible for supervision of banking and non-banking financial institutions. As a career central banker since 1982, he has experience in the areas of currency management, foreign exchange, payment systems, regulation and supervision of banking and non-banking institutions, financial inclusion and risk monitoring in the Reserve Bank of India. His international experience includes a four-and-a-half year stint as a Member of

## नए निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:-

1. **श्री गोविंद मोहन-**

   श्री गोविंद मोहन, भाप्रसे, बी.टेक. आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। श्री मोहन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकार द्वारा नामित निदेशक रहे हैं। इन्होनें कम्पनी के बोर्ड में निदेशक का पद 27 नवम्बर, 2017 को ग्रहण किया।

2. **श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं-**

   श्री बिद्युत बिहारी स्वाईं, भाप्रसे, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार में अपर सचिव के रूप में नियुक्त हुए इन्होनें कम्पनी के बोर्ड में निदेशक का पद 20 अप्रैल, 2018 को ग्रहण किया।

3. **श्री अनिल कुमार मिश्र-**

   श्री अनिल कुमार मिश्र भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक है जो कि बैंकिंग तथा गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के पर्यवेक्षण का कार्य देख रहे हैं। कैरियर के अंतर्गत वर्ष 1982 से सेंट्रल

बैंकर के तौर पर रिज़र्व बैक में इन्होने मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा विनिमय, भुगतान तंत्र, बैकिंग तथा गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के नियमन एवं पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर्यवेक्षण का कार्य किया है। इनके अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के अंतर्गत इन्होनें साढे चार वर्ष जी 20 की एक संस्था, वैश्विक वित्तीय क्षेत्र मुद्दे एवं सुधार(बेसल, स्विज़रलैंड में) में सचिवालय के सदस्य के रूप में कार्य किया है।

यह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल, बोर्ड की प्रबंधन समिति तथा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य है तथा साथ ही भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्य भी हैं।

इनके पास व्यापार प्रबंधन (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय) तथा लोक प्रशासन(हावर्ड युनिवर्सिटी,यूएसए) की स्नातकोत्तर की डिग्री है।

4. **श्री गणेश कुमार गुप्ता-**

आकाश टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड तथा विजय सिल्क हाउज़ ग्रुप, मुम्बई के अध्यक्ष श्री गणेश कुमार गुप्ता ने दिनांक 1 अप्रैल 2017 से दो वर्ष के लिये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनाईज़ेशन्स के नये अध्यक्ष का पदभार सम्भाला है। ये बहुत लम्बे समय से फियो की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे हैं। इनके द्वारा पूर्व में फियो के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष(प.क्षे.); टेक्सटाइल्स समिति के अध्यक्ष; एस आर टी ई पी टी तथा सिल्क निर्यात संवर्धन काउंसिल के अध्यक्ष; ईसीजीसी के निदेशक तथा राष्ट्रीय उत्पादकता काउंसिल के सदस्य का पदभार सम्भाला गया है। निर्यात हेतु आक्रामक विपणन के पक्षकार, आपके द्वारा पूर्व में निर्यात क्षेत्र के कई मुद्दों को उठाया गया है एवं उसे तार्किक निष्कर्षो तक पहुंचाया गया है। इन्होंने निदेशक के रूप में कम्पनी के बोर्ड में दिनांक 01/05/2017 को पदभार ग्रहण किया।

## निदेशकों के लिये परिचय तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

नए निदेशक के आगमन पर , नए निदेशक को स्वागत पत्र के साथ कंपनी अधिनियम 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम व भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास (आई आर डी ए आई) प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित अन्य लागू नियम/ विनियमों के अधीन निदेशक के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले अनुपालनों की सूची के तथा उनके द्वारा निर्वाह किए जाने वाले कर्तव्यों तथा दायित्वों के विवरण सौंपे जाते हैं। निदेशक से सभी संगत प्रकटन प्राप्त किए जाते हैं तथा कंपनी का प्रबंधन, नए निदेशक को कंपनी के संबंध में उनकी भूमिका तथा दायित्वों, कंपनी शासन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं तथा अन्य संगत जानकारी के साथ साथ कंपनी के परिचालनों, आवश्यक नीतियों तथा कंपनी के विभिन्न सेक्टरों/ विभागों की जानकारी दी जाती है। निदेशकों को विभिन्न प्रचलित संस्थानों/ भारत सरकार, जैसे लोक उद्यम विभाग आदि द्वारा आयोजित

Secretariat at the Financial Stability Board (in Basel, Switzerland), which is the G20 arm for dealing with the global financial sector issues and reforms.

He is a member of the Board of Directors, Management Committee of the Board and Audit Committee of the Board of the Union Bank of India and also a member of the Board of Supervision of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

He holds Master's degrees in Business Management (Banaras Hindu University) and in Public Administration (Harvard University, USA).

4. **Shri Ganesh Kumar Gupta-**

Shri Ganesh Kumar Gupta, Chairman, Akaash Textiles Pvt. Ltd. and Vijay Silk House Group, Mumbai has taken over as the new President of the Federation of Indian Export Organisations (FIEO) with effect from April 1, 2017 for a period of two years. He has been the Member of the Managing Committee of FIEO for a long time. Shri Gupta has also earlier held the post of President, Vice President, Regional Chairman (WR), FIEO; Chairman, Textile Committee; Chairman, SRTEPC and Silk Export Promotion Council; Director, ECGC and Member, National Productivity Council. A great votary of aggressive marketing for exports, he has persuasively taken up many issues of the exports sector and brought it to logical conclusion. He joined as Director on the Board of the Company on 01/05/2017.

## DETAILS OF FAMILIARISATION & TRAINING PROGRAMMES FOR DIRECTORS

At the time of induction of a new Director, a welcome letter is addressed to the new Director along with details of duties and responsibilities required to be performed as a Director in addition to the compliances required from him/her under the Companies Act, 2013 and other applicable statutes/ rules/ regulations including Department of Public Enterprises (DPE) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) applicable Guidelines. Relevant Disclosures are taken from the Director and the Management of the Company familiarises the new Director about the Company, its operations, important policies and processes followed by various Sectors/ Departments of the Company, including their roles and responsibilities, the governance and internal control processes and other relevant important information concerning the Company. Directors are also regularly encouraged and sponsored for attending important training programmes relating to Board related

किए जाने वाले विभिन्न बोर्ड संबंधी प्रथाओं संबंधी कार्यक्रमों तथा उन्मुखीकरण कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए नामित तथा प्रायोजित किया जाता है। सभी निदेशकों को नियमित रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा कम्पनी पर लागू अन्य नियमों तथा प्रावधानों आदि से कम्पनी की आंतरिक प्रशिक्षण नीति के अंतर्गत बोर्ड/ समिति की बैठकों के दौरान अवगत कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न संस्थानों द्वारा समय- समय पर आयोजित कार्यक्रमों की तिथियों पर निदेशकों की पूर्व-व्यस्तता/व्यस्त कार्यक्रम के कारण कम्पनी आज की तारीख तक निम्नलिखित को छोड़कर सभी निदेशकों को प्रशिक्षण नहीं उपलब्ध करा पाई है जो निम्नलिखित हैं:

practices and orientation programmes, etc. conducted by various Institutes of repute/ Government of India, such as Department of Public Enterprises.

All the Directors are regularly updated on the various provisions related to Corporate Governance and other applicable rules and regulations of the Company during Board/ Committee Meetings as per the internal training policy for Directors of the Company.

Due to pre-occupation/busy schedule of Directors on the dates of training organised by various Institutions from time to time, the Company could not impart training to all the Directors till date except to the following Directors during FY 2017-18 as follows:-

| **क्र. सं.**<br>**Sr. No.** | **पदनाम**<br>**DESIGNATION** | **नाम**<br>**NAME** | **प्रतिभागित प्रशिक्षणों का विवरण (विषय तथा दिनांक)**<br>**DETAILS OF TRAINING IMPARTED (SUBJECT AND DATE)** |
|---|---|---|---|
| 1. | पूर्ण कालिक निदेशक<br>Whole-Time-Directors | श्रीमती गीता मुरलीधर<br>(अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)<br>Smt. Geetha Muralidhar<br>(Chairman-cum-Managing Director) | 1. 15 एवं 25 जनवरी, 2018 को संशोधित देश जोखिम रेटिंग मॉडल पर<br>Revised Country Risk Rating Model on January 15 and 25, 2018<br>2. संशोधित खरीदार रेटिंग मॉडल-<br>Revised Buyer Rating Model –<br>i) दिनांक 2 जनवरी, 2018 को प्रधान कार्यालय हामीदारी समिति की बैठक- स्कोर आधारित सीमा निर्धारित करने के सूत्र में संशोधन/एसबीएल के लिए खरीदार कम्पनी की निवल मालियत तथा पण्यावर्त की भारिता तथा इसका कार्यान्वयन।<br>Head Office Underwriting Committee Meeting dated January 2, 2018 – Revision in the formulae for determination of Score Based Limit and contribution/ weightage of Net Worth and Turnover of the buyer company to the SBL and implementation of the same.<br>ii) दिनांक 12 जनवरी, 2018 को प्रधान कार्यालय हामीदारी समिति की बैठक - लाभ के सीएजीआर गणना के सूत्र को हटाने के उद्देश्य से स्कोर कार्ड मॉडल में परिवर्तन तथा स्कोरिंग के मानदंडो में परिवर्तनों का कार्यान्वयन।<br>Head Office Underwriting Committee Meeting dated January 12, 2018 – Changes in score card model aimed to do away with formula for calculation of CAGR of profit and adoption and implementation of changes in scoring of parameters. |

| क्र. सं. Sr. No. | पदनाम DESIGNATION | नाम NAME | प्रतिभागित प्रशिक्षणों का विवरण (विषय तथा दिनांक) DETAILS OF TRAINING IMPARTED (SUBJECT AND DATE) |
|---|---|---|---|
| 2. | | श्री एम. सेंथिलनाथन<br>कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले)<br>Shri M. Senthilnathan<br>Executive Director (Policy Matters) | 1. 15 एवं 25 जनवरी, 2018 को संशोधित देश जोखिम रेटिंग मॉडल पर।<br>Revised Country Risk Rating Model on January 15 and 25, 2018<br>2. संशोधित ख़रीदार रेटिंग मॉडल-<br>Revised Buyer Rating Model –<br>i) दिनांक 2 जनवरी, 2018 को प्रधान कार्यालय हामीदारी समिति की बैठ्क- स्कोर आधारित सीमा प्रदान करने के सूत्र में संशोधन/एसबीएल के लिए खरीदार कम्पनी की निवल मालियत तथा पण्यावर्त की भारिता तथा इसका कार्यान्वयन।<br>Head Office Underwriting Committee Meeting dated January 2, 2018 – Revision in the formulae for determination of Score Based Limit and contribution/ weightage of Net Worth and Turnover of the buyer company to the SBL and implementation of the same. |
| | | | ii) दिनांक 12 जनवरी, 2018 को प्रधान कार्यालय हामीदारी समिति की बैठक - लाभ के सीएजीआर गणना के सूत्र को हटाने के उद्देश्य से स्कोर कार्ड मॉडल में परिवर्तन तथा स्कोरिंग के मानदंडो में परिवर्तनों का कार्यान्वयन।<br>Head Office Underwriting Committee Meeting dated January 12, 2018 – Changes in score card model aimed to do away with formula for calculation of CAGR of profit and adoption and implementation of changes in scoring of parameters.<br>3. दिनांक 26 जुलाई, 2017 को स्कोर एवं ई सी जी सी बिमांकिक (एल जी डी) के बीच पुनर्बीमा कार्यशाला।<br>Reinsurance workshop between SCOR and ECGC Actuary (LGD) on July 26, 2017. |
| 3. | स्वतंत्र निदेशक<br>Independent Directors | 1. श्री माणेक एरूच डावर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्पेंटा मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड<br>Shri Maneck Eruch Davar, Chairman and Managing Director, Spenta Multimedia Pvt. Ltd. | 23 व 24 अक्टूबर, 2017 को निदेशकों को वर्तमान नियामक विकास, पूंजी, जोखिम, अनुपालन, व्यापार रणनीति, प्रबंधकीय मुद्दों से अवगत कराने हेतु सेंटर फॉर एड्वांस फाइनेंशियल रीसर्च एंड लर्निंग(कैफरल) द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया।<br>Program arranged by Centre for Advanced Financial Research And Learning (CAFRAL) in Mumbai on October 23 and 24, 2017 to bring about awareness and understanding among the Directors about recent regulatory developments, capital, risk, compliance, business strategy, governance issues, etc. |
| | | 2. श्रीमती सरनला मालती रानी, निदेशक<br>Smt. Saranala Malathi Rani, Director | |

## वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल को वर्ष में कम से कम चार बार इस प्रकार मिलना आवश्यक है कि दो बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक का अंतराल न हो ।वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल पांच बैठकें आयोजित की गयी। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण निम्नलिखित सारणी 2 में उल्लिखित है :-

## DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR FY 2017-18

The Board of Directors is required to meet at least four times every year in such a manner that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the Board, as per the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013. There were five meetings held during the FY 2017-18. Details of the Meetings of the Board of Directors held during the FY 2017-18 are furnished below in Table 2:

सारणी 2 / Table 2

| क्र. सं.<br>Sr. No. | बैठकों की संख्या<br>Meeting Number | बैठकों की तारीख<br>Date of Meetings | मण्डल बल<br>Board Strength | उपस्थित निदेशकों की संख्या<br>No. of Directors present |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 408 | 25/05/2017 | 11 | 6 |
| 2. | 409 | 10/08/2017 | 10 | 6 |
| 3. | 410 | 07/11/2017 | 10 | 8 |
| 4. | 411 | 02/02/2018 | 9 | 5 |
| 5. | 412 | 27/03/2018 | 10 | 4 |

**दिनांक 31 मार्च, 2018 तक बोर्ड बैठकों , वार्षिक साधारण बैठकों तथा अन्य निदेशक बैठकों की सं तथा उसमें उपस्थिति संबंधी विवरण ( सारणी 3 )**
**DETAILS OF ATTENDANCE OF THE DIRECTORS AT THE BOARD MEETINGS, ANNUAL GENERAL MEETING AND THE NUMBER OF OTHER DIRECTORSHIPS HELD BY THEM AS ON MARCH 31, 2018(Table 3) :**

सारणी 3 / Table 3

| क्र. सं.<br>Sr. No. | निदेशकों के नाम<br>Name of Directors | बैठकों में उपस्थिति / उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की कुल सं<br>No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/her tenure | दिनांक 10 अगस्त 2017 को आयोजित 59वीं वा.सा.बै. में उपस्थिति<br>Attendance at the 59th AGM held on August 10, 2017 | आयोजित निदेशकों की अन्य बैठकों की सं*<br>No. of other Directorships held * |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती गीता मुरलीधर<br>Smt. Geetha Muralidhar | 5/5 | हाँ / Yes | 1 |
| 2. | श्री सुनील कुमार<br>Shri Sunil Kumar | 4/5 | हाँ / Yes | 0 |
| 3. | श्री गोविंद मोहन<br>Shri Govind Mohan | 1/2 | लागू नहीं / NA | 1 |
| 4. | श्री ए.के. मिश्र<br>Shri A. K. Misra | 0/1 | लागू नहीं / NA | 1 |
| 5. | श्री राजीव ऋषि<br>Shri Rajeev Rishi | 0/5 | नही / No | 2 |
| 6. | श्रीमती एलिस जी. वैद्यन<br>Smt. Alice G. Vaidyan | 1/5 | नही / No | 3 |
| 7. | श्री गणेश कुमार गुप्ता<br>Shri Ganesh Kumar Gupta | 3/5 | नही / No | 2 |
| 8. | श्री माणेक एरूच डावर<br>Shri Maneck Eruch Davar | 4/5 | हाँ / Yes | 0 |
| 9. | श्रीमती सरनला मालती रानी<br>Smt. Saranala Malathi Rani | 4/5 | हाँ / Yes | 0 |
| 10. | श्री एम. सेंथिलनाथन<br>Shri M. Senthilnathan | 5/5 | हाँ / Yes | 0 |
| 11. | श्री अरुण तिवारी<br>Shri Arun Tiwari | 1/1 | लागू नहीं / NA | 2 |
| 12. | डॉ. सौरभ गर्ग<br>Dr. Saurabh Garg | 0/3 | नही / No | 2 |
| 13. | श्रीमती मीना हेमचंद्र<br>Smt. Meena Hemchandra | 1/3 | नही / No | 0 |

*कंपनी अधिनियम 2013 की अधीन पंजीकृत कंपनी में निदेशकों की बैठक में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों तथा कंपनी अधिनियम 203 की धारा 8 के अधीन आने वाली कंपनियों की बैठके शामिल नहीं होती हैं।

## लेखा-परीक्षा समिति- संगठन और उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। कंपनी की लेखा-परीक्षा समिति का वित्तीय वर्ष 2017-18 में, दिनांक 01/05/2017, 27/11/2017 तथा 07/03/2018 को पुनर्गठन किया गया । दिनांक 31.03.2018 तक लेखा परीक्षा समिति में आठ गैर कार्यपालक निदेशक शामिल थे। श्री माणेक एरूच डावर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष है। नियमित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दिनांक 02/02/2018 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता श्रीमती सरनला मालती रानी ने की। श्रीमती स्मिता वी. पंडित, कम्पनी की कम्पनी सचिव लेखा परीक्षा समिति की सचिव है।

लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य कंपनी के सभी लेखा परीक्षा कार्यों , जैसे कंपनी के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा का पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण तथा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक/ बाहरी लेखा परीक्षकों तथा भारत के सी एंड ए जी द्वारा उठाए गए मदों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही आदि की देखरेख है। लेखा परीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित भूमिका पूर्ण रूप से अदा की है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखा परीक्षा समिति की दि. 25/05/2017, 10/08/2017, 07/11/2017, 02/02/2018 तथा 27/03/2018 को पांच बार बैठक हुई। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार सारणी 4 में दर्शाये गए हैं :-

*Directorship in companies registered under the Companies Act, 2013, excluding directorships in private companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013.

## AUDIT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The constitution of the Audit Committee meets with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. The Audit Committee of the Company has been re-constituted on 01/05/2017, 27/11/2017 and 07/03/2018 during the FY 2017-18. As on 31/03/2018, the Audit Committee of the Company comprises of eight Non-Executive Directors. Shri Maneck Eruch Davar is the Chairman of the Audit Committee. In the absence of regular Chairman, Smt. Saranala Malathi Rani was the Chairman of the Audit Committee for the meeting held on 02/02/2018. Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary of the Audit Committee.

The objective of the Audit Committee is to oversee and provide direction to the total audit functions of the Company i.e. total audit functions shall imply supervision of internal audit and inspection within the Company and follow up action taken on points raised by the statutory/ external auditors of the Company and C&AG of India. The Audit Committee has discharged such roles as envisaged under the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013.

The Audit Committee met five times, on 25/05/2017, 10/08/2017, 07/11/2017, 02/02/2018 and 27/03/2018 during the FY 2017-18. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee meetings are furnished below in Table 4:

**सारणी 4 / Table 4**

| क्र. सं.<br>Sr. No. | निदेशकों के नाम<br>Name of the Directors | सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि<br>Date of appointment as Member | बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या<br>No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/ her tenure |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री सुनील कुमार<br>Shri Sunil Kumar | 17/08/2016<br>(20/04/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018) | 3/5 |
| 2. | श्री गोविंद मोहन<br>Shri Govind Mohan | 27/11/2017 | 1 /2 |
| 3. | श्री ए.के.मिश्र<br>Shri A.K. Misra | 07/03/2018 | 0/1 |
| 4. | श्री राजीव ऋषि<br>Shri Rajeev Rishi | 07/11/2016 | 0/5 |
| 5. | श्रीमती एलिस जी. वैद्यन<br>Smt. Alice G. Vaidyan | 11/02/2016 | 1/5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | श्री गणेश कुमार गुप्ता<br>Shri Ganesh Kumar Gupta | 01/05/2017 | 3/5 |
| 7. | श्री माणेक एरुच डावर<br>Shri Maneck Eruch Davar | 22/03/2017 | 4/5 |
| 8. | श्रीमती सरनला मालती रानी<br>Smt. Saranala Malathi Rani | 22/03/2017 | 4/5 |
| 9. | श्री अरुण तिवारी<br>Shri Arun Tiwari | 07/11/2016<br>(दि. 30/06/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2017) | 1/1 |
| 10. | डॉ.सौरभ गर्ग<br>Dr. Saurabh Garg | 10/11/2014<br>(27/11/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 27/11/2017) | 0/3 |
| 11. | श्रीमती मीना हेमचंद्र<br>Smt. Meena Hemchandra | 15/07/2015<br>(30/11/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 30/11/2017) | 1/3 |

## निवेश समिति - संगठन और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की निवेश समिति का पुनर्गठन दिनांक 10/08/2017, 07/11/2017, 27/11/2017 और 07/03/2018 को किया गया । वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निवेश समिति क़ी दिनांक 25/05/2017, 10/08/2017, 07/11/2017, 02/02/2018 तथा 27/03/2018 को पाँच बार बैठक आयोजित की गयी। निवेश समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति के विवरण निम्नलिखित सारणी 5 में दर्शाया गया है :

## INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Investment Committee of the Company has been re-constituted on 10/08/2017, 07/11/2017, 27/11/2017 and 07/03/2018 during the FY 2017-18. The Investment Committee met five times, on 25/05/2017, 10/08/2017, 07/11/2017, 02/02/2018 and 27/03/2018 during the FY 2017-18. The details of the attendance of the Members of the Investment Committee Meetings are furnished below in Table 5:

**सारणी 5 / Table 5**

| क्र. सं.<br>Sr. No. | निदेशकों के नाम<br>Name of the Directors | सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि<br>Date of appointment as Member | बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या<br>No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/ her tenure |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती गीता मुरलीधर<br>Smt. Geetha Muralidhar | 23/06/2015 | 5/5 |
| 2. | श्री सुनील कुमार<br>Shri Sunil Kumar | 17/08/2016<br>(20/04/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018) | 3/5 |
| 3. | श्री गोविंद मोहन<br>Shri Govind Mohan | 27/11/2017 | 1 /2 |
| 4. | श्री ए.के. मिश्र<br>Shri A.K. Misra | 07/03/2018 | 0/1 |
| 5. | श्री राजीव ऋषि<br>Shri Rajeev Rishi | 07/11/2016 | 0/5 |
| 6. | श्रीमती एलिस जी. वैद्यन<br>Smt. Alice G. Vaidyan | 11/02/2016 | 1/5 |
| 7. | श्री एम. सेंथिलनाथन<br>Shri M. Senthilnathan | 11/02/2016 | 5/5 |

| क्र. सं.<br>Sr. No. | निदेशकों के नाम<br>Name of the Directors | सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि<br>Date of appointment as Member | बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या<br>No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/ her tenure |
|---|---|---|---|
| 8. | श्री राजीव मानवी<br>Shri Rajiv Manavi | दि. 05/10/2017 से सी.एफ.ओ.<br>As CFO w.e.f. 05/10/2017 | 2/3 |
| 9. | श्री शिवाजी नार्वेकर<br>Shri Shivaji Narvekar | दि. 29/09/2017 से मुख्य निवेश अधिकारी<br>As Chief Investment Officer w.e.f. 29/09/2017 | 3/3 |
| 10. | श्रीमती योगिता अरोरा<br>Smt. Yogita Arora | दि. 07/02/2017 से नियुक्त बीमांकिक<br>As Appointed Actuary w.e.f. 07/02/2017 | 5/5 |
| 11. | श्री गौरव अंशुमन<br>Shri Gaurav Anshuman | दि. 29/05/2017 से सी.आर.ओ.<br>As CRO w.e.f. 29/05/2017 | 4/4 |
| 12. | श्री राजीव मानवी<br>Shri Rajiv Manavi | दि. 10/08/2016 से सी.आर.ओ.<br>(29/05/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>As CRO w.e.f.10/08/2016 (Ceased to be member w.e.f. 29/05/2017) | 1/1 |
| 13. | श्री अरुण तिवारी<br>Shri Arun Tiwari | 07/11/2016<br>(30/06/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2017) | 1/1 |
| 14. | श्री संदीप मुखर्जी<br>Shri Sandeep Mukherjee | दि.21/07/2015 से मुख्य निवेश अधिकारी<br>(29/09/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>As Chief Investment Officer w.e.f. 21/07/2015<br>(ceased to be a Member w.e.f. 29/09/2017) | 1/2 |
| 15. | श्री सी.एन.ए. अम्बरसन<br>Shri C. N. A. Anbarasan | दि.13/10/2015 से सी.एफ.ओ.<br>(05/10/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>As CFO w.e.f. 13/10/2015<br>(ceased to be a Member w.e.f. 05/10/2017) | 2/2 |
| 16. | डॉ. सौरभ गर्ग<br>Dr. Saurabh Garg | 10/11/2014<br>(27/11/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 27/11/2017) | 0/3 |
| 17. | श्रीमती मीना हेमचंद्र<br>Smt. Meena Hemchandra | 15/07/2015<br>(30/11/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 30/11/2017) | 1/3 |

## पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति का पुनर्गठन, 01/05/2017 तथा 07/03/2018 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 25/05/2017, 10/08/2017, 07/11/2017, 02/02/2018 तथा 27/03/2018 को पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति की पांच बैठकें सम्पन्न हुई । पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति के सदस्यों की बैठकों के दौरान उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नलिखित सारणी 6 में दर्शाया गया है :

## POLICYHOLDERS' INTEREST PROTECTION COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Policyholders' Interest Protection Committee of the Company has been re-constituted on 01/05/2017 and 07/03/2018 for the FY 2017-18. The Policyholders' Interest Protection Committee met five times, on 25/05/2017, 10/08/2017, 07/11/2017, 02/02/2018 and 27/03/2018 during the FY 2017-18. The details of the attendance of the Members at the Policyholders' Interest Protection Committee Meetings are furnished below in Table 6:

सारणी 6 / Table 6

| क्र. सं. Sr. No. | निदेशकों के नाम Name of the Directors | सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि Date of appointment as Member | बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/ her tenure |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar | 23/06/2015 | 5/5 |
| 2. | श्री सुनील कुमार Shri Sunil Kumar | 17/08/2016 (20/04/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) (ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018) | 3/5 |
| 3. | श्री ए.के.मिश्र Shri A. K. Misra | 07/03/2018 | 0/1 |
| 4. | श्री राजीव ऋषि Shri Rajeev Rishi | 07/11/2016 | 0/5 |
| 5. | श्रीमती एलिस जी. वैद्यन Smt. Alice G. Vaidyan | 11/02/2016 | 1/5 |
| 6. | श्री गणेश कुमार गुप्ता Shri Ganesh Kumar Gupta | 01/05/2017 | 3/5 |
| 7. | श्री माणेक एरुच डावर Shri Maneck Eruch Davar | 22/03/2017 | 4/5 |
| 8. | श्रीमती सरनला मालती रानी Smt. Saranala Malathi Rani | 22/03/2017 | 4/5 |
| 9. | श्री एम. सेंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan | 13/04/2016 | 5/5 |
| 10. | श्री अरुण तिवारी Shri Arun Tiwari | 07/11/2016 (30/06/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) (ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2017) | 1/1 |
| 11. | श्रीमती मीना हेमचंद्र Smt. Meena Hemchandra | 15/07/2015 (30/11/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) (ceased to be a Member w.e.f. 30/11/2017) | 1/3 |

### जोखिम प्रबंधन समिति- संरचना और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन, 27/11/2017 और 07/03/2018 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जोखिम प्रबंधन समिति की पाँच बैठकें 25/05/2017, 10/08/2017, 07/11/2017, 02/02/2018 और 27/03/2018 को हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति संबंधी विवरण सारणी 7 में दर्शाया गया है:

### RISK MANAGEMENT COMMITTEE -COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Risk Management Committee of the Company has been re-constituted on 27/11/2017 and 07/03/2018 during the FY 2017-18. The Risk Management Committee met five times, on 25/05/2017, 10/08/2017, 07/11/2017, 02/02/2018 and 27/03/2018 during the FY 2017-18. The details of the attendance of the Members at Risk Management Committee Meetings are furnished below in Table 7:

सारणी 7 / Table 7

| क्र. सं. Sr. No. | निदेशकों के नाम Name of the Directors | सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि Date of appointment as Member | बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/ her tenure |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती गीता मुरलीधर<br>Smt. Geetha Muralidhar | 23/06/2015 | 5/5 |
| 2. | श्री सुनील कुमार<br>Shri Sunil Kumar | 17/08/2016<br>(20/04/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018) | 3/5 |
| 3. | श्री गोविंद मोहन<br>Shri Govind Mohan | 27/11/2017 | 1/2 |
| 4. | श्री ए.के.मिश्र<br>Shri A. K. Misra | 07/03/2018 | 0/1 |
| 5. | श्री राजीव ऋषि<br>Shri Rajeev Rishi | 07/11/2016 | 0/5 |
| 6. | श्रीमती एलिस जी. वैद्यन<br>Smt. Alice G. Vaidyan | 11/02/2016 | 1/5 |
| 7. | श्री एम. सेंथिलनाथन<br>Shri M. Senthilnathan | 13/04/2016 | 5/5 |
| 8. | श्री अरुण तिवारी<br>Shri Arun Tiwari | 07/11/2016<br>(30/06/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2017) | 1/1 |
| 9. | डॉ सौरभ गर्ग<br>Dr. Saurabh Garg | 10/11/2014<br>(27/11/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 27/11/2017) | 0/3 |
| 10. | श्रीमती मीना हेमचंद्र<br>Smt. Meena Hemchandra | 15/07/2015<br>(30/11/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 30/11/2017) | 1/3 |

## नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति(एन.आर.सी.) का पुनर्गठन, दिनांक 07/03/18, को किया गया। एन.आर.सी. की कोई भी बैठक वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित नहीं की गयी। एन.आर.सी. के सदस्यों का विवरण निम्नलिखित सारणी 8 में दर्शाया गया है:

## NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Company has been re-constituted on 07/03/2018 during the FY 2017-18. No meeting of the NRC was held during the FY 2017-18. The details of the Members of the NRC are furnished below in Table 8 :

सारणी 8 / Table 8

| क्र. सं. Sr.No. | निदेशकों के नाम Name of the Directors | सदस्य रूप में नियुक्ति की तारीख Date of appointment as Member |
|---|---|---|
| 1. | श्री सुनील कुमार<br>Shri Sunil Kumar | 17/08/2016<br>(20/04/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018) |
| 2. | श्री ए.के.मिश्र<br>Shri A. K. Misra | 07/03/2018 |
| 3. | श्री राजीव ऋषि<br>Shri Rajeev Rishi | 07/11/2016 |
| 4. | श्रीमती एलिस जी. वैद्यन<br>Smt. Alice G. Vaidyan | 11/02/2016 |
| 5. | श्री एम. सेंथिलनाथन<br>Shri M. Senthilnathan | 13/04/2016 |
| 6. | श्री अरुण तिवारी<br>Shri Arun Tiwari | 07/11/2016<br>(30/06/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2017) |
| 7. | श्रीमती मीना हेमचंद्र<br>Smt. Meena Hemchandra | 15/07/2015<br>(30/11/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 30/11/2017) |

ईसीजीसी 100% भारत सरकार ( भा स ) के स्वामित्व वाली कंपनी है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय , वाणिज्य विभाग की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अ प्र नि सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। बोर्ड द्वारा इस प्रकार की सभी नियुक्तियों को रिकॉर्ड किया जाता है तथा आई आर डी ए आई को सूचित किए जाने सहित कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक फॉर्म भरे जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशक की परिलब्धियों का निर्धारण भा स द्वारा किया जाता है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति (गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में ) की जाती है तथा वे किसी प्रकार की परिलब्धियों / उपस्थिति शुल्क के पात्र नहीं होंगे। गैर कार्यपालक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति ( स्वतंत्र निदेशक ) भारत सरकार द्वारा की जाती है तथा वे (i) भारतीय रिज़र्व बैंक (ii) अध्यक्ष , एक्ज़िम बैंक (iii) भारत सरकार द्वारा नामित राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा भारतीय साधारण बीमा निगम के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक की श्रेणी में होंगे तथा भारत सरकार की निर्देशों / सांविधिक नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड / समितियों की बैठकों में उपस्थिति के लिए उपस्थिति शुल्क के पात्र होंगे (वर्तमान में कंपनी रु 10,000/- रु प्रति बोर्ड बैठक तथा रु 5,000/- रु प्रति समिति बैठक के हिसाब से अदायगी कर रही है )। ईसीजीसी लि के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनमानों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया गया है।

कंपनी ने अपने निदेशकों को किसी प्रकार के कमीशन की अदायगी नहीं की है कंपनी ने अपने निदेशकों को किसी प्रकार का स्टॉक विकल्प नहीं प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के संव्यवहारों में किसी भी निदेशक का व्यक्तिगत / आर्थिक हित निहित नहीं था।

## निगम सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) एवं धारणीय विकास(एस.डी.) परियोजनाओं पर बोर्ड की समितिः

कंपनी द्वारा सीएसआर और एसडी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए सीएसआर और एसडी हेतु एक समिति का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में, 01/05/2017 तथा 07/03/2018 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया। श्रीमती गीता मुरलीधर सीएसआर और एसडी पर समिति की अध्यक्ष हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सी एस आर व एस डी समिति की दिनांक 25/05/2017, 10/08/2017, 07/11/2017, 02/02/2018 तथा 27/03/2018 को पांच बार बैठकें आयोजित की गयी। सी एस आर व एस डी समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण सारणी 9 में दर्शाए गए हैः

ECGC is a 100% Government of India (GOI) owned Company. Appointment of all Directors including Chairman-cum-Managing Director is done by the President of India as per recommendation of Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry as per Department of Public Enterprises guidelines. The Board takes on record all such appointments and necessary forms are filed with Registrar of Companies (ROC) including informing IRDAI. Remuneration of Whole Time Director is fixed by GOI.

The Government Nominee Directors are appointed (as Non-Executive Part-Time Government Director) by Ministry of Commerce & Industry and they are not entitled to any remuneration/ sitting fees. The Non-Executive Part-Time Non-Government Directors(Independent Directors) are appointed by the GOI and they(excluding Directors appointed under the category of (i) Reserve Bank of India (ii) Chairman, EXIM Bank (iii) Chairman and Managing Director of Nationalised banks to be nominated by the Government and (iv) Chairman/ Managing Director of General Insurance Corporation of India are entitled to sitting fees for attending the Board/ Committee Meetings as prescribed by the Board in adherence with the Government directives/statutory rules and regulations (presently the Company is paying ₹10,000 per Board Meeting and ₹5000 for each Committee Meeting). The Pay Scales and allowances of Staff and Officers of ECGC Ltd. are approved by the GOI.

The Company has not paid any commission to its Directors. The Company has not issued any stock options to its Directors. None of the Non-Executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the FY 2017-18.

## COMMITTEE OF BOARD ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD) PROJECTS:

A Committee on CSR & SD of the Company has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD Projects/Activities. It was re-constituted on 01/05/2017 and 07/03/2018 during the FY 2017-18. Smt. Geetha Muralidhar is the Chairman of Committee on the CSR & SD.

The Committee on CSR & SD met five times, on 25/05/2017, 10/08/2017, 07/11/2017, 02/02/2018 and 27/03/2018 during the FY 2017-18. The details of the attendance of the Directors at the Meetings of the Committee on CSR & SD are furnished below in Table 9:

सारणी 9 \ Table 9

| क्र. सं. Sr. No. | निदेशकों के नाम Name of the Directors | सदस्य के रूप में नियुक्ति की तिथि Date of appointment as Member | बैठकों में उपस्थिति की संख्या/ उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की कुल संख्या No. of Meetings attended/ Total no. of Meetings held during his/ her tenure |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीमती गीता मुरलीधर<br>Smt. Geetha Muralidhar | 15/07/2015 | 5/5 |
| 2. | श्री सुनील कुमार<br>Shri Sunil Kumar | 17/08/2016<br>(20/04/2018 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 20/04/2018) | 3/5 |
| 3. | श्री ए.के. मिश्र<br>Shri. A. K. Misra | 07/03/2018 | 0/1 |
| 4. | श्री राजीव ऋषि<br>Shri Rajeev Rishi | 07/11/2016 | 0/5 |
| 5. | श्रीमती एलिस जी.वैद्यन<br>Smt. Alice G. Vaidyan | 11/02/2016 | 1/5 |
| 6. | श्री गणेश कुमार गुप्ता<br>Shri Ganesh Kumar Gupta | 01/05/2017 | 3/5 |
| 7. | श्री माणेक एरूच डावर<br>Shri Maneck Eruch Davar | 23/03/2017 | 4/5 |
| 8. | श्रीमती सरनला मालती रानी<br>Smt. Saranala Malathi Rani | 23/03/2017 | 4/5 |
| 9. | श्री एम. सेंथिलनाथन<br>Shri M. Senthilnathan | 13/04/2016 | 5/5 |
| 10. | श्री अरुण तिवारी<br>Shri Arun Tiwari | 07/11/2016<br>(30/06/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 30/06/2017) | 1/1 |
| 11. | श्रीमती मीना हेमचंद्र<br>Smt. Meena Hemchandra | 15/07/2015<br>(30/11/2017 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)<br>(ceased to be a Member w.e.f. 30/11/2017) | 1/3 |

## निदेशकों तथा बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन तथा स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05.06.2015 के जरिये सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (पी) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है। अधिसूचना के अनुसार निदेशक मण्डल तथा उसकी समितियों तथा स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा जहां निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा उनकी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया जाता है। अ प्र नि सहित हमारे अधिकांश निदेशक सा क्षे उ अथवा सा क्षे बैं से हैं। तदनुसार मानदंडों के अनुसार उनका मूल्यांकन संबन्धित मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

हमारे मामले में मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (लो.उ.वि.) के साथ किए गए स ज्ञा के जरिये वित्तीय तथा गैर वित्तीय लक्ष्यों के लिए प्रदान किए जाने वाले अंकों / मान के आधार पर किया जाता है। हमारी उत्पादकता

## PERFORMANCE EVALUATION OF THE DIRECTORS' AND THE BOARD AND MEETING OF INDEPENDENT DIRECTORS

Ministry of Corporate Affairs vide its notification dated 05/06/2015 has exempted Government Companies from the provisions of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013. As per the notification, evaluation of Board of Directors and that of its Committees and individual Directors shall not apply to Government Companies in case the Directors are evaluated by the Ministry of the Central Government or by the State Government as per its own evaluation methodology. Most of our Directors are head of PSU or PSB including our CMD. Accordingly, their evaluations are done by respective Ministry as per norms.

In our case such evaluation is done through Annual MOU with Department of Public Enterprises (DPE) with marks/ weightage for financial and non-financial targets. Our Productivity Linked Lumpsum Incentive (PLLI) is

आधारित एकमुश्त प्रोत्साहन ( पी एल एल आई ) हमारे संबन्धित मंत्रालय द्वारा किए गए इस प्रकार के मूल्यांकन में पाये गए अंकों / ग्रेड पर आधारित होती है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ल उ वि द्वारा दिनांक 20.06.2013 के कार्यालय ज्ञापन के जरिये जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 07.11.2017 को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक हुई जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कंपनी प्रबंधन तथा बोर्ड के बीच आदान प्रदान की जाने वाली जानकारी की गुणवत्ता , मात्रा तथा लिए जाने वाले समय का भी मूल्यांकन किया गया जो कि बोर्ड द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अपने दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक है।

### साधारण बैठकें

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित साधारण बैठकों के विवरण निम्न सारणी 10 में उल्लिखित है :-

based on mark/grade obtained in such evaluation by our respective Ministry.

During the FY 2017-18, the Independent Directors met on 07/11/2017 as per requirement of DPE guidelines Office Memorandum dated 20/06/2013, inter alia, to assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Company Management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform its duties.

### GENERAL MEETINGS

The details of the General Meetings held during the last three years are furnished below in Table 10:

**सारणी 10 / Table 10**

| क्र. सं . Sr. No. | वित्तीय वर्ष Financial Year | वा.सा. बैठकों की सं No. of AGM | दिनांक व समय Date & Time | स्थान Venue | पारित विशेष संकल्पों की सं, यदि कोई हो तो No. of Special Resolutions passed, if any |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-15 | ईजीएम EGM | 16, जनवरी 2015 1000 बजे January 16, 2015 1000 Hours | एक्स्प्रेस टावर्स, मुम्बई Express Towers, Mumbai | 2 |
| 2 | 2014-15 | 57 | 11, जून 2015 1145 बजे June 11, 2015 1145 Hours | उद्योग भवन, नयी दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi | कुछ नहीं NIL |
| 3 | 2015-16 | 58 | 16, अगस्त 2016 1415 बजे August 16, 2016 1415 Hrs | उद्योग भवन, नयी दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi | कुछ नहीं NIL |
| 4 | 2016-17 | 59 | 10, अगस्त 2017 1700 बजे August 10, 2017 1700 Hrs | उद्योग भवन, नयी दिल्ली Udyog Bhawan, New Delhi | कुछ नहीं NIL |

### कारोबार आचार संहिता और नीति

निदेशक मण्डल ने बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचरण संहिता और नीति बनाई है जो कंपनी की वेबसाइट (www.ecgc.in) पर उपलब्ध है।

### CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (www.ecgc.in).

## प्रकटन

सामान्य कारोबारी लेनदेन के अलावा, किसी ऐसी निजी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओं को कोई भुगतान नहीं किया ग़या जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित सन्निहित हो।

कंपनी ने जोखिम के मूल्यांकन और उसे कम करने के बारे में बोर्ड के सदस्यों को सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है, जिनका बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन होता है ताकि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियन्त्रण सुनिश्चित किया जा सके।

कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को अंगीकृत किया गया है जिससे कंपनी के किसी कर्मचारी के सज्ञान में किसी भी स्तर पर अस्वीकार्य/ अनैतिक/ अथवा कदाचार का कोई कार्य आए तो वह कर्मचारी बिना किसी परिणामी भय के उस विषय मे सूचना देते हुए सुरक्षित महसूस करें ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सांविधिक अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा देश की विभिन्न संविधि से संबंधित किसी मामले में, कोई दंड आरोपित नहीं किया गया है, केवल निम्न मामलों को छोड़कर

1. स्टैम्प कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य ने यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ दिनांक 07.04.2012 को निर्माण संविदा करार हेतु ₹7,20,500 के देय स्टैम्प शुल्क का भुगतान ना कर पाने के कारण दिनांक 06.01.2015 के पत्र के तहत ₹4,46,710 का दंड लगाया था।

   तथपि, दिनांक 22.01.2015 को उप महानिरीक्षक पंजीकरण के समक्ष हमने दंड हटाने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत किया है और जल्दी फैसला प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से लगातार संपर्क किया जा रहा है। अभी तक हमे सुनवाई का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

2. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दुकान एवं विनिर्माण अधिनियम की धारा 7(1)(4)आर-20ए के अंतर्गत चर्चगेट शाखा द्वारा कार्य प्रारम्भ होने(15.05.2017) के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण न कराने तथा नामपट्ट पर मराठी में नाम न होने के कारण ₹44,000/- का दंड लगाया।

3. ईपीएफ तथा एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत 57 अस्थायी कार्मिकों के संबंध में सहायक पी.एफ. आयुक्त द्वारा 10.04.2017 को ईपीएफ तथा एमपी अधिनियम की धारा 7 क़्यु. के अंतर्गत पी.एफ. योगदान पर ₹24,27,917/- के ब्याज की मांग तथा धारा 14 बी. के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के ₹43,18,042/- की मांग करते हुए सम्मन कम्पनी को जारी किया गया है। कम्पनी द्वारा सहायक पी.एफ. आयुक्त के समक्ष प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया है जैसा कि क्षेत्रीय पी.एफ. आयुक्त के आदेशानुसार ईपीएफओ को पी.एफ. अंशदान का भुगतान किया गया था अतः इस मामले में यदि कोई ज़िम्मेदारी बनती है तो वो पी.एफ. अंशदान के विलम्ब से भुगतान के कारण ब्याज के भुगतान की होगी। इस मामले की सुनवाई 20.06.2018 को तय की गई है।

## DISCLOSURE

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business.

The Company has laid down procedures to inform Board Members about the risk assessment and its minimization, which is periodically reviewed by the Risk Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/ unethical practice and/ or any event of misconduct, at any level, that comes to his/ her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except by,

1. Stamp Office, Maharashtra State, vide its letter dated 06/01/2015, has imposed a penalty of ₹4,46,710/- for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500/- payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, M/s. Unity Infraprojects Limited on 07/04/2012.

   However, we have represented our case on 22/01/2015 to The Dy. Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision. We have not yet received any notice for hearing.

2. Metropolitan Magistrate under Shops & Establishment Act- Sec- 7(1)(4) R-20A levied penalty of ₹44,000/- for Churchgate Branch- Registration not done within 30 days from the date of establishment commencing its work (15.05.2017) and name Board not displayed in Marathi Devanagiri Script.

3. EPF & MP Act, 1952 in respect of 57 Casual workers- A summon dated 10.04.2017 by the Asst. PF Commissioner, EPFO u/s7Q under EPF & MP Act for payment of interest on PF contribution for ₹24,27,917/- and ₹43,18,042/- being damages u/s 14B has been issued to the Company. The Company is contesting the matter before the Asst. PF Commissioner since PF contribution to EPFO was made by the Company while following the orders of Regional PF Commissioner, hence the liability, if any in the matter would be on account of payment of interest on delayed PF Contribution, at the applicable rate. The matter is fixed for hearing on 20.06.2018.

कंपनी के 100% इक्विटी शेयर भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति और सात अन्य नामित व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं इसलिए इस संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखा जाता है।

## शेयरधारकों की जानकारी

(क) वार्षिक साधारण बैठकः 60 वीं वार्षिक साधारण बैठक दि 17, जुलाई, 2018 को 1600 बजे नई दिल्ली में होगी ।

(ख) 31 मार्च, 2018 को शेयर धारण का स्वरूपः कंपनी का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है।भारत के राष्ट्रपति 100 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से 15,00,00,000 शेयर भारत सरकार की ओर से धारण करते हैं इनमे कंपनी के वह शेयर भी संयुक्त हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित आठ अन्य व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं।

(ग) पत्राचार का पताःश्रीमती स्मिता वी. पंडित, कंपनी सचिव, ईसीजीसी लिमिटेड एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंज़िल ,नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021.Email-cs@ecgc.in.

## संपर्क के माध्यम

- वेबसाइटः कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर 'हमारे बारे में' खंड के अंतर्गत वित्तीय परिणाम पर एक खंड है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी यूज़र फ्रैंडली और डाउनलोड हो सकने वाले प्रारूप में उपलब्ध है।
- वित्तीय परिणामः वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही परिणाम नियमित रूप से कंपनी की वेबसाईटः www.ecgc.in पर पोस्ट किए जाते हैं।
- वार्षिक रिपोर्टः वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं, सदस्यों तथा अन्य अधिकारिता प्राप्त व्यक्तियों को संचारित कर दी गई है। प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है।

कृते निदेशक मण्डल और उनकी ओर से

**गीता मुरलीधर**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29 मई, 2018

The audited accounts of the Company are being tabled before both the Houses of Parliament, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of Government of India.

## SHAREHOLDERS' INFORMATION

(a) Annual General Meeting: The 60th Annual General Meeting is scheduled to be held on July 17, 2018 at 1600 hours at New Delhi.

(b) Shareholding Pattern as on March 31, 2018: The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 15,00,00,000 Equity Shares of rupees 100 each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India, on behalf of the Government of India.

(c) Address for Correspondence: Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary, ECGC Limited, Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021. Email-cs@ecgc.in.

## MEANS OF COMMUNICATION

- Website: The Company's website viz., www.ecgc.in contains a separate dedicated section on financial results under Section "About Us". The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.
- Financial Results: The annual, half yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website www.ecgc.in.
- Annual Report: The Annual Report, containing inter alia Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report and other important information, is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report forms part of the Directors' Report.

For and on behalf of the Board of Directors

**Geetha Muralidhar**
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: May 29, 2018

## कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाणपत्र

मै स्मिता वी. पंडित एतदद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने सामान्य रूप से बीमा कंपनियों के लिए लागू तथा समय-समय पर संशोधित कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है तथा कुछ भी छुपाया अथवा गुप्त नहीं रखा है।

**स्मिता वी. पंडित**
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 मई, 2018

## CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

**Smita V. Pandit**
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: May 29, 2018

वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक साधारण बैठक।
Annual General Meeting for the Year 2017-18.

छत्तीसगढ़ के धमतरि जिले में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क, पुणे द्वारा संवेदनशीलता तथा जागरुकता कैम्पों का आयोजन।
Sensitizing and Awareness Camps conducted by Science & Technology Park, Pune, during the Cervical Cancer Screening programme at Dhamtari Districts of Chhatisgarh.

छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क, पुणे द्वारा संवेदनशीलता तथा जागरुकता कैम्पों का आयोजन।
Sensitizing and Awareness Camps conducted by Science & Technology Park, Pune, during the Cervical Cancer Screening programme at Rajnandgaon Districts of Chhatisgarh.

ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन को सीएसआर गतिविधि-दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता तथा उपकरणों का वितरण के अंतर्गत ₹14.49 लाख का चेक प्रदान करते हुए अहमदाबाद निर्यातक शाखा।
Handing over cheque of ₹14.49 lacs to Blind People's Association by Ahmedabad EB towards CSR activity- Distribution of aids & appliances to disabled persons.

सीएसआर के अंतर्गत जिला बीदर, कर्नाटक में वाटर एटीएम कार्यक्रम का शुभारम्भ।
Launch programme of Water ATM under CSR at Bidar District, Karnataka.

# कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व — अनुबंध II

# CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY — Annexure II

## कंपनी द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अभिक्रमों पर विकसित एवं कार्यान्वित नीति का विवरण

### 1. कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों की समीक्षा सहित एवं सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं के संदर्भ मे कंपनी के सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा तथा सी.एस.आर. पॉलिसी एवं प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम हेतु वेब-लिंक के संदर्भ का संक्षिप्त विवरण

कंपनी ने लोक उपक्रम विभाग(डी पी ई)के सीएसआर पर संशोधित दिशानिर्देशों को 2014 मे अपनाया है और कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति है। कंपनी मे सीएसआर गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर लगभग ₹6,55,80,907/- रु का व्यय किया गया।

कंपनी द्वारा टिस के सहयोग से पाँच सामुदायिक अध्ययन केंद्र की स्थापना एम-वार्ड, वाशी नाका और माहुल गाँव मे की गई टिस का लक्ष्य वंचित वर्ग के छात्रों को पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा उपलब्ध करने के साथ-साथ उनके सम्पूर्ण विकास के लिए पाठयेतर गतिविधियों भी उपलब्ध करा रहा है। बोर्ड ने हाईस्कूल के 8वीं, 9वीं तथा 10वीं कक्षा के छात्रों में 170 दिव्यांग छात्रों तथा 1124 वंचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण को अनुमोदन प्रदान किया है। ईसीजीसी द्वारा कोल्हापुर तथा छत्तीसगढ़ के गॉव में सर्वाइकल कैंसर के शीघ्र पता लगाने हेतु डी.एन.ए. आधारित जांच सम्बधी दो प्रोजेक्ट तथा विज्ञान एवं प्रौधोगिकी पार्क(एस.टी.पी.) पुणे के सहयोग से सोलर लालटेन के वितरण हेतु एक प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन किया है। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चेन्नई, तमिलनाडु में ''सेव अ चाइल्ड'' प्रोजेक्ट के लिये चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं जिसका कार्यान्वयन एकम फाउंडेशन द्वारा किया गया तथा स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी फंड (एच.एम.सी.पी.एफ.) में बड़ा योगदान किया गया है। स्वच्छता कार्य में सहयोग हेतु भारत सरकार के स्वच्छ भारत कोश में ₹67 लाख का अंशदान भी किया गया है।

### 2. सीएसआर समिति की संरचना :

बोर्ड की सीएसआर समिति में श्रीमती गीता मुरलीधर, अ.प्र.नि., ईसीजीसी, श्री सुनील कुमार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री ए. के. मिश्र, का.नि., आर. बी.आई.; श्री राजीव ऋषि, अ.प्र.नि., सी.बी.आई.; श्रीमती एलिस जी. वैद्यन, अ.प्र.नि., जीआईसी; श्री गणेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, एफ़आईईओ ; श्री माणेक इरुच डावर, अ.प्र.नि., स्पेन्टा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती सरनला मालती रानी, निदेशक तथा श्री एम सेंथिलनाथन, का.नि., ईसीजीसी, सदस्य रूप में डीपीई के 01.04.2014 से प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की गतिविधियों की निगरानी करते हैं।

## DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

### 1. A BRIEF OUTLINE OF THE COMPANY'S CSR POLICY, INCLUDING OVERVIEW OF PROJECTS OR PROGRAMS PROPOSED TO BE UNDERTAKEN AND A REFERENCE TO THE WEB-LINK TO THE CSR POLICY AND PROJECTS OR PROGRAMS.

Company has adopted revised DPE guideline on CSR in 2014 and has a Board approved CSR policy. A CSR Committee of Board has been constituted to monitor the CSR activities of the Company. An aggregate amount of ₹6,55,80,907/- was spent on CSR activities of the Company during FY 2017-18.

The Company has set up five Community Study Centers in M-Ward, Vashi Naka, Mahul village, through TISS aimed at providing curriculum based education as well as extracurricular activities for the overall development of the underprivileged students. The board has approved distribution of scholarship to 170 differently abled students and 1124 underprivileged high school students of 8th, 9th and 10th standard. Two projects for DNA based diagnostics for early detection of cervical cancer in villages of Kolhapur and Chhattisgarh and a project for providing Energy Saving Devices (Solar lantern) to students of villages in Chhattisgarh have been undertaken by ECGC with Science & Technology Park (STP) Pune as Project Implementing Agency. Under health care, the Company has provided Medical equipment to hospitals in Chennai, Tamilnadu for the project "Save a Child" implemented by the agency Ekam Foundation and a substantial contribution is made towards the corpus fund of Health Ministers Cancer Patients Fund (HMCPF). To support sanitation, contribution of ₹67 lakhs has also been made to Swacch Bharat Kosh, GOI.

### 2. THE COMPOSITION OF CSR COMMITTEE :

CSR Committee of Board comprises of Smt. Geetha Muralidhar, CMD, ECGC, Shri Sunil Kumar, AS, MOC&I; Shri A. K. Misra, ED, RBI; Shri Rajeev Rishi, CMD, CBI; Smt. Alice G. Vaidyan, CMD, GIC; Shri Ganesh Kumar Gupta, President, FIEO; Shri Maneck Eruch Davar, CMD, Spenta Multimedia Pvt. Ltd.; Smt. Saranala Malathi Rani, Director; and Shri M. Senthilnathan, ED, ECGC as Members for monitoring of Company's activities/ initiatives as per

सीएसआर नीति के अधीन वरिष्ठ कार्यपालकों की एक आंतरिक समिति का भी गठन किया गया है।

### 3. कंपनी की अधिनियम की धारा 198 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ

| वित्तीय वर्ष | निवल लाभ (₹करोड़ में) |
|---|---|
| 2014-15 | 250.42 |
| 2015-16 | 387.36 |
| 2016-17 | 407.49 |
| औसत लाभ | 348.42 |

### 4. निर्धारित सीएसआर व्यय

(उक्त मद सं. 3 में उल्लिखित राशि का दो प्रतिशत)

| वित्तीय वर्ष | बजट का आवंटन (₹करोड़ में) |
|---|---|
| 2015-16 | 7.60 |
| 2016-17 | 7.90 |
| 2017-18 | 7.00 |

### 5. वर्ष के दौरान सीएसआर पर हुए व्यय का विवरण

(अ) वित्तीय वर्ष मे कुल व्यय की जाने वाली राशि

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय की जाने वाली राशि 7.00 करोड़

(ब) व्यय न की गयी राशि, यदि कोई हो;

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय न की गयी राशि - शून्य

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान किस प्रकार राशि व्यय की गयी उसका विवरण निम्नानुसार है:

DPE's revised guidelines effective from 01.04.2014.

As per the CSR policy a Committee consisting of internal executives with ED as the Chairman is also in place.

### 3. NET PROFIT OF THE COMPANY FOR LAST THREE FINANCIAL YEARS AS PER SECTION 198 OF COMPANIES ACT

| Financial Year | Net Profit (₹ in Crore) |
|---|---|
| 2014-15 | 250.42 |
| 2015-16 | 387.36 |
| 2016-17 | 407.49 |
| AVERAGE PROFIT | 348.42 |

### 4. PRESCRIBED CSR EXPENDITURE

(Two per cent of the amount as in item 3 above)

| Financial Year | Allocation of Budget (₹ in Crore) |
|---|---|
| 2015-16 | 7.60 |
| 2016-17 | 7.90 |
| 2017-18 | 7.00 |

### 5. DETAILS OF CSR SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR

(a) Total amount to be spent for the financial year;

Amount to be spent for FY 2017-18 ₹ 7.00 Crore.

(b) Amount unspent if any;

Amount unspent up to FY 2017-18 NIL

(c) MANNER IN WHICH THE AMOUNT SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR IS DETAILED BELOW:

(₹ लाख में) / (₹ In Lakhs)

| क्र. सं. Sr. No. | स्वीकृत सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि CSR project or activity identified | क्षेत्र जिसमें परियोजना चलाई गई है। Sector in which the Project is covered | परियोजनाएं या कार्यक्रम स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना चलाई गयी है। Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken | राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार Amount Outlay (budget) project or program wise | परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष: 1. परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवेरहेड Amount spent on the projects or programs Sub – heads: 1. Direct expenditure on projects or programs 2. Overheads | रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय Cumulative Expenditure up to the reporting period | खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वन एजेंसी के माध्यम से Amount spent : Direct or through implementing agency* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वंचित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति Scholarship to underprivileged students | शिक्षा Education | एम वार्ड, जिला मुंबई, महाराष्ट्र M Ward , Distt Mumbai, Maharashtra | प्रति वर्ष ₹10000 प्रति दिव्यांग छात्र तथा ₹6000 प्रति छात्र ₹10000 per differently abled student and ₹6000 per student/p.a | 57.14 | 164.12 | टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टिस) Tata Institute of Social Sciences (TISS) |
| 2 | सामुदायिक अध्यन केंद्र Community Study Centers | शिक्षा Education | मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra | | 104.94 | 169.95 | टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टिस) Tata Institute of Social Sciences (TISS) |
| 3 | अध्यापन वर्ष 2017-18 के लिये 15 छात्रों को छात्रवृत्ति Scholarships for 15 students for Academic Year2017-18 | शिक्षा Education | मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra | | 1.20 | | नेशनल एसोशिएशन फॉर ब्लाइंड National Association for the Blind |
| 4 | पुनर्वास केंद्र हेतु कम्प्यूटर Computers for Rehabilitation Center | शिक्षा Education | मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra | | 1.80 | 1.80 | नेशनल एसोशिएशन फॉर ब्लाइंड National Association for the Blind |
| 5 | 178 आनंदालय का संचालन Running of 178 Anandalayas | शिक्षा Education | पूर्वोत्तर North East | | 16.02 | 16.02 | विवेकानंद केंद्र Vivekananda Kendra |
| 6 | इंटरनेशनल स्कूल कनवेंशन International school Convention | शिक्षा Education | बेंगलुरु Bengaluru | | 2.00 | 2.00 | स्पाईक मेकै SPIC Macay |
| 7 | दिव्यांग छात्रों को सौर उपकरण तथा ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध कराना Providing equipment for Solar energy for and e-learning for differently abled students | शिक्षा Education | राजस्थान Rajasthan | | 10.00 | 10.00 | मानव संसाधन संस्थान Human Development Institute |
| | उप-योग - / Sub total- | | | | 193.10 | 365.09 | |
| 8 | सर्वाइकल कैंसर हेतु डीएनए आधारित स्क्रीनिग उपलब्ध कराना DNA based screening for Cervical Cancer | स्वास्थ्य सेवा Healthcare | कोल्हापुर, महाराष्ट्र Kolhapur, Maharashtra | | 24.84 | 24.84 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क,पुणे Science & Technology Park, Pune |
| 9 | सुरक्षित पेय जल सुविधा Safe drinking water facility | स्वास्थ्य सेवा Healthcare | जिला पालघर, महाराष्ट्र Distt Palghar, Maharashtra | | 12.66 | 159.01 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क, पुणे Science & Technology Park, Pune |
| 10 | सुरक्षित पेय जल सुविधा Safe drinking water facility | स्वास्थ्य सेवा Healthcare | जिला बीदर. कर्नाटक Bidar Dist. Karnataka | | 26.19 | 26.19 | विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क,पुणे Science & Technology Park, Pune |
| 11 | सरकारी विद्यालय में जल परिमार्जक Water Purifiers at Govt. School | स्वास्थ्य सेवा Healthcare | शिवानगाँव, महाराष्ट्र Shivangaon, Maharashtra | | 3.75 | 3.75 | अश्वमेघ ग्रामीण पनलोत क्षेत्र व शैक्षिणिक संस्थान Ashwamegh Gramin Panlot Kshetra Vikas Va Shaikshanik Sanstha |
| 12 | दिव्यांग छात्रों को श्रवण यंत्र का वितरण Hearing Aids for differently abled students | स्वास्थ्य सेवा Healthcare | मुंबई, महाराष्ट्र Mumbai, Maharashtra | | 4.17 | 4.17 | विजय शिक्षण संस्थान Vijay Sikshan Sanstha |
| 13 | बैटरी चालित व्हीलचेयर Battery operated Wheelchairs | स्वास्थ्य सेवा Healthcare | नई दिल्ली New Delhi | | 8.20 | 8.20 | सोसाइटी फॉर डिसेबिलिटी एंड रीहैबिलिटेशन स्टडीज (एसडीआरएस) Society for Disability and Rehabilitation Studies (SDRS) |

| क्र. सं. Sr. No. | स्वीकृत सीएसआर परियोजना अथवा गतिविधि **CSR project or activity identified** | क्षेत्र जिसमें परियोजना चलाई गई है। **Sector in which the Project is covered** | परियोजनाएं या कार्यक्रम स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य राज्य अथवा जिले का विवरण जहां परियोजना चलाई गयी है। **Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken** | राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार **Amount Outlay (budget) project or program wise** | परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि उप-शीर्ष: 1. परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ओवेरहेड **Amount spent on the projects or programs Sub – heads: 1. Direct expenditure on projects or programs 2. Overheads** | रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय **Cumulative Expenditure up to the reporting period** | खर्च की गयी राशि प्रत्यक्ष या क्रियान्वन एजेंसी के माध्यम से **Amount spent : Direct or through implementing agency*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | बिस्तर एवं दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराना<br>Providing beds and utensils | स्वास्थ्य सेवा<br>Healthcare | नई दिल्ली<br>New Delhi | | 5.60 | 5.60 | नेशनल एसोशिएशन फॉर ब्लाइंड<br>National Association for Blind |
| 15 | शल्य चिकित्सा कैम्प<br>Surgery Camps | स्वास्थ्य सेवा<br>Healthcare | नई दिल्ली<br>New Delhi | | 9.59 | 9.59 | विवेकानंद केंद्र<br>Vivekananda Kendra |
| 16 | स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि में अंशदान<br>Contribution to Health Ministers Cancer patient fund | स्वास्थ्य सेवा<br>Healthcare | नई दिल्ली<br>New Delhi | | 200 | 200 | प्रत्यक्ष<br>Direct |
| 17 | "सेव अ चाइल्ड" परियोजना<br>Project "Save a Child" | स्वास्थ्य सेवा<br>Healthcare | चेन्नई, तमिलनाडु<br>Chennai, Tamilnadu | | 48.98 | 48.98 | एकम फाउंडेशन<br>Ekam Foundation |
| 18 | टी.बी. मुक्त काशी परियोजना<br>Project T. B. Free Kashi | स्वास्थ्य सेवा<br>Healthcare | वाराणसी, उत्तर प्रदेश<br>Varanasi, Uttar Pradesh | | 10.00 | 10.00 | संकल्प फाउंडेशन<br>Sankalp Foundation |
| 19 | दिव्यांग व्यक्तियों को उपकरणों का वितरण<br>Distribution of appliances to differently abled persons | स्वास्थ्य सेवा<br>Healthcare | गुजरात<br>Gujarat | | 14.49 | 14.49 | ब्लाइंड पीपुल एसोशिएशन<br>Blind Peoples Association |
| | उप-योग - / Sub total- | | | | 368.47 | 514.82 | |
| 20 | कौशल विकास प्रोजेक्ट<br>Skill Development Projects | कौशल विकास<br>Skill Development | मुम्बई, महाराष्ट्र<br>Mumbai, Maharashtra | | 10.65 | 10.65 | सोसाइटी फॉर ह्यूमन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट<br>Society for Human Environmental Development |
| 21 | सेना झंडा दिवस निधि में अंशदान<br>Contribution to Armed forces Flag Day Fund | कौशल विकास<br>Skill Development | नई दिल्ली<br>New Delhi | | 5.00 | 5.00 | केंद्रीय सैनिक बोर्ड<br>Kendriya Sainik Board |
| | उप-योग - / Sub total- | | | | 15.65 | 15.65 | |
| 22 | स्वच्छ भारत कोश<br>Swacch Bharat Kosh | स्वच्छता<br>Sanitation | नई दिल्ली<br>New Delhi | | 67.5 | 67.50 | प्रत्यक्ष<br>Direct |
| | उप-योग - / Sub total- | | | | 67.5 | 67.50 | |
| 23 | वृद्धाश्रमों, अनाथाश्रमों आदि को अंशदान<br>Contribution to Old Age Homes, Orphanages etc. | वरिष्ठ नागरिकों हेतु सहयोग<br>Support for Senior Citizens | सम्पूर्ण भारत<br>Pan India | | 8.59 | 8.59 | प्रत्यक्ष<br>Direct |
| 24 | कमरों को व्यवस्थित कराने तथा अल्मारी एवं मेज आदि उपलब्ध कराने हेतु सहयोग<br>Support for Furnishing Rooms and providing Cupboard, Tables etc. | वरिष्ठ नागरिकों हेतु सहयोग<br>Support for Senior Citizens | बेंगलुरु<br>Bengaluru | | 2.50 | 2.50 | वानप्रस्थ आश्रम<br>Vanaprastha Ashram |
| | उप-योग - / Sub total- | | | | 11.09 | 11.09 | |
| | योग / Total- | | | | 655.81 | 974.15 | |

(मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सी.एस.आर. तथा एस.डी. समिति के अध्यक्ष)
Chief Executive Officer & Chairman CSR&SD Committee

बी.बी.बी. मुम्बई द्वारा आयोजित बैंकर्स बैठक के दौरान ईसीआईबी दावे के अंतर्गत कंसोर्शियम बैंकर्स को ₹286.07 करोड़ के चेक प्रदान करते हुए।

Handing over of ECIB claim cheque to Consortium Bankers for ₹286.07 crore during Banker's Meet organized by BBB Mumbai.

एकल खरीदार द्वारा गैर- अदायगी पर उ.म.प्र. तथा क्षे.प्र., द.क्षे.का.-1 द्वारा सीजीई पॉलिसी के तहत कोयम्बतूर में ₹10.53 करोड़ के दावे की अदायगी करते हुए।

DGM & RM, SRO- 1 releasing CGE Policy claim of ₹10.53 crore at Coimbatore on account of non- payment by a single buyer.

ईसीआईबी-डब्ल्यूटीपीसी के अंतर्गत बैंक ऑफ बडौदा की एआरएम शाखा, वडोदरा को ₹3.93 करोड़ का दावा चेक प्रदान किया गया।

Claim cheque of ₹3.93 crore handed over to ARM Branch of Bank of Baroda, Vadodara under ECIB- WTPC.

बी.बी.बी. मुम्बई द्वारा आयोजित बैंकर्स बैठक के दौरान ईसीआईबी दावे के अंतर्गत कंसोर्शियम बैंकर्स को ₹208.90 करोड़ के चेक प्रदान करते हुए।
Handing over of ECIB claim cheque to Consortium Bankers for ₹208.90 crore during Banker's Meet organized by BBB Mumbai.

रु.67,04,303/- के दावे के चेक का भुगतान करती ईसीजीसी की पुणे शाखा।
ECGC Pune Branch paying claim cheque of ₹67,04,303/-.

कोडईकनाल में अखिल भारतीय क्षे.प्र./ शा.प्र. संमेलन का आयोजन।
All India RMs/BMs Conference at Kodaikanal.

# प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण

# MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

## वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

वर्ष 2017 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील बाजारों दोनों में वर्ष 2010 की तुलना में व्यापक समकालीन वैश्विक वृद्धि परिलक्षित हुई है। यह आर्थिक वृद्धि तथा विकास गति में तेजी, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश तथा एशिया में विनिर्माण उत्पादन में वृद्धि के कारण साथ साथ आरम्भ हुई है।

विश्व बैंक के अनुसार, वैश्विक स घ उ में वृद्धि वर्ष 2016 में 2.4% की तुलना में बढ़कर 2017 में 3% रही। यह सुधार निवेश,विनिर्माण क्रियाकलाप तथा व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप हुआ है। वर्ष 2017 में, विकसित अर्थव्यवस्था, (ए ई) तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं व विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ई एम डी ई) में क्रमश: 2.3% तथा 4.3% की वृद्धि हुई है। सुधरी हुई आर्थिक स्थितियां अर्थव्यवस्थाओं को, कमज़ोर वृद्धि , वैश्विक वित्तीय संकट तथा यूरोप के शासकीय ऋण संकट तथा वैश्विक वस्तु मूल्य संशोधनों के कारण प्रभावित पिछले दशक के साए से बाहर निकालने में सहायक साबित हुई। वर्ष 2017 में वैश्विक व्यापारिक वस्तु व्यापार में 34.72 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य में 11% एवं मात्रा मूल्य में 4.7% की वृद्धि दर्ज की गयी है। यह उल्लेखनीय वृद्धि,न्यून आधार प्रभाव,जो कि ए ई तथा ई एम डी ई दोनों से आयात मांग में वैश्विक सुधार के फलस्वरूप है। क्षेत्रवार दृष्टि से,एशियाई क्षेत्र में विविध वस्तु व्यापार में मात्रा तथा मूल्य में क्रमश: 6.7% तथा 10.7% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से किये जाने वाले निर्यातों में निवेश क्रियाकलापों जो कि विकसित राष्ट्रों में स घ उ के आयात वर्धक घटक है,में बढ़त के परिणामस्वरुप वृद्धि दर्ज की गयी है.ऊर्जा,खाद्यान,कच्चा माल,कच्चा तेल तथा घातु जैसे वस्तुओं के उच्चतर मूल्यों ने अधिकांश ई एम डी ई में निर्यात वृद्धि को गति प्रदान की है जिसके फलस्वरूप वस्तु निर्यात वृद्धि वर्ष 2016 में 0.8% की तुलना में बढ़ कर 1.8% हो गयी है।

## परिदृश्य

वर्ष 2018 तथा वर्ष 2019 में भी अनुकूल वैश्विक वित्तीय स्थितियों तथा सशक्त संकेतों के परिणाम भी निवेशों , विनिर्माण तथा व्यापार की बढ़ी हुई मांग के रूप में सामने आने की सम्भावना है।

जैसा कि वर्ष 2018 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि का 3.1% तक पहुँचने का अनुमान है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह वर्ष 2018 के दौरान आवासीय नीति तथा निवेश वृद्धि के स्थिरीकरण में समायोजन के फलस्वरूप 2.2% पर मामूली वृद्धि संभावित है। ई एम डी ई में वस्तु मूल्य में स्थिरता

## GLOBAL ECONOMY AND TRADE

The year, 2017 has witnessed the broadest synchronized global growth since 2010 among both the advanced economies and the emerging markets. This economic upswing and the strengthening growth momentum were underpinned by pickup in investment mainly in the advanced economies and increase in manufacturing output in Asia.

According to the World Bank, Global GDP growth is estimated to have picked up from 2.4% in 2016 to 3% in 2017. This improvement is due to a rebound in investment, manufacturing activity and trade. Growth in Advanced Economies (AEs) and among Emerging Market and Developing Economies (EMDEs) accelerated in 2017 to 2.3% and 4.3% respectively. The improved conditions facilitated economies to come out of the shadows of the past decade which was characterized by fragile growth, global financial crisis, sovereign debt crisis of Europe and global commodity price shifts.

In 2017, global merchandise trade was up by 11% to US $ 34.72 trillion in value terms and 4.7% in terms of volume. This splendid growth, though also a result of low base-effect, is attributed to global recovery in import demand from both AEs and EMDEs. Region-wise, the Asian region registered an impressive merchandise trade growth of 6.7% and 10.7% in terms of volume and value respectively. Exports from the developing economies were strengthened by a rise in investment activity, which is an import intensive component of GDP, in the developed nations. A relatively higher price of commodities mainly energy, food, raw materials, crude oil and metals accelerated export growth in most EMDEs, taking commodity exports growth to 1.8% from 0.8% in 2016.

## OUTLOOK

This impetus to growth is expected to be carried well into 2018 and 2019 owing to favorable global financial conditions and strong sentiments resulting in accelerated demand in investments, manufacturing and trade.

As the global economic growth is anticipated to edge up to 3.1% in 2018, growth in advanced economies is likely to moderate slightly to 2.2% in 2018 largely owing to adjustments in accommodation policy and stabilization of investment growth. In EMDEs growth is projected to strengthen to 4.5% in 2018 as these economies are expected to benefit from firming commodity prices.

के परिणामस्वरूप लाभांवित होते हुए वर्ष 2018 में 4.5% पर वृद्धि में मजबूती परिलक्षित है।

वर्ष 2018 में, सभी क्षेत्रों की तुलना में दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में 6.9% पर उच्चतम वृद्धि परिलक्षित है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के भीतर भारत द्वारा 7.3% की वृद्धि की प्राप्त करने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले मुख्य घटकों में वर्धित उपभोग, वर्त्तमान नीतिगत सुधार व आधारभूत संरचना में सुधार शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मोर्चे में, वर्ष 2017 के दौरान हुए सुधारों के वर्ष 2018 के दौरान भी जारी रहने की सम्भावना है। यह वर्ष 2018 की प्रथम तिमाही के लिए निर्यात आदेशों, हवाई माल भाडा तथा पंजीकृत कंटेनर शिपिंग के सूचकांक पर आधारित है। वैसे भी, वर्ष 2018 के दौरान वृद्धि 4% औसत पर मध्यम वृद्धि पथ पर बनी रहेगी।

तथापि अचानक होने वाले नीतिगत बदलाव, व्यापार संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के वर्धन तथा भू- राजनितिक तनावों के फलस्वरूप आर्थिक सुधार तथा बाज़ार आत्मविश्वास में कमी आने की सम्भावना भी बनी रहेगी। देशों के लिए आवश्यक है कि वे इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी नीतियों पर विशेष ध्यान दें।

## भारत के निर्यात

वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान भारत के निर्यातों का मूल्य 275.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹18,49,428.76 करोड़) की तुलना में वर्ष प्रति वर्ष पर डॉलर मूल्य में 9.78% की तथा रूपया मूल्य में 5.56% की अनुकूल वृद्धि दर्ज करते हुए 302.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹19,52,168.79 करोड़ ) रहा।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के आयात वित्त वर्ष 2016-17 में 384.36 बिलियन अमरीकी डॉलर (₹25,77,665.59 करोड़) की तुलना में 19.59% के अनुकूल वृद्धि दर्ज करते हुए 459.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹29,62,897.70 करोड़) तथा रूपया मूल्य में यह 14.94% रही।

## कंपनी के परिचालनों की समीक्षा

## अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ

दिनांक 31 मार्च, 2017 में ईसीजीसी के पास 8389 बड़े निर्यातकों की तुलना में 31 मार्च, 2018 तक ई सी जी सी के पास 8398 निर्यातक रहे जो कि 9 निर्यातकों की मामूली वृद्धि दर्शाती है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पिछले वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जारी 13308 की तुलना में 13060 अल्पावधि

**सकल प्रदत्त दावों में प्रवृत्ति - अल्पावधि पॉलिसी (₹ करोड़ में)**

**Trend in Gross Claims Paid - Policy Short Term (₹ in crores)**

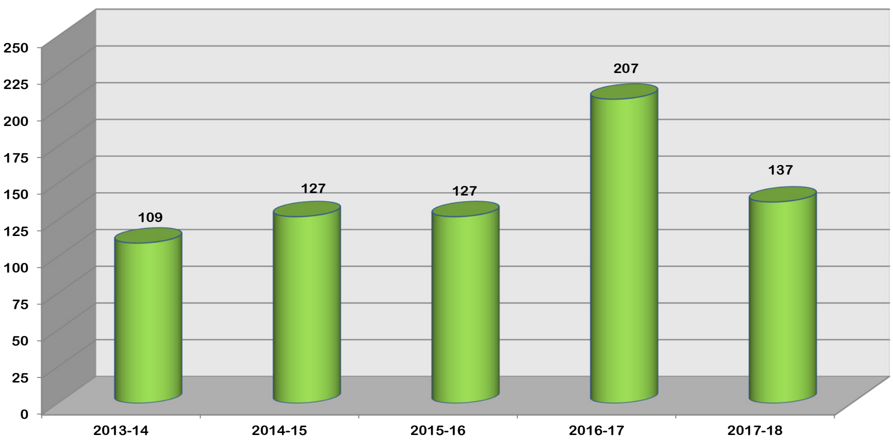


Amongst all regions, in 2018 highest growth is forecasted for South Asia at 6.9%. Within South Asia, India is expected to achieve a growth of 7.3%. The major factors attributing to the region's growth are robust consumption, recovery in exports and investment with on-going policy reforms and infrastructure improvements.

On the international trade front, recovery of 2017 is expected to extend in 2018. This is based on indicators of export orders, air freight and container shipping registered for the first quarter of 2018. As such, the global trade growth is likely to remain on a moderate growth trajectory in 2018, at an average of 4%.

On the downside, however, sudden policy shifts, increased trade protectionist tendencies, and rising geo-political tensions could have a dampening effect on economic recovery and market confidence. The countries will be required to focus their policies to gear up to any such shocks.

## INDIA'S EXPORTS

The value of India's exports for the period 2017-18 was US $ 302.84 billion (₹19,52,168.79 Crore) as against US $ 275.85 billion (₹18,49,428.76 Crore) registering a positive growth of 9.78% in dollar terms and 5.56% in rupee terms year-on-year.

During FY 2017-18, India's imports were valued at US $ 459.67 billion (₹29,62,897.70 Crore) registering a positive growth of 19.59% in dollar terms and 14.94% in rupee terms over the level of imports valued at US$384.36 billion (₹25,77,665.59 Crore) in FY 2016-17.

## OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS

## SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

The number of distinct exporters in ECGC's fold was 8398 as on 31st March, 2018 as against 8389 as on 31st March, 2017, registering a marginal increase of 9 in number. During the FY 2017-18, the total number of Short Term (ST) Export Credit Insurance Policies issued and renewed were 13060 as against 13308 issued during previous FY 2016-17. The number of ST Policies in force as on 31st March, 2018 was 11946

(आ व) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियां जारी तथा नवीकृत की गयीं । दिनांक 31 मार्च, 2017 के ₹41038.61 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ प्रभावी 12035 पॉलिसियों की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2018 को, ₹41398.70 करोड़ की अधिकतम देयता के साथ कुल 11946 पॉलिसियां प्रभावी रहीं, जो कि प्रभावी पॉलिसियों में 0.73% की गिरावट तथा प्रभावी अधिकतम देयता में 0.88% की वृद्धि को दर्शाता है।वर्ष के दौरान कुल 5110 पॉलिसियां जारी की गयीं जिसमें 1552 सम्पूर्ण पण्यावर्त पॉलिसियां हैं।

31 मार्च, 2017 को कंपनी के पॉलिसीधारक माइक्रो लघु व मध्यम निर्यातक (एम एस एम ई) क्षेत्र से सम्बंधित 95.22% महत्वपूर्ण निर्यातकों की तुलना में 31 मार्च, 2018 को 95.32% माइक्रो लघु व मध्यम निर्यातक (एम एस एम ई) निर्यातक रहे। ( एम एस एम ई वे निर्यातक हैं जिन पर ₹20 करोड़ तक अथवा उससे कम की अधिकतम देयता के साथ पॉलिसी रक्षा जारी की जाती है।)

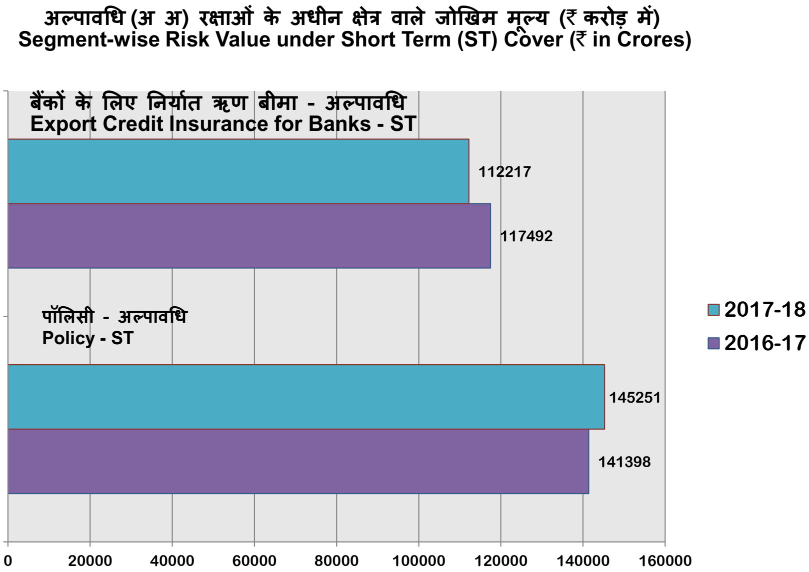


घोषणा आधारित पॉलिसियां जैसे पोतलदान व्यापक जोखिम पॉलिसी (एस सी आर), निर्यात पण्यावर्त पॉलिसी (ई टी पी), सेवा पॉलिसी , लघु निर्यातक पॉलिसी (एस ई पी) , खरीदारवार पॉलिसी, परेषण पॉलिसियों आदि का हिस्सा वित्त वर्ष 2017-18 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रभावी पॉलिसियों में 58.86%पर सबसे अधिक रहा। वित्त वर्ष 2017-18 को समाप्त वर्ष के दौरान जोखिम आधारित पॉलिसियां जैसे एम् बी ई पी, एस बी ई पी, एम आई टी ई एस , एस आई टी ई एस आदि का हिस्सा 41.13% रहा। दिनांक 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी जोखिम आधारित पॉलिसियों की संख्या यथा बहु खरीदार जोखिम पॉलिसी ( एम् बी ई पी ) , एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी ( एस बी ई पी ), एम् आई टी ई एस, एस आई टी ई एस आदि दिनांक 31 मार्च , 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान 4886 की तुलना में 4914 रहीं, जो कि 28 पॉलिसियों की वृद्धि को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन कुल संरक्षित कारोबार 2.64%. की वृद्धि दर्ज करते हुए , पिछले वर्ष ₹172788.00 करोड़ की तुलना में ₹177349.00 करोड़ रहा। अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन प्रीमियम आय 2.12% की मामूली वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वित्त वर्ष के दौरान ₹358.80 करोड़ की तुलना में ₹366.40 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन कुल ₹206.85 करोड़ के 578 दावों की तुलना में कुल ₹136.70 करोड़ के 482 दावों की अदायगी की गयी।

पिछले वर्ष ₹9.77 करोड़ की वसूली की तुलना में 92.73%. की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹18.83 करोड़ की वसूली की गयी.

with a total Maximum Liability (ML) of ₹41398.70 Crore as against 12035 policies in force with a total ML of ₹41038.61 Crore as on 31st March, 2017, showing a decline of 0.73% in number of policies in force and a growth of 0.88% in total ML in force. The total number of fresh policies issued during the year was, 5110 out of which 1552 were WT policies.

The percentage of distinct exporters belonging to Micro, Small and Medium Exporters (MSME) sector, holding the Company's policy products to total no. of distinct exporters was 95.32% as on 31st March, 2018 as against 95.22% as on 31st March, 2017 (MSME are those exporters with policy covers with ML less than or equal to ₹20 Crore).

Declaration based policies viz. the Shipment Comprehensive Risk (SCR) Policy, the Export Turnover Policy (ETP), Services Policy , Small Exporters Policy (SEP), Buyer wise policy, Consignment Policies, etc. continued to maintain the larger share at 58.86% of the policies in force as at the end of FY 2017-18. Exposure based policies like MBEP, SBEP, MITES, SITES, etc. had a share of 41.13% of the policies in force as at the end of FY 2017-18. The total number of exposure based shipment policies in force as on 31st March, 2018 viz. the Multi Buyer Exposure Policy (MBEP) ,the Single Buyer Exposure Policy (SBEP), MITES, SITES, etc. was 4914 as against 4886 as on 31st March, 2017, again registering an increase of 28 in number.

Total business covered under the ST Policies during the FY 2017-18 was ₹177349.00 Crore, as against ₹172788.00 Crore during the previous year, thereby registering a growth of 2.64%. The premium income under ST Policies was ₹366.40 Crore as against ₹358.80 Crore in the previous FY, registering a modest growth of 2.12%. Total number of claims paid under ST Policies during FY 2017-18 was 482 amounting to ₹136.70 Crore as against 578 claims amounting to ₹206.85 Crore during the previous FY 2016-17.

Recovery under ST Policy was ₹18.83 Crore as against ₹9.77 Crore during the previous year, showing a positive growth of 92.73%.

## ग्राहक विशिष्ट रक्षा

ईसीजीसी, द्वारा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के अनुमोदन से पॉलिसीधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहक विशिष्ट रक्षाएँ ( सी एस सी ) प्रारम्भ की जो कि वर्तमान मानक उत्पादों के ग्राहकों के अनुकूल न होने पर विशेष रूप से डिजाइन की जाती हैं। सी एस सी पॉलिसियाँ आई आर डी ए आई द्वारा दो अथवा अधिक अनुमोदित मानक उत्पादों की निश्चित विशेषताओं को मिलाकर तैयार की जाती हैं। जिसमें किसी एक उत्पाद के विशेष लक्षण समाहित होते हैं जिसे ''आधार'' पॉलिसी माना जाता है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹4902 करोड़ की अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल ) के साथ 139 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियों की तुलना में ₹4520 करोड़ की अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 184 ग्राहक विशिष्ट पॉलिसियां जारी की। 31 मार्च, 2018 तक, पिछले वर्ष के ₹3329 करोड़ अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 99 सी एस सी पॉलिसियों की तुलना में ₹3435.00 करोड़ अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) के साथ 118 सी एस सी पॉलिसियां सक्रिय रहीं। सी एस सी पॉलिसियों के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹61.15 करोड़ की तुलना में ₹68.72 करोड़ रही। अप्रैल से मार्च, 2018 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष के ₹31.38 करोड़ की तुलना में कुल ₹18.61 करोड़ के दावों की अदायगी के साथ गिरावट दर्ज की गई।

## बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ई सी आई बी) रक्षाएं

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 4.26% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए कुल ₹843.55 करोड़ (₹881.08 करोड़) की कुल प्रीमियम आय रही। ई सी आई बी के अधीन प्रीमियम वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सभी क्षेत्रों से वर्ष के दौरान अर्जित कुल प्रीमियम के 69.65% है । वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकों को अदा किये गए दावों की संख्या में आंशिक गिरावट के साथ वह 194 हो गई परन्तु वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान दावों के मूल्य में पिछले वर्ष ₹665.50 करोड़ की तुलना में वृद्धि हो कर वे ₹1131.47 करोड़ हो गए। इसी प्रकार चालू वर्ष के दौरान वसूलियां पिछले वर्ष के ₹109.76 करोड़ की तुलना में बढ़ कर ₹166.39 करोड़ हो गयीं। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान दावों की अदायगी के लिए ली गयी औसत अवधि पिछले वर्ष के 60.78 दिनों

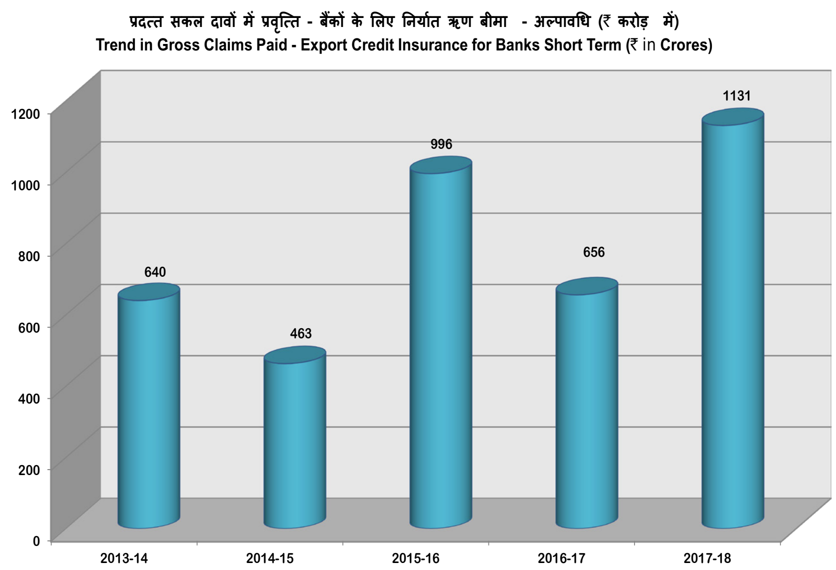


## CUSTOMER SPECIFIC COVERS

ECGC, with the approval of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has introduced Customer Specific Covers (CSC) which are tailor made to suit specific requirements of policy holders where none of the existing standard products are found suitable. The CSC Policies are structured by combining certain features of two or more standard products approved by the IRDAI, while having predominant features of one product which is considered to be the base policy.

During the FY 2017-18, 184 customized policies were issued/renewed with total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹4520 Crore as against 139 customized policies issued with total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹4902 Crore during the previous year. As on March 31st, 2018, 118 CSC policies were in force with a total ML/ALL of ₹3435.00 Crore as against 99 CSC policies in force with ML/ALL of ₹3329 Crore as on 31st March, 2017. Annual premium income under CSC policies was ₹68.72 Crore as against ₹61.15 Crore during the previous year. During the period April to March 2018, claims paid under customized policies witnessed a decline with the total claims paid being ₹18.61 Crore as against ₹31.38 Crore during the previous year.

## SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB) COVERS

The premium earned for the FY 2017-18 was ₹843.55 Crore (881.08 Crore), registering a decline of 4.26% over the previous year. ECIB premium accounted for 69.65% of the aggregate premium for the FY 2017-18, from all sectors. While the number of claims paid declined marginally to 194 in FY 2017-18 from 199 in the previous FY, the value of claims paid during FY 2017-18 increased significantly up to ₹1131.47 Crore as against ₹665.50 Crore in the previous year. Similarly the recovery made in the current year was significantly higher at ₹166.39 Crore as against ₹109.76 Crore during last year. Average number of days taken for claim payment improved to 60.16 days in FY 2017-18 from 60.78 days in the previous FY. The

की तुलना में घटकर 60.16 दिन हो गई। जारी की गई विभिन्न ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन कंपनी द्वारा रक्षित कुल जोखिम मूल्य, जिसकी गणना सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यू टी) के लिए औसत दैनिक उत्पाद ( ए डी पी ) तथा एकल रक्षाओं के लिए बैंकों द्वारा सूचित उच्चतम बकाया राशि ( एच ए ओ ) के आधार पर की जाती है, औसतन ₹1,19,366.71 करोड़ (₹1,17,492.16 करोड़) रहा। ईसीआईबी के अधीन संरक्षित एम एस एम ई निर्यातों का हिस्सा (₹50 करोड़ से कम अथवा बराबर तक मंजूर ऋण सीमा वाले निर्यातक खाते) 87% रहा।

अनुमान है कि पिछले वर्ष ₹4,48,604 करोड़ की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹4,56,684 करोड मूल्य के निर्यात ऋण अग्रिमों पर रक्षा प्रदान की गयी। यह अनुमान आर्थिक मामले विभाग , वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में किये गए। ये अनुमान भा रि बैं तथा 90 दिनों के अल्पावधि निर्यातों के अधीन कारोबार चक्र की गणना के आधार पर किये गए हैं। तदनुसार जोखिम मूल्य की गणना के लिए चार के घटक को कम्पनी द्वारा संरक्षित बकाया निर्यात ऋण से गुणित कर की गयी है। पिछले वर्ष के जोखिम मूल्य के आंकड़ों में भी तदनुसार संशोधन कर दिया गया है।

संपूर्ण पण्यावर्त ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन प्रीमियम दरों को तीन वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात तथा रक्षा के प्रतिशत को छह वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर निश्चित किया गया। बैंकों एवं ई सी जी सी के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, रत्न, आभूषण एवं हीरे (जी जे डी) जैसे उच्च दावा अनुपात वाले क्षेत्रों के संबंध में जोखिम कम करने वाले उपाए जारी रखे गए।

## मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार समीक्षा

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी) कारोबार से अर्जित प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹26.56 करोड़ की तुलना में ₹29.25 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पॉलिसी के अधीन ₹14.14 करोड़ का एक दावा तथा ईसीआईबी के अधीन ₹0.85 करोड़ के एक दावे की अदायगी की गयी। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी द्वारा बीमंकित पांच मुख्य देशों में अफगानिस्तान, इथियोपिया,युगांडा,तंजानिया तथा नेपाल शामिल हैं।

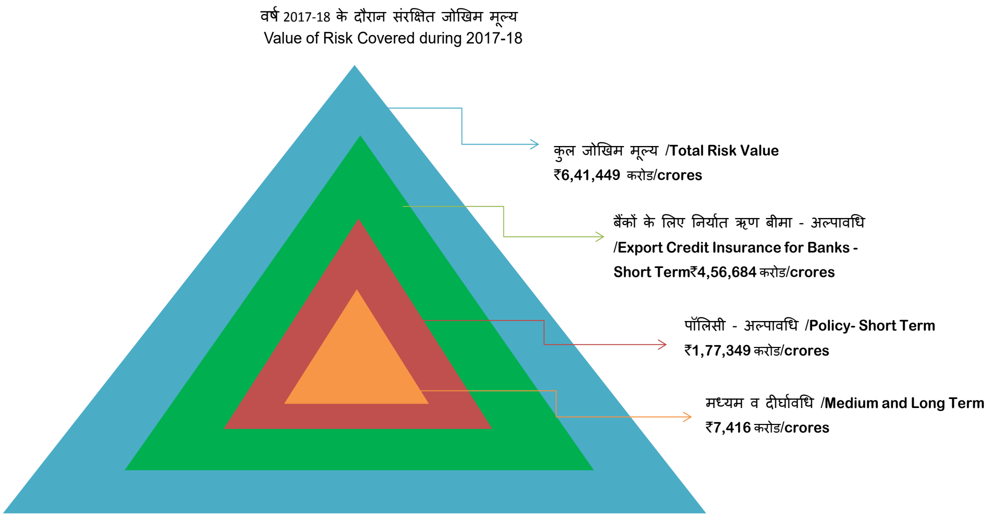


वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एम एल टी परियोजनाओं के निर्यातकों द्वारा

total outstanding covered by the Company under the various ECIB covers issued, taken as the Average Daily Products (ADP) for the Whole Turnover (WT) covers and the Highest Amount Outstanding (HAO) under individual covers, reported by banks to ECGC, aggregated to ₹1,19,366.71 Crore (₹1,17,492.16 Crore). The share of MSME exports covered under ECIB (i.e. Exporter accounts with sanctioned credit limit less than or equal to ₹50 Crore) is 87%.

It is estimated that export credit advances worth ₹4,56,684 Crore has been supported during this year compared to ₹4,48,604 Crore in the previous year. The estimation has been done in compliance of the instruction of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. The estimates are based on data sourced from RBI and considering the fact that business cycle under short term exports is around 90 days. Accordingly, the outstanding export credit covered by the Company is multiplied by a factor of four to arrive at the Risk Value. The previous year's Risk Value figure is also revised accordingly.

The premium rates under Whole Turnover (WT) ECIB covers were fixed based on the three year claim premium ratio and percentages of cover were determined on the six year claim premium ratio. Appropriate risk mitigation measures were continued in respect of sectors with high claim ratios namely, Gems, Jewellery and Diamond sectors with an objective of protecting the interest of ECGC as well as that of banks.

## MEDIUM AND LONG TERM BUSINESS REVIEW

The premium income from the Medium and Long Term (MLT) business for the FY 2017-18 stood at ₹29.25 Crore as against ₹26.56 Crore in the previous year. One claim amounting to ₹14.14 Crore was paid under Policy and one claim was amounting to ₹0.85 Crore was paid under ECIB during the FY 2017-18. The top five countries in which the Company has underwritten major business during the FY 2017-18 are Afghanistan, Ethiopia, Uganda, Tanzania and Nepal.

During the FY 2017-18, 18 Credit Insurance Policies

प्राप्त की गयी विभिन्न परियोजनाओं पर राजनितिक / व्यापक जोखिमों पर रक्षा प्रदान करते हुए , पिछले वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 45 ऋण बीमा रक्षा पॉलिसियों की तुलना में 18 पॉलिसियां जारी की गयीं। संरक्षित प्रमुख क्षेत्रों में पावर ट्रांसमिशन एवं वितरण, हाइड्रो विद्युत् आपूर्ति, इंजीनियरिंग उपकरण आदि सहित मूलभूत संरचना शामिल है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकों (ई सी आई बी) को निर्यात ऋण बीमा के अंतर्गत जारी रक्षाओं की संख्या पिछले वर्ष के दौरान जारी 102 की तुलना में 67 रही। कोई विदेशी निवेश बीमा रक्षा जारी नहीं की गयी।

## राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए)

एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं दीर्घावधि तथा उच्च मूल्य के परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की गई है। 31 मार्च, 2018 तक, ट्रस्ट के पास कुल ₹2685.26 करोड़ की बीमांकन राशि उपलब्ध थी। ट्रस्ट की बीमांकन क्षमता ₹53,705 करोड़ है जिसमें से ₹13,426 करोड़ मूल्य के 25% राशि को कम्पनी द्वारा एम एल टी रक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया है। एन ई आई ए के साथ 75 सक्रिय परियोजनाओं के लिए 177 रक्षाओं के सम्बन्ध में ₹7,843 करोड़ के जोखिम की हिस्सेदारी की गयी।

ट्रस्ट का प्रबंधन कंपनी द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट के प्रीमियम आय के 5% प्रबंधन शुल्क के रूप में कम्पनी को प्राप्त होता है। वर्ष के दौरान कम्पनी को शुल्क के रूप में ₹2.06 करोड़ आय हुई।

## फैक्टरिंग

### पूर्ण विकसित फैक्टरिंग योजना ( एफ़ एफ़ एफ़ एस )

दिनांक 13 मई, 2014 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में मुख्य रूप से एमएसएमई निर्यातकों के लिए पूर्ण विकसित फैक्टरिंग योजना (एफ़ एफ़ एफ़ एस) को अनुमोदित किया गया था। चालू वर्ष के दौरान कम्पनी ने योजना को और अधिक आकर्षित बनाक़र निर्यातकोन्मुख उपाय करते हुए अपनी फैक्टरिंग उत्पाद को पुनः आरम्भ किया है। एम एस एम ई प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान वार्षिक निर्यात पण्यावर्त को बढ़ाकर ₹250 करोड़ कर दिया गया है।फैक्टरिंग सुविधा वर्तमान ए1 व ए2 श्रेणी के देशों के साथ साथ बी1 श्रेणी के देशों पर भी लागू होगी। कम्पनी ने ग्राहक मूल्यांकन शुल्क को भी वहन करने का निर्णय लिया है जो कि पहले निर्यातक ग्राहक द्वारा वहन किया जाता था। जिन देशों में एक से अधिक आयात फैक्टर उपलब्ध हैं वहां सर्वोत्तम आयात फैक्टर के चुनाव के लिए आतंरिक तौर पर ही आयात फैक्टर रेटिंग मॉडल को विकसित किया जा रहा है। फैक्टरिंग के लिए निर्यात अनुभव को घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2018 तक कम्पनी ने दो निर्यातकों के लिए दो फैक्टरिंग प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।

### फैक्टर्स हेतु रक्षा

भारत में कुछ फैक्टरिंग कम्पनियों ने उनके द्वारा संचालित निर्यात प्राप्तियों के सम्बन्ध में निर्यात ऋण बीमा रक्षा जारी करने के लिए कम्पनी से संपर्क

were issued to MLT project exporters as against 45 in the FY 2016-17, covering political/ comprehensive risks on various projects undertaken by them. Major sectors covered were - infrastructure including Power Transmission and Distribution, Hydro Power supply, Engineering EquipmentM, etc. The number of covers issued under Export Credit Insurance to Banks (ECIB) during the FY 2017-18 was 67 as against 102 in the previous year. There is no Overseas Investment Insurance (OII) cover issued.

## NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term duration (MLT) high-value projects which are desirable from the point of view of national interest. The Trust has an underwriting corpus of ₹2685.26 Crore as of March 31, 2018. The underwriting capacity of the Trust is ₹53,705 Crore of which 25% amounting to ₹13,426 Crore has been earmarked for supporting MLT covers issued by the Company. Risk amounting to ₹7,843 Crore in respect of 177 covers issued supporting 75 projects in force has been shared with NEIA.

The trust is managed by the Company. The Company receives 5% of premium income earned by the Trust as management fee and during the year ₹2.06 Crore has been earned as fee.

## FACTORING

### Full Fledged Factoring Scheme (FFFS)

The Board of Directors in its meeting held on 13th May, 2014 has approved Full Fledged Factoring Scheme (FFFS) primarily for MSME exporters. During the current year, the Company has revived its Factoring product introducing a host of exporter-friendly measures to make the scheme more attractive. The mandate for MSME certificate was done away with. Eligibility ceiling of Annual Export Turnover was raised to ₹250 Crore as of previous Financial Year. Factoring Facility has been extended to B1 countries along with the existing A1 and A2 countries. The Company has also decided to bear the Client Assessment charge which was to be borne by the Exporter client. Import Factor rating model was developed internally to select the best Import factor in countries, where there are more than one import factors available. Export experience to qualify for Factoring was reduced to two years. The Company has also approved two proposals for factoring as at March 31, 2018 to two exporters.

### Cover to Factors

Some Factoring Companies in India have approached the Company for issue of Credit Insurance Cover in respect of export receivables handled by them due to the reason that

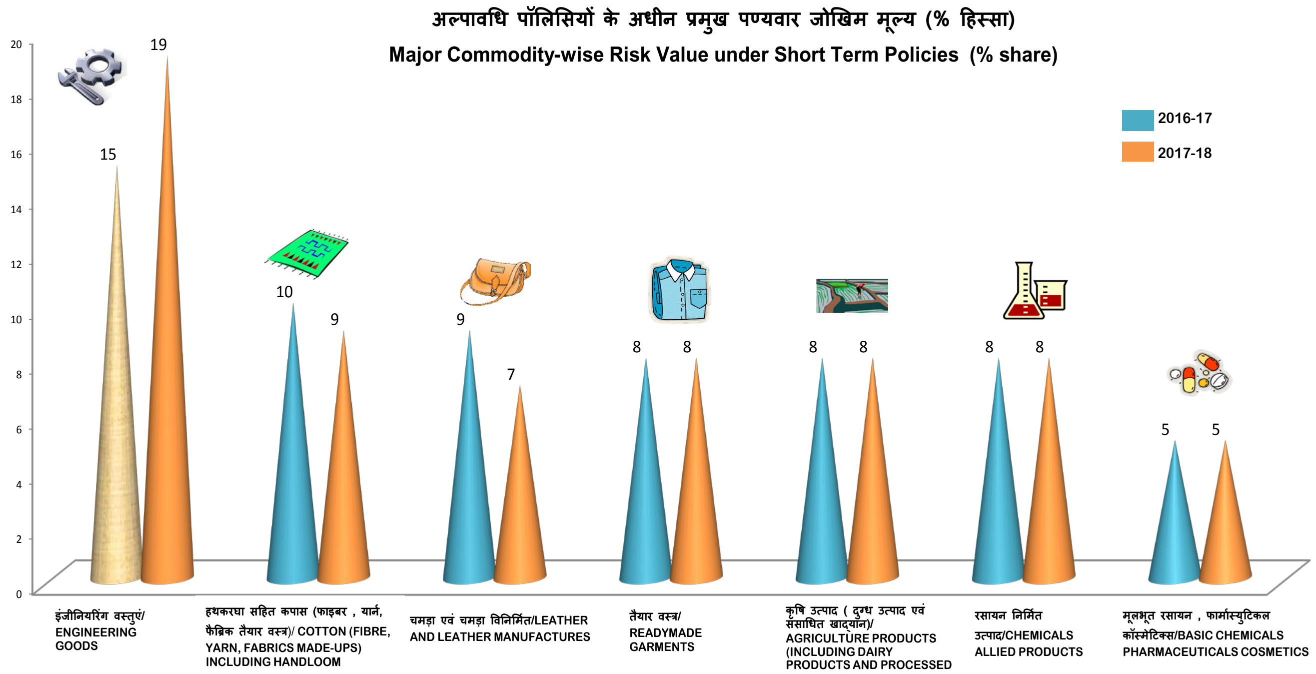


किया है क्योंकि कई बार किसी कारण स्वरुप आयात फैक्टर उपलब्ध नहीं होता है अथवा बहुत अधिक महंगा होता है ।

तदनुसार निदेशक मंडल तथा आई आर डी ए आई के अनुमोदनों के साथ कम्पनी ने फैक्टरों / वित्तीय संस्थानों / बैंकों के लिए उनके द्वारा उनके एमएसएमई ग्राहकों के लिए फैक्टर किये गए निर्यात बिलों के लिए जारी की जाने वाले निर्यात प्राप्ति ( फैक्टर जोखिमों ) बीमा समझौता रक्षा आरम्भ की है।

## निवेश

31 मार्च, 2018 तक सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बांडों, इक्विटी शेयरों, मियादी जमा आदि निवेशों के साथ निवेश पोर्टफोलियो में, 31 मार्च, 2017 को ₹8,025.72 करोड़ की तुलना में, ₹8486.32 करोड़ रहा जो कि ₹460.60 करोड की 5.74% की वृद्धि दर्शाता है । निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि का कारण है निवेशों से अर्जित अतिरिक्त पूँजी तथा अधिशेषों का पुन: निवेश है।

कंपनी ने, निवेश संबंधी सभी विनियामक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा आई आर डी ए आई द्वारा अनिवार्य श्रेणी के लिए निर्धारित 45% के मानदंड की तुलना में 77.32% का निवेश किया।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, निवेश प्रचालनों से प्राप्त आय (निवेशों की बिक्री पर लाभ सहित) वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹635.28 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹689.23 करोड़ के साथ ₹53.95 करोड़ की 8.49%. की वृद्धि दर्ज की गई। ब्याज दरों में गिरावट के बावजूद वर्ष के दौरान विभिन्न कंपनियों के इक्विटी शेयरों की बिक्री से ₹55.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, निवेश

import factor is sometimes not available or is expensive.

Accordingly, with the due approvals of the Board of Directors and IRDA, the Company has introduced Export Receivables (Factor's Risks) Insurance Agreement Cover to be issued to Factors/Financial Institutions/Banks for the export bills factored by them pertaining to their MSME exporter clients.

## INVESTMENTS

As at March 31, 2018, the Investment Portfolio comprising investments in Government Securities, Corporate Bonds, Equity Shares, Fixed Deposits, etc. stood at ₹8486.32 Crore as against ₹8,025.72 Crore as at March 31, 2017, showing an increase of ₹460.60 Crore, i.e. increase of 5.74%. The growth in Investment Portfolio was on account of infusion of additional capital and surplus generated from investments.

The Company has complied with all regulatory requirements in respect of investments and investment under mandatory category stood at 77.32% as against 45% prescribed by IRDAI.

Income generated from Investment Operations (including profit on sale of investments) increased to ₹689.23 Crore in FY 2017-18 from ₹635.28 Crore in FY 2016-17, recording an increase of ₹53.95 Crore i.e. increase of 8.49%. Increase in the investment income during the year inspite of fall in interest rate was mainly due to the profit of ₹55.57 Crore generated from sale of equity shares of the various Companies. The yield on investment for the year FY 2017-18 was 9.08% as against 8.50% for the

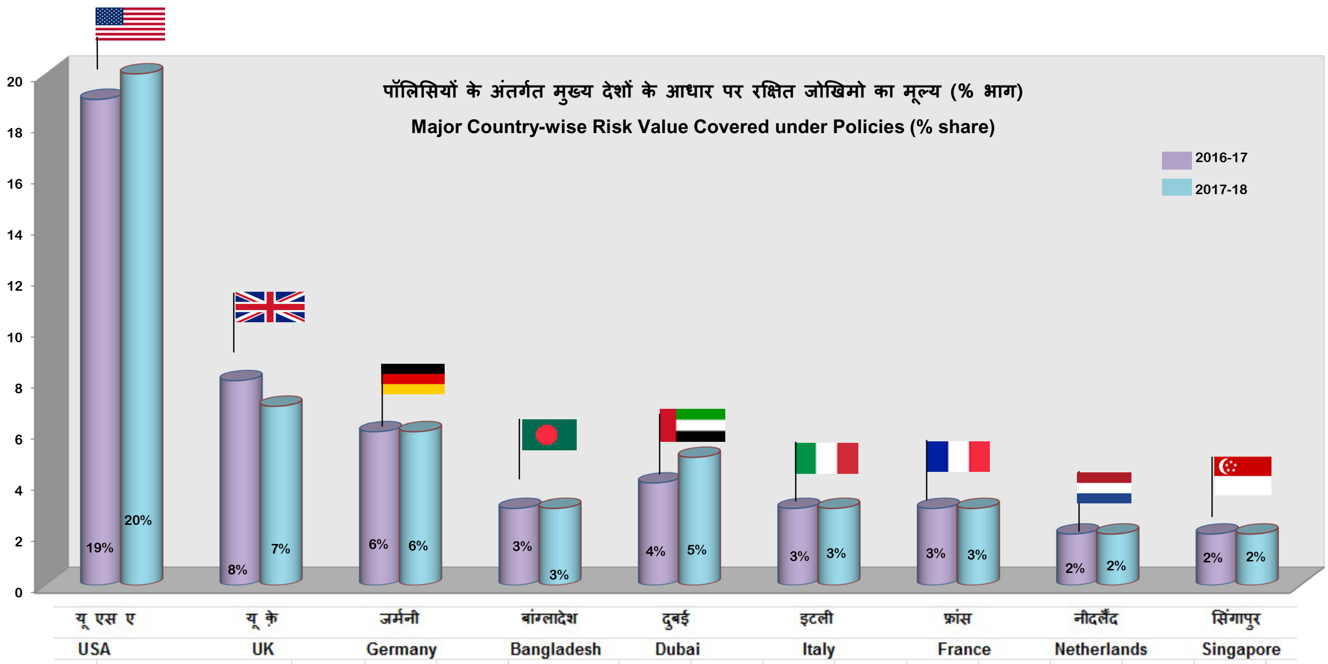


परिचलनों से प्राप्त आय पिछले वर्ष के लिए 8.50% की तुलना में 9.08% रही। कंपनी के निवेश परिचालन मुख्यतः दावा भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने तथा जोखिम एवं आय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए।

## खरीदार बीमा

प्रधान कार्यालय में खरीदार बीमा विभाग (बी यू डी) की भूमिका विभिन्न बीमा मानदंडों के आधार पर खरीदारों पर समग्र साख सीमा का निर्धारण करते हुए ख़रीदारों पर उपयुक्त बीमा निर्णय लेना है। यह विभिन्न कारोबार सूचना एजेंसियों से अद्यतित कारोबार सूचना रिपोर्ट प्राप्त कर उनका विश्लेषण करता है, विदेशी ख़रीदारों पर निर्धारित समग्र साख सीमाओं के आधार पर सिस्टम निर्मित आंकड़ों पर आधारित ख़रीदारों के लेनदेन व्यवहारों की समीक्षा करता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न व्यावसायिक सूचना एजेंसियों से ख़रीदारों पर प्राप्त रिपोर्टों को डिजिटलाईज्ड भी किया गया है ताकि सभी संबंधित अधिकारी इसे सिस्टम में देख सकें।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान स्कोर कार्ड आधारित सीमा के निर्धारण के लिए एच यू सी के अनुमोदन से स्कोर कार्ड में संशोधन किये गए हैं। ये संशोधन खरीदार के स्थायी आकार तथा उधार पात्रता के अनुरूप हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष में, प्रतिकूल निवल मालियत वाले खरीदारों पर मंजूर रक्षा की समीक्षा की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। प्रतिकूल निवल मालियत वाले खरीदारों पर उनके गुणों के आधार पर समग्र सीमा को मंजूर करते हुए कम्पनी ने न केवल भारत से किये जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा दिया है अपितु नए खरीदारों को भी अपनी सूची में शामिल किया है। समीक्षा से ज्ञात हुआ कि इस प्रकार के खरीदारों पर प्रदान की गयी रक्षा में हमारा अनुभव संतोषजनक रहा। अतः इस प्रकार के खरीदारों पर

previous year. The Company's investment operations are conducted mainly to ensure adequate liquidity to meet claim payments and to strike a trade-off between risk and return.

## BUYER UNDERWRITING

The role of Buyer Underwriting Department (BUD) at Head Office is to make sound underwriting decisions on buyers by fixing overall credit limits on the basis of various underwriting parameters. It obtains and analyses latest business information reports from various Business Information Agencies, reviews the transactional behaviour of buyers on the basis of system generated data, based on which overall credit limits are fixed on overseas buyers.

Reports received on buyers from different Business Information Agencies, as mentioned above, are also digitalized to make it accessible to all related officials in system.

During the last financial year 2017-18, changes were made in Scorecard with the approval of HUC for determination of Score based Limit. These changes are in commensurate with the standing size and credit worthiness of the buyer.

In last financial year, a review of cover sanctioned on buyers having negative Net Worth was done. By sanctioning of Overall limits on buyers with negative net worth, based on merits, Company not only facilitated exports from India but also brought new buyers in our fold. Review revealed that our experience in respect of covers extended on such buyers has been satisfactory. Therefore underwriting of risks on such buyers, in deserving case

जोखिमों के बीमांकन में उदारता लाने की आवश्यकता है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, प्राप्त साख सीमा आवेदन पत्रों की संख्या पिछले वर्ष के 33,110 की तुलना में 32,841 रही। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी द्वारा विदेशी ख़रीदारों पर समग्र सीमा के निर्धारण के जरिए बीमित औसत जोखिम राशि पिछले वर्ष ₹36,249 करोड़ की तुलना में ₹39,824 करोड़ रही। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी के डेटाबेस में शामिल नए ख़रीदारों की संख्या पिछले वर्ष के 17,771 की तुलना में 17,038 रही।

## देश बीमा

किसी भी निर्यात ऋण बीमा कम्पनी के लिए देश बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण जोखिम मूल्यांकन तंत्र होता है। देश बीमा विभाग द्वारा देश जोखिमों के मूल्यांकन क्रियाकलाप किये जाते हैं।

कम्पनी ने उद्देश्यपरक स्कोरिंग प्रणाली स्थापित की है जो कि जोखिम के स्वरुप के आधार पर देशों के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा कर ए 1

has been liberalised.

The number of Credit Limit Applications received in FY 2017-18 was 32,841 as against 33,110 in the previous year. During the FY 2017-18, the aggregate exposure underwritten by the Company through fixing Overall Limits on foreign buyers was ₹39,824 Crore as against ₹36,249 Crore in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during FY 2017-18 was 17,038 as against 17,771 in the previous year.

## COUNTRY UNDERWRITING

Country Underwriting is a crucial risk evaluation mechanism for an export credit insurance company. The activity of assessment and evaluation of country risks is carried out by the Country Underwriting Department.

The Company has in place an objective scoring system that reviews and maps the risk profile of countries into

**दिनांक 31.03.2018 तक देश जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा निम्नानुसार है :**

**The summary of country risk classification as of 31.03.2018 are as follows:**

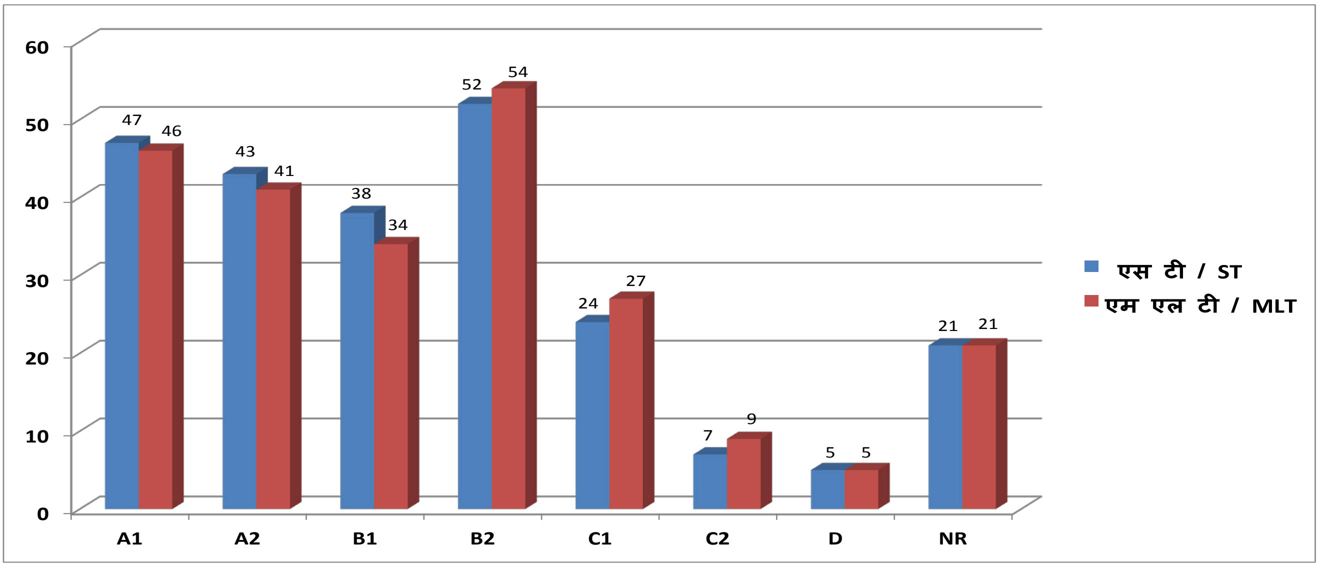


(महत्वहीन जोखिम) से लेकर डी (अति उच्च जोखिम) के सात स्तरीय वर्गीकरण में वर्गीकृत करता है। स्कोरिंग प्रणाली से कई मानदंडों के आधार पर राजनीतिक , आर्थिक तथा व्यापर जोखिमों में शामिल घटकों का मूल्यांकन किया जाता है ज़िससे प्रीमियम की गणना, रक्षा के प्रकार व शर्तों का निर्धारण तथा कई निर्यात गंतव्यों के लिए संव्यवहारों के बीमांकन की क्षमता के निर्धारण में सहायता मिलती है। अल्पावधि ( अ व ) तथा दीर्घावधि ( एम एल टी ) के अधीन देशों की रेटिंग के लिए विशेष कारक तथा उनके संबंधित सन्दर्भों के लिए अलग अलग स्कोरिंग मॉडल निर्धारित हैं।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सभी 237 देशों की समीक्षा की गयी। दिनांक 25 मई, 2017 से अ व तथा एम एल टी के अधीन वर्गीकरण की संशोधित सूचियों क़ो कार्यान्वित किया गया है। आगे नवीनतम आर्थिक

a seven-fold classification from 'A1' (Insignificant risk) to 'D' (Very High Risk) in the increasing order of risk. The scoring system evaluates the elements of political, economic and trade risks based on a host of parameters thereby assisting in calculation of premium, type and terms of cover, and the capacity to underwrite transactions to several export destinations. Separate scoring models, with distinct factors and their relative relevance, are in place for rating of countries under short-term (ST) and medium-and-long term (MLT).

During the FY 2017-18, a review of all 237 countries was carried out. The revised lists of classification under ST and MLT were implemented w.e.f. May 25, 2017. Further, a periodic review of countries was carried out based on the latest economic and political developments. Accordingly,

एवं राजनितिक विकासों के आधार पर देशों की आवधिक समीक्षा की जाती है। तदनुसार मालदीव के देश जोखिम को दिनांक 01.03.2018 से संशोधित किया गया है।

### एन आर, रेट न किये गए देशों को दर्शाता है

वर्गीकरण सूची में से 219 देशों को 'खुली रक्षा' की श्रेणी जबकि 13 देशों को 'प्रतिबंधित रक्षा' श्रेणी तथा 5 देशों को 'प्रतिबंधित रक्षा' श्रेणी में रखा गया है। सम्बंधित देशों में बदलते हुए परिप्रेक्ष्य तथा व्यापार जोखिम तथा देश के साथ भारत के व्यापार सम्बन्धों को प्रदर्शित करने के लिए देशों को प्रदान किये गए अंकों पर लागू मानदंडों की आवधिक समीक्षा करने के विशेष प्रयास किये जाते हैं। इस सन्दर्भ में कम्पनी द्वारा देश रेटिंग मॉडल की समीक्षा कर ली गयी है तथा यह दिनांक 01.04.2018 से कार्यान्वित की जायेगी।

कारोबार मात्रा, अनुभव तथा अनुमानित कारोबार के आधार पर सभी 216 देशों ('रेट न किए गए' 21 देशों को छोड़कर) की देश जोखिम सीमाएं (सी ई एल) निर्धारित की गई।

## पुनर्बीमा

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए, कंपनी ने एम एल टी रक्षाओं सहित सम्पूर्ण कारोबार के लिए जी आई सी आर ई से 5% की अनिवार्य पुनर्बीमा (क्यू एस) रक्षा सहित भारतीय एवं विदेशी पुनार्बीमाकर्ताओं के साथ अल्पावधि पॉलिसी कारोबार के लिए 27% की (स्विस आर ई 8%, ए सी आर 1%, एस सी ओ आर 4%, जी आई सी आर ई 9%, पार्टनर री 2%, एमलीन ए जी 1% और क्यू आर ई 0.25%, हैनोवर आर ई1.75%) समानुपाती (कोटा शेयर-क्यू एस) पुनर्बीमा संधि की एवं अल्पावधि ई सी आई बी कारोबार के लिए 23% की (स्विस आर ई 4%, ए सी आर 0.50%, एस सी ओ आर 4%, जी आई सी आर ई 9.50%,, पार्टनर री 2%, एमलीन ए जी 1% और क्यू आर ई 0.25%, हैनोवर आर ई1.75%) समानुपाती (कोटा शेयर-क्यू एस) पुनर्बीमा संधि की। इसके अतिरिक्त अल्पावधि पॉलिसी एवं ईसीआईबी

the country risk classification of Maldives was revised with effect from 01.03.2018.

### NR represents Not Rated Countries

There are 219 countries in the Open Cover category, 13 in Restricted Cover Category-I and 5 in Restricted Cover Category-II. There is a sustained effort to periodically review the parameters on which the countries are scored, to reflect the changing landscape of country and trade risks and focus on India's trade relations with the country. To this effect, the Company also reviewed its country risk rating model, which has been implemented with effect from 01.04.2018.

The Country Exposure Limits (CEL) of all 216 countries (excluding 21 'Not Rated' countries) have been fixed based on the business volume, experience and anticipated business.

## REINSURANCE

For the FY 2017-18 the Company had a proportional (quota share – QS) Reinsurance treaty to the extent of 27% for Short Term Policy (Swiss Re 8%, ACR 1%, SCOR 4%, GIC Re 9%, Partner Re 2%, Amlin AG 1%,Q Re 0.25% and Hannover Re 1.75%) and 23% for Short Term ECIB (Swiss Re 4%, ACR 0.50%, SCOR 4%, GIC Re 9.50%, Partner Re 2%, Amlin AG 1%,Q Re 0.25% and Hannover Re 1.75%) from Indian and Cross Border Reinsurers along with Obligatory 5% reinsurance (QS) cover from GIC Re for the entire business including MLT covers. Additionally, Excess of Loss covers for large risks

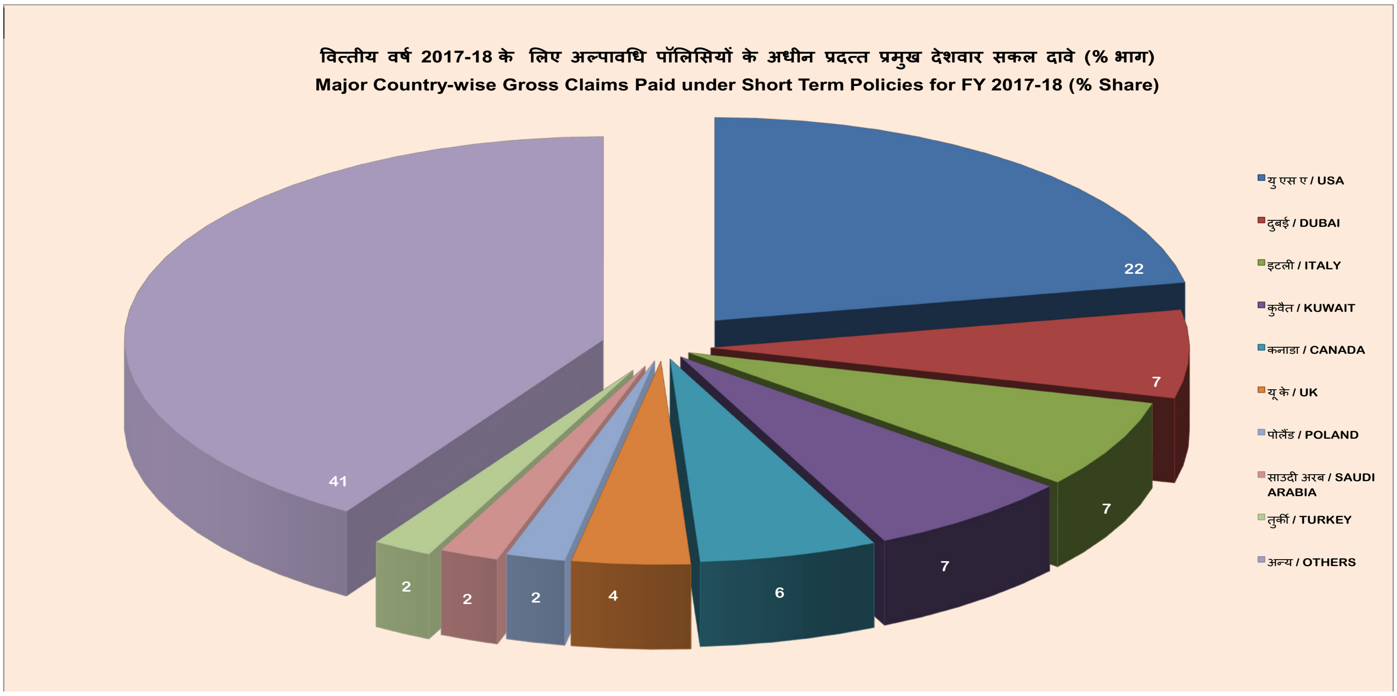

रक्षाओं के अधीन बड़े जोखिमों के लिए उन्हीं पुनार्बीमाकर्ताओं के साथ हानि से अधिक की हानि पर रक्षा प्राप्त की गई है।

## जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन के सीमाक्षेत्र में इसके द्वारा धारित जोखिमों के समग्र स्तर की पहचान , मापन, निगरानी, नियंत्रण तथा अंतरण आदि शामिल है ताकि यह जोखिम मूल्यांकन के आधार पर अपने बीमांकन नीति , इसकी रक्षाओं की शर्तों, विनियामक आवश्यकताओं , वित्तीय व्यवहार्यता तथा दीर्घावधिक स्थिरता का निर्धारण किया जा सके।

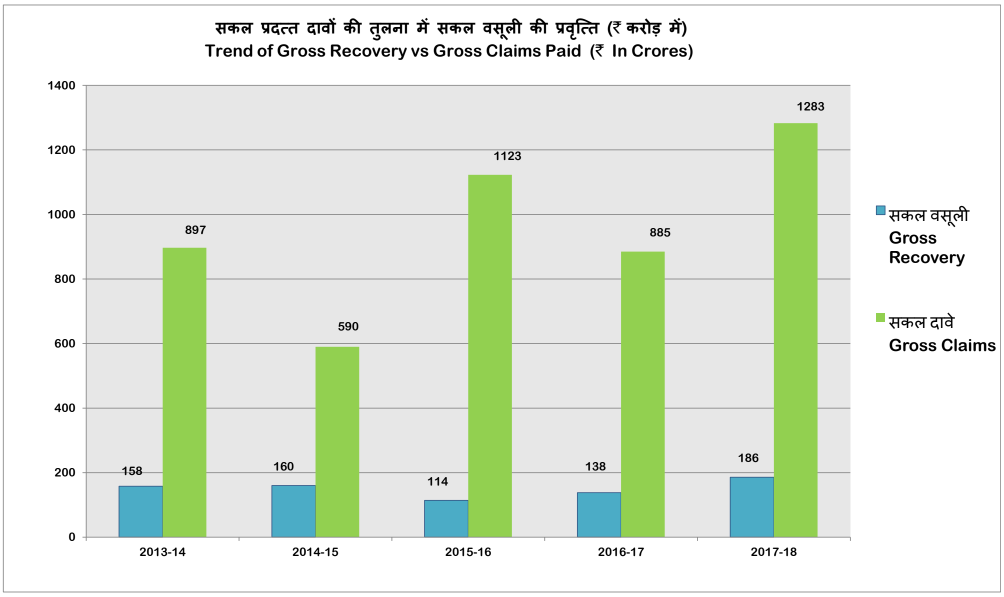


छह दशकों से अधिक की अवधि के दौरान विकसित वर्त्तमान संरचनात्मक विन्यास तथा प्रथाओं को मूलभूत संरचनाओं में शामिल कर उन्हें जोखिम कार्य के रूप में विकसित किया जा सकता हैं। कंपनी ने 2011 से विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड लागू किए हैं एवं किसी एकल निर्यातक, निर्यातक समूह, खरीदार, उद्योग और देश के लिए जोखिम सीमाएं निर्धारित कीं। किसी पोर्टफोलियो के जोखिम संकेन्द्रण का प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। वित्तीय वर्ष 2014-15, के दौरान, सम्पूर्ण पण्यावर्त रक्षाओं के अधीन रत्न, आभूषण तथा हीरा (जी जे डी) क्षेत्र के निर्यातों के संबंध में नए जोखिमों को अस्थायी तौर पर स्थगित किए गए एवं देश जोखिम सीमाओं निश्चित करने के मानदंड अपनाने जैसे संशोधन किए गए है। इन मानदंडों के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी द्वारा अल्पावधि पॉलिसी के अंतर्गत खरीदार/सा.प. खोलने वाली बैंक पर, अल्पावधि ईसीआईबी योजना के अंतर्गत एकल निर्यातक/समूह निर्यातक पर, उद्योग क्षेत्र के लिए जोखिम मानदंडों एवं मध्यम व दीर्घावधि निर्यात संव्यवहारों पर विवेकपूर्ण मानदंडों को पुनः संशोधित किया गया ।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी ने जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की ताकि संगठन व्यापक सूचना प्रणाली स्थापित की जा सके तथा इसके आतंरिक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के जरिये कंपनी के जोखिम प्रोफाइल को नियमित किया जा सके। आतंरिक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। परिचालन तथा वित्तीय जोखिमों के आलावा कम्पनी अब सूचना व् साइबर सुरक्षा जोखिमों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कम्पनी ने जोखिम

under Short Term Policy and ECIB covers were also arranged with the same reinsurers.

## RISK MANAGEMENT

The scope of Risk management includes identification, measurement, monitoring, control and transfer of the overall level of risks undertaken by it so as to decide its underwriting policy and the terms of its cover, based on risk assessment, regulatory requirements, financial viability and long term sustainability.

The existing organization structure and practices that have evolved over more than six decades incorporate fundamental structures that can be built upon in the risk function. The Company had introduced prudential risk management norms since 2011 and has fixed limits for exposure for a single exporter, an exporter group, a buyer, an industry and a country. Managing the concentration risk of a portfolio is a continuous process. During FY 2014-15, the exposure norms were modified by introducing temporary suspension of fresh covers to Gems, Jewellery and Diamond Sector under WT covers and introduced criteria for fixing Country Exposure limits. In addition to these norms, during FY 2015-16, Company has modified the prudential norms for Exposure Limits on buyer/LC opening banks under short term policies, individual exporter/group exporter under short term ECIB Schemes, exposure norms for industry sector and Medium and Long Term export transactions.

During FY 2017-18, Company has reviewed its Risk Management Policy to establish enterprise-wide information system and regulate the risk profile of the Company, through its internal risk management framework. Efforts have been made to further strengthen the internal

प्रबंधन क्रिया कलापों में और अधिक गतिशील बनाने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

## वसूलियां

एस.टी. ई.सी.आई.बी. : वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वित्त वर्ष में समान अवधि के लिए ₹109.76 करोड़ की तुलना में ₹166.39 करोड़ की वसूली की गई।

एस.टी. पॉलिसी : वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वित्त वर्ष में समान अवधि के लिए अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत ₹9.77 करोड़ की तुलना में ₹18.56 करोड़ की वसूली की गई।

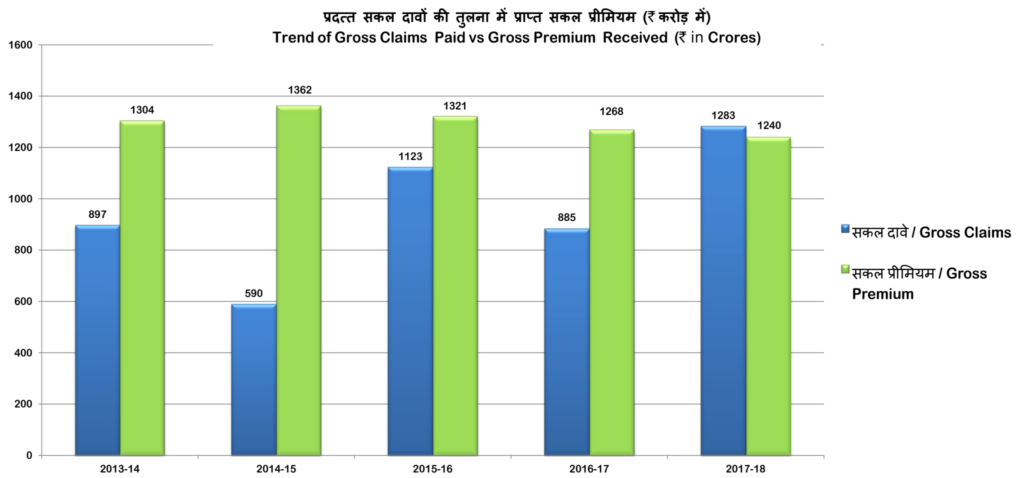


एमएलटी ईसीआईबी : वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वित्त वर्ष में समान अवधि के लिए ₹19.13 करोड़ की तुलना में 'कुछ नहीं' की वसूली की गई।

## सूचना प्रौद्योगिकी ( सू प्रौ )

कम्पनी ने डिजिटल मोर्चे पर अपने निर्यातकों एवं बैंकरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नवम्बर 2017 में ग्राहक पोर्टल का पुनरोत्थान किया है तथा नियमित रूप से इसमें सुधार कर, इसमें नयी विशेषताएं शामिल कर इस पोर्टल के ज़रिये अतिरिक्त सुविधाएँ भी प्रदान करने की योजना है। कम्पनी ने अपने डेटा सेंटर को मैनेज्ड डबल होस्टिंग सॉल्यूशन के रूप में बी एस एन एल द्वारा प्रदान किये गए टियर III में अंतरित कर दिया है तथा डिजास्टर रिकवरी सेंटर को कार्यान्वित करने के प्रयास अपने अंतिम चरण में हैं। कम्पनी ने ई आर पी सॉफ्टवेयर के पुनरोत्थान के कार्य को पूरा करने की ज़िम्मेदारी सी डैक को दी है तथा इस परियोजना की निगरानी टैक, ईसीजीसी के वरिष्ठ प्रबंधन व ईसीजीसी के निदेशक मंडल द्वारा की जा रही है, तथा यह सही ढंग से चल रहा है व इसके समयबद्ध पद्धति से पूरा होने की संभावना है। कम्पनी नेक्स्ट जनरेशन रिलाईबिलिटी , त्वरित प्रतिक्रिया समय तथा बेहतर दृष्टव्यता आरम्भ करने एवं इसके शेयरधारकों की प्रबंधन क्षमता में सुधार करने के लिए नेटवर्क संरचना में सुधार लाने की प्रक्रिया कर रही है।

Risk Management framework. Besides operational and financial risks, the Company is now dedicated to focus on Information & Cyber Security risks. The Company initiated action to improve its risk management functions further to make it dynamic.

## RECOVERIES

ST ECIB: During the FY 2017-18, a sum of ₹166.39 Crore was recovered against claims paid and pending for recovery as against an amount of ₹109.76 Crore, for the same period, in the previous FY.

ST Policy: A sum of ₹18.56 Crore has been recovered from claims paid and pending for recovery under Short Term Policies during the FY 2017-18 as against an amount of ₹9.77 Crore for the same period in the previous FY.

MLT ECIB: During the FY 2017-18, was NIL recovery against claims paid and pending for recovery as against an amount of ₹19.13 Crore, for the same period, in the previous FY.

## INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

The Company has launched a revamped client portal in November 2017 for servicing the needs of its exporters and bank clients on the digital front, and plans to offer additional functionalities through this portal on a continuous basis by improving and adding new features to it. The Company has migrated its Data Center to a Tier III Data Center provided by BSNL as a managed-hosting solution, and is in the final stages of implementing the Disaster Recovery Center. The Company has also engaged C-DAC for complete revamp of its ERP software, and the project is being closely monitored by the TAC, the ECGC senior management and the ECGC Board of Directors, and is on track to be completed in a time-bound manner. The Company is also in the process of revamping its network infrastructure in order to bring in next-generation reliability, speedy response times, and better visibility and manageability for its stakeholders.

## विपणन एवं जनसंपर्क

कंपनी ने , अपने मौलिक कारोबार पर ध्यान देते हुए ,कई निर्यात संवर्धन परिषदों, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) इत्यादि के साथ निर्यात ऋण जोखिम बीमा गतिविधियां भी जारी रखा है । अपनी ब्रांड इमेज तथा अपनी मौजूदगी में विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय विपणन प्रभाग ( एन एम डी )नए उत्पादों का प्रसार तथा विपणन का कार्य देखता है तथा वित्तीय / आर्थिक समाचार पत्रों, व्यापार जर्नलों तथा कारोबार पुस्तिकाओं में विज्ञापन जारी करता है। एन एम डी नयी शाखाओं को खोलने, कार्पोरेट पत्राचार, उत्पादों का विपणन एवं व्यापार की समग्र वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। वर्ष के दौरान एन एम डी द्वारा गिफ्ट सिटी , गांधी नगर, गुजरात तथा रायपुर, छत्तीसगढ़ में नयी शाखा खोलते हुए सेवातंत्र में विस्तार की पहल की है जिसके फलस्वरूप कुल शाखाओं की संख्या बढ़ कर 60 हो गयी है।

प्रभाग की ज़िम्मेदारी में शाखाओं व क्षेत्रों के लिए कारोबार लक्ष्यों का निर्धारण शामिल है। यह विभिन्न मानदंडों के अधीन निर्धारित लक्ष्यों के साथ साथ निष्पादन को भी मॉनिटर करता है। विपणन प्रयासों में विस्तार हेतु ,निर्यातकों एवं बैंकरों के लिए बीमा शिक्षा / जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के अलावा कॉर्पोरेट ग्राहकों से व्यक्तिगत रूप से भेंट की व्यवस्था करता है।

कम्पनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय निर्यातकों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए ईसीजीसी भारतीय निर्यातक उत्कृष्टता पुरस्कार -2017 आयोजित किये। आठ श्रेणियों में 34 पुरस्कारों में से कुल 29 सर्वाधिक योग्य कंपनियों को पुरस्कार प्रदान किये गए। दिनांक 6 मार्च, 2018 को नयी दिल्ली में माननीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किये गए।

इस अवसर पर माननीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री द्वारा ''निर्यात सशक्तिकरण भारतीय निर्यात ऋण एजेंसी की यात्रा'' नामक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसमें निर्यातक समुदाय को प्रदान की गयी कम्पनी की छह दशकों सेवाओं का विवरण उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त 60 वर्षों की यात्रा पुस्तक में भी निर्यातकों तथा बैंकों, बीमांकन व जोखिम प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध, निगमित सामजिक दायित्व,राजभाषा तथा निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका का विवरण उल्लिखित है। यह पुस्तक निर्यात ऋण बीमा के छात्रों,व्यावसायिओं तथा सभी शेयरधारकों के लिए सन्दर्भ स्रोत साबित होगी।

## कॉर्पोरेट योजना

राष्ट्रीय विपणन प्रभाग द्वारा 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए कॉर्पोरेट योजना की समीक्षा तथा अद्यतन किया गया; "वित्त वर्ष 2017-2022 की अवधि के लिए ईसीजीसी के कारोबार योजना का मूल्यांकन" पर क्रिसिल द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर यह योजना बनायी गयी है।

## MARKETING AND PUBLICITY

The Company focuses on its core business of export credit risk insurance activities by engaging with several Export Promotion Councils, Federation of Indian Exporters Organisation (FIEO), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII), etc.

To enhance brand image and visibility, National Marketing Division (NMD) undertakes publicity and marketing of new products and releases advertisements in financial/ economic newspapers, trade journals and business magazines. NMD is also responsible for opening of new branches, corporate communications, marketing of products and ensuring overall business growth. During the year, NMD took initiative to expand the service network by opening one new branch at Gift City, Gandhinagar, Gujarat and another at Raipur, Chhattisgarh taking the total number of branch offices to 60.

The division's responsibilities include, fixing business targets for branches and regions. It also monitors the performance vis-à-vis the target fixed under various parameters. To widen the marketing efforts, besides organizing insurance education/awareness programmes for the benefit of exporters and bankers, personal visits to corporate clients were undertaken.

The Company instituted 'ECGC-Indian Exporters Excellence Awards 2017' in recognition of the valuable contribution made by Indian exporters to the growth of the economy. In all, 34 awards in eight categories were conferred to 29 most deserving companies. The awards were presented by the Hon'ble CIM on 6th March, 2018 at New Delhi.

On this occasion Hon'ble CIM has also released a book "Empowering Exports – The journey of an Indian Export Credit Agency" that highlights the six decades of Company's service to the export fraternity. In addition to the 60 years journey the book also contains chapters on covers for exporters and banks, Underwriting & Risk Management, International Relations, Corporate Social Responsibility, Rajbhasha and a background on the role of Export Credit Agencies. The book will serve as a single source of reference for students, practitioners and all stakeholders of Export Credit Insurance.

## CORPORATE PLAN

National Marketing Division reviewed and updated the Corporate Plan for the five year period 2017-18 to 2021-22; the plan is based on report prepared by CRISIL on "Evaluation of Business Plan of ECGC" for the period FY 2017-2022.

कॉर्पोरेट योजना कंपनी के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान उसके लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति की रूपरेखा है। इस योजना में कम्पनी का स्वाट विश्लेषण कर पॉलिसी कारोबार में वृद्धि, एमएसएमई को समर्थन तथा वसूलियों के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर दिया गया है। कम्पनी के पिछले निष्पादन तथा बर्न यूनियन में कम्पनी के सहयोगियों के निष्पादन की समीक्षा को कॉर्पोरेट योजना में शामिल किया गया है। क्रिसिल द्वारा किये गए अध्ययन में दर्शाया गया है कि ईसीजीसी द्वारा संरक्षित कारोबार के आकार में तेजी से वृद्धि हुई है तथा उसका प्रीमियम दर उसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी कम है।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अल्पावधि निर्यातों के सम्बन्ध में कम्पनी रक्षा का हिस्सा लगभग 9% है। योजना के अनुसार अनुमानित है कि वित्त वर्ष 2021-22 तक यह बढ़ कर 11% पर पहुँच जाएगा।

## वैकल्पिक विपणन तथा वितरण चैनल

ईसीजीसी की 60 शाखाओं के स्वयं के सेवातंत्र के ज़रिये बीमा रक्षाओं की सीधी बिक्री के अलावा कम्पनी के कारोबार में वृद्धि करने के लिए वैकल्पिक चैनलों जैसे ब्रोकरों, का भी उपयोग किया जा रहा है। कम्पनी ने इसके उत्पादों की प्रभावशाली मार्केटिंग के लिए 123 ब्रोकरों को एम्पैनल किया है। इस चैनल को मजबूत करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वर्ष के दौरान छह कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। ये कार्यशालाएं हमारी पॉलिसियों की जानकारी देने तथा निर्यातों के प्रभावपूर्ण संवर्धन में साहायक साबित होती हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ब्रोकरों द्वारा लाये गए कारोबार के ज़रिये कुल ₹51.08 करोड़ का प्रीमियम अर्जन किया गया जो कि ₹368 करोड़ के अल्पावधि पॉलिसी प्रीमियम आय के 13.85% है।

## निगमित सामजिक दायित्व (सी एस आर) पहल तथा संधारणीय विकास (एस डी)

कम्पनी ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सी एस आर नीति अपनाई है। तदनुसार, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार सी एस आर के अधीन प्रत्येक वर्ष का, पिछले 3 वर्षों के औसत निवल लाभ के कम से कम 2% का व्यय विभिन्न गतिविधियों के लिए किया जाना अनिवार्य है। कम्पनी के सी एस आर गतिविधियों में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका सुनिश्चियन, महिला सशक्तिकरण तथा दिव्यांगों के लिए सेवाओं की मजबूती शामिल है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी की सी एस आर गतिविधियों के लिए लगभग ₹6.38 करोड़ व्यय किये गए। आगे परियोजनाओं के लिए ₹5.75 करोड़ के आबंटन का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

सी एस आर गतिविधियों के लिए कार्यान्वयन भागीदारों में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस ( टी आई एस एस ); साइंस एंड टेक्नॉलोजी पार्क ( एस टी पी ) पुणे; विवेकानंद केंद्र , मुंबई; एकं फाउंडेशन, चेन्नई; सोसायटी फॉर ह्युमन एंड एनवायर्नमेंटल डेवलपमेंट (एस एच ई डी); तथा संकल्प फाउंडेशन , वाराणसी शामिल हैं। शिक्षा , सुरक्षित जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, वृद्धाश्रम को सुविधाएँ प्रदान करना, स्वच्छ भारत

The Corporate Plan is a road map of the goal of the Company in the next five years and strategies to achieve the goal. The plan also outlines the Company's SWOT analysis and emphasizes increasing the policy business, support to MSMEs and recoveries to achieve the target. A review of the past performance of the Company and a comparison of the Company's performance with counterpart organizations of the Berne Union was brought out under Corporate Plan. The study by CRISIL reveals that the size of business covered by ECGC has grown more rapidly and the average rate of premium has been more competitive than majority of its peers.

In respect of India's short term exports Company's coverage is around 9% for FY 2017-18. As per the plan, it is estimated that ECGC's coverage will gradually increase to 11% by FY 2021-22.

## ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

To increase the business of the Company, apart from direct selling of insurance covers through ECGC's own service network of 60 branches, alternate channels viz., brokers are being used. The Company has empanelled 123 brokers to market its products in a more effective manner. Efforts are being made to strengthen and expand this channel further. Regional Offices have conducted six workshops for brokers during the year. The workshops help in enhancing the understanding of brokers about the features of various policies and its effectiveness in promoting exports. During FY 2017-18, the premium earned under the business placed by the brokers was ₹51.08 Crore which constitutes 13.85% of the short term policy premium income of ₹368 Crore.

## CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD)

Company has adopted CSR Policy as per the guidelines issued by Department of Public Enterprises (DPE). Accordingly, it requires to spend atleast 2% of its last 3 years' average net profit every year for various activities under CSR as per section 135 of the Companies Act, 2013. The Company's CSR activities relate to health, primary education, skill development, ensuring livelihood, women empowerment and strengthening services for the differently abled. An aggregate amount of ₹6.38 Crore was spent on CSR activities of the Company during FY 2017-18. Further, allocation of ₹5.75 Crore has been made for projects already initiated.

The implementation partners for CSR activities are TATA Institute of Social Sciences (TISS); Science & Technology Park (STP) Pune; Vivekananda Kendra, Mumbai; Ekam Foundation, Chennai; Society for Human

अभियान आदि के क्षेत्र में कई सी एस आर पहल आरम्भ किये जा चुके हैं। वर्ष के दौरान ईसीजीसी ने टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस (टी आई एस एस ) के ज़रिये ₹57.14 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की है जिससे एम वार्ड, वाशी नाका, मुंबई में 793 छात्र लाभान्वित हुए हैं। कम्पनी ने टी आई एस एस के ज़रिये ग्रेटर मुंबई नगरपालिका के एम वार्ड क्षेत्र में पांच सामुदायिक अध्ययन केन्द्रों को चलाने के लिए नियमित रूप से अपना सहयोग देना जारी रखा है। 178 आनंदालयों को चलाने के लिए उत्तर पूर्व में विवेकानंद केंद्र , जो कि चाय बागान कर्मियों के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है, को भी नियमित रूप से अपना समर्थन प्रदान कर रही है।

### राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ईसीजीसी लिमिटेड भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए काफी सक्रिय है। कंपनी ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों प्राप्ति की है। मुंबई न रा का स द्वारा कम्पनी के प्रधान कार्यालय को भारत सरकार की राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत किया गया । इसी श्रृंखला में ईसीजीसी के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - I को चेन्नई न रा का स द्वारा तथा ठाणे शाखा कार्यालय को न रा का स ठाणे द्वारा पुरस्कृत किया गया । इसके अतिरिक्त कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय को क्षेत्रीय कार्यन्वयन (पूर्वी क्षेत्र ) कार्यालय , गृहमंत्रालय, द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

ईसीजीसी लिमिटेड की शाखा व क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सितंबर माह के दौरान दिनांक 1 सितंबर 2017 से 15 सितंबर 2017 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। दिनांक 29 सितम्बर 2017 को सम्पन्न हिन्दी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताएं के विजेता अधिकारियों/ कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इस समारोह में श्री महेश दुबे सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक एवं हास्य कवि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

दिनांक 10-11 नवम्बर 2017 के दौरान कोलकाता में अखिल भारत राजभाषा अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें ईसीजीसी के प्रधान कार्यालय के विभागों, शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालय में नामित हिंदी अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मलेन के दौरान अधिकारियों के समक्ष राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आने वाली समस्याओं का समाधान किया गया।

दिनांक 26.03.2018 को नराकास (उपक्रम), मुंबई के तत्वावधान में 'एच आर में नवाचार, बने राजभाषा का आधार' नामक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के मुंबई स्थित तीनों कार्यालयों यथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, हिन्दी शिक्षण संस्थान एवं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रभारी अधिकारियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र

and Environmental Development (SHED); and Sankalp Foundation, Varanasi. A number of CSR initiatives have been undertaken in the field of education, providing safe drinking water, health care, providing facilities to old age homes, Swachh Bharat Abhiyaan, etc. ECGC released scholarship of ₹57.14 lakhs through Tata Institute of Social Sciences (TISS) during the year, benefitting 793 students in M-Ward, Vashi Naka, Mumbai. Provided continued support in running of five Community study centres in M-ward area of Municipal Corporation of Greater Mumbai through TISS. The support is also provided to Vivekananda Kendra in North East towards running of 178 Anandalayas which provide informal education to school-going children of tea garden workers.

### IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

ECGC Ltd. is very active in the implementation of Official Language Policy of Government of India. The Company has achieved all the targets laid down in the annual Rajbhasha programme for the FY 2017-18 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. Company's Head Office was conferred official language implementation award by the Mumbai TOLIC. Similarly SR-I and Thane branches were also awarded by its respective TOLICS i.e Chennai TOLIC & Thane TOLIC. Kolkata Regional Office was conferred with 3rd prize by the Regional Implementation (Eastern Region) Office , MOHA.

The Company continued its progress in implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The Branches and Regional Offices of ECGC Ltd. celebrated the Hindi Fortnight from 01.09.2017 to 15.09.2017 during the month of September 2017. During the Hindi Fortnight, various competitions were held and officers at every level participated enthusiastically. The winners were awarded cash prizes during the prize distribution function that was organized on 28.09.2017 and Shri Mahesh Dube, a renowned Hindi author and Hasya Kavi was present as a Chief Guest.

An All India Hindi Officers Conference was organized to discuss the achievements and problems faced by Hindi Officers at Regional/Branch/HO(Dept) level in Kolkata on 10-11 November, 2017 in which Hindi Officers of various Regional and Branch Offices and Departments of Head Office of ECGC Ltd. have participated. During the conference officers from Rajbhasha dept HO tried to solve the problems in implementation of official language policy, faced by the Hindi officers posted in Branches and regional offices.

A seminar was held on 26.03.2018 on "HR Me Navachar, Bane Rajbhasha Ka Aadhar" under the aegis of TOLIC ,

के विभिन्न उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं राजभाषा अधिकारियों व कंपनी के प्रका के विभागों के राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में एच पी सी एल के महाप्रबंधक, श्री संदीप रॉय क्षमता निर्माण को आमंत्रित किया गया ।

कम्पनी में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक कार्य में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें लागू की गयी हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्विभाग, अंतर्शाखाओं तथा अंतरक्षेत्रीय कार्यालयों में भी राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है : जिसका नाम है 'अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार' योजना।

कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किये जाने वाले पत्राचार में निरंतर वृद्धि हो रही है। कंपनी के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड फॉन्ट इंस्टाल कर दिए जाने से सभी कर्मियों को हिंदी में कार्य करने में काफी सुविधा हो रही है। सभी शाखाओं में कार्यरत सभी कर्मियों द्वारा अपने ग्राहकों यथा निर्यातकों व बैंकरों को द्विभाषी में ई मेल भेजे जाते हैं । कंपनी की वेबसाईट द्विभाषी में उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2017-18, के दौरान सब स्टाफ सहित शाखाओं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जो कि सभी द्विभाषी हैं। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राजभाषा नीति पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी है।

कंपनी के सभी शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है तथा उसमें विस्तृत रूप से सम्बंधित शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालय के विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा की जाती है, तथा जहाँ भी कमियां पायी गयी हों उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है।

## अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध

वर्ष 1957 में अपनी स्थापना से ही ईसीजीसी बर्न यूनियन ( ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं का अंतरराष्ट्रीय संघ), निर्यात ऋण तथा निवेश बीमाकर्ताओं के लिए अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संघ ,का एक सक्रिय सदस्य रहा है एवं इसकी गतिविधियों से नज़दीक से जुड़ा हुआ है। बर्न यूनियन के सदस्य , निर्यात ऋण तथा विदेश निवेश में आवश्यक सिद्धांतों की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति को समर्थन देते हुए विदेश व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं तथा आपस में अपने अनुभवों को साझा कर स्वयं को समृद्ध करते हैं। वर्ष 2017 के दौरान, विश्व व्यापार में बर्न यूनियन सदस्यों के हिस्से में 14% से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए बर्न यूनियन के सदस्यों द्वारा वैश्विक तौर पर कुल 2,330 बिलियन अमरीकी डॉलर के नए कारोबार का बीमांकन किया गया। दो वर्षों की अवधि यथा अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2019 तक, के लिए बर्न यूनियन अल्पावधि समिति के लिए ईसीजीसी का चयन किया गया। ईसीजीसी ने मई 2017, को कोपनहेगन,डेनमार्क में, अक्टूबर 2017 में बेलग्रेड , सर्बिया में तथा मार्च 2018 को किलिफी , केनिया में स्प्रिंग बैठक में सक्रिय प्रतिभागिता की।

ईसीजीसी बी यू- आर सी जी, जी 12, ब्रिक्स आदि जैसे मंचों के अधीन आने वाले वैश्विक ई सी ए के साथ निकटतम सहयोग में कार्य करता

Mumbai ( PSU), which was attended by senior officials as well as official language officials from various public sector undertakings located in Mumbai including the In Charges of all three offices under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely Regional Implementation Office, Hindi Teaching Scheme and Central Translation Bureau. was Shri Sandeep Roy, General Manager, Capacity Building, HPCL was invited as the chief faculty of the programme.

Various incentives, including cash prizes, are in vogue in the Company, to encourage and motivate the employees, for furtherance of the use of Hindi, in their daily office work. To encourage employees to use Hindi in their day to day official work, employees at the Branch Offices, Regional Offices and Head Office departments are encouraged to compete every year for the "Chairman and Managing Director's Official Language Award" for the excellent implementation of the official language in their respective offices.

The Company's correspondence in Hindi, with its customers, is showing steady progress. With the installation of Unicode software in all the computers of the Company, branches have started sending Hindi mails to Exporters and Bankers. The Website of the Company is available in bilingual form.

During the FY 2017-18, various training programs, including a training program for the sub staff, were conducted by the Company, in which training was provided bilingually. A two hour workshop related to the Official Language Policy was a part of all the training programs conducted by the Company.

Quarterly Review meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly in all the Branches, Regional Offices and Head Office of the Company wherein detailed discussions held with regard to implementation of official language during the quarter.

## INTERNATIONAL RELATIONS

Since its inception in 1957, ECGC has been an active member of the Berne Union (International Union of Credit and Investment Insurers), a leading international association for the export credit and investment insurers, and has been closely associated with its activities. Berne Union members facilitate cross-border trade by supporting international acceptance of sound principles in export credit and foreign investment and also enrich themselves with the members' experience. During the year 2017, new business underwritten globally by members of the Berne Union totalled US$ 2,330 billion, increasing the Berne Union members' share of world trade to over 14%. ECGC was elected to the Berne Union Short-term Committee for

ईसीजीसी तथा कोसेक, पुर्तगाल के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
MoU signed between ECGC & COSEC, Portugal.

अप्रनि, ईसीजीसी तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एओएफआई(सर्बिया) द्वारा सर्बिया गणराज्य के लिये भारत के राजदूत की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर।
CMD, ECGC and CEO, AOFI (Serbia) signing the agreement in the presence of the Indian Ambassador to the Republic of Serbia.

ईसीजीसी द्वारा ईडीसी, कनाडा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
ECGC signed MoU with EDC, Canada.

है। ये मंच अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी परियोजनाओं पर सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं तथा सदस्यों के क्षमता वर्धन एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में विस्तार की दृष्टि से आपसी हित सम्बन्धी मुद्दों के लिए विस्तृत विचारविमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है ताकि व्यापार व निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।

ईसीजीसी, आई सी सी निर्यात वित्त स्थायी समूह का भी एक सदस्य है जो बर्न यूनियन में आई सी सी निर्यात वित्त समिति का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ सदस्य निर्यात वित्त उद्योग से सम्बंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं तथा प्रक्रियाओं एवं विनियमों के मानकीकारण एवं अनुकूलीकरण पर कार्य करते हैं।

ईसीजीसी ब्रिक्स ई सी ए समूह का भी सदस्य है जिसमें , ए बी जी ऍफ़ (ब्राजील), ई एक्स आई ए आर (रूस), सायनोश्योर (चीन) तथा ई सी आई सी एस ए (दक्षिण अफ्रीका) शामिल हैं। 13 जून, 2017 को ब्रिक्स ई सी ए तथा न्यू डेवेलपमेंट बैंक (एन डी बी) ने ब्रिक्स देशों में उत्पन्न तथा कार्यान्वित परियोजनाओं में सहयोग के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन (स ज्ञा) पर हस्ताक्षर किये जिसमें एन डी बी से वित्त व्यवस्था एवं ब्रिक्स ई सी ए से बीमा तथा / अथवा गारंटी रक्षा पर सहयोग शामिल है।

कम्पनी के अधिकारियों ने निर्यात ऋणों की अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी समूह की (आई डबल्यु जी) की 13वीं , 14वीं तथा 15वीं बैठक में भाग लिया। 2017 को बीजिंग में संपन्न 14 वीं आई डबल्यु जी बैठक के दौरान भारत अब तक के "पर्यवेक्षक" से "सक्रिय" सदस्य बन गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान ईसीजीसी ने सी ओ ई सी (पुर्तगाल), ए ओ एफ़ आई (सर्बिया), एक्जिम बैंक (अमेरिका )तथा ए डी सी (कनाडा) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। ये समझौते देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जानकारी के आदान प्रदान; जोखिम

बीमांकन; पुनर्बीमा तथा जोखिम प्रबंधन आदि क्षेत्रों में सहयोग हेतु रूप रेखा परिभाषित करती है।

ईसीजीसी को उत्पाद विकास, पुनर्बीमा के कार्यक्षेत्र तथा तृतीय विश्व के देशों की परियोजनाओं के लिए संयुक्त समर्थन के लिए द्विपक्षीय बैठकों में चर्चा हेतु युलर होम्स - जर्मनी, एक्सपोर्ट गारंटी फंड ऑफ़ ईरान (ई जी ऍफ़ आई) ईरान, एवं एस ए सी ई के मुंबई कार्यालय प्रतिनिधि की मेजबानी करने का मौक़ा मिला।

अंतरराष्ट्रीय सेमिनार तथा कार्यशालाएं निर्यात ऋण बीमा की विभिन्न पहलुओं पर नवीनतम प्रवृत्तियों के मूल्यांकन के लिए व्यापक अवसर प्रदान करती हैं। परिचालन स्तर के अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि की दृष्टि से ई सी जी सी के अधिकारियों ने ब्रिक्स ई सी ए के तकनीकी कार्यशाला, आर सी जी क्षमता वर्धन कार्यक्रम तथा दावे व वसूलियों के विशेषज्ञ अधिकारियों की बैठक में भाग लिया।

तुर्क एक्सिम बैंक , तुर्की के आमंत्रण पर, मध्यम व दीर्घावधिक कारोबार से सम्बंधित मुद्दों पर उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए ईसीजीसी के अधिकारियों ने तुर्क एक्जिम बैंक का दौरा किया।

a period of two years i.e. from October 2017 to October 2019. ECGC actively participated in the Berne Union Meeting held at Copenhagen, Denmark in May, 2017, the Annual General Meeting held at Belgrade, Serbia in October, 2017 and the Spring Meeting held at Kilifi, Kenya in March 2018.

ECGC works in close association with ECAs globally under different forums like BU-RCG, G-12, BRICS, etc. These forums provide opportunities to collaborate on international trade related projects and offer a platform for in-depth discussion on issues of mutual interest with a view to enhancing capacity and competitiveness of the members, thereby facilitating trade and investment.

ECGC is also one of the members of the ICC Export Finance Working Group that represents Berne Union in the ICC Export Finance Committee where the members discuss matters on export finance industry and work on standardisation and harmonisation of process and regulations.

ECGC is a member of BRICS ECA Group where the other members include ABGF (Brazil), EXIAR (Russia), SINOSURE (China) and ECIC SA (South Africa). On 13th June, 2017, BRICS ECAs and the New Development Bank (NDB) signed a Memorandum of Understanding (MOU) with an objective to originate and implement projects in BRICS countries on a cooperation basis involving finance from NDB and insurance and / or guarantee coverage from the BRICS ECAs.

The Company's officials participated in the 13th, 14th and 15th Meeting of the International Working Group (IWG) on Export Credits. During the 14th IWG Meeting at Beijing in 2017, India became an 'Active' member of the IWG from the hitherto 'Observer' status.

During the year 2017-18, ECGC signed MoUs with COSEC (Portugal), AOFI (Serbia), EXIM Bank (USA) and EDC (Canada). These agreements define the framework of co-operation in the areas of exchange of information; risk underwriting, reinsurance and risk management, with an aim to stimulate trade and investment between the countries.

ECGC had the opportunity to host delegates from Euler Hermes, Germany, Export Guarantee Fund of Iran (EGFI), Iran and Mumbai based representative office of SACE for bilateral meetings to deliberate on product development, scope for re-insurance and joint support for projects in third countries.

International seminars and workshops offer exhaustive opportunities to assess and evaluate the latest trends

सुश्री कैथरीन मोर्टन, मुख्य सम्पादक, ट्रेड एंड फोरफेटिंग रिव्यु से पुरस्कार ग्रहण करते श्री सुनील जोशी, महाप्रबंधक, ईसीजीसी लिमिटेड।

Mr. Sunil Joshi, General Manager – ECGC Ltd., receiving the award from Ms. Katharine Morton, Editor in Chief, Trade & Forfaiting Review.

ईसीजीसी के अधिकारियों ने वक्ता / पैनालिस्ट के रूप में टी एक्स ऍफ़ एशिया सम्मलेन, अमन यूनियन वार्षिक बैठक, तथा वैश्विक निर्यात वित्त सम्मलेन जैसे वैश्विक सम्मेलनों में भाग लिया। अ प्र नि, ईसीजीसी , युगांडा में आयोजित , भारतीय तथा पूर्वी अफ्रीका पर क्षेत्रीय सभा में पैनालिस्ट के रूप में भाग लिया।

### उल्लेखनीय उपलब्धियां : ईसीजीसी सर्वोत्तम इसीए पुरस्कार से सम्मानित

भारत से वस्तु एवं सेवाओं के निर्यातों को प्रोत्साहित करने एवं समर्थन करने के उद्देश्य से ईसीजीसी अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की ऋण बीमा रक्षाएं प्रदान कर रहा है। निर्यातों के संवर्धन एवं निर्यात संवर्धन के लिए विश्व स्तर की सेवायें प्रदान करने के लिए इसके लक्ष्य को उस समय प्रोत्साहन मिला जब जुलाई 2017 को ट्रेड एंड फोरफैटिंग रिव्यू ( टी ऍफ़ आर ) द्वारा ईसीजीसी को वर्ष 2017 के सर्वोत्तम निर्यात ऋण एजेंसी (ई सी ए) के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टी एफ़ आर पुरस्कार विश्व भर के व्यापार उद्योग में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है तथा कई वर्षों से उसे उद्योग में सर्वोत्तम होने का दर्जा प्राप्त है। यह उपलब्धि ईसीजीसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापर में भारतीय निर्यातकों एवं उनके बैंकों को सेवा प्रदान करने के ईसीजीसी के विज़न व मिशन का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है।

### मानव संसाधन व उद्योग सम्बन्ध

दिनांक 31 मार्च 2018 को मंजूर श्रमबल 655 में से 579 कार्यपालक तथा 31 गैर कार्यपालकों के सहित कम्पनी का कुल श्रम बल 610 रहा। इसमें 173 महिला कर्मचारी शामिल हैं जो कि कुल कार्यबल के 30% हिस्सा हैं। कम्पनी अपने कर्मियों के लिए उनके स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नत्ति सम्बन्धी व्यापक कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान करती है। कम्पनी द्वारा औद्योगिक गति तथा उच्च उत्पादकता के लिए समुचित एवं आपसी उदार संबंधों को स्थापित करते हुए सलाहकार दृष्टिकोण के जरिये उपक्रम के प्रबंधन में प्रतिभागिता संस्कृति को बढ़ावा देती है। वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित किये गए। कम्पनी के कारोबार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान व्यापक भर्ती की गयी जिसमें भर्ती

on various aspects of export credit insurance. With an aim to enhance capacity of the operational level officers, ECGC officials participated in the BRICS ECAs technical workshop, RCG Capacity Building Programme and Claims and Recoveries Specialist Officers meet.

On the invitation of the Turk Exim Bank, Turkey, ECGC officials visited Turk Exim Bank to impart training to its employees on issues related to Medium-and-long-term business.

ECGC officials also participated as speakers / panelists in global conferences such as TXF Asia Conference, Aman Union Annual Meeting, and the Global Export Finance Conference. CMD, ECGC was a panelist in the Regional Conclave on Indian and East Africa held in Uganda.

### Notable Achievement: ECGC conferred Best ECA Award

With an objective to promote, facilitate and support the exports of goods and services from India, ECGC has been providing a range of credit risk insurance covers to its customers. Its endeavour to promote exports and provide world class services for export promotion received a fillip when in July, 2017 ECGC was conferred with Best Export Credit Agency (ECA) Award for the year 2017 by Trade and Forfeiting Review (TFR). TFR awards are among the most prestigious awards in the trade industry world-wide and they have been celebrating and acknowledging the best in class in the industry for many years. This noteworthy achievement is a testimony to ECGC's vision and mission to serve the Indian exporters and their banks in supporting international trade.

### HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS:

The employee strength of the Company was 610 as on 31st March, 2018 and sanctioned strength being 655,

प्रक्रिया के ज़रिये कुल 33 योग्य उम्मीदवारों ने कम्पनी में कार्य ग्रहण किया है। वर्ष के दौरान उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभिन्न संवर्गों में से कुल 87 अधिकारी पदोन्नत किये गए।

सी वी सी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में कुल 121 अधिकारियों को शाखा कार्यालयों /विभागों में परिचालित किया गया। भर्ती एवं पदोन्नति प्रक्रिया में सभी संविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया।

वर्ष के दौरान , कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र के अधीन उप समिति की स्थापना की गयी तथा शिकायत निवारण तंत्र के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया ( एस ओ पी ) जारी की गयी।

वर्ष के दौरान , अर्जित छुट्टी के संचय की अधिकतम सीमा में संशोधन, ईसीजीसी कर्मचारी पेंशन नियम, 2006 में संशोधन, निर्भरता मानदंडों के अधीन आश्रितों की अधिकतम आय की सीमा में वृद्धि तथा भोजन कूपनों से भोजन कार्ड में प्रवासन जैसे कर्मचारी सुविधा योजनों में आगे और अधिक विस्तार किया गया।

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कम्पनी की "उत्तराधिकार योजना पर नीति" योजना लागू की गयी। कम्पनी ने वर्ष की अंतिम चरण के दौरान निदेशक मंडल द्वारा निर्देशानुसार एच आर एम एस अध्ययन के लिए के पी एम् जी द्वारा अध्ययन कराया। के पी एम जी द्वारा कारोबार प्रवृत्तियों, भावी कारोबार योजना तथा संभावनाओं के अतिरिक्त कम्पनी के मानव संसाधन विकास प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया। अध्ययन पद्धति में अ प्र नि, का नि, म प्र तथा 35 से अधिक उ म प्र / स म प्र स्तर के अधिकारियों के साथ चर्चा शामिल है। इसके अतिरिक्त परिचालित प्रश्नावली के सम्बन्ध में लगभग 400 व्यक्तिगत अधिकारियों के फीडबैक का विश्लेषण किया गया। कारोबार संव्यवहार आंकड़ों, एकत्र की गयी जानकारी के विश्लेषण तथा उद्योग में प्रचलित उत्तम प्रथाओं के आधार पर परामर्शदाता ने सुझाव दिया कि स्केल I से स्केल IV के अधिकारियों कि संख्या में 48 संख्या वृद्धि की जाए तथा स्केल V (स म प्र ) तथा स्केल VI (उ म प्र) की संख्या में 14 संख्या की कमी की जाये। उनके द्वारा की गयी सिफारिशों को वित्त वर्ष 2018-19 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिए मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

**महिला सशक्तिकरण :**

कम्पनी ने विविधता एवं समग्रता एवं संगठन में महिलाओं के विकास तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रथाओं को अपनाया है। सभी महिला कर्मियों को सामान अवसर, सामान अधिकार तथा समान दायित्व प्रदान किये गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कल्याणकारी योजनायें लागू की गयी हैं, विप्स कक्ष (सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच के अधीन) द्वारा कम्पनी के महिला कर्मियों के लिए कई विकासकारी गतिविधियाँ की जाती हैं।

consisting of 579 executives and 31 non-executives. This includes 173 women employees comprising almost 30% per cent of the total workforce. Your Company provides comprehensive welfare facilities to its employees to take care of their health, economic betterment, etc., and to enable them to give their best at the workplace. Your Company has always supported a participative culture in the management of the enterprise through a consultative approach with the collective and establishing a harmonious relationship for industrial peace and higher productivity. During the year, cordial industrial relations were maintained. In order to meet the business requirement of the Company, an intensive recruitment exercise was carried out during 2017-18 and total 33 candidates who qualified through recruitment process have joined the Company. Total 87 employees were promoted during the year in different cadres based on the vacancies available.

In compliance with CVC guidelines, total 121 officers were rotated among branch offices/departments. All statutory provisions were complied with in the recruitment and promotion process.

During the year, a Sub-Committee under Staff Grievance Redressal Mechanism has been constituted and Standard Operating Procedure (SOP) for Grievance Redressal Mechanism has been issued.

During the year, the employee benefit schemes were further extended in terms of revision in maximum ceiling in accumulation of Earned Leave, amendment in ECGC Employees' Pension Rules, 2006, Enhancement in the limit of Maximum Income of dependants under dependency criteria and migration from meal coupons to meal cards.

During the year, the Company has come out with the 'The Policy on Succession Plan' of the Company. The Company also commissioned KPMG for a HRMS Study during the last part of the year as directed by the Board. KPMG studied various aspects of Human Resources Management of the Company in addition to past business trends, future business plan and prospects. The Study methodology included interactions with CMD, EDs, GMs and over 35 DGM/AGM level officers. Additionally around 400 feedbacks from individual officers in respect of Questionnaire circulated were analysed. Based on the business transaction data, analysis of information collected and in reference to best practices in the industry the consultants have suggested increase in Scale I to Scale IV officers level by 48 and reduction of the positions at Scale V (AGM) and Scale VI (DGM) positions by 14 numbers. The recommendations have been accepted by the Board for implementation over a three year period from FY 2018-19.

"कार्य स्थल में यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के अनुसार, कम से कम 10 कर्मियों वाली शाखाओं / कार्यालयों में आतंरिक शिकायत समितियां ( आई सी सी ) कार्यरत हैं। प्रधान कार्यालय में एक आई सी सी कार्य कर रही है जिसमें प्रधान कार्यालय के सभी विभागों, विशेष शाखाओं जहाँ कर्मी बल 10 से कम हो , शामिल हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में अधिनियम के अधीन दायर दावे 'कुछ नहीं' हैं।

## प्रशिक्षण :

इस परिवर्तनशील प्रतिस्पर्धी वातावरण में प्रशिक्षण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ कारोबार आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों को प्रतिस्पर्धात्मक अग्रता प्राप्त हो जाती है। ये बेहतर निष्पादन के लिए नए कौशल की प्राप्ति तथा वर्त्तमान क्षमता में विकास में सहायक साबित होती है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान , सभी स्तरों के कर्मचारियों को विभिन्न इन हाउस तथा बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नामित किया ़गया है। हमारे नव नियुक्त अधिकारियों के लिए भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई में दो आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से हमारे कनिष्ठ एवं मध्यम प्रबंधन के लिए, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान , पुणे में निर्यात ऋण प्रबंधन पर एक सप्ताह की अवधि के दौरान कुल 6 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए । राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी दावा एवं बीमा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। मुंबई में क्षेत्र अधिकारियों के लिए (क्षे अ) अखिल भारत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए। वरिष्ठ प्रबंधन जैसे महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक तथा सहायक महाप्रबंधकों को दक्षता वर्धन जैसे लीडरशिप आदि के लिए आई आई एम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में नामित किया गया। समूह ग व समूह घ के कर्मियों के लिए कौशल विकास एवं व्यवहार विज्ञान पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मुंबई में अनु जा / अनु जन जा / अ पि जा कर्मचारियों के लिए सेवा में आरक्षण व रोस्टर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी नामित किया गया। वर्ष के दौरान कुल 447 अधिकारियों को विभिन्न इन हाउस तथा बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया है। महिला कर्मियों को सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच ( विप्स ) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए नामित किया गया।

## दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रयासरत है। दिनांक 31 मार्च, 2018 तक कंपनी के रोल्स में 13 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं। 31 मार्च,2018 तक कंपनी के कुल श्रमबल में अनु . जा.

## Women Empowerment:

Your Company is committed to diversity and inclusiveness and has adopted various practices to achieve women's development and gender equality in the organisation. All women employees have equal opportunities, equal rights and equal responsibilities. In addition, there are various welfare policies, WIPS cells (formed under Forum of Women in Public Sector) strive to empower women through numerous developmental activities for women employees of the Company.

In accordance with the "The Sexual Harassment at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013", Internal Complaints Committee (ICCs) are functioning in all the branches/offices, employing at least 10 employees. One ICC is functioning at Head Office which includes all the Departments of Head Office, special branches, wherever employee strength is less than 10. During the financial year 2017-18, the number of cases filed under the Act is Nil.

## TRAINING:

In this changing competitive environment, role of trainings became more important. With the help of training programs, officers may get a competitive edge as per needs of business. It helps to achieve new skills & upgrade existing ones for better performance. During the financial year 2017-18, employees of all level were nominated to various in-house and external training programs. Two Induction Training Programs were conducted at Insurance Institute of India, Mumbai for our newly recruited officers. Total 6 different training Programs with a One-week duration each were conducted in collaboration with various Institutes on subjects, viz. Export Credit Management for our Junior and Middle Management at National Institute of Bank Management, Pune. Policy Claim and Underwriting workshop was conducted at National Level in Mumbai. A comprehensive All India Level training program for Field Officers (FO) was conducted in Mumbai. The senior level executives like General Managers, Deputy General Managers and Assistant General Managers were nominated for various Management Development Programmes for Upgradation of the skills like leadership etc. conducted by reputed institutes like IIMs. Training on skill Upgradation and behavioural science was given to Group C and D employees. A programme on Reservation in Service for SC/ST/OBC Employees & Roster was conducted in Mumbai. Apart from this, employees were sponsored for the trainings as per their functional area. During the year, total 447 Officers were nominated for various In-house and Outsourced Training Program. Women employees were nominated to attend National Meet of Forum of Women in Public Sector (WIPS).

और अजजा. का विभिन्न संवर्गों में प्रतिनिधित्व तथा विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भीगीदारी) अधिनियम 1995 के अधीन प्रावधानों का पालन करते हुए कंपनी की सेवा में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का विवरण क्रमशः अनुलग्नक I तथा अनुलग्नक II में है।

## अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्वः

कंपनी में अनु .जा./अजजा. की नियुक्ति तथा आंतरिक पदोन्नति में आरक्षण से संबन्धित सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है । भारत सरकार की ओर से प्राप्त संबन्धित निर्देशों के अनुसार कंपनी ने 'पद-आधारित रोस्टर प्रणाली ' अपनाई गयी है । सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा भरी गयी आरक्षित रिक्तियों का विवरण क्रमशः अनुलग्नक III और अनुलग्नक IV में उल्लिखित है।

## सामान्य प्रशासनः

1. कंपनी का राजस्व और पूंजी व्यय निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट से नियंत्रित और संचालित हुआ है।

2. सभी शाखा कार्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) से खरीद की पॉलिसी को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं। भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद पॉलिसी जो अप्रैल,2012 में समस्त एमएसएमई के लिए बनाई गयी कहती है कि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकता के 20% की खरीद 3 वर्षों में, सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई) से करना आवश्यक है। सरकार ने इस 20% में अ.जा. और अजजा के स्वामित्व वाली एमएसई के लिए 4% का उप-लक्ष्य निर्धारित किया है।

3. कंपनी द्वारा वस्तुओं की एक सूची तैयार की गई है जो आवश्यकता पड़ने पर एम एस एम ई से खरीदीं जा सकती हैं। एमएसएमई को भुगतान में देरी क़ा कोई भी मामला नहीं है।

4. कंपनी नें ई-प्रकाशन पॉलिसी का भी अनुपालन किया है जो कि भारत सरकार की ई-अधिप्राप्ति पॉलिसी 2012 का एक भाग है।

5. शासकीय ई बाजार (जी ई एम) के जरिए खरीद के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कंपनी द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद हेतु जी ई एम पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है ।

## REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY:

The Company endeavours to provide employment to Persons with disabilities. As of 31st March, 2018, the Company has 13 employees on its roll belonging to the category of Persons with Disabilities. Details of Representation of SCs and STs in the total manpower of the Company in various cadres as on March 31, 2018 and representation of Persons with Disabilities in the service of Company, in pursuance of the relevant provisions under Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, are furnished in Annexure I and Annexure II respectively.

## REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES:

The Company strictly adheres to relevant Rules relating to Reservation of SCs/STs in recruitment and in internal promotions. In terms of the relevant instructions from the Government of India, the Company has in place a Post-based Roster system'. Details of 'Reserved vacancies filled in by direct recruitment and by Promotions' at different level under reservation for SC, ST and OBC are furnished in Annexure III & IV.

## GENERAL ADMINISTRATION :

1. Revenue and Capital Expenditure of the Company are properly controlled and incurred within the Annual Budget approved by the Board of Directors.

2. All the Branch Offices/Regional Offices have been advised to take necessary steps to implement Government of India's Policy regarding procurement through Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs). The Government of India's Public Procurement Policy framed in April, 2012, for all MSMEs mandates that 20% of procurement of annual requirement of goods and services by Public Sector Undertaking will be from Micro and Small Enterprise (MSEs) in a period of 3 years. Government has also prescribed a sub–target of 4% procurement of goods and service out of the 20% from MSEs owned by SC/ST enterprises.

3. The Company has identified a list of items which may be procured from MSMEs as and when need arises. There have been no reported cases of delayed payment to MSMEs.

4. The Company has also complied with e-publishing policy which is a part of e- procurement policy of 2012 of Govt. of India.

5. As per the directions received from Ministry of

### भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन :

परिपत्र सं IRDA/F&A/CIR/ACTS/ 146/06/2017 दिनांक 28 जून, 2017 के अनुसार इंड ए एस जो कि भारत में आई एफ़ आर एस का अभिमुखी लेखांकन मानक है, बीमा क्षेत्रपर वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू होगा। आई आर डी ए आई ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय लेखांकन मानक के आधार पर इंड ए एस के अनुसार प्रोफ़ार्मा वित्तीय विवरण तैयार करना जारी रखा जाए तथा तिमाही आधार पर उसकी सूचना बोर्ड को दी जाए । इसे नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में तैयार कर निदेशक मंडल एवं आई आर डी ए आई को सूचित किया जाता है।

प्रति निदेशक मंडल और उनके द्वारा

**गीता मुरलीधर**

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 29, 2018

Commerce & Industry regarding Procurement through Government e-Marketplace (GeM) the Company has registered with the GeM portal for on-line procurement of commodities and services.

### IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

Ind AS which is converged standards of IFRS in India will be applicable to Insurance sector from FY 2020-21 as per circular IRDA/F&A/CIR/ACTS/ 146/06/2017 dated 28th June, 2017. IRDAI has advised to continue to prepare the proforma financial statement as per Ind AS and report the progress to the Board on quarterly basis. This is done every quarter on a consistent basis and reported to Board of Directors and IRDAI.

For and on behalf of the Board of Directors

**Geetha Muralidhar**

Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: May 29, 2018

अनुलग्नक -I / Annexure-I

## दिनांक 31.03.2018 तक कंपनी में कार्यरत कंपनी की श्रमबल में अनुजा/ अजजा तथा अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व
## REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs IN THE SERVICES OF THE COMPANY'S WORK FORCE AS ON 31.03.2018

| समूह / Group | कुल श्रम बल का प्रतिशत / Percentage of Total Workforce | | |
|---|---|---|---|
| | अजा / SCs | अजजा / STs | अपिजा / OBCs |
| क / A | 16.21 | 5.53 | 15.81 |
| ख / B | 17.79 | 7.98 | 21.78 |
| ग / C | 34.78 | 13.04 | 04.35 |
| घ / D | 25.00 | Nil | 12.50 |
| **कुल / Total %** | **17.87%** | **7.05%** | **18.52%** |

अनुलग्नक -II / Annexure-II

## दिनांक 31.03.2018 तक कंपनी कि सेवा में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व
## REPRESENTATION OF PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES IN THE SERVICES OF THE COMPANY AS ON 31.03.2018

| समूह / Group | दिव्यांग व्यक्तियों की सं. / No. of Disabled Persons | | | कुल / Total |
|---|---|---|---|---|
| | दृदि / VI | श्रदि / HI | शादि / OC | दृ दि + श्रदि + शादि / VI+HI+OC |
| क / A | 2 | 0 | 4 | 6 |
| ख / B | 2 | 2 | 2 | 6 |
| ग / C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| घ / D | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **कुल / Total** | **5** | **2** | **6** | **13** |

**दृदि - दृश्य दिव्यांग**
VI - Visually Impaired

**श्रदि - श्रव्य दिव्यांग**
HI - Hearing Impaired

**शादि - शारीरिक दिव्यांग**
OC - Orthopedically Challenged

## वर्ष 01.01.2017 से 31.12.2017 के दौरान अनुसूचित जाति , अनु जन जाति ,तथा अन्य पि छड़े वर्ग के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियों दर्शाते हुए विवरण

**Statement showing the number of reserved vacancies filled by members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes during the year 01.01.2017 to 31.12.2017**

**अनुलग्नक -III / Annexure III**

### (क) सीधी भर्ती से भरे गए पद

### (A) Posts filled by Direct Recruitment

| पद की श्रेणी Class of Post | रिक्तियों की कुल सं. Total No. of Vacancies | | | | आरक्षित रिक्तियों की सं. No. of vacancies reserved | | | | | | नियुक्त अजा/ अजजा/अपिव की सं. No.of SC/ ST/OBC candidates appointed | | | पिछले वर्ष से आगे लाए गए अजा/ अजजा/अपिव की रिक्तियों की सं. (ऐसे मामले जहां अपारक्षण स्वीकृत है) No. of SC/ST/ OBC vacancies carried forward from previous years in such cases where dereservation is permitted) | | | कथित आगे लाए गए वर्ष के दौरान अजा के आरक्षण में नियुक्त अजजा के उम्मीदवार तथा अजजा के आरक्षण में अजा के उम्मीदवारों की सं. (ऐसे मामले जहां अपारक्षण स्वीकृत है) No. of ST candidates appointed against SC reservation & No.of SC candidates appointed against ST reservation in the said year of carry forward (in such cases where dereservation is permitted) | | | तीन भर्ती वर्षों के लिए आगे लाए जाने बाद व्यपगत आरक्षणों की सं. (ऐसे मामले जहां अपारक्षण स्वीकृत है) No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 recruitment years (in such cases where dereservation is permitted) | | | अगले वर्ष के लिए बैकलॉग के रूप में आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों की सं. No.of reserved vacancies carried forward as backlog to next year | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बैकलॉग रिक्तियाँ Backlog Vacancies | | वर्तमान रिक्तियाँ Current Vacancies | | कॉलम 4 में से Out of Col (4) | | | कॉलम 5 में से Out of Col (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अधिसूचित Notified | भरी गई Filled | अधिसूचित Notified | भरी गई Filled | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC | अजा SC | अजज ST | अपिव OBC | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| श्रेणी I समूह (क) CLASS I Group (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| श्रेणी II समूह (ख) CLASS II Group (B) | 0 | 0 | 73 | 66 | 8 | 6 | 22 | 7 | 6 | 15 | 7 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| श्रेणी III समूह (ग) CLASS III Group (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| श्रेणी IV समूह (घ) CLASS IV Group (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## वर्ष 01.01.2017 से 31.12.2017 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियों दर्शाते हुए विवरण

## Statement showing the number of reserved vacancies filled by members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes during the year 01.01.2017 to 31.12.2017

अनुलग्नक IV / Annexure IV

### (ख) पदोन्नति से भरे गए पद (01.01.2017 to 31.12.2017)
### (B) Posts filled by promotion (01.01.2017 to 31.12.2017)

| पद की श्रेणी Class of Post | रिक्तियों की कुल सं. Total No. of Vacancies | | | | आरक्षित रिक्तियों की सं. No. of vacancies reserved | | | | | | नियुक्त अजा/ अजजा/अपिव की सं. No.of SC/ ST/OBC candidates appointed | | | पिछले वर्ष से आगे लाए गए अजा/ अजजा/अपिव की रिक्तियों की सं. (ऐसे मामले जहां अपारक्षण स्वीकृत है) No. of SC/ST/ OBC vacancies carried forward from previous years in such cases where dereservation is permitted) | | | कथित आगे लाए गए वर्ष के दौरान अजा के आरक्षण में नियुक्त अजजा के उम्मीदवार तथा अजजा के आरक्षण में अजा के उम्मीदवारों की सं. (ऐसे मामले जहां अपारक्षण स्वीकृत है) No. of ST candidates appointed against SC reservation & No.of SC candidates appointed against ST reservation in the said year of carry forward (in such cases where dereservation is permitted) | | | तीन भर्ती वर्षों के लिए आगे लाए जाने बाद व्यपगत आरक्षणों की सं. (ऐसे मामले जहां अपारक्षण स्वीकृत है) No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 recruitment years (in such cases where dereservation is permitted) | | | अगले वर्ष के लिए बैकलॉग के रूप में आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों की सं. No.of reserved vacancies carried forward as backlog to next year | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बैकलॉग रिक्तियाँ Backlog Vacancies | | वर्तमान रिक्तियाँ Current Vacancies | | कॉलम 4 में से Out of Col (4) | | | कॉलम 5 में से Out of Col (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अधिसूचित Notified | भरी गई Filled | अधिसूचित Notified | भरी गई Filled | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC | अजा SC | अजजा ST | अपिव OBC |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| श्रेणी I समूह (क) CLASS I Group (A) | 54 | 42 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| श्रेणी II समूह (ख) CLASS II Group (B) | 36 | 30 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| श्रेणी III समूह (ग) CLASS III Group (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| श्रेणी IV समूह (घ) CLASS IV Group (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

अ.प्र.नि.  रायपुर शाखा का उद्घाटन करते हुए।
CMD  inaugurating Raipur Branch.

का.नि.(परिचालन) मदुरै शाखा के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए।
ED (Operations) inaugurating new premises of Madurai Branch.

**फॉर्म बी-आर ए / FORM B-RA**

**ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited**

सीआईएन: यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

**31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता**

**REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018**

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premiums earned (Net) | 1 | 839,23,70.16 | 871,57,27.78 |
| 2 | निवेश की बिक्री / शोधन से लाभ Profit on Sale / Redemption of Investment | | 35,83,87.47 | 9,98,03.14 |
| 3 | निवेश की बिक्री / शोधन से हानि Loss on Sale/Redemption of Investment | | - | (0.11) |
| 4 | अन्य / Others | | | |
| | - शुल्क / Fee | | 1,35,05.56 | 1,40,60.20 |
| | - दावों एवं प्रीमियम पर ब्याज / Interest on Claims & Premium | | 2,21,80.11 | 82,49.52 |
| | - विविध आय / Miscellaneous Income | | 23,46.33 | 21,32.60 |
| | - संपत्ति की बिक्री से लाभ / Profit on Sale of Asset | | 4,73.23 | 3,59.33 |
| 5 | ब्याज एवं लाभांश - सकल / Interest & Dividend - Gross | | 391,48,42.02 | 371,58,61.55 |
| | **कुल (क) / TOTAL (A)** | | **1270,41,04.88** | **1255,61,94.01** |
| 1 | उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net) | 2 | 1138,58,81.99 | 1056,65,01.81 |
| 2 | कमीशन / Commission | 3 | (58,09,97.22) | (70,04,80.73) |
| 3 | बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business | 4 | 192,78,45.71 | 195,49,31.98 |
| 4 | अन्य / Others | | | |
| | - प्रीमियम की कमी / Premium Deficiency | | 121,05,00.00 | (68,20,00.59) |
| | - निवेश पर व्यय / Expenses towards Investment | | 6,13,77.26 | 3,62,52.40 |
| | **कुल (ख) / TOTAL (B)** | | **1400,46,07.74** | **1117,52,04.87** |
| | विविध कारोबार परिचालन से लाभ/( हानि) ग = (क-ख) Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous C =(A-B) | | (130,05,02.86) | 138,09,89.14 |
| | **विनियोजन / APPROPRIATIONS** | | | |
| | शेयरधारकों के खाते में अंतरण / Transfer to Shareholder's Account | | (130,05,02.86) | 138,09,89.14 |
| | आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve | | - | - |
| | अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण / Transfer to Other Reserves | | - | - |
| | **कुल (ग) / TOTAL (C)** | | **(130,05,02.86)** | **138,09,89.14** |

मुख्य लेखा नीतियाँ तथा लेखों के नोट राजस्व खाते के अविभाज्य अंग बनते हैं ।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ग(2) की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रूप में राजस्व खाते में डाला गया है ।

As required by section 40C(2) of the Insurance Act 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, and as far as it appears from our examination of Company's books of account, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses.

**(गीता मुरलीधर)**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
**(Geetha Muralidhar)**
Chairman-cum-Managing Director

**(विद्युत बिहारी स्वाई)**
निदेशक
**(Bidyut Behari Swain)**
Director

**( सरनला मालती रानी)**
निदेशक
**(Saranala Malathi Rani)**
Director

**(गणेश कुमार गुप्ता)**
निदेशक
**(Ganesh Kumar Gupta)**
Director

**(माणेक एरुच डावर)**
निदेशक
**(Maneck Eruch Davar)**
Director

**(एम. सेंथिलनाथन)**
कार्यपालक निदेशक
**(M. Senthilnathan)**
Executive Director

**(राजीव मानवी)**
मुख्य वित्त अधिकारी
**(Rajiv Manavi)**
Chief Financial Officer

**(स्मिता पंडित)**
कंपनी सचिव
**(Smita Pandit)**
Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

**कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या 100990डब्ल्यू
**For Banshi Jain & Associates**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

**(अनुज बी गोलेचा)**
भागीदार - एम.सं. 117617
**(Anuj B. Golecha)**
Partner - M.no. 117617

**कृते ए जे शाह एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या 109477डब्ल्यू
**For A. J. Shah & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109477W

**(देवेंद्र जे श्रीमंकर)**
भागीदार - एम.सं 41920
**(Devendra J. Shrimanker)**
Partner - M.no. 41920

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2018
Place : New Delhi
Dated : 29th May, 2018

## फॉर्म बी-पीएल / FORM B-PL
## ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited

सीआईएनः यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

## 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का लेखा
## PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

पंजीकरण संख्या 124 | पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002
Registration No. 124 | Date of Registration : 27th September, 2002

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **परिचालन लाभ/(हानि) / OPERATING PROFIT/(LOSS)** | | | |
| | (क) अग्नि बीमा (a) Fire Insurance | | - | - |
| | (ख) मरीन बीमा (b) Marine Insurance | | - | - |
| | (ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance | | (130,05,02.86) | 138,09,89.14 |
| 2 | **निवेशों से आय / INCOME FROM INVESTMENTS** | | | |
| | (क) ब्याज व लाभांश- सकल (a) Interest & Dividends-Gross | | 239,94,19.30 | 247,72,41.04 |
| | (ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ (b) Profit on Sale of Investments | | 21,96,56.83 | 6,65,35.42 |
| | घटाएँ: निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments | | - | (0.07) |
| 3 | **अन्य आय / OTHER INCOME** | | | |
| | (क) फ़ैक्टरिंग आय (a) Factoring Income | | - | 21.56 |
| | (ख) एन ई आई ए आय (b) NEIA Income | | 2,06,24.30 | 1,30,87.93 |
| | (ग) किराया व अन्य प्राप्तियाँ (c) Rent & Other receipts | | 5,30.25 | 4,82.11 |
| | (घ) विविध आय (d) Miscellaneous Income | | 1,09,43.03 | 16,27,52.98 |
| | **कुल (क) / TOTAL (A)** | | **135,06,70.85** | **410,11,10.11** |
| 4 | **प्रावधान (कराधान के अलावा) PROVISIONS (Other than Taxation)** | | | |
| | (क) निवेशों के मूल्यह्रास के लिए (a) For diminution in the value of investments | | - | (2,26.38) |
| | (ख) निवेश के लिए प्रावधान (b) Provision for Investments | | | |
| | - मानक आस्ति / Standard Asset | | - | - |
| | - निम्न मानक आस्ति / Sub Standard Asset | | - | - |
| | - सदिंग्ध आस्ति / Doubtful Asset | | 1,52,00.00 | 20,00.00 |
| | (ग) सदिंग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (c) Provision for Doubtful Debts | | - | - |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **अन्य व्यय / OTHER EXPENSES** | | | |
| | (क) बीमा कारोबार के अलावा अन्य व्यय<br>(a) Expenses other than those related to Insurance Business | | | |
| | - निवेशों के लिए किए गए व्यय<br>Expenses towards Investments | | 3,76,18.32 | 2,43,94.64 |
| | - कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए व्यय<br>Expenses towards Corporate Social Responsibility | | - | - |
| | - विविध व्यय / Miscellaneous Expense | | - | 0.01 |
| | (ख) अन्य - फ़ैक्टरिंग व्यय<br>(b) Others - Factoring expenses | | - | - |
| | **कुल (ख) / TOTAL (B)** | | **5,28,18.32** | **2,61,68.27** |
| | **कर पूर्व लाभ ( क - ख) / Profit Before Tax ( A - B)** | | **129,78,52.53** | **407,49,41.84** |
| | घटाएँ / Less: | | | |
| | (क) कराधान के लिए प्रावधान<br>(a) Provision for Taxation | | | |
| | - आस्थगित कर / Deferred Tax | | (2,57,31.23) | 37,09,73.83 |
| | - वर्तमान कर / Current Tax | | 40,00,00.00 | 88,00,00.00 |
| | - न्यूनतम विकल्प कर ऋण पात्रता<br>MAT Credit Entitlement | | - | - |
| | (ख) पूर्व अवधि समायोजन<br>(b) Prior Period Adjustments | | 49,46.45 | 25,26.72 |
| | (ग) कर समायोजन - पूर्व वर्ष<br>(c) Tax Adjustments - Earlier years | | 17,57,82.39 | - |
| | विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ<br>Profit available for appropriation | | **74,28,54.92** | **282,14,41.29** |
| | **विनियोजन / APPROPRIATIONS** | | | |
| | (क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश<br>(a) Interim Dividends Paid During the Year | | - | - |
| | (ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर<br>(b) Dividend Distribution Tax on Interim Dividend | | - | - |
| | (ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश<br>(c) Proposed Final Dividend | | - | 72,50,00.00 |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|---|
| | (घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर<br>(d) Dividend Distribution Tax on Proposed Dividend | | - | 14,75,92.94 |
| | (ङ) निगमित सामाजिक दायित्व के लिए व्यय<br>(e) Expenses towards Corporate Social Responsibility | | 6,36,82.66 | 5,03,84.11 |
| | (च) निगमित सामाजिक दायित्व व संधारणीय विकास में अंतरण<br>(f) Transfer to Corporate Social Responsibility & SD | | - | - |
| | (छ) फ़ैक्टरिंग योजना के लिए रिजर्व में अंतरण<br>(g) Transfer to Reserve for Factoring Scheme | | - | - |
| | (ज) सामान्य निधियों में अंतरण<br>(h) Transfer to General Reserve | | 67,91,72.26 | 189,84,64.24 |
| | पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ/हानि शेष<br>Balance of profit/loss brought forward from last year | | - | - |
| | तुलन पत्र में आगे लाए गए शेष<br>Balance carried forward to Balance Sheet | | - | - |

**(गीता मुरलीधर)**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
**(Geetha Muralidhar)**
Chairman-cum-Managing Director

**(विद्युत बिहारी स्वाईं)**
निदेशक
**(Bidyut Behari Swain)**
Director

**( सरनला मालती रानी)**
निदेशक
**(Saranala Malathi Rani)**
Director

**(गणेश कुमार गुप्ता)**
निदेशक
**(Ganesh Kumar Gupta)**
Director

**(माणेक एरुच डावर)**
निदेशक
**(Maneck Eruch Davar)**
Director

**(एम. सेंथिलनाथन)**
कार्यपालक निदेशक
**(M. Senthilnathan)**
Executive Director

**(राजीव मानवी)**
मुख्य वित्त अधिकारी
**(Rajiv Manavi)**
Chief Financial Officer

**(स्मिता पंडित)**
कंपनी सचिव
**(Smita Pandit)**
Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

**कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या 100990डब्ल्यू
**For Banshi Jain & Associates**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

**(अनुज बी गोलेचा)**
भागीदार - एम.सं. 117617
**(Anuj B. Golecha)**
Partner - M.no. 117617

**कृते ए जे शाह एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या 109477डब्ल्यू
**For A. J. Shah & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109477W

**(देवेंद्र जे श्रीमंकर)**
भागीदार - एम.सं 41920
**(Devendra J. Shrimanker)**
Partner - M.no. 41920

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2018
Place : New Delhi
Dated : 29th May, 2018

## फॉर्म बी-बीएस / FORM B-BS
## ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Limited
सीआईएन: यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918
## 31 मार्च, 2018 तक का तुलन पत्र
## BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

| विवरण<br>Particulars | अनुसूची<br>Schedule | वर्तमान अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Current Period<br>Audited<br>(₹ '000) | पिछली अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Previous Period<br>Audited<br>(₹ '000) |
|---|---|---|---|
| **I. निधियों के स्त्रोत<br>SOURCES OF FUNDS** | | | |
| शेयर पूंजी / Share Capital | 5 | 1500,00,00.00 | 1450,00,00.00 |
| प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष / Reserves and Surplus | 6 | 2237,11,20.47 | 2169,19,48.21 |
| शेयर पूंजी पर अग्रिम / Advance Against Share Capital | | - | - |
| उचित मूल्य परिवर्तन खाता / Fair Value Change Account | | 320,36,98.57 | 302,29,68.16 |
| ऋण / Borrowings | 7 | - | - |
| आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability | | - | - |
| **कुल / Total** | | **4057,48,19.04** | **3921,49,16.37** |
| **II. निधियों का प्रयोग<br>APPLICATION OF FUNDS** | | | |
| निवेश / Investments | 8 & 8A | 8306,94,10.36 | 7891,73,37.35 |
| ऋण / Loans | 9 | - | - |
| अचल संपत्ति / Fixed Assets | 10 | 231,06,34.26 | 233,00,01.84 |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / Deferred Tax Assets | | 21,92,81.76 | 19,35,50.53 |
| वर्तमान परिसंपत्तियाँ / Current Assets | | | |
| नकद व बैंक शेष / Cash and Bank Balances | 11 | 512,51,59.57 | 451,61,52.67 |
| अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / Advances and Other Assets | 12 | 1369,62,26.70 | 1179,44,64.41 |
| **उप कुल (क) / Sub Total (A)** | | **1882,13,86.27** | **1631,06,17.08** |
| वर्तमान देयताएँ / Current Liabilities | 13 | 5740,59,11.94 | 5239,06,52.48 |
| प्रावधान / Provisions | 14 | 643,99,81.67 | 614,59,37.95 |
| **उप कुल (ख) / Sub Total (B)** | | **6384,58,93.61** | **5853,65,90.43** |
| **शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ग) = (क-ख)<br>Net Current Assets (C) = (A-B)** | | **(4502,45,07.34)** | **(4222,59,73.35)** |

| विवरण<br>Particulars | अनुसूची<br>Schedule | वर्तमान अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Current Period<br>Audited<br>(₹ '000) | पिछली अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Previous Period<br>Audited<br>(₹ '000) |
|---|---|---|---|
| उचित मूल्य परिवर्तन खाता / Fair Value Change Account | | - | - |
| विविध व्यय / Miscellaneous Expenditure<br>(उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो)<br>(to the extent not written off or adjusted) | 15 | - | - |
| लाभ और हानि खाते में नामे शेष<br>Debit Balance in Profit & Loss Account | | - | - |
| **कुल / TOTAL** | | **4057,48,19.04** | **3921,49,16.37** |
| महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियाँ<br>SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES | 16 | | |
| लेखा के भाग के रूप में टिप्पणियाँ<br>NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS | 17 | | |

**(गीता मुरलीधर)**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
**(Geetha Muralidhar)**
Chairman-cum-Managing Director

**(विद्युत बिहारी स्वाईं)**
निदेशक
**(Bidyut Behari Swain)**
Director

**( सरनला मालती रानी)**
निदेशक
**(Saranala Malathi Rani)**
Director

**(गणेश कुमार गुप्ता)**
निदेशक
**(Ganesh Kumar Gupta)**
Director

**(माणेक एरुच डावर)**
निदेशक
**(Maneck Eruch Davar)**
Director

**(एम. सेंथिलनाथन)**
कार्यपालक निदेशक
**(M. Senthilnathan)**
Executive Director

**(राजीव मानवी)**
मुख्य वित्त अधिकारी
**(Rajiv Manavi)**
Chief Financial Officer

**(स्मिता पंडित)**
कंपनी सचिव
**(Smita Pandit)**
Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

**कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या 100990डब्ल्यू
**For Banshi Jain & Associates**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

**(अनुज बी गोलेचा)**
भागीदार - एम.सं. 117617
**(Anuj B. Golecha)**
Partner - M.no. 117617

**कृते ए जे शाह एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या 109477डब्ल्यू
**For A. J. Shah & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109477W

**(देवेंद्र जे श्रीमंकर)**
भागीदार - एम.सं 41920
**(Devendra J. Shrimanker)**
Partner - M.no. 41920

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2018
Place : New Delhi
Dated : 29th May, 2018

## अनुसूची - 1 / SCHEDULE - 1
## अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)

| विवरण<br>Particulars | वर्तमान अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Current Period<br>Audited<br>(₹ '000) | पिछली अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Previous Period<br>Audited<br>(₹ '000) |
|---|---|---|
| सीधे कारोबार से प्रीमियम / Premium from Direct Business Written | 1240,41,70.70 | 1267,62,48.71 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add : Premium on Reinsurance Accepted | - | - |
| घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded | 401,59,21.75 | 427,97,57.34 |
| शुद्ध प्रीमियम / Net Premium | **838,82,48.95** | **839,64,91.37** |
| असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन<br>Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks | 41,21.21 | 31,92,36.41 |
| **कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Total Premium Earned (Net)** | **839,23,70.16** | **871,57,27.78** |

## अनुसूची - 2 / SCHEDULE - 2
## उपगत दावे (शुद्ध) / CLAIMS INCURRED (NET)

| विवरण<br>Particulars | | वर्तमान अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Current Period<br>Audited<br>(₹ '000) | पिछली अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Previous Period<br>Audited<br>(₹ '000) |
|---|---|---|---|
| प्रदत्त दावे / Claims Paid | | | |
| सीधे / Direct | | 1283,16,55.91 | 885,33,90.16 |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा<br>Add : Reinsurance accepted | | - | - |
| घटाएँ : सौंपा गया पुनर्बीमा<br>Less : Reinsurance ceded | | 471,80,34.72 | 216,25,09.68 |
| घटाएँ :<br>Less : | | | |
| वर्ष के दौरान वसूल किए गए / Recovered during the year | 185,61,14.03 | | 131,34,11.51 |
| घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता को लौटाए गए / Less : Share of reinsurer | 46,09,70.75 | | 24,21,95.97 |
| | **139,51,43.28** | 139,51,43.28 | 107,12,15.54 |
| शुद्ध प्रदत्त दावे (क) / Net Claims paid **(A)** | (क) / **(A)** | **671,84,77.91** | **561,96,64.94** |
| जोड़ें : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध)<br>Add : Claims Outstanding at the end of the year (net of reinsurance) | | 5345,88,46.99 | 4879,27,35.21 |
| वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध)<br>Minus provision for recovery (net of reinsurance) | | - | 12,92.30 |
| | (ख) / **(B)** | **5345,88,46.99** | **4879,14,42.91** |
| घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध)<br>Less : Claims Outstanding at the beginning (net of reinsurance) | | 4879,27,35.21 | 4398,27,18.21 |
| वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध)<br>Minus Provision for recovery (net of reinsurance) | | 12,92.30 | 13,81,12.17 |
| | (ग) / **(C)** | **4879,14,42.91** | **4384,46,06.04** |
| **कुल उपगत दावे<br>Total Claims Incurred** | (क + ख + ग)<br>**(A + B - C)** | **1138,58,81.99** | **1056,65,01.81** |

## अनुसूची - 3 / SCHEDULE - 3
## कमीशन / COMMISSION

| विवरण<br>Particulars | वर्तमान अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Current Period<br>Audited<br>(₹ '000) | पिछली अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Previous Period<br>Audited<br>(₹ '000) |
|---|---|---|
| प्रदत्त कमीशन / Commission Paid | | |
| सीधे / Direct | 4,99,67.06 | 3,43,03.81 |
| **कुल (क) / TOTAL (A)** | **4,99,67.06** | **3,43,03.81** |
| जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा<br>Add : Reinsurance Accepted | - | - |
| घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन<br>Less: Commission on Re-insurance Ceded | 63,09,64.28 | 73,47,84.54 |
| **शुद्ध कमीशन / Net Commission** | **(58,09,97.22)** | **(70,04,80.73)** |
| **नोट : लाभ/कमीशन, यदि कोई है तो स्वीकृत पुनर्बीमा या सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों में शामिल किया जाए।**<br>**Note: The profit/commission, if any are to be combined with the Re-insurance accepted or Re-insurance ceded figures.** | | |
| **नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कारोबार के उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्रेक अप**<br>**Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:** | | |
| एजेंट / Agents | - | - |
| ब्रोकर / Brokers | 4,99,66.93 | 3,40,72.39 |
| कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency | 0.13 | 2,31.42 |
| अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (pl. specify) | - | - |
| **कुल (ख) / TOTAL (B)** | **4,99,67.06** | **3,43,03.81** |
| नोटः उपरोक्त (क) व (ख) के जोड़ का मिलान होना चाहिए<br>Note: Total (A) and (B) above should tally. | | |

## अनुसूची - 4 / SCHEDULE - 4
## बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

| क्र.सं.<br>Sr.<br>No. | विवरण<br>Particulars | वर्तमान अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Current Period<br>Audited<br>(₹ '000) | पिछली अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Previous Period<br>Audited<br>(₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 1 | कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं<br>Employees' Remuneration and Welfare benefits | 93,85,08.00 | 106,22,46.36 |
| 2 | यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय<br>Travel, Conveyance and Vehicle running expenses | 11,01,31.84 | 10,11,10.54 |
| 3 | प्रशिक्षण व्यय / Training expenses | 1,80,82.14 | 1,57,14.29 |
| 4 | किराया, दर व कर / Rent, Rates & Taxes | 21,89,45.01 | 17,71,98.89 |
| 5 | मरम्मत / Repairs | 17,15,71.26 | 12,94,46.67 |
| 6 | प्रिंटिंग व स्टेशनरी / Printing & Stationery | 1,34,39.29 | 1,10,66.56 |
| 7 | सूचना व्यय / Communication expenses | 2,58,73.14 | 2,61,45.34 |
| 8 | कानूनी व व्यवसायिक प्रभार / Legal & Professional charges | 4,44,22.02 | 5,19,71.78 |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 9 | लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि / Auditors' fees, expenses, etc. | | |
| | (क) लेखा परीक्षक के रूप में<br>(a) As auditor | 68,85.39 | 58,44.89 |
| | (ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता या किसी अन्य सेवा के रूप में<br>(b) As adviser or in any other capacity, in respect of | | |
| | (i) कराधान मामले / Taxation matters | 12,84.06 | 10,92.74 |
| | (ii) बीमा मामले / Insurance matters | - | - |
| | (iii) प्रबंधन सेवाएँ / Management services | - | - |
| | (ग) किसी अन्य सेवा के लिए<br>(c) In any other capacity | 73,84.10 | 48,17.68 |
| 10 | विज्ञापन व प्रचार / Advertisement and Publicity | 11,15,41.36 | 15,18,82.24 |
| 11 | ब्याज व बैंक प्रभार / Interest and Bank Charges | 7,14.36 | 9,73.03 |
| 12 | अन्य - विविध व्यय व अन्य व्यय<br>Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses | 22,72,52.80 | 18,18,21.09 |
| 13 | मूल्यह्रास / Depreciation | 3,18,10.94 | 3,35,99.88 |
| | **कुल / TOTAL** | **192,78,45.71** | **195,49,31.98** |

## अनुसूची - 5 / SCHEDULE - 5
## शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 1 | प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital | | |
| | ₹100 प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर<br>50,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each | 5000,00,00.00 | 5000,00,00.00 |
| | (पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर)<br>(Previous Year 50,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each) | | |
| 2 | निर्गमित पूंजी / Issued Capital | | |
| | ₹100 प्रत्येक के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर<br>15,00,00,000 Equity Shares of ₹ 100 each | 1500,00,00.00 | 1450,00,00.00 |
| | (पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 14,50,00,000 इक्विटी शेयर)<br>(Previous Year 14,50,00,000 Equity Shares of ₹100 each) | | |
| 3 | अभिदत्त पूंजी / Subscribed Capital | 1500,00,00.00 | 1450,00,00.00 |
| | ₹100 प्रत्येक के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर<br>15,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each | | |
| | (पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 14,50,00,000 इक्विटी शेयर)<br>(Previous Year 14,50,00,000 Equity Shares of ₹100 each) | | |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 4 | मांगी गई व प्रदत्त पूंजी / Called up & Paid up Capital | 1500,00,00.00 | 1450,00,00.00 |
| | ₹100 प्रत्येक के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर<br>15,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each | | |
| | (पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 14,50,00,000 इक्विटी शेयर)<br>(Previous Year 14,50,00,000 Equity Shares of ₹100 each) | | |
| | जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि)<br>Add : Equity Shares forfeited (Amount originally paid up) | - | - |
| | घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सं मूल्य<br>Less : Par Value of Equity Shares bought back | - | - |
| | घटाएँ : आरंभिक व्यय<br>Less : Preliminary Expenses | - | - |
| | शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय<br>Expenses including commission or brokerage | - | - |
| | on Underwriting or subscription of shares | - | - |
| | **कुल / TOTAL** | **1500,00,00.00** | **1450,00,00.00** |

## अनुसूची - 5क / SCHEDULE - 5A

### शेयर धारण का नमूना (प्रबंधन द्वारा प्रमाणन के अनुसार ) / PATTERN OF SHAREHOLDING (As Certified by the Management)

| शेयरधारक Shareholder | वर्तमान अवधि Current Year | | पिछली अवधि Previous Period | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या No. of Shares | धारिता का % % of holding | शेयरों की संख्या No. of Shares | धारिता का % % of holding |
| प्रवर्तक / Promoters | | | | |
| भारतीय / Indian | | | | |
| भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामित President of India & His Nominees | 150,000,000.00 | 100.00 | 145,000,000.00 | 100.00 |
| विदेशी / Foreign | - | - | - | - |
| अन्य / Others | - | - | - | - |
| **कुल / Total** | **15000,00,00.00** | **100.00** | **14500,00,00.00** | **100.00** |

## अनुसूची - 6 / SCHEDULE - 6
## प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 1 | पूंजीगत प्रारक्षित निधि / Capital Reserve | - | - |
| 2 | पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि / Capital Redemption Reserve | - | - |
| 3 | शेयर प्रीमियम / Share Premium | - | - |
| 4 | सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा<br>General Reserve - Opening Balance | 2109,19,48.21 | 1919,34,83.97 |
| | वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during year | 67,91,72.26 | 189,84,64.24 |
| | | 2177,11,20.47 | 2109,19,48.21 |
| | वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during year | | |
| | | 2177,11,20.47 | 2109,19,48.21 |
| 5 | आकस्मिक प्रारक्षित निधि / Catastrophe Reserve | - | - |
| 6 | फ़ैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि / Factoring Scheme Reserve | 60,00,00.00 | 60,00,00.00 |
| 7 | अन्य प्रारक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य)<br>Other Reserves (to be specified) | - | - |
| 8 | लाभ व हानि खाता में शेष / Balance in Profit & Loss Account | - | - |
| | **कुल / TOTAL** | **2237,11,20.47** | **2169,19,48.21** |

## अनुसूची - 7 / SCHEDULE - 7
## उधार / BORROWINGS

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 1 | डिबेंचर/ बॉन्ड / Debentures/Bonds | - | - |
| 2 | बैंक (असंरक्षित - 12 महीनों से कम में वापस लौटने योग्य)<br>Banks (unsecured - repayable in less than 12 months) | - | - |
| 3 | वित्तीय संस्थान / Financial Institutions | - | - |
| 4 | अन्य / Others | - | - |
| | **कुल / TOTAL** | **-** | **-** |

## अनुसूची - 8 / SCHEDULE - 8
## निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| | **दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS** | | |
| 1 | सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय<br>Government securities and Government guaranted bonds including<br>राजकोषीय बिल / Treasury Bills | | |
| | केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities | 701,65,84.54 | 747,75,51.28 |
| | राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities | 510,64,92.49 | 526,11,78.79 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities | 24,72,76.60 | 26,03,70.03 |
| 3 | अनुमोदित निवेश / Approved Investments | | |
| | क. शेयर<br>a. Shares | | |
| | कक. इक्विटी<br>aa. Equity | 462,15,24.99 | 353,00,82.70 |
| | खख. अधिमानित शेयर<br>bb. Preference Shares | - | - |
| | ख. म्यूचल फंड<br>b. Mutual Funds | - | - |
| | ग. डेरिवेटिव प्रपत्र<br>c. Derivative Instruments | - | - |
| | घ. डिबेंचर/बॉन्ड<br>d. Debentures/Bonds | - | - |
| | I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश<br>Investment in housing sector Bonds | 356,45,10.40 | 445,17,64.15 |
| | II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड<br>Market sector Bonds | 130,83,13.28 | 169,49,14.41 |
| | ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाए योग्य)<br>e. Other Securities (to be specified) | - | - |
| | च. गौण मद<br>f. Subsidiaries | - | - |
| | छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन<br>g. Investment Properties-Real Estate | - | - |
| 4 | मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश<br>Investments in Infrastructure and Social Sector | 686,03,25.08 | 687,91,55.21 |
| 5 | अन्य निवेश / Other Investments | 44,05,27.63 | 69,01,60.47 |
| | **कुल (क) / Total (A)** | **2916,55,55.01** | **3024,51,77.04** |
| | **अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS** | | |
| 1 | सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय<br>Government securities and Government guaranted bonds including<br>राजकोषीय बिल / Treasury Bills | | |
| | केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities | 31,22,90.89 | 25,91,69.73 |
| | राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities | 19,24,75.18 | 7,97,94.30 |

| क्र.सं.<br>Sr.<br>No. | विवरण<br>Particulars | वर्तमान अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Current Period<br>Audited<br>(₹ '000) | पिछली अवधि<br>लेखा परीक्षित<br>Previous Period<br>Audited<br>(₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities | - | - |
| 3 | अनुमोदित निवेश / Approved Investments | | - |
| | क. निवेश<br>a. Shares | | - |
| | कक. इक्विटी<br>aa. Equity | - | - |
| | खख. अधिमानित<br>bb. Preference | - | - |
| | ख. म्यूचल फंड<br>b. Mutual Funds | - | - |
| | ग. डेरिवेटिव प्रपत्र<br>c. Derivative Instruments | - | - |
| | घ. डिबेंचर/बॉन्ड<br>d. Debentures/Bonds | - | - |
| | I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश<br>Investment in housing sector Bonds | 83,58,34.99 | 53,27,18.67 |
| | II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड<br>Market sector Bonds | 24,33,04.82 | 10,00,00.15 |
| | ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ<br>e. Other Securities | - | 17,59,18.11 |
| | च. गौण मद<br>f. Subsidiaries | - | - |
| | छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन<br>g. Investment Properties-Real Estate | - | - |
| 4 | मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश<br>Investments in Infrastructure and Social Sector | 72,19,14.94 | 14,91,56.88 |
| 5 | अन्य निवेश / Other Investments | 9,50,00.10 | 2,50,00.06 |
| | **कुल (ख ) / Total (B)** | **240,08,20.92** | **132,17,57.90** |
| | **कुल ( क + ख) / TOTAL (A + B)** | **3156,63,75.93** | **3156,69,34.94** |

## अनुसूची - 8अ / SCHEDULE - 8A
## निवेश (पॉलिसीधारक) / INVESTMENTS (POLICYHOLDER)

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| | **दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS** | | |
| 1 | सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय<br>Government securities and Government guaranted bonds including | | |
| | राजकोषीय बिल / Treasury Bills | | |
| | केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities | 1144,81,11.63 | 1121,63,26.92 |
| | राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities | 833,16,45.64 | 789,17,68.18 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities | 40,34,51.30 | 39,05,55.05 |
| 3 | अनुमोदित निवेश / Approved Investments | | |
| | क. शेयर<br>a. Shares | | |
| | कक. इक्विटी<br>aa. Equity | 754,03,82.89 | 529,51,24.06 |
| | खख. अधिमानित शेयर<br>bb. Preference Shares | - | - |
| | ख. म्यूचल फंड<br>b. Mutual Funds | - | - |
| | ग. डेरिवेटिव प्रपत्र<br>c. Derivative Instruments | - | - |
| | घ. डिबेंचर/बॉन्ड<br>d. Debentures/Bonds | - | - |
| | I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश<br>Investment in housing sector Bonds | 581,57,80.13 | 667,76,46.23 |
| | II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड<br>Market sector Bonds | 213,46,16.39 | 254,23,71.61 |
| | ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाए योग्य)<br>e. Other Securities (to be specified) | - | - |
| | च. गौण मद<br>f. Subsidiaries | - | - |
| | छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन<br>g. Investment Properties-Real Estate | - | - |
| 4 | मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश<br>Investments in Infrastructure and Social Sector | 1119,31,61.98 | 1031,87,32.81 |
| 5 | अन्य निवेश<br>Other Investments | 71,87,55.60 | 103,52,40.69 |
| | **कुल (क) / Total (A)** | **4758,59,05.56** | **4536,77,65.55** |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| | **अल्पावधि निवेश / SHORT TERM INVESTMENTS** | | |
| 1 | सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड मय<br>Government securities and Government guaranted bonds including | | |
| | राजकोषीय बिल / Treasury Bills | | |
| | केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities | 50,95,27.25 | 38,87,54.60 |
| | राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities | 31,40,38.46 | 11,96,91.44 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities | - | - |
| 3 | अनुमोदित निवेश / Approved Investments | | |
| | क. शेयर<br>a. Shares | | |
| | कक. इक्विटी<br>aa. Equity | - | - |
| | खख. अधिमानित शेयर<br>bb. Preference | - | - |
| | ख. म्यूचल फंड<br>b. Mutual Funds | - | - |
| | ग. डेरिवेटिव प्रपत्र<br>c. Derivative Instruments | - | - |
| | घ. डिबेंचर/बॉन्ड<br>d. Debentures/Bonds | - | - |
| | I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश<br>Investment in housing sector Bonds | 136,37,30.76 | 79,90,78.02 |
| | II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड<br>Market sector Bonds | 39,69,71.03 | 15,00,00.24 |
| | ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाए योग्य)<br>e. Other Securities | - | 26,38,77.16 |
| | च. गौण मद<br>f. Subsidiaries | - | - |
| | छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन<br>g. Investment Properties-Real Estate | - | - |
| 4 | मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश<br>Investments in Infrastructure and Social Sector | 117,78,61.21 | 22,37,35.32 |
| 5 | अन्य निवेश / Other Investments | 15,50,00.16 | 3,75,00.09 |
| | **कुल (ख) / Total (B)** | **391,71,28.87** | **198,26,36.86** |
| | **कुल (क + ख) / TOTAL (A + B)** | **5150,30,34.43** | **4735,04,02.41** |

## अनुसूची - 9 / SCHEDULE - 9
## ऋण / LOANS

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 1 | **प्रतिभूतिवार वर्गीकरण / SECURITY-WISE CLASSIFICATION** | | |
| | जमानती / Secured | | |
| | (क) संपत्ति के बंधक रखने पर | | |
| | (a) On mortgage of property | | |
| | भारत में / In India | - | - |
| | भारत के बाहर / Outside India | - | - |
| | घटाएँ : अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान | - | - |
| | Less : Provision for doubtful debts | | |
| | (ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर | - | - |
| | (b) On Shares, Bonds, Government Securities | | |
| | (ग) अन्य | - | - |
| | (c) Others | | |
| | गैर जमानती / Unsecured | - | - |
| | **कुल / TOTAL** | **-** | **-** |
| 2 | लेनदारवार वर्गीकरण | | |
| | BORROWER-WISE CLASSIFICATION | | |
| | (क) केंद्र व राज्य सरकार | - | - |
| | (a) Central and State Governments | | |
| | (ख) बैंक व वित्तीय संस्थान | - | - |
| | (b) Banks and Financial Institutions | | |
| | (ग) अनुषंगी | - | - |
| | (c) Subsidiaries | | |
| | (घ) औद्योगिक उपक्रम | - | - |
| | (d) Industrial Undertakings | | |
| | (ड़) अन्य | - | - |
| | (e) Others | | |
| | **कुल / TOTAL** | **-** | **-** |
| 3 | निष्पादनवार वर्गीकरण | | |
| | PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION | | |
| | (क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण | | |
| | (a) Loans classified as standard | | |
| | भारत में / In India | - | - |
| | भारत के बाहर / Outside India | - | - |
| | (ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण | | |
| | (b) Non-performing loans less provisions | | |
| | भारत में / In India | - | - |
| | भारत के बाहर / Outside India | - | - |
| | **कुल / TOTAL** | **-** | **-** |
| 4 | परिपक्वता आधारित वर्गीकरण | | |
| | MATURITY -WISE CLASSIFICATION | | |
| | (क) अल्पावधि | - | - |
| | (a) Short Term | | |
| | (ख) दीर्घावधि | - | - |
| | (b) Long Term | | |
| | **कुल / TOTAL** | **-** | **-** |

# अनुसूची - 10 / SCHEDULE - 10
## अचल परिसंपत्तियाँ / FIXED ASSETS

आंकड़े ₹ '000 में / Figures in ₹ '000

| | | सकल ब्लॉक / Gross Block | | | | | मूल्यह्रास / Depreciation | | | | | परिसंपत्तियों का अनर्जन / Impairment of Assets | | | | शुद्ध ब्लॉक / Net Block | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. Sr. No. | विवरण Particulars | प्रारंभिक Opening | समायोजन Adjustment | परिवर्धन Additions | कटौतियाँ Deductions | अंतिम Closing | प्रारंभिक Opening | समायोजन Adjustment | वर्ष के लिए For the Year | बिक्री पर/ समायोजन On Sale / Adjustments | दिनांक तक To date | प्रारंभिक Opening | अतिरिक्त अनर्जन Additional Impairment | उत्क्रमण Reversal | दिनांक तक To date | 31.03.2015 तक As at 31.03.2018 | 31.03.2014 तक As at 31.03.2017 |
| 1 | साख Good Will | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | अमूर्त Intangibles | 4,42,34.55 | - | 62,71.70 | - | 5,05,06.25 | 4,07,99.00 | - | 18,51.30 | - | 4,26,50.30 | - | - | - | - | 78,55.95 | 34,35.55 |
| 3 | भूमि पूर्ण स्वामित्व वाली Land - Free Hold | 74,81,52.33 | - | - | - | 74,81,52.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,81,52.33 | 74,81,52.33 |
| 4 | पट्टे पर ली गई संपत्ति Leasehold Property | 6,89,31.54 | - | - | - | 6,89,31.54 | 1,41,96.47 | - | 7,97.52 | - | 1,49,93.99 | - | - | - | - | 5,39,37.55 | 5,47,35.07 |
| 5 | भवन Building | 43,55,57.41 | - | - | - | 43,55,57.41 | 12,95,38.38 | - | 74,93.76 | - | 13,70,32.14 | - | - | - | - | 29,85,25.27 | 30,60,19.03 |
| 6 | फर्नीचर तथा फिटिंग Furniture and Fittings | 16,66,08.31 | - | 98,36.48 | 27,62.56 | 17,36,82.23 | 13,94,93.51 | - | 52,62.31 | 27,25.88 | 14,20,29.94 | - | - | - | - | 3,16,52.29 | 2,71,14.80 |
| 7 | सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण Information Technology Equipment | 16,27,89.56 | - | 1,10,91.15 | 55,00.03 | 16,83,80.68 | 14,97,24.45 | 17.05 | 77,84.68 | 54,83.46 | 15,20,42.72 | - | - | - | - | 1,63,37.96 | 1,30,65.11 |
| 8 | वाहन Vehicles | 7,14,41.64 | - | 17,85.03 | - | 7,32,26.67 | 6,62,79.34 | - | 17,28.97 | - | 6,80,08.31 | - | - | - | - | 52,18.36 | 51,62.30 |
| 9 | कार्यालय उपकरण Office Equipment | 7,49,78.03 | - | 73,90.66 | 21,50.62 | 8,02,18.07 | 5,56,95.06 | - | 68,92.40 | 21,01.60 | 6,04,85.86 | - | - | - | - | 1,97,32.21 | 1,92,82.97 |
| | कुल **Total** | **177,26,93.37** | - | **3,63,75.02** | **1,04,13.21** | **179,86,55.18** | **59,57,26.21** | **17.05** | **3,18,10.94** | **1,03,10.94** | **61,72,43.26** | - | - | - | - | **118,14,11.92** | **117,69,67.16** |
| | प्रगतिरत कार्य Work in Progress | | | | | | | | | | | | | | | 112,92,22.34 | 115,30,34.68 |
| | कुल योग Grand Total | 177,26,93.37 | - | 3,63,75.02 | 1,04,13.21 | 179,86,55.18 | 59,57,26.21 | 17.05 | 3,18,10.94 | 1,03,10.94 | 61,72,43.26 | - | - | - | - | 231,06,34.26 | 233,00,01.84 |
| | पिछले वर्ष Previous Year | 174,82,33.20 | - | 2,96,11.27 | 51,51.10 | 177,26,93.37 | 56,72,57.65 | - | 3,35,99.88 | 51,31.32 | 59,57,26.21 | 2.22 | - | 2.22 | - | 233,00,01.84 | 195,27,64.36 |

## अनुसूची - 11 / SCHEDULE - 11
## नकदी व बैंक शेष / CASH AND BANK BALANCES

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 1 | नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित)<br>Cash (including cheques, drafts and stamps) | 66,64.35 | 1,07,88.35 |
| 2 | बैंक शेष / Bank Balances | | |
| | (क) जमा खाते<br>(a) Deposit Accounts | | |
| | अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय):<br>Short Term (due within 12 months): | | |
| | अनुसूचित बैंकों के पास<br>With Schedule Banks | 283,40,00.00 | 431,63,00.00 |
| | वित्तीय संस्थानों के पास<br>With Financial Institutions | 208,70,00.00 | - |
| | अन्य / Others | | |
| | अनुसूचित बैंकों के पास / With Schedule Banks | 7,65,00.00 | 4,65,00.00 |
| | वित्तीय संस्थानों के पास / With Financial Institution | - | - |
| | (ख) चालू खाता<br>(b) Current Accounts | 12,08,95.22 | 14,24,64.32 |
| | (ग ) अन्य - भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष<br>(c) Others - Balance with Reserve Bank of India | 1,00.00 | 1,00.00 |
| 3 | मांग एवं अल्प नोटिस मुद्रा<br>Money at Call and Short Notice | | |
| | बैंकों के पास / With Banks | - | - |
| | बैंकों के पास / With other Institutions | - | - |
| | **कुल / TOTAL** | **512,51,59.57** | **451,61,52.67** |

## अनुसूची - 12 / SCHEDULE - 12
## अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| | **अग्रिम / ADVANCES** | | |
| 1 | सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ<br>Reserve deposits with ceding companies | - | - |
| 2 | निवेशों के लिए आवेदन राशि<br>Application money for investments | - | - |
| 3 | समय पूर्व भुगतान / Prepayments | 8,84,69.14 | 10,88,11.43 |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 4 | पूंजी व्ययों के लिए अग्रिम<br>Advance for Capital Expenses | - | - |
| 5 | प्रदत्त अग्रिम कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान)<br>Advance Tax paid (Net of provision for taxation) | 713,65,33.81 | 655,09,74.21 |
| 6 | न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण पात्रता / MAT Credit Entitlement | - | - |
| 7 | बैंकों को लेखागत दावा अदायगी<br>On account claim payment to Banks | - | - |
| | घटाएँ : सदिंग्ध वसूली के लिए प्रावधान<br>Less: Provision for Doubtful Recovery | - | - |
| 8 | कर्मचारियों को अग्रिम / Advances to Employees | 24,16,44.99 | 16,77,99.55 |
| 9 | व्ययों के लिए अग्रिम / Advance for Expenses | 7,84.06 | 1,64,01.63 |
| | **कुल (क) / TOTAL (A)** | **746,74,32.00** | **684,39,86.82** |
| | **अन्य परिसंपत्तियाँ / OTHER ASSETS** | | |
| 1 | निवेशों पर प्रोद्भूत आय<br>Income accrued on Investments | 227,93,42.90 | 225,14,17.60 |
| 2 | बकाया प्रीमियम / Outstanding Premiums | - | - |
| 3 | एजेंटों के शेष / Agents' Balances | - | - |
| 4 | विदेशी एजेंसियों के शेष / Foreign Agencies Balances | - | - |
| 5 | बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन्य इकाइयों से देय<br>Due from other entities carrying on insurance<br>कारोबार (पुनर्बीमाकर्ता सहित)<br>Business (including reinsurers) | 320,62,56.11 | 235,27,02.42 |
| 6 | गौण/धारक इकाइयों से देय<br>Due from subsidiaries/holding | - | - |
| 7 | भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा<br>Deposit with Reserve Bank of India | - | - |
| | (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप)<br>(Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938) | - | - |
| 8 | आवास ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज<br>Interest accrued on Housing Loan | 2,94,29.67 | 3,33,11.87 |
| 9 | विविध देनदार- / Sundry Debtors- | | |
| | मानक परिसंपत्तियाँ / Standard Asset | | - |
| | घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान<br>Less : Provision for Standard Asset | | - |
| | **(I)** | | - |
| | निम्न मानक परिसंपत्तियाँ / Sub - Standard Asset | | - |
| | घटाएँ : निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान<br>Less : Provision for Sub - Standard Asset | | - |
| | **(II)** | - | - |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|---|
| | सदिंग्ध परिसंपत्तियाँ / Doubtful Asset | 7,04,26.80 | | 7,04,26.80 |
| | घटाएँ : सदिंग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान<br>Less : Provision for Doubtful Asset | 7,04,26.80 | | 7,04,26.80 |
| | (III) | | - | - |
| | ( I + II + III ) | | - | - |
| 10 | अन्यों से वसूली योग्य राशि<br>Amount Recoverable from others | 55,29,04.95 | | 15,96,43.58 |
| | घटाएँ : सदिंग्ध वसूली के लिए प्रावधान<br>Less: Provision for Doubtful Recovery | 5,94,71.30 | | 1,95,11.50 |
| | | 49,34,33.65 | 49,34,33.65 | 14,01,32.08 |
| 11 | विविध जमाएँ / Sundry Deposits | 20,28,31.90 | | 15,40,58.86 |
| | घटाएँ : सदिंग्ध ऋणों के लिए प्रावधान<br>Less : Provision for Doubtful Debts | | | |
| | | 20,28,31.90 | 20,28,31.90 | 15,40,58.86 |
| 12 | पॉलिसीधारकों की परिसंपत्तियों हेतु अदावा राशि<br>Unclaimed Amount for Policyholder Assets | | 1,75,00.47 | 1,88,54.76 |
| | शाखाओं के मध्य / Inter - branch | | - | - |
| | **कुल (ख) / TOTAL (B)** | | **622,87,94.70** | **495,04,77.59** |
| | **कुल (क + ख) / TOTAL (A+B)** | | **1369,62,26.70** | **1179,44,64.41** |

## अनुसूची - 13 / SCHEDULE - 13
## वर्तमान देयता / CURRENT LIABILITIES

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 1 | एजेन्टों का शेष / Agents' Balances | - | - |
| 2 | अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष / Balances due to other Insurance Companies | 93,58,81.16 | 57,52,89.11 |
| 3 | सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा / Deposits held on re-insurance ceded | - | - |
| 4 | अग्रिम प्राप्त प्रीमियम / Premiums received in advance | 221,50,68.67 | 241,44,19.74 |
| 5 | अनाबंटित प्रीमियम / Unallocated Premium | 28,17,83.33 | 19,95,59.55 |
| 6 | पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि / Unclaimed Amount of Policyholders | 1,59,83.04 | 1,69,71.57 |
| 7 | विविध लेनदार / Sundry Creditors | 24,75,45.97 | 21,49,90.74 |
| 8 | अनुषंगी/धारक कंपनी को देय / Due to subsidiaries/holding company | - | - |
| 9 | बकाया दावे / Claims outstanding | 5345,88,46.99 | 4879,14,42.91 |
| 10 | कर्मचारियों को देय / Due to Employees | 3,03,13.00 | 5,25,30.64 |
| 11 | अन्य / Others | | |
| | - एन ई आई ए / NEIA | 16,40,40.73 | 10,93,45.94 |
| | - फ़ैक्टरिंग / Factoring | - | - |
| | - विविध / Miscellaneous | 4,01,80.52 | 1,61,02.27 |
| | - जी एस टी/सेवा कर देयता / GST/ Service Tax Liability | 1,62,68.53 | 0.01 |
| | **कुल / TOTAL** | **5740,59,11.94** | **5239,06,52.48** |

## अनुसूची - 14 / SCHEDULE - 14
## प्रावधान / PROVISIONS

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 1 | असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित / Reserve for Unexpired Risk | 419,41,24.48 | 419,82,45.69 |
| 2 | प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित / Reserve for Premium Deficiency | 163,05,00.00 | 42,00,00.00 |
| 3 | निगमित सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित<br>Reserve for Corporate Social Responsibility | 2,25,25.75 | 2,44,24.00 |
| 4 | कराधान के लिए / For Taxation | | |
| | - आय कर (अग्रिम कर को घटा कर ) / Income Tax (Net of Advance Tax) | - | - |
| 5 | प्रस्तावित लाभांशों के लिए / For Proposed Dividends | - | 72,50,00.00 |
| 6 | लाभांश वितरण कर के लिए / For Dividend distribution Tax | - | 14,75,92.94 |
| 7 | सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए / For Retirement Benefits | | |
| | - छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा / Leave Encashment & Long Service | 41,50,84.89 | 42,40,43.87 |
| | - उपादान / Gratuity | 17,77,46.55 | 10,65,41.32 |
| | - पेंशन / Pension | - | 10,00,90.13 |
| 8 | कम कारोबार के शेयरों के लिए / For Thinly Traded Shares | - | - |
| | **कुल / TOTAL** | **643,99,81.67** | **614,59,37.95** |

## अनुसूची - 15 / SCHEDULE - 15
## विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान अवधि लेखा परीक्षित Current Period Audited (₹ '000) | पिछली अवधि लेखा परीक्षित Previous Period Audited (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 1 | शेयर/डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट<br>Discount Allowed in issue of shares/debentures | - | - |
| 2 | अन्य / Others | - | - |
| | **कुल / TOTAL** | **-** | **-** |

## अनुसूची - 16

## महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

### 1. लेखा प्रणाली

1.1 कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के साथ पढे जाने वाले बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन गठित विनियम ; बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1) के विनियामक प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा दर्शाया न गया हो , बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण ( बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने ) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा तथा उपचयित आधार पर तैयार किए गए हैं तथा इनके निर्माण में कंपनी ( लेखामानक ) नियम, 2014 क़े नियम 7 क़े साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में निर्धारित लेखामानकों की आवश्यकताओं तथा ऋण बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप अनुपालन किया गया है।

1.2 **अनुमानों का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा जब इनका परिणाम सामने आएगा।

### 2. अचल संपत्ति तथा मूल्यह्रास

2.1 अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्यह्रास को कम कर अंकन किया गया है।

2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी रेखा पद्धति आधार पर मूल्यह्रास की गणना की गयी है। वर्ष के दौरान शामिल / निपटाई गयी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास उन्हें शामिल किए जाने / निपटाने की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर गणना की गयी है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्यह्रास उनका उपयोग की गयी अवधि के दौरान हुआ है।

2.3 पट्टे पर ली गयी परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि के दौरान किया गया है ।

2.4 हार्ड वेयर का अभिन्न अंग बनाने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले से लोड किया गया सॉफ्टवेयर तथा नए खरीदे गए हार्डवेयर को लोड करने के लिए खरीदा गया सॉफ्टवेयर शामिल है , को हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत कर दिया गया है।

## SCHEDULE - 16

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### 1. ACCOUNTING CONVENTION

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

1.2 **USE OF ESTIMATES:**

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

### 2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.

2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule II to the Companies Act, 2013. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal. Assets are depreciated fully during the course of its useful life.

2.3 Leased Assets are amortised over the period of lease.

2.4 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.

2.5 सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य जो कंपनी लेखामानक नियम 2006 द्वारा जारी ए एस 26 अमूर्त परिसंपत्तियाँ - के मान्यताप्राप्त मानदंडों को पूरा करते हैं , को "अमूर्त "शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है तथा 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

2.6 परियोजनाएं जो आरंभ की जा चुकी हैं को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP) के रूप में मूल्य पर आगे लाया गया है तथा यह अग्रिमों व सीधे प्रदान करने योग्य लागत सहित ठेकेदारों को की गयी अदायगियों को प्रदर्शित करता है ।

## 3. हानि

आगे लायी जाने वाली परिसंपत्तियों की राशियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की हानि का संकेत तो नहीं है। यदि हानि के कोई आसार दिखाई देते हैं तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान किया गया है । जहां कहीं भी परिसंपत्ति की आगे बढ़ाई जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि को माना गया है ।

## 4. निवेश

4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरण जैसे वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाण पत्रों को छूट प्राप्त मूल्य में दर्शाया गया है तथा अधिग्रहण मूल्य और ऋणमुक्ति मूल्य के बीच के अंतर को समय आधार पर विभाजित किया गया व उपचित आय के रूप में उसकी पहचान की गयी।

4.2 शेयर , बॉन्ड, तथा डिबेंचरों आदि की खरीद व बिक्री के ठेकों को संव्यवहार की तारीख को "निवेश "के रूप में स्वीकार किया गया है।

4.3 निवेश मूल्य में अधिग्रहण पर प्रीमियम, व्यय जैसे ब्रोकरेज, अंतरण स्टैम्प, अंतरण शुल्क आदि के व्यय तथा यह , उस पर प्राप्त प्रोत्साहन / शुल्क , यदि कोई हो तो, का निवल है।

4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर आपत्ति / सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गयी है। अन्तरिम लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गयी है।

4.5 निवेशों की आय पर लाभ / हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्वता अवधि तक रखा जाता है के अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारित औसत बही मूल्य के आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के निवेशों पर लाभ / हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (FIFO) पर की गयी है।

4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक आँका गया है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण

2.5 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS 26 Intangible Assets issued by Companies Accounting Standard Rules, 2006 are capitalised under the head “Intangibles” and amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.

2.6 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

## 3. IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

## 4. INVESTMENTS

4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.

4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc., are accounted for as “Investments” as on date of Transaction.

4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/ fee if any, received thereon.

4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/pending delivery is accounted for, on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.

4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/loss on such investments are worked out on First In First Out Basis (FIFO).

4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time

के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।

4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर की गयी है तथा मूल्य / बही मूल्य तथा एन ए वी के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गयी है। तथापि यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पायी गयी तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।

ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि एन ए वी उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है ।

4.8 क) इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार वृद्धिशील व्यापारित और अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एन एस ई तथा बी एस ई दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए समव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के मूल्य का अंकन आई आर डी ए के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा । इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन एस ई ) जोकि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है , पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा । यदि किसी साधन को एन एस ई में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी एस ई ) ( गौण एक्सचेंज ) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार लिया जाएगा। भारित औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के बीच के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया गया है ।

4.9 अल्प व्यापारित ईक्विटियों तथा असूचीबद्ध ईक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है। तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कमी किया गया है। यह भी कि पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित / असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है ।

4.10 सूचीबद्ध ईक्विटियों / इक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयरों के रूप में उन कंपनियों में निवेश किया गया है जिन्हें पिछले तीन

of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.

4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.

b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.

4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/ Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.

b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDA guidelines. The equity investments will be valued at the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE) which will be the primary exchange. If any of the instruments is not quoted on NSE, then the last quoted closing price on the Bombay Stock Exchange (BSE) (as secondary exchange) will be taken for valuation. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.

4.9 Investment in thinly traded Equity shares and unlisted equity shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for thinly/unlisted shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.

4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments/Preference shares made in those Companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is eroded, are considered to have Impairment in value. Further,

वर्षों से लगातार हानि हो रही हो तथा जहां पूंजीह्रास हो रहा हो तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पहले के लिए कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं है तो यह माना गया कि निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि हुई है तथा 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बट्टे खाते में डाला गया है।

4.11 अ) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गयी :

क) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में :- लागत मूल्य की न्यूनतम राशि, बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य बशर्ते की विश्लेषित मूल्य धनात्मक है । तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया है ।

ख ) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में : - लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य ₹ 1/- लिया गया ।

ग) अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो :- अधिमानित शेयर्स के मूल्यह्रास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गयी / इक्विटी शेयर्स के मूल्योंास के मूल्य की गणना की जाती । तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला गया है तो अधिमानित शेयर्स को भी ₹ 1/- प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला जाएगा।

ब) एक बार जब ऊपर उल्लिखित नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ ईक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयर्स में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गयी है, इस प्रकार की हानियों के प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व / लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गयी कंपनियों की हानियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई थी ।

4.12 प्रतिवर्ती पुनर्खरीद संव्यव्हारों को सुरक्षित ऋण संव्यवहार माना जाता है तथा तदनुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यव्हारों के पहले व दूसरे चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।

4.13 "संपार्षविक उधार लेने और देने की बाध्यता" (सी बी एल ओ), जिसे अंकित मूल्य में छूट पर जारी किया गया था को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार के उपकरण

if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of Re 1/- per Company.

4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:

a) In respect of Actively Traded Equity shares: - Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹ 1/- per Company.

b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹ 1/- per Company.

c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years: - The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/which would have been taken for writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to ₹ 1/- per Company, preference shares also will be written off to a nominal value of ₹ 1/- per Company.

B) Once the value of investment in listed equity/equity related instruments/preference shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of such impairment losses are recognised in revenue/ profit & loss account only when the accumulated losses of such investee companies are completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.

4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1st and 2nd leg of the transaction is treated as income.

4.13 "Collateralised Borrowing and Lending Obligation"(CBLO), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through CBLO is shown as income, which is apportioned on time basis.

माना गया है। सी बी एल ओ के जरिये उधार देने पर अर्जित छूट को आय में दर्शाया गया है और उसका सामयिक आधार पर प्रभाजन किया गया है।

4.14 क) अप्राप्त लाभ , सूचीबद्ध एक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को "अंकित मूल्य परिवर्तन खाता "शीर्ष में लिया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।

ख) उगाही के लिए लंबित , "अंकित मूल्य परिवर्तन खाता "में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

4.15 ''शेयरधारकों'' एवं ''पॉलिसीधारकों'' की निधियों में निवेशों का आबंटन :- महत्वपूर्ण लेखा नीति ( पैरा सं 10.2) में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में निगम के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः ''शेयरधारकों की निधियाँ'' व ''पॉलिसीधारकों की निधियाँ'' शीर्ष ''शेयरधारकों'' व ''पॉलिसीधारकों'' की निधि में आबंटित किया गया है ।

4.16 आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋणों/ अग्रिमों / डिबेंचरों से संबन्धित प्रावधान के संबंध में निगम भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) / भारतीय रिज़र्व बैंक के संबन्धित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

## 5. प्रीमियम आय

जोखिम के पूर्वानुमान पर प्रीमियम आय की पहचान की गयी है।

## 6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण वर्ष के लिए निवल प्रीमियम आय के 50% तक प्रावधान किया गया है ।

## 7. प्रीमियम में कमी

प्रीमियम कमी तब जाती है जब अपेक्षित दावा मूल्य तथा संबन्धित व्ययों का योग असमाप्त जोखिमों के लिए रखी गई प्रारक्षित निधियों से अधिक हो तो ।

## 8. बकाया दावों तथा अनुमानित वसूलियों के लेखा के लिए प्रारक्षित निधियाँ

8.1 अल्पावधि रक्षा (एसटी) के अंतर्गत जिन बकाया दावों पर प्रक्रिया हो चुकी है तथा मध्यम एवं दीर्घावधिक रक्षाओं के सभी बकाया दावों के मामलों में, रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया दावों के लिए रिज़र्व को, देय अनुमानित राशि के रूप में स्वीकार किया गया है । अल्पावधि रक्षाओं के अंतर्गत, उन बकाया दावों जिनपर प्रक्रिया की जानी शेष है, उनके लिए पिछले पाँच सालों में अदा किए गए दावों के

4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head "Fair Value Change Account" and on realisation reported in profit and loss account.

b) Pending realisation, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.

4.15 "Allocation of Investments into Shareholders' & Policyholders' Funds": Investments of the Corporation are allocated to Shareholders' and Policyholders' funds as presented in schedule 8 and 8a in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Fund respectively as at the beginning of the financial year as stated in Significant Accounting Policy (para) No.10.2

4.16 The Corporation follows the prudential norms prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) / related Reserve Bank of India (RBI) guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans/ advances/ debentures.

## 5. PREMIUM INCOME

Premium Income is recognised on assumption of risk.

## 6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for unexpired risks is created at 50% of net premium income for the year.

## 7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and related expenses exceed the reserve for un-expired risks.

## 8. RESERVE FOR OUTSTANDING CLAIMS AND ACCOUNTING OF ESTIMATED RECOVERIES

8.1 In case of processed outstanding claims under Short Term (ST) covers and in case of all outstanding claims under Medium and Long Term covers the reserve for outstanding claims on the reporting date is recognised as the amount estimated as payable. For the outstanding claims that are yet to be processed under ST covers, a provision will be made on an average rate arrived on the basis of analysis of previous five years claim paid experience. Such provision is progressively modified for changes as appropriate on availability of further information/

अनुभव के आधार पर निकाली गई औसत दर, का प्रावधान किया जाएगा । ऐसे प्रावधानों को, संबन्धित दस्तावेज़ की सूचना/ जांच की उपलब्धता पर, उपयुक्त परिवर्तनों के आधार पर, उत्तरोत्तर संशोधित किया जाएगा ।

8.2 यह भी कि , दावे उत्पन्न हुए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर) के लिए प्रावधान, दावे उत्पन्न हुए परंतु पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) के लिए प्रावधानों को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए लेखांकित किया गया है।

8.3 आकस्मिक देयता के रूप में वर्गीकृत निम्नलिखित दावों के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है :

(i) निगम द्वारा नामंजूर दावे तथा उन मामलों में जहां दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसके लिए कानूनी कार्यवाही तथा / अथवा विवेचन प्रारम्भ किया जा चुका है, उन मामलों को छोड़ कर जहां प्रतिकूल निर्णय लिया गया है ।

(ii) बैंकों द्वारा दायर दावे जहां, उनके स्वयं द्वारा पुष्टि अनुसार देयों की वसूली हेतु समझौता प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है।

उक्त (i) व (ii) से संबन्धित मामलों के संदर्भ में यदि ब्याज के लिए दावा किया गया है आकस्मिक देयता अथवा प्रावधान के उद्देश्य दोनों के लिए विचार नहीं किया गया है।

## 9. पुनर्बीमा

9.1 जोखिम ग्रहण करने पर बीमा प्रीमियम का निर्धारण उसी वर्ष से किया गया है जिस वर्ष से जोखिम आरंभ हुआ है। प्रदान किए गए प्रीमियम में किए जाने वाले बाद के संशोधन का निर्धारण इस प्रकार के संशोधन के वर्ष से किया गया है। पॉलिसियों को रद्द करने के फलस्वरूप उत्पन्न पुनर्बीमा प्रीमियम के समायोजन का निर्धारण उसी वर्ष किया गया जिस वर्ष पॉलिसी रद्द की गयी।

9.2 पुनर्बीमा करवाने के फलस्वरूप प्राप्त कमीशन की गणना उस अवधि की आय में किया गया है जिस अवधि के दौरान पुनर्बीमा प्रीमियम की अदायगी की गयी।

9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन प्राप्त लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, की गणना लाभ निर्धारण के अंतिम वर्ष व पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रदत्त सूचना अनुसार की गयी है।

9.4 पुनर्बीमा समझौते के निबंधन व शर्तों के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त / प्राप्तियोग्य राशियों की गणना दावे की गणना के साथ ही की गई है।

## 10. प्रबंधन व्यय

10.1 निगम के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त

scrutiny of supporting documents.

8.2 Further, the provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.

8.3 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:

(i) Claims rejected by the Corporation and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or arbitration has been initiated except cases where there have been adverse ruling. Such cases have been provided under claims in the financial statements.

(ii) Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery of dues are under negotiation.

Interest claimed, if any, in respect of cases referred to (i) & (ii) is not considered either for the purpose of contingent liability or for provision.

## 9. REINSURANCE

9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.

9.2 Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

9.3 Profit commission under re-insurance treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the profits and as intimated by re-insurer.

9.4 Amounts received/receivable from the re-insurers, under the terms of the reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

## 10. EXPENSES OF MANAGEMENT

10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Corporation, incurred by the Corporation are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to revenue account. Expenses relating to investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same

निगम द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबन्धित व्यय के रूप में की गयी है तथा अतः उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबन्धित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा की महत्वपूर्ण लेखानीति सं 10.2 में उल्लिखित है।

10.2 वित्त वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः ''शेयरधारक निधि'' व ''पॉलिसीधारक निधि'' के रूप में प्रभाजित किया गया है। ''शेयरधारक'' निधि में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। ''पॉलिसीधारकों'' की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि , बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।

10.3 प्रिंटिंग व स्टेशनरी को खरीद के वर्ष में ही उपयोग में लाया गया मान लिया गया है।

## 11. कर्मचारी लाभ

11.1 निगम सभी पात्र कर्मचारियों के लिए उपदान , एक निश्चित लाभ योजना प्रदान करता है। योजना के अधीन पात्र कर्मचारियों के लिए संबन्धित कर्मचारी का वेतन तथा निगम में पूर्ण की गयी सेवा की अवधि के आधार पर सेवा निवृत्ति अथवा सेवाओं के समापन के आधार पर एक मुश्त राशि प्रदान करता है। निगम बीमा कंपनी द्वारा रखी गयी उपदान निधि में अपना अंशदान देता है। राशि का अंशदान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निगम का उपदान निधि में अंशदान का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के अंशदानों को राजस्व खाते में दर्शाया गया है।

11.2 परिकल्पित इकाई ऋण विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पायी गयी कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के बीच के अंतरों लिए प्रावधान किए गए हैं ।

11.3 निगम की नीति के अनुसार , कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कर्मचारी अपने त्यागपत्र / सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधिक मुआवजा अनुपब्धियां के लिए प्रावधान किया गया है। प्रावधान, दीर्घावधिक मुआवजा अनुपब्धियों के लिए तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

11.4. भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले निगम का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक निर्धारित न्यूनतम से कम है तो उस कमी की भरपाई निगम को करनी होगी।

11.5. कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये भविष्य निधि की सुविधाओं

proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.

10.2 Investment Income is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Funds and Policyholders' Funds respectively at the beginning of the financial year. Shareholders' Fund consists of Share Capital, General Reserves and Capital Reserves. Policyholders' Fund consists of Reserve for Un-expired Risk, Reserve for Outstanding Claims etc.

10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

## 11. EMPLOYEE BENEFITS

11.1 The Corporation provides for gratuity, a defined benefit plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Corporation. The Corporation contributes to a gratuity fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.

11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.

11.3 As per Corporation's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.

11.4. Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Corporation's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Corporation will have to fund the shortfall.

11.5. Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a defined benefit plan in which employees make monthly contributions to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. The Corporation contributes an equal amount in

का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें , आवरित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कर्मचारी अपना अंशदान करते हैं। निगम, उन पात्र कर्मचारियों जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले निगम में कार्य ग्रहण किया है व पेंशन का विकल्प नहीं चुना है के मामले में समान राशि का अंशदान करता है। निगम ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। निगम आवधिक आधार पर ऐसे अंशदानों पर विनिर्दिष्ट प्राप्तियों की गारंटी देता है , प्राप्तियों में हुई कमी , यदि कोई हो तो , की भरपाई निगम करेगा।

11.6 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें , रक्षित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से निगम अपना अंशदान करता है । वे कर्मचारी जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले निगम की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं । निगम ने पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। निगम दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य के आधार पर निवल देयता का मूल्यांकन करेगा तथा तुलन पत्र के आधार पर उसके लिए प्रावधान करेगा ।

11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना ( नयी पेंशन योजना ) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते ( डी ए ) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते हैं। पात्र कर्मचारियों के मामले में निगम समान राशि का अंशदान करता है। निगम के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।

11.8 अन्य सभी दीर्घावधिक लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।

11.9 कर्मचारी लाभों पर बीमांकिक लाभ / हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

## 12. आय कर

12.1 कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखाअवधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम ए टी) कर नियमों के

case of the eligible employees who have joined the Corporation on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Corporation has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical basis. The Corporation will meet the shortfall in the return, if any.

11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a defined benefit plan to which the Corporation contributes to the plan, @ 10%, of the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Corporation on or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Corporation has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.

11.7 Those employees who have joined the Corporation on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of the their basic salary and Dearness Allowance (DA). The Corporation contributes an equal amount in case of the eligible employees. The Corporation's contribution's are charged to the Revenue Account on an accrual basis

11.8 All other Long Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.

11.9 The actuarial gains/losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

## 12. INCOME TAX

12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives rise to future economic benefits in form of tax credit against future Income Tax liability, is recognised as an asset in the balance sheet if there is convincing evidence that the Corporation will pay normal

अनुसार अदा किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयता पर जमा कर के रूप में भावी लाभों में वृद्धि करेगा, जिसे , व उसकी गणना तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में माना गया है यदि निगम यह विश्वास दिलाते हुए सबूत प्रस्तुत करे कि वह भविष्य में सामान्य कर अदा करेगा तथा परिणामी परिसंपत्ति को विश्वसनीयता से आँका जा सकेगा।

12.2 आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित क़ानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह गणना उनकी उत्पत्ति की अवधि के आधार पर अलग अलग समय में की जाती है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार उलटाया भी जा सकता है। जहां, आगे ले जायी जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्य ह्रास हैं, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो । अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो।

## 13. प्रावधान, आकस्मिक देयताए व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

13.1 प्रावधान को तभी स्वीकृति दी जाती है जब किसी उद्यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए स्रोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधानों करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं किए जाते बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की गयी है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।

13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब निगम की संभावित देयता अथवा वर्तमान दायित्व होते है तथा यह संभव हो कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी की आवश्यकता न हो।

13.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों की न तो आँका गया है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

## 14. फ़ैक्टरिंग

14.1 ब्याज सहित फ़ैक्टरिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न होते हैं तब की गयी है।

14.2 फैक्टर किए गए ऋणों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक देनदारों को आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में

tax in future years and the resulting asset can be measured reliably.

12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

## 13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS

13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Corporation has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.

13.3 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

## 14. FACTORING

14.1 Factoring Service Charges including interest are accounted as and when accrued.

14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDAI. Performing debtors are classified as Standard assets, Non-Performing debtors are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDAI.

14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.

14.4 Gain and loss arising on account of differences in

वर्गीकृत किया गया है ।

14.3 फैक्टर किए गए ऋणों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।

14.4 निपटान / मुद्रागत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ तथा हानि ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।

14.5 समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए आई मानदंडों के अनुसार फ़ैक्टरिंग ऋणों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है :-

| | | |
|---|---|---|
| मानक परिसंपत्तियाँ: | i. | 10% के सामान्य प्रावधान |
| | ii. | आरम्भ से असुरक्षित संभावित देयताओं (जहां प्रतिभूति का वसूलीयोग्य मूल्य अटल आरम्भों 10% से अधिक न हो) के लिए 10% के अतिरिक्त प्रावधान |
| संदिग्ध परिसंपत्ति : | | |
| -सुरक्षित अंश : | i. | एक वर्ष तक 20% |
| | ii. | एक वर्ष से तीन वर्षों तक 30% |
| | iii. | तीन वर्षों से अधिक 100% |
| -असुरक्षित अंश | 100% | |
| हानि परिसंपत्ति : | 100% | |

## 15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

## 16. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

16.1 आरंभिक मान्यता विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा रिकॉर्ड किया गया है।

16.2 परिवर्तन - विदेशी मुद्रा मुद्रागत मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर मुद्रागत उपकरणों जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गयी है को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।

16.3 विनिमय अंतर मुद्रगत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व राजस्व उन्हें खाते में प्रभारित किया गया है ।

foreign exchange rates on settlement/translation of monetary assets and liabilities are charged to clients.

14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDAI norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the IRDAI :

| | | |
|---|---|---|
| Substandard Assets: | i. | A general provision of 10% |
| | ii. | Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 % ab-initio) |
| Doubtful Assets: | | |
| - Secured portion: | i. | Upto one year 20% |
| | ii. | One to three years 30% |
| | iii. | More than three years 100% |
| - Unsecured portion | 100% | |
| Loss Assets: | 100% | |

## 15. NEIA TRUST ACCOUNT

The administrative charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period.

## 16. FOREX TRANSACTIONS

16.1 Initial Recognition Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.

16.2 Conversion Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

16.3 Exchange Differences Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account.

## अनुसूची - 17

### लेखों से संलग्न तथा उनका भाग बनने वाली टिप्पणियाँ:

### 1. वित्तीय विवरण तैयार करना

इसके साथ संलग्न वित्तीय विवरण भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

### 2. स्वीकृत राशियों की वसूली क्षमता

प्रबंधन की राय में कारोबार की सामान्य स्थिति में , चालू परिसंपत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों के अधीन मदों का वसूली पर मूल्य कम से कम तुलन पत्र में उल्लिखित राशि के बराबर होता है तथा सभी ज्ञात देयताओं तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

### 3. अचल परिसंपत्तियाँ:

अचल परिसंपत्तियों में, ₹3,98.47 हज़ार (पिछले वर्ष ₹3,98.47 हज़ार) के वे "बिल्डिंग" शामिल हैं जहां स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी की जा चुकी है परंतु पंजीकरण की औपचारिकता लंबित है। आगे, इसमें ₹5,77,43.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹5,77,43.90 हज़ार) की वे संपत्तियाँ शामिल हैं जहां स्टैम्प लगे करार खो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि , इन सम्पत्तियों के संबंध में कंपनी के पास को-ऑपरेटिव संस्थानों के शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।

### 4. अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ :

4.1 अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल है:

कंपनी के खिलाफ दायर दावों के लिए न्यायालय के आदेशों तथा जिसके लिए अंतिम निर्णय प्रतीक्षित हैं, के अनुसरण में न्यायालय में ₹8,50,96.53 हज़ार (पिछले वर्ष ₹4,31,09.31 हजार) की राशि जमा की गयी । इनको विविध देनदारी में दिखाया गया है।

4.2 कर्मचारियों के आवास ऋण पर ब्याज की गणना उपचित आधार पर की गयी है। यदि किसी समायोजन की आवश्यकता पड़े तो अंतिम निपटान के समय किया जाएगा।

4.3 वेंडर को आई टी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किए गए भुगतान की राशि ₹17,23,92.70 को अनुसूची 12 में "अन्य से वसूली योग्य राशि" के अंतर्गत दर्शाया गया है। अनुबंध रद्द कर दिया गया है।

## SCHEDULE - 17

### NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS:

### 1. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002; Companies Act, 2013 and the Insurance Act, 1938.

### 2. REALISABILITY OF STATED AMOUNTS

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

### 3. FIXED ASSETS:

"Buildings" under Fixed Assets include certain properties costing ₹3,98.47 thousands (previous year ₹ 3,98.47 thousands) where stamp duty has been paid but registration formalities are pending. Further, it includes, properties costing ₹5,77,43.90 thousands (previous year ₹5,77,43.90 thousands) where stamped agreements are lost / presently not available with the Company. However, the Company is in the possession of the share certificates of the co-operative institution in respect of these properties.

### 4. ADVANCES AND OTHER ASSETS:

4.1 Advances and other assets include:

An amount of ₹8,50,96.53 thousands (previous year ₹4,31,09.03 thousands) is deposited with the Courts in pursuance of Court Orders for claim suits filed against the Company and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

4.2 Interest on housing loans to employees is accounted for on accrual basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.

4.3 The amount of ₹ 17,23,92.70 thousands is disclosed as 'Amount Recoverable from Others' in Schedule-12 against the payment made for contract of setting up I.T. platform to the vendor. The contract has been revoked.

## 5. चालू देयताएं :

5.1 चालू देयताओं में, ₹64,90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹1,84,10.00 हज़ार) का प्रावधान किया गया है जो कि प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन 31 मार्च 2018 तक कंपनी के अनंतिम रेटिंग के आधार पर कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि प्रोत्साहन (पी एल एल आई) के लिए है, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम रेटिंग की जानकारी लंबित है।

5.2 कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रथाओं के अनुसार अधिमानित तथा बकाया दावों के लिए निगम की देयता हेतु प्रावधान व्यक्तिगत दावों के लिए किए गए देयताओं के मूल्यांकन के आधार पर किया गया।वर्ष के अंत तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर देयताओं की गणना की गई है। प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) दावों तथा नियुक्त बीमांकक द्वारा बकाया दावों के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर गणना किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रभाव पर विचार किया गया है। तदनुसार रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए ( आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) ₹3665,03,27.47 हज़ार (पिछले वर्ष ₹2906,00,00.00 हज़ार) की अनुमानित देयता के रूप में पहचान की गयी है।

## 6. फ़ैक्टरिंग

कंपनी ने आई आर डी ए आई मानदंडों का पालन करते हुए फ़ैक्टरिंग देयों के निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं) तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए ₹7,04,26.80 हज़ार प्रावधान किया है।

## 7. पुनर्बीमा

कंपनी ने, भारतीय साधारण बीमा कंपनी क़ो आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यकता के अनुसार कंपनी के समस्त कारोबार (अल्पावधि व साथ ही साथ मध्यम व दीर्घावधि) के 5% (पिछले वर्ष 5%) का अनिवार्य अर्पण सौंपा। पॉलिसी के अधीन 27% (पिछले वर्ष 25%)- सा बी नि - आर ई (9%), स्विस आरई (8%), एशिया कैपिटल रिइन्श्युरंस ग्रूप (1%), स्कोर आरई (4%), क्यू आर ई (0.25%), पार्टनर आर ई (2%), अमलिन ए जी (1%), हैंडओवर री (1.75%), तथा ई सी आई बी के अधीन 23% ( पिछले वर्ष 25%) - सा बी नि आर ई (9.5%), स्विस आर ई (4%), एशिया कैपिटल पुनर्बीमा समूह (0.5%), स्कोर आर ई (4%), क्यू आर ई (0.20%), अमलिन ए जी (1%) तथा पार्टनर आर ई (2%) तथा हैंडओवर री (1.75%) कारोबार को कोटा शेयर अध्यर्पण किया गया है। कंपनी ने उक्त पुनर्बीमाकर्ता के पास अल्पावधि रक्षाओं के लिए हानि की अधिकता (XOL) अध्यर्पण संधि की है। पिछले वर्षों का पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्नानुसार है:

## 5. CURRENT LIABILITIES:

5.1 Current Liabilities include ₹64,90 thousands (previous year ₹1,84,10.00 thousands) towards Productivity Linked Lump-sum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Company as on 31st March, 2018 under the annual Memorandum of Understanding (MOU) signed with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.

5.2 As per the Accounting practice followed by the Company, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims. Liabilities towards such claims have been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by the Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹3665,03,27.47 thousands (previous year ₹2906,00,00.00 thousands) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER).

## 6. FACTORING

The Company has made provision of ₹NIL (previous year ₹NIL) on account of sub-standard assets, whereas in relation to doubtful assets the company in the past has made a provision of ₹7,04,26.80 thousands in line with IRDAI norms.

## 7. REINSURANCE

The Company has ceded obligatory cession of 5% (previous year 5%) of the entire business of the Company (Short Term as well as Medium and Long Term business) as required under the IRDAI guidelines to General Insurance Company of India. Quota share cession under policy is 27% (previous year 25%) - with GIC Re (9%), Swiss Re (8%), Asia Capital Reinsurance Group (1%), SCOR Re (4%),Q Re (0.25%), Partner Re (2%), Amlin AG (1%), Hannover Re (1.75%) and under ECIB is 23 % (Previous year 25%)- with GIC Re (9.5%), Swiss Re (4%), Asia Capital Reinsurance Group (0.5%), SCOR Re (4%),Q Re (0.25%), Amlin AG (1%), Partner Re(2%) and Hannover Re (1.75%).The Company has Excess of Loss (XOL) Treaty cession for Short Terms (ST) covers with the above reinsurer. The re-insurance programme for the earlier years was as under:

| वित्तीय वर्ष | कोटा शेयर | | एक्स ओ एल (अल्पावधि) |
|---|---|---|---|
| | अनिवार्य | संधि (अल्पावधि) | |
| **2007-08(केवल अल्पावधि )** | **15%** | **20%** | **कोई एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं** |
| 2008-09 | 10% | 10% | एक्स ओ एल उपलब्ध |
| 2009-10 | 10% | 15% | एक्स ओ एल उपलब्ध |
| 2010-11 | 10% | कुछ नहीं | कोई एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं |
| 2011-12 | 10% | 13% | एक्स ओ एल उपलब्ध |
| 2012-13 | 10% | 12% | एक्स ओ एल उपलब्ध |
| 2013-14 | 5% | 15% | एक्स ओ एल उपलब्ध |
| 2014-15 (पॉलिसी) | 5% | 20% | एक्स ओ एल उपलब्ध |
| 2014-15 (ईसीआईबी) | 5% | 13% | एक्स ओ एल उपलब्ध |
| 2015-16 (पॉलिसी) | 5% | 25% | एक्स ओ एल उपलब्ध |
| 2015-16 (ईसीआईबी) | 5% | 25% | एक्स ओ एल उपलब्ध |
| 2016-17 (पॉलिसी) | 5% | 25% | एक्स ओ एल उपलब्ध |
| 2016-17 (ईसीआईबी) | 5% | 25% | एक्स ओ एल उपलब्ध |

## 8. वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते (आर्ट)

कंपनी ने, कोटा शेयर आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एन ई आई ए ट्रस्ट के पास मध्यम तथा दीर्घावधि (एम एल टी) के अधीन उच्च मूल्य वाले जोखिमों के लिए जोखिम हिस्सेदारी की व्यवस्था की है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए शुल्क की अदायगी कर 30 मध्यम तथा दीर्घावधिक रक्षाओं (पिछले वर्ष 79 मध्यम तथा दीर्घावधिक रक्षाओं) के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट से गारंटी प्राप्त की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹3,99,82.31 हज़ार (पिछले वर्ष ₹2,83,79.83 हज़ार) एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किए।

## 9. प्रीमियम आय

जोखिम ग्रहण करने पर प्रीमियम आय की गणना की गयी है। कंपनी ने, मार्च 2018 के अंत तक, किए गए पोतलदानों/ प्रदान किए गए अग्रिमों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ₹58,91,88.86 हज़ार (पिछले वर्ष ₹84,03,21.00 हज़ार) के प्रीमियम का अनुमान किया है। आई आर डी ए आई के पत्र सं FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 दिनांक 30 जनवरी 2014 के जरिये क्ंपनी द्वारा आरंभ से अब तक नियमित रूप से अपनाई जाने वाले प्रीमियम लेखांकन की पद्धति पर अपनी सहमति जताई ।

## 10. एन ई आई ए ट्रस्ट

कंपनी को एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त कुल ₹2,06,24.30 हज़ार (पिछले वर्ष ₹1,30,87.93 हज़ार) के प्रशासनिक शुल्क में अन्य आय भी शामिल है। अग्रिम के रूप में प्राप्त ₹16,40,40.73 हज़ार (पिछले वर्ष ₹10,93,45.94 हज़ार) के प्रशासनिक व्यय को चालू देयताएं - अन्य - एन ई आई ए ट्रस्ट में शामिल किया गया है।

| Financial Year | Quota Share | | XOL (ST) |
|---|---|---|---|
| | Obligatory | Treaty (ST) | |
| **2007-08(only ST)** | **15%** | **20%** | **No XOL available** |
| 2008-09 | 10% | 10% | XOL available |
| 2009-10 | 10% | 15% | XOL available |
| 2010-11 | 10% | Nil | No XOL available |
| 2011-12 | 10% | 13% | XOL available |
| 2012-13 | 10% | 12% | XOL available |
| 2013-14 | 5% | 15% | XOL available |
| 2014-15 (Policy) | 5% | 20% | XOL available |
| 2014-15 (ECIB) | 5% | 13% | XOL available |
| 2015-16 (Policy) | 5% | 25% | XOL available |
| 2015-16 (ECIB) | 5% | 25% | XOL available |
| 2016-17 (Policy) | 5% | 25% | XOL available |
| 2016-17 (ECIB) | 5% | 25% | XOL available |

## 8. ALTERNATE RISK TRANSFER AGREEMENTS (ART)

The company had risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with NEIA Trust set up by Government of India. The Company has obtained guarantee from NEIA Trust for 30 MLT covers (previous year 79 MLT covers) on payment of a fee for the FY 2017-18. During the current FY, the Company paid guarantee fees of ₹3,99,82.31 thousands (previous year ₹2,83,79.83 thousands) to NEIA Trust.

## 9. PREMIUM INCOME

Premium income is recognised on assumption of risk. The Company has estimated the premium income, based on available information relating to shipments made / advances granted in the month of March 2018 at ₹58,91,88.86 thousands (previous year ₹84,03,21.00 thousands). IRDAI vide its letter no. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, has concurred with the method of Premium accounting consistently followed by the Company since inception.

## 10. NEIA TRUST

The administrative charges received by the Company from NEIA Trust of ₹2,06,24.30 thousands (previous year ₹1,30,87.93 thousands) are included in Other Income. Administrative charges received in advance of ₹16,40,40.73 thousands (previous year ₹10,93,45.94 thousands), are included in Current Liabilities Others NEIA Trust.

11. (क) कंपनी ने एक पॉलिसी धारक के दावे को नामंजूर कर दिया है जिसके विरुद्ध पॉलिसीधारक (पॉधा) ने संविदा के निष्पादन के लिए कंपनी के खिलाफ दावा दायर कर दिया तथा दिनांक 31.03.2018 तक यह मामला विचारधीन है । अनुसूची 13 - चालू देयताओं में पॉलिसी धारक से प्रीमियम की अप्राप्ति के कारण असमायोजित प्रीमियम में ₹2,32,44.55 हज़ार शामिल है। कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दिनांक 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गयी। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसी धारक ने कंपनी को ₹2,40,00.00 हज़ार के न्यूनतम प्रीमियम की अदायगी का वचन दिया था तथा शेष का यदि उपयोग नहीं होता है तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। जैसा कि पॉलिसी दस्तावेजों में प्रीमियम की वापसी अथवा समायोजन का विकल्प है व मामला जैसा कि विचारधीन है, इस लिए सम्पूर्ण ₹2,32,44.55 हज़ार (₹30,00.00 हज़ार से अधिक की न्यूनतम प्रीमियम की राशि सहित) की राशि को विविध लेनदारों शीर्ष - अनुसूची 13 के अधीन दर्शाया गया है।

11. (ख) आगे 'अनुसूची 13 - चालू देयताओं' के अधीन विविध लेनदारों में विभिन्न बैंकों से प्राप्त ₹3,42,64.07 हज़ार की राशि शामिल है जो कि निर्यातक - उधारकर्ता को बैंकों द्वारा प्रदान की गयी गारंटियों के लिए जारी रक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रीमियम के लिए है। कंपनी ने उक्त राशि को स्वीकार नहीं किया है तथा रक्षा प्रदान करने में अपनी असमर्थता को दर्शाते हुए बैंकों को सूचित कर दिया है। कंपनी ने कथित राशि को बैंकों को वापस लौटा दिया है जिन्होंने इस वापसी को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी ने उक्त राशि को 'विविध लेनदार' शीर्ष के अधीन दर्शाया है।

12. विविध देनदारों, विविध लेनदारों तथा जमाओं, अन्य देयताओं, ऋणों, अग्रिमों तथा वसूली योग्य राशि सहित अन्य परिसंपत्तियाँ, बीमाकृत के व्यक्तिगत बही शेषों सहित विविध जमा, न्यूनतम प्रीमियम राशि, जमा प्रीमियम खाता, पुनर्बीमा खाते विविध जमाओं अन्य परिसंपत्तियों के अधीन शेष पुष्टीकरण तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो तो, के अधीन होंगे।

13. क़ंपनी द्वारा अपनाई गयी मानक प्रथा के अनुसार, निदेशक मण्डल सहित क़ंपनी के विभिन्न अधिकारियों द्वारा, अधिमानित दावों में विभिन्न चूकों को माफ करने के विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करते हुए दावों का निपटान किया जाता है। इन सभी निपटान किए गए दावों को कंपनी के कारोबार की सामान्य स्थिति में निपटान माना गया है।

11. (a) The Company has rejected the claim of a Policy Holder against which the Policy Holder (PH) has filed a suit against the Company for performance of the contract and as on 31/03/2018 the matter is sub-judice. Premium Received in advance under Schedule 13 Current Liabilities includes an amount of ₹2,32,44.55 thousands of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the PH. The Policy issued by the Company has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the PH committed ₹2,40,00.00 thousands as the minimum premium to the Company and the balance is to be refunded to the PH in case the same is not utilized. As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-judice, the entire amount of ₹2,32,44.55 thousands (including amount of ₹30,00.00 thousands being over and above the minimum premium) is shown under the head Sundry Creditors Schedule 13.

11. (b) Further, 'Sundry Creditors' under 'Schedule 13 - Current Liabilities' includes an amount of ₹3,42,64.07 thousands on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by the Company to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter - borrower. The Company has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Company has refunded the said premium amount to the bankers who have not accepted the refund. Accordingly, the Company has reflected the said amount under the head 'Sundry Creditors'.

12. Balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and Deposits, Other Liabilities, Loans, Advances and Other Assets including Amount Recoverable, Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium accounts, reinsurance accounts are subject to confirmation and consequential adjustments, if any.

13. As per Standard practice followed by the Company, claims are settled by the various officials of the Company including the Board of Directors by using the discretionary powers to condone various lapses in the claims preferred. All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Company.

## 14. पूर्व अवधि समायोजन में निम्नलिखित शामिल हैं :

नामे : (₹ '000)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|
| प्रीमियम | - | 11,82.10 |
| अन्य | 11.50 | - |
| मूल्यह्रास | 17.05 | 5.48 |
| सामान्य प्रभार | - | 11.63 |
| किराया | 38.94 | - |
| मरम्मत व रखरखाव | - | 24,90.89 |
| सदस्यता शुल्क | 71,03.65 | 56.18 |
| एजेंसी कमीशन | 94.68 | - |
| दैवेअ ई एस आई सी | 13,72.73 | - |
| परामर्शता प्रभार | 30.12 | - |
| **कुल** | **86,68.67** | **37,46.28** |

जमा : (₹ '000)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|
| डी एंड बी अलायंस | - | 12,16.97 |
| अन्य | 38.35 | 2.59 |
| नियुक्ति शुल्क | 34,70.80 | - |
| अतिरिक्त प्रदत्त दावा वसूली | 2,13.06 | - |
| कुल | 37,22.21 | 12,19.56 |
| निवल नामे / (ऋण) पूर्व अवधि समायोजन | 49,46.46 | 25,26.72 |

## 15. विदेशी विनिमय में अर्जन तथा व्यय:

(₹ '000)

| व्यय | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|
| सदस्यता शुल्क व अन्य व्यय | 67,16.76 | 71,13.34 |
| यात्रा व्यय | 63,62.98 | 45,90.30 |
| हैसियत जांच शुल्क | 1,33,89.71 | 1,15,49.97 |
| पुस्तकें व पत्रिकाएँ | 5,26.67 | 6,91.69 |
| पुनर्बीमा | -121,41,52.95 ** | 144,14,40.57 |

** पुनर्बीमा के लिए ऋणात्मक व्यय दर्शाता है क्यूंकि पुनर्बीमाकर्ता को विदेशी मुद्रा में भुगतान किए गए दावों से वसूली कम है। चूंकि आईआरडीएआई ने विदेशी पुनर्बीमाकर्ता को वित्त वर्ष 2017-18 से भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति दी है अतः पुनर्बीमा के लिए प्रीमियम की अधिकतर राशि भारतीय रुपए में भुगतान की जाती है ।

16. कंपनी एकल खंड "निर्यात ऋण बीमा" में परिचालन करती है। अतः कोई भी खंडवार रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्यात बिलों की फ़ैक्टरिंग आरंभ करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है, परंतु अब तक कोई बिल फैक्टर नहीं किए गए हैं तथा वर्ष के दौरान कोई राजस्व उपार्जित नहीं हुआ है। (पिछले वर्ष कुछ नहीं) .

## 14. Prior Period Adjustments Include:

Debits: (₹ '000)

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Premium | - | 11,82.10 |
| Others | 11.50 | - |
| Depreciation | 17.05 | 5.48 |
| General Charges | - | 11.63 |
| Rent | 38.94 | - |
| Repair and Maintenance | - | 24,90.89 |
| Membership Fee | 71,03.65 | 56.18 |
| Agency Commission | 94.68 | - |
| DWE ESIC | 13,72.73 | - |
| Consultancy Charges | 30.12 | - |
| **Total** | **86,68.67** | **37,46.28** |

Credits: (₹ '000)

| Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| D & B Alliance | - | 12,16.97 |
| Others | 38.35 | 2.59 |
| Recruitment Fee | 34,70.80 | - |
| Excess Claim paid Recovery | 2,13.06 | - |
| Total | 37,22.21 | 12,19.56 |
| Net Debit / (Credit) in prior Period Adjustments | 49,46.46 | 25,26.72 |

## 15. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange:

(₹ '000)

| Expenditure | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|
| Membership Fees and other expenses | 67,16.76 | 71,13.34 |
| Travelling expenses | 63,62.98 | 45,90.30 |
| Status Enquiry Fees | 1,33,89.71 | 1,15,49.97 |
| Books and periodicals | 5,26.67 | 6,91.69 |
| Re-insurance | -121,41,52.95 ** | 144,14,40.57 |

** The negative expenditure for Reinsurance is appearing due to recovery share to reinsurer less the recoveries for claims which is paid in Foreign Currency. The major amount of premium for Reinsurance is paid in INR, since IRDAI has allowed foreign reinsurer to open branches in India from FY 2017-18

16. The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. Hence no segmental reporting is provided. Though the Company has initiated activities to start factoring of export bills, no bills have been factored and correspondingly no revenue accrued during the year (previous year NIL).

## 17. लेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबन्धित पार्टी प्रकटन

### (i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक:

| क्र.सं. | नाम | पद |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती गीता मुरलीधर | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अप्रनि) |
| 2 | श्री एम सेंथिलनाथन एम | कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले ) |
| 3 | श्री धर्मराजन वी | कार्यपालक निदेशक (परिचालन मामले ) |
| 4 | श्रीमती पद्मावती आर | महाप्रबंधक, मुख्य हामीदारी अधिकारी (एम एल टी ) |
| 5 | श्रीमती तापसी दे | महाप्रबंधक (मासंवि) |
| 6 | श्री सी एन ए अंबरसन | महाप्रबंधक, मुख्य हामीदारी अधिकारी (ईसीआईबी) |
| 7 | श्री सुनील जोशी | महाप्रबंधक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, आंतरिक लेखा के प्रमुख |
| 8 | श्री पी एल ठाकुर | महाप्रबंधक, मुख्य हामीदारी अधिकारी (पॉलिसी) |
| 9 | श्री राजीव मानवी | महाप्रबंधक,सी एफ ओ |
| 10 | श्री शिवाजी नार्वेकर | महाप्रबंधक, मुख्य निवेश अधिकारी , मुख्य विपणन अधिकारी |
| 11 | श्रीमती स्मिता वी पंडित | कंपनी सचिव |
| 12 | श्रीमती योगिता अरोरा | नियुक्त बीमांकिक |
| 13 | श्री गौरव अंशुमन | मुख्य जोखिम अधिकारी |
| 14 | श्री संदीप मुखर्जी | महाप्रबंधक, दिसंबर, 2017 तक |
| 15 | श्री मनोज कुमार | महाप्रबंधक, सितंबर 2017 तक |

### (ii) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को अदा की गयी परिलब्धियाँ:

(₹ '000)

| विवरण | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|
| वेतन तथा भत्ते | 3,79,20.55 | 76,60.15 * |
| नियुक्त बीमांकिक | 36,00.00 | - |

* पिछले वर्ष वेतन तथा भत्ते केवल अप्रनि एवं कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) से संबन्धित हैं।

### (iii) वर्ष के दौरान संबन्धित पार्टियों के साथ संव्यवहार:

(क) एन ई आई ए ट्रस्ट

(₹ '000)

| क्र. सं. | संव्यवहारों की प्रकृति | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशासनिक प्रभार | 2,06,24.30 | 1,30,87.93 |
| 2 | अग्रिम रूप में प्राप्त प्रशासनिक प्रभार (वर्तमान में बकाया) | 16,40,40.73 | 10,93,45.94 |
| 3 | एन ई आई ए को प्रदत्त प्रीपैड व्यय (वर्तमान में बकाया) | 5,86,36.24 | 7,37,77.72 |
| 4 | वर्ष के अंत तक बकाया शेष - नामे शेष | 29,40,56.07 | 7,61,01.84 |
| 5 | प्रदत्त गारंटी शुल्क | 3,99,82.31 | 2,83,79.83 |

## 17. Related Party Disclosures pursuant to AS-18

### (i) Key Management Personnel:

| Sr. No. | Name | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Smt. Geetha Muralidhar | Chairman-cum-Managing Director (CMD) |
| 2 | Shri Senthilnathan M. | Executive Director (Policy Matters) |
| 3 | Shri Dharmarajan V. | Executive Director (Operational Matters) |
| 4 | Smt.Padmavathy R. | General Manager, Chief Underwriting Officer (MLT) |
| 5 | Smt. Tapasi De | General Manager (HRD) |
| 6 | Shri C.N.A. Anbarasan | General Manager, Chief Underwriting Officer (ECIB) |
| 7 | Shri Sunil Joshi | General Manager, Chief Vigilance Officer, Chief of Internal Audit |
| 8 | Shri P.L. Thakur | General Manager, Chief Underwriting Officer (Policy) |
| 9 | Shri Rajiv Manavi | General Manager, CFO |
| 10 | Shri Shivaji Narvekar | General Manager, Chief Investment Officer, Chief Marketing Offficer |
| 11 | Smt. Smita V. Pandit | Company Secretary |
| 12 | Smt. Yogita Arora | Appointed Actuary |
| 13 | Shri Gaurav Anshuman | Chief Risk Officer |
| 14 | Shri Sandeep Mukherjee | General Manager Upto December, 2017 |
| 15 | Shri Manoj Kumar | General Manager Upto September, 2017 |

### (ii) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year:

(₹ '000)

| Particulars | Current year | Previous Year |
|---|---|---|
| Salary and Allowances | 3,79,20.55 | 76,60.15 * |
| Appointed Actuary | 36,00.00 | - |

* The salary and allowance for previous year pertains only to CMD and Executive Director (Policy matters).

### (iii) Transactions during the year with other related parties:

(a) NEIA Trust

(₹ '000)

| Sr. No. | Nature of Transactions | Current year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrative Charges Received for the Year | 2,06,24.30 | 1,30,87.93 |
| 2 | Administrative Charges received in advance (Balance as on date) | 16,40,40.73 | 10,93,45.94 |
| 3 | Prepaid Expenses paid to NEIA (Balance as on date) | 5,86,36.24 | 7,37,77.72 |
| 4 | Outstanding Dues as at year end Debit Balance | 29,40,56.07 | 7,61,01.84 |
| 5 | Guarantee Fees paid | 3,99,82.31 | 2,83,79.83 |

## 18. आस्थगित कर लेखांकन

वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखा मानक 22 के अनुकरण में आस्थगित कर की गणना की। इसका परिणाम वर्ष के दौरान कुल ₹2,57,31.23 हज़ार ( पिछले वर्ष ₹37,09,73.83 हज़ार नामे) के निवल आस्थगित कर के जमा के रूप में हुआ। वर्ष के अंत तक ₹21,92,81.76 हज़ार (पिछले वर्ष ₹19,35,50.53 हज़ार) की निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति रही। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार हैं :

(₹ '000)

| विवरण | 01/04/2017 को जमा | वर्ष के दौरान प्रभारित / जमा | 31/03/2018 को शेष |
|---|---|---|---|
| देयता | | | |
| मूल्यह्रास | 3,27,62.77 | 27,73.94 | 3,55,36.71 |
| **कुल** | **3,27,62.77** | **27,73.94** | **3,55,36.71** |
| परिसंपत्तियां | | | |
| छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान | 14,67,53.10 | (17,05.84) | 14,50,47.26 |
| संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान | 3,11,25.85 | 1,42,65.74 | 4,53,91.59 |
| उपदान हेतु प्रावधान | 3,68,71.82 | 2,52,39.93 | 6,21,11.75 |
| पी एल एल आई | 1,15,62.53 | (92,94.66) | 22,67.87 |
| **कुल** | **22,63,13.30** | **2,85,05.17** | **25,48,18.47** |
| **आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)** | **19,35,50.53** | **2,57,31.23** | **21,92,81.76** |

## 19. प्रतिशेयर अर्जन की निम्नानुसार गणना की गई :

(₹ '000)

| क्र. सं. | विवरण | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|---|
| क) | गणक :<br>लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ (₹ '000) | 74,28,54.92 | 282,14,41.29 |
| | | 14924,65,75.00 | 13498,62,62.30 |
| ख) | हर :<br>वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या | | |
| ग) | प्रति शेयर अर्जन : मूल (₹) | 4.98 | 20.90 |
| घ) | शेयरों का नाम मात्र मूल्य (₹) | 100.00 | 100.00 |

कंपनी की भविष्य में इक्विटी शेयरों को कम करने की कोई योजना नहीं है। तदनुसार कंपनी के आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के उपरांत हुए प्रतिशेयर अर्जन एक समान हैं।

## 18. DEFFERED TAX ACCOUNTING

During the year the Company has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax Credit during the year amounting to ₹2,57,31.23 thousands (previous year Debit of ₹37,09,73,83 thousands). The Net Deferred Tax Assets at the end of the year amounts to ₹21,92,81.76 thousands (previous year Deferred Tax Assets ₹19,35,50.53 thousands). The breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities is as under:

(₹ '000)

| Particulars | Opening at 01-04-2017 | Charge/Credit during the year | Closing at 31-03-2018 |
|---|---|---|---|
| Liability | | | |
| Depreciation | 3,27,62.77 | 27,73.94 | 3,55,36.71 |
| **Total** | **3,27,62.77** | **27,73.94** | **3,55,36.71** |
| Assets | | | |
| Provision for leave encashment | 14,67,53.10 | (17,05.84) | 14,50,47.26 |
| Provision for doubtful debts | 3,11,25.85 | 1,42,65.74 | 4,53,91.59 |
| Provision for gratuity | 3,68,71.82 | 2,52,39.93 | 6,21,11.75 |
| PLLI | 1,15,62.53 | (92,94.66) | 22,67.87 |
| **Total** | **22,63,13.30** | **2,85,05.17** | **25,48,18.47** |
| **Deferred Tax Asset/ (Liability)** | **19,35,50.53** | **2,57,31.23** | **21,92,81.76** |

## 19. Earnings Per Share is calculated as under:

(₹ '000)

| Sr. No. | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| a) | Numerator :<br>Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹ '000) | 74,28,54.92 | 282,14,41.29 |
| | | 14924,65,75.00 | 13498,62,62.30 |
| b) | Denominator:<br>Weighted Average Number of Shares Outstanding during the year | | |
| c) | Earnings per share: Basic (₹) | 4.98 | 20.90 |
| d) | Nominal Value of Shares (₹) | 100.00 | 100.00 |

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

## 20. आकस्मिक देयताएं

(₹ '000)

| क्र. सं. | विवरण | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 2. | पॉलिसियों के अधीन दावों को छोड़ कर अन्य जिन्हें निगम द्वारा ऋण के रूप नहीं माना गया है | 189,47,83.00 | 26,96,63.00 |
| 3. | कंपनी के खिलाफ पॉलिसी तथा ई सी आई बी दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है व जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। | 829,06,18.00 | 956,11,16.00** |
| 4. | कंपनी द्वारा तथा कंपनी की ओर से दी गयी गारंटियाँ | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 5. | पूंजीगत प्रतिबद्धता | 162,35,26.42 | 164,96,16.55 |
| 6. | आय कर | 254,99,00.00 | 953,25,60.00 |

** ऐसे मामले जिनमें जिला/राज्य/राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जैसा भी मामला हो, के समक्ष पॉलिसी एवं ई सी आई बी सहित कंपनी के विरुद्ध दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है को देयता में शामिल नहीं किया गया है।

**21.** लगभग ₹542,31,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹397,00,00.00 हजार) का दावा लागत अनुमानित है तथा दिनांक 31 मार्च, 2018 तक असंरक्षित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए आई आर डी ए आई की आवश्यकताओं के अनुसार कुल ₹163,05,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹42,00,00.00 हज़ार) की प्रीमियम कमी प्रारक्षित की गयी है।

## 22. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित निधि :

कंपनी ने कंपनी नियम 2013 की धारा 135 तथा 198 के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए सी एस आर प्रावधान अभिकलित किए हैं। आरंभिक प्रारक्षण, किए गए भुगतान एवं समाप्ति प्रारक्षण निम्नानुसार हैं :

(₹ '000)

| विवरण | | राशि |
|---|---|---|
| सी एस आर गतिविधियों के लिए आरंभिक प्रारक्षण | (क) | 2,44,24.00 |
| व्यय के लिए प्रतिबद्ध राशि | (ख) | 2,86,55.00 |
| कंपनी ने कंपनी नियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत व्यय की जाने वाली राशि | (ग) | 7,00,00.00 |
| कुल उपलब्ध राशि | (घ = क + ख+ ग) | 12,30,79.00 |
| वर्ष के दौरान कुल वास्तविक व्यय | (ड़) | 6,55,80.91 |
| सी एस आर गतिविधियों के अंतर्गत खर्च की गई कुल राशि | (च= घ -ड़) | 5,74,98.09 |
| **कुल प्रतिबद्धित सी एस आर** | | **5,75,20.00** |

23. भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) अधिनियम 2002 के अधीन आवश्यक प्रकटन इसके साथ अनुबंध 1 क व 1 ख के अनुसार संलग्न किए गए हैं।

24. (क) अनुसूचित बैंकों के पास अल्पावधि जमाओं (अनुसूची 11) में ₹7,00,00.00 हज़ार ( पिछले वर्ष ₹4,00,00.00 हज़ार

## 20. CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000)

| Sr. No. | Particulars | Current year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| 1. | Partly paid up investments | Nil | Nil |
| 2. | Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Company | 189,47,83.00 | 26,96,63.00 |
| 3. | Policies and ECIB claims against the Company not acknowledged as debt | 829,06,18.00 | 956,11,16.00** |
| 4. | Guarantees given by or on behalf of the Company | Nil | Nil |
| 5. | Capital Commitments | 162,35,26.42 | 164,96,16.55 |
| 6. | Income Tax | 254,99,00.00 | 953,25,60.00 |

** The cases in which appeals has been filed before the District/ State / National Consumer grievance Redressal Forum as the case may be against the Awards are included in Policies and ECIB claims against the Company not acknowledged as debt.

**21.** The expected claim costs is estimated at ₹542,31,00.00 thousands (previous year ₹397,00,00.00 thousand) and after taking into account URR as at 31st March, 2018, a premium deficiency reserve of ₹163,05,00.00 thousand (previous year ₹42,00,00.00 thousands) is provided as per IRDAI requirements.

## 22. RESERVE FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Company has computed CSR provision for the year 2017-18 as per section 135 and section 198 of the Companies Act, 2013. The details of opening reserve, payments made and closing reserve is as follows:

(₹ '000)

| Particulars | | Amount |
|---|---|---|
| Opening Reserve for CSR activities | (A) | 2,44,24.00 |
| Amount committed to be spent | (B) | 2,86,55.00 |
| Amount to be spent as per section 135 of Companies Act, 2013 | (C) | 7,00,00.00 |
| Total available amount | (D=A+B+C) | 12,30,79.00 |
| Amount actually spent during the year | (E) | 6,55,80.91 |
| Total unspent amount balance under CSR activities | (F=D-E) | 5,74,98.09 |
| **Total Committed CSR** | | **5,75,20.00** |

23. Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure-1A & 1B.

24. (a) Short Term Deposits with Scheduled banks (Schedule 11) include deposits of ₹7,00,00.00

के जमा ) शामिल हैं जिसे नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पास नकद मार्जिन के रूप में गिरवी रखा गया है।

(ख) ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेने हेतु संपार्शविक सुरक्षा के रूप में बैंक ₹4,00,00.00 हज़ार सावधि जमा के रूप में रखे गए हैं। इस वर्ष ओवरड्राफ्ट की सुविधा का उपयोग नहीं किया गया।

**25. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों ( अनुसूची 8 ) में निवेशों में शामिल हैं :**

i. निगम द्वारा अनुषंगी बाज़ार संव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹4,99,25 हज़ार (पिछले वर्ष ₹4,99,25 हज़ार के 7.16% वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड ) के अंकित मूल्य के 7.16 % वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

ii. निगम द्वारा समपार्श्विक उधारों तथा उधार देने क़े दायित्वों को पूरा करने के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ₹93,17.00 हज़ार (पिछले वर्ष ₹93,17.00 हजार के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड ) के अंकित मूल्य के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

**26. कर्मचारी लाभ:**

26.1 कंपनी में 31.03.2010 तक अथवा उसके पहले भर्ती सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल किया गया है। जो कर्मचारी दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम में भर्ती हुए हैं उन्हें परिभाषित अंशदान योजना के अधीन नयी पेंशन योजना ( एन पी एस ) में शामिल किया गया है।

26.2 कंपनी प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन निधि प्रशासक को कर्मचारी के मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10% की अदायगी करती है।

26.3 निश्चित लाभ पेंशन योजना के पात्र कर्मचारी के मामले में कंपनी अंशदान को पेंशन निधि ट्रस्ट को प्रेषित कर देती है। जो कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना अथवा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं कंपनी अपना हिस्सा भविष्य निधि ट्रस्ट को प्रेषित करती है।

26.4 आई सी ए आई द्वारा जारी ए स 15 ( 2005 में संशोधित ) के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश नोट के अनुसार कर्मचारियों द्वारा स्थापित भविष्य निधि , जिसमें होने वाली ब्याज में कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा किया जाता है, को निश्चित लाभ योजना माना जाये।

26.5 भविष्य निधि तथा उसके अर्जनों की आधारभूत निधि, भविष्य निधि

thousands (previous year deposits of ₹4,00,00.00 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange as a cash margin.

(b) Fixed Deposits of ₹40,00,00.00 thousands is kept with Bank as collateral security for availing overdraft facility. This facility has not been utilized during the year.

**25. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes:**

i. 7.16% 2023 Government of India bonds having book value of ₹4,99,25 thousands (previous year ₹4,99,25 thousands 7.16% 2023 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Company.

ii. 8.24% 2027 Government of India bonds having book value of ₹93,17 thousands (previous year ₹93,17 thousands 8.24% 2027 Government of India bonds) charged to Clearing Company of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Company.

**26. EMPLOYEE BENEFITS:**

26.1 The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who have joined the Company on or before 31/03/2010. The employees who have joined the Company on or after 01/04/2010 are covered by New Pension Scheme (NPS) under Defined Contribution Scheme.

26.2 The Company pays 10% of basic salary & dearness allowance/ personal allowance to a Pension Fund administrator for each employee.

26.3 In case of employees who are eligible for Defined Benefit Pension Scheme, the Company remits the contribution to the Pension Fund Trust. For those employees, who are not covered under Defined Benefit Pension Scheme or Defined Contribution Pension Scheme, the Company remits the Company's share to the Provident Fund Trust.

26.4 The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that provident funds set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a defined benefit plan.

26.5 As the corpus of the Provident Fund and earnings thereon are sufficient to meet the requirement of the

पर देय ब्याज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अत: उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है व लेखे में प्रावधान हेतु कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

26.6 कंपनी के कर्मचारी कंपनी के छुट्टी नियमों के अनुसार छुट्टियों के पात्र हैं। लेखा वर्ष के अंतिम तारीख को जमा छुट्टी के कारण उत्पन्न देयता की, बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर तुलन पत्र की तारीख को निश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य पर पहचान की गयी है।

(₹ '000)

| क्र. सं. | श्रेणी | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | **तुलन पत्र में दर्शाया गया** | | |
| | निश्चित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 41,50,84.89 | 42,40,43.87 |
| | वर्ष के आरंभ में देयता | 42,40,43.87 | 39,75,78.24 |
| | तुलन पत्र में दर्शायी गयी अतिरिक्त देयता | (89,58.98) | 2,64,65.13 |

**26.7** उपदान तथा सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न "निश्चित कर्मचारी लाभ योजना ' के अधीन कर्मचारी लाभ जिन पर वित्त व्यवस्था की गयी है , के विवरण निम्नानुसार हैं :-

**पेंशन** (₹ '000)

| क्र. सं. | श्रेणी | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | **लाभ दायित्वों में परिवर्तन** | | |
| | वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व | 3,145,462.46 | 299,16,08.10 |
| | ब्याज मूल्य | 235,909.68 | 23,93,28.65 |
| | चालू सेवा लागत | 108,767.37 | 10,38,03.87 |
| | स्थानांतरित देयता | | |
| | प्रदत्त लाभ | (248,515.18) | (28,54,54.25) |
| | बीमांकिक लाभ / (हानि ) | (97,216.79) | 9,61,76.09 |
| | वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व | 3,144,407.54 | 314,54,62.46 |
| 2 | **योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन** | | |
| | वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य पर योजना परिसंपत्तियाँ | 3,045,372.33 | 276,35,54.24 |
| | योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन | 228,402.92 | 22,10,84.34 |
| | अंशदान | 135,134.00 | 33,31,97.80 |
| | स्थानांतरित परिसंपत्तियाँ | - | - |
| | प्रदत्त लाभ | (248,515.18) | (28,54,54.25) |
| | बीमांकिक लाभ / ( हानि ) | 17.45 | 1,29,90.20 |
| | वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियां | 3,160,411.52 | 304,53,72.33 |
| 3 | **तुलन पत्र में दर्शाया गया** | | |

Interest payable on the Provident Fund, no provision for the same and no specific disclosure on account of provision is made in the account.

26.6 The employees of the company are entitled to leave and long service benefits as per the policy of the company. The liability on account of accumulated leave and long service benefits as on last day of the accounting year is recognised at present value of the defined obligation at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

(₹ '000)

| Sr. No. | Category | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| 1 | **Recognized in the Balance Sheet** | | |
| | Present Value of the Defined Benefit Obligation | 41,50,84.89 | 42,40,43.87 |
| | Liability at the beginning of the year | 42,40,43.87 | 39,75,78.24 |
| | Additional Liability recognised in the Balance Sheet | (89,58.98) | 2,64,65.13 |

**26.7** The details of employee benefits under "defined employee benefit plans" for the period on account of pension and gratuity which are funded are as under.

**Pension** (₹ '000)

| Sr. No. | Category | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| 1 | **Change in Benefit Obligations** | | |
| | Projected benefit obligations at the beginning of the year | 3,145,462.46 | 299,16,08.10 |
| | Interest Cost | 235,909.68 | 23,93,28.65 |
| | Current Service Cost | 108,767.37 | 10,38,03.87 |
| | Liability Transferred | | |
| | Benefits paid | (248,515.18) | (28,54,54.25) |
| | Actuarial (Gain) / Loss | (97,216.79) | 9,61,76.09 |
| | Projected Benefit Obligations at the end of the year | 3,144,407.54 | 314,54,62.46 |
| 2 | **Change in Plan Assets** | | |
| | Plan Assets at the beginning of the year at fair value | 3,045,372.33 | 276,35,54.24 |
| | Expected return on Plan Assets | 228,402.92 | 22,10,84.34 |
| | Contributions | 135,134.00 | 33,31,97.80 |
| | Assets Transferred in | - | - |
| | Benefits paid | (248,515.18) | (28,54,54.25) |
| | Actuarial Gain / (Loss) | 17.45 | 1,29,90.20 |
| | Plan Assets at the end of the year at fair value | 3,160,411.52 | 304,53,72.33 |
| 3 | **Recognized in the Balance Sheet** | | |

| क्र. सं. | श्रेणी | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|---|
| | निश्चित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 3,144,407.54 | 314,54,62.46 |
| | वर्ष के अंत में उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियां | 3,160,411.52 | 304,53,72.33 |
| | तुलन पत्र में दर्शाई गयी देयता | (16,003.98) | 10,00,90.13 |
| 4 | **वर्ष के लिए लागत** | | |
| | चालू सेवा लागत | 108,767.37 | 10,38,03.87 |
| | ब्याज लागत (योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन सहित ) | 7,506.76 | 1,82,44.31 |
| | बीमांकिक (लाभ) / हानि | (97,234.24) | 8,31,85.89 |
| | राजस्व खाते में दर्शाये गए व्यय | 19,039.89 | 20,52,34.07 |

| Sr. No. | Category | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| | Present Value of the Defined Benefit Obligation | 3,144,407.54 | 314,54,62.46 |
| | Plan Assets at the end of the year at fair value | 3,160,411.52 | 304,53,72.33 |
| | Liability recognised in the Balance Sheet | (16,003.98) | 10,00,90.13 |
| 4 | **Cost for the year** | | |
| | Current Service Cost | 108,767.37 | 10,38,03.87 |
| | Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets) | 7,506.76 | 1,82,44.31 |
| | Actuarial (Gain) / Loss | (97,234.24) | 8,31,85.89 |
| | Expense recognised in the Revenue account | 19,039.89 | 20,52,34.07 |

## उपदान

(₹ '000)

| क्र. सं. | श्रेणी | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | **लाभ दायित्वों में परिवर्तन** | | |
| | वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व | 39,21,72.45 | 37,91,08.76 |
| | ब्याज लागत | 2,85,89.37 | 3,01,77.06 |
| | चालू सेवा लागत | 1,04,34.26 | 92,14.77 |
| | विगत सेवा लागत - निहित लाभ | 8,98,04.98 | - |
| | प्रदत्त लाभ | (2,54,28.50) | (2,74,51.13) |
| | बीमांकिक (लाभ) / हानि | (3,55,19.53) | 11,22.99 |
| | वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व | 46,00,53.03 | 39,21,72.45 |
| 2 | **योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन** | | |
| | वर्ष के आरंभ में उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ | 28,56,31.13 | 29,03,12.90 |
| | योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन | 2,08,22.51 | 2,31,08.91 |
| | अंशदान | 5,87.96 | - |
| | अंतरित परिसंपत्ति | 4,36.71 | - |
| | प्रदत्त लाभ | (2,54,28.50) | (2,74,51.13) |
| | बीमांकिक लाभ / (हानि) | 2,56.66 | (3,39.55) |
| | वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ | 28,23,06.47 | 28,56,31.13 |
| 3 | **तुलन पत्र में दर्शाये गए** | | |
| | निर्धारित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य | 46,00,53.03 | 39,21,72.45 |
| | वर्ष के अंत तक उचित मूल्य में योजना परिसंपत्ति | 28,23,06.47 | 28,56,31.13 |
| | तुलन पत्र में दर्शाई देयता | 17,77,46.56 | 10,65,41.32 |
| 4 | **वर्ष के लिए लागत** | | |
| | चालू सेवा लागत | 1,04,34.26 | 92,14.77 |

## Gratuity

(₹ '000)

| Sr. No. | Category | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| 1 | **Change in Benefit Obligations** | | |
| | Projected Benefit Obligations at the beginning of the year | 39,21,72.45 | 37,91,08.76 |
| | Interest Cost | 2,85,89.37 | 3,01,77.06 |
| | Current Service Cost | 1,04,34.26 | 92,14.77 |
| | Past Service Cost Vested Benefit | 8,98,04.98 | - |
| | Benefits paid | (2,54,28.50) | (2,74,51.13) |
| | Actuarial (Gain) / Loss | (3,55,19.53) | 11,22.99 |
| | Projected Benefit Obligations at the end of the year | 46,00,53.03 | 39,21,72.45 |
| 2 | **Change in Plan Assets** | | |
| | Plan Assets at the beginning of the year at fair value | 28,56,31.13 | 29,03,12.90 |
| | Expected return on Plan Assets | 2,08,22.51 | 2,31,08.91 |
| | Contributions | 5,87.96 | - |
| | Assets Transferred In | 4,36.71 | - |
| | Benefits paid | (2,54,28.50) | (2,74,51.13) |
| | Actuarial Gain / (Loss) | 2,56.66 | (3,39.55) |
| | Plan Assets at the end of the year, at fair value | 28,23,06.47 | 28,56,31.13 |
| 3 | **Recognized in the Balance Sheet** | | |
| | Present Value of the Defined Benefit Obligation | 46,00,53.03 | 39,21,72.45 |
| | Plan Assets at the end of the year at fair value | 28,23,06.47 | 28,56,31.13 |
| | Liability recognised in the Balance Sheet | 17,77,46.56 | 10,65,41.32 |
| 4 | **Cost for the year** | | |
| | Current Service Cost | 1,04,34.26 | 92,14.77 |

| क्र. सं. | श्रेणी | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|---|
| | ब्याज लागत (योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन ) | 77,66.86 | 70,68.15 |
| | बीमांकिक (लाभ) / हानि | (3,57,76.19) | 14,62.54 |
| | पूर्व सेवा मूल्य - निहित लाभ | 8,98,04.98 | - |
| | राजस्व खाते मे शामिल व्यय | 7,22,29.91 | 1,77,45.46 |
| | **श्रेणी** | **पेन्शन** | **उपदान** |
| 5 | **अनुमान** | | |
| | भुनाने पर ब्याज दर | 7.76% (7.50%) | 7.83% (7.29%) |
| | योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित अर्जन दर | 7.76% (7.50%) | 7.83% (7.29%) |
| | वेतन वृद्धि | 7.00% (7.00%) | 7.00% (7.00%) |
| | क्रमचारी टर्नओवर की दर | 0.50% | 0.50% |
| 6. | **मूल्यांकन की पद्धति** | **परियोजित इकाई जमा विधि** | |
| | योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाये गए आधार। | योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर की गणना परिसंपत्तियों की चालू पोर्टफोलियो , निवेश नीति तथा बाज़ार परिदृश्य के आधार पर की गयी है ताकि पूंजी की सुरक्षा की जाये तथा स्वीकारने योग्य जोखिम मानदंडों के भीतर अधिक से अधिक अर्जन अर्जित किए जा सकें; योजना परिसंपत्तियाँ पूर्ण रूप से विविधिकृत हैं। | |

## 27. परिचालन पट्टे

कंपनी पास विविध स्थानों में कार्यालय परिसर तथा आवास फ्लैटों के परिचालन पट्टे हैं जिन्हें आवधिक आधार पर नवीकृत किया जाता है तथा एक माह से छः माह तक का नोटिस देकर उसे रद्द किया जाता है। किराया वृद्धि शर्तें संविदा दर संविदा पर अलग होती हैं। परिचालन पट्टों के लिए ₹14,44,08.35 हज़ार ( पिछले वर्ष ₹16,67,71.13 हज़ार ) के किराया व्ययों को राजस्व खाते में शामिल किया गया है । ए एस - 19 के अनुसार परिचालन पट्टे के लिए न्यूनतम भविष्य भुगतान की 'पट्टे' की राशि ₹48,87,27.02 हज़ार (पिछले वर्ष ₹27,45,78.78 हज़ार) है।

28. कंपनी का कोई व्युत्पन्न अनुबंध तथा वायदा अनुबंध नहीं हैं। कंपनी की कोई विदेशी मुद्रा (बिना बचाव व्यवस्था के) जोखिम नहीं हैं ।

## 29. एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार:

i. बकाया राशि ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं )

ii. वर्ष भर में किए गए विलंबित भुगतान ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं )नहीं हैं।

iii. देय ब्याज जहां देय तारीख के पश्चात देय मूलधन की अदायगी की गयी हो रु कुछ नहीं ( पिछले वर्ष ₹ कुछ नहीं )

| Sr. No. | Category | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| | Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets) | 77,66.86 | 70,68.15 |
| | Actuarial (Gain) / Loss | (3,57,76.19) | 14,62.54 |
| | Past Service Cost Vested Benefit | 8,98,04.98 | - |
| | Expense Recognised in the Revenue account | 7,22,29.91 | 1,77,45.46 |
| | **Category** | **Pension** | **Gratuity** |
| 5 | **Assumptions** | | |
| | Interest rate for Discounting | 7.76% (7.50%) | 7.83% (7.29%) |
| | Estimated rate of return on Plan Assets | 7.76% (7.50%) | 7.83% (7.29%) |
| | Salary Escalation | 7.00% (7.00%) | 7.00% (7.00%) |
| | Rate of Employee Turnover | 0.50% | 0.50% |
| 6. | **Method of Valuation** | **Projected Unit Credit Method** | |
| | Basis used to determine the expected rate of return on Plan Assets. | The expected rate of return on plan assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the Plan Assets are well diversified. | |

## 27. OPERATING LEASES

The Company has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract. Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹14,44,08.35 thousands (previous year ₹16,67,71.13 thousands). As per AS-19 "Leases" amount of minimum future payments for operating leases is ₹48,87,27.02 thousands (previous year ₹27,45,78.78 thousands).

28. The Company does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Company has no exposure in foreign currency (un-hedged).

## 29. As per the provisions of the MSMED Act, 2006:

i. Amount Outstanding ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

ii. Delayed Payments made through-out the year ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

iii. Interest payable where principal dues are settled after due date ₹ NIL (previous year ₹ NIL).

**30.** कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों पर की गयी वसूलियों के व्ययों (अनुसूची 2) को ₹185,61,14.03 (पिछले वर्ष ₹131,34,11.51) निवल व्ययों में दर्शाया गया है जैसे वसूली कमीशन, बैंक प्रभार, सेवा कर आदि।

**31.** आई आर डी ए आई के परिपत्र सं 067/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि / मार्च 08 दिनांक 28.03.2008 के जरिये विनियामक आवश्यकता के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है;

(₹ '000)

| क्र. सं. | विवरण | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|---|---|---|
| i | आउटसोर्सिंग व्यय | 8,11,43.89 | 2,71,36.22 |
| ii | कारोबार विकास | 1,39,38.23 | 1,64,81.10 |
| iii | विपणन समर्थन | 9,76,03.13 | 13,54,01.14 |

**32. गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात**

अनुपातों के संबंध में जानकारी अनुबंध - 2 में संलग्न है।

**33.** निम्न के अनुसार धारित तथा पुनर्बीमित जोखिम (हानि अधिकता तथा आपात पुनर्बीमा को छोड़ कर)

(₹ '000))

| | अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए प्रीमियम विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | प्रीमियम | | | | |
| वित्तीय वर्ष | प्रीमियम | धारण | % | पुनर्बीमा को सौंपा गया | % |
| 2017-18 | 1240,41,70.70 | 838,82,48.95 | 67.62% | 401,59,21.75 | 32.38% |
| 2016-17 | 1267,62,48.71 | 839,64,91.37 | 66.24% | 427,97,57.34 | 33.76% |

**34.** आई आर डी ए आई परिपत्र संख्या आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि / सी एम पी /174/11/2010 दिनांक 04.11.2010 तथा परिपत्र संख्या आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि / 114/05/2015 दिनांक 28.05.2015 के अनुसार पॉलिसी धारकों की अदावी राशि की अवधिवार विश्लेषण दर्शाते हुए विवरण अनुबंध 3ए तथा 3बी में दर्शाया गया है।

**35.** आई आर डी ए आई के परिपत्र सं 005/आई आर डी ए / एफ एंड ए / परि / मई 09 दिनांक 7.05.2009 के जरिये विनियामक आवश्यकता के अनुसरण में अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है;

| क्र. सं. | प्राधिकारी | गैर अनुपालन / उल्लंघन | राशि रु '000 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | दिया गया दंड | अदा किया गया दंड | दंड से माफी / कमी |
| 1. | भारतीय बीमा विनियम व विकास प्राधिकरण | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 2. | सेवाकर/जी एस टी प्राधिकारी | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 3. | आयकर प्राधिकारी | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

**30.** The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses at ₹185,61,14.03 thousands (previous year ₹131,34,11.51 thousands) such as recovery commission, bank charges, service tax, etc. incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Company.

**31.** Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 dt. 28/03/2008 the additional disclosure is given as under:

(₹ '000)

| Sr. No. | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| i | Outsourcing Expenses | 8,11,43.89 | 2,71,36.22 |
| ii | Business Development | 1,39,38.23 | 1,64,81.10 |
| iii | Marketing Support | 9,76,03.13 | 13,54,01.14 |

**32. RATIOS FOR NON LIFE COMPANIES**

Information in respect of ratios is as per Annexure 2 attached.

**33.** Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding excess of loss and catastrophe reinsurance)

(₹ '000)

| | Premium Statistics for the Period April 2017 to March 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Premium | | | | |
| FY | Premium | Retention | % | RI Ceding | % |
| 2017-18 | 1240,41,70.70 | 838,82,48.95 | 67.62% | 401,59,21.75 | 32.38% |
| 2016-17 | 1267,62,48.71 | 839,64,91.37 | 66.24% | 427,97,57.34 | 33.76% |

**34.** Statement showing Age-wise Analysis of un-claimed amount of the policy-holders as per IRDAI Circular no. IRDA/F&I/CIR/CMP/174/11/2010 dated 04/11/2010 and Circular no. IRDA/F&A/CIR/114/05/2015 dated 28/05/2015 is given in Annexure 3A & 3B.

**35.** Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 7/05/2009 the additional disclosure is given as under:

| Sr. No. | Authority | Non-Compliance/ Violation | Amount in ₹ '000 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penalty Awarded | Penalty Paid | Penalty Waived/ Reduced |
| 1. | Insurance Regulatory and Development Authority of India | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 2. | Service Tax / GST Authorities | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 3. | Income Tax Authorities | NIL | NIL | NIL | NIL |

| क्र. सं . | प्राधिकारी | गैर अनुपालन / उल्लंघन | राशि रु '000 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | दिया गया दंड | अदा किया गया दंड | दंड से माफी / कमी |
| 4. | अन्य कर प्राधिकारी | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 5. | प्रवर्तन निदेशालय / न्यायनिर्णयन प्राधिकारी /फेमा के अधीन नयायाधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकारी | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 6. | कंपनी अधिमयम 1956 के अधीन कंपनियों का रजिस्ट्रार / एन सी एल टी / सी एल बी / | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 7. | दावा निपटान सहित किसी मामले में न्यायालय / न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया दंड , जिसमें प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 8. | सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया | लागू नहीं, कंपनी सूचीबद्ध इकाई नहीं है | | | |
| 9. | भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| 10. | अन्य कोई केंद्र/राज्य/स्थानीय शासन/सांविधिक प्राधिकारी | (क) मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दादर / दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम - सेक्शन 7 (1) (4) और आर -20 ए * | 44.00 | 44.00 | कुछ नहीं |
| | | (ख) ई पी एफ ओ अस्थायी कामगार** | 43,18.04 | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

*10 (क) चर्चगेट शाखा - इसकी स्थापना एवं कार्य आरंभ करने के (15.05.2017) के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण नहीं किया गया एवं मराठी भाषा में बोर्ड प्रदर्शित नहीं किया गया।

**10(ख) सहायक पी एफ कमिश्नर, ई पी एफ ओ द्वारा ई पी एफ एवं एम पी अधिनियम की धारा 7 क्यू के अंतर्गत धारा 14बी के अंतर्गत '43,18,042/- की हानि के संबंध में दिनांक 10.04.2017 को कंपनी को समन जारी किया गया। चूंकि क्षेत्रीय पी एफ कमिश्नर के आदेश के अनुपालन में पी एफ का वितरण किया गया है अतः कंपनी सहायक पी एफ कमिश्नर के आदेश से विरोध कर रही है अतः देयता, यदि कोई हो, पी एफ वितरण में देरी करने के कारण ब्याज, चालू दरों पर, के भुगतान के संबंध में होगा। सुनवाई के लिए दिनांक 20.06.2018 की तारीख निश्चित की गई है।

## 36. आय तथा व्यय का आबंटन

निवेश व्ययों को, पॉलिसीधारक निधियों तथा शेयरधारक निधियों के आरंभ शेषों के आधार पर राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार आरंभिक शेषों के आधार पर आबंटन किया गया। यह आई आर डी ए आई के मास्टर परिपत्र सं आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ एंड ए /231/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर, 2012 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रभावी शुद्धिपत्र सं आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ ए/ 126/07/2013 दिनांक 3 जुलाई, 2013 के जरिये आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित प्रकटन मानदंड के अनुरूप है।

| Sr. No. | Authority | Non-Compliance/ Violation | Amount in ₹ '000 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Penalty Awarded | Penalty Paid | Penalty Waived/ Reduced |
| 4. | Any other Tax Authorities | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 5. | Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 6. | Registrar of Companies/ NCLT/ CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under The Companies Act, 2013 | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 7. | Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 8. | Securities and Exchange Board of India | Not Applicable as the Company is not a Listed Entity | | | |
| 9. | Competition Commission of India | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 10. | Any other Central/ State/Local Government / Statutory Authority | (a) Metropolitian magistrate Dadar / Shops & Establishment Act Sec 7(1)(4) & R-20A* | 44.00 | 44.00 | NIL |
| | | (b) EPFO for Casual workers** | 43,18.04 | NIL | NIL |

*10(a) Churchgate Branch- Registration not done within 30 days from the date of establishment commencing its work (15.05.2017) and name Board not displayed in Marathi Devanagiri Script.

**10(b) A summon dated 10.04.2017 by the Asst. PF Commissioner, EPFO u/s 7Q under EPF & MP Act for payment of ₹43,18,042/- being damages u/s 14B has been issued to the Company. The Company is contesting the matter before the Asst. PF Commissioner since PF contribution to EPFO was made by the Company while following the orders of Regional PF Commissioner, hence the liability, if any in the matter would be on account of payment of interest on delayed PF Contribution, at the applicable rate. The matter is fixed for hearing on 20.06.2018.

## 36. ALLOCATION OF INCOME AND EXPENSES

Investment expenses are allocated pro-rata between the Revenue Account and Profit & Loss Account on the basis of opening balances of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund which practice has been followed consistently. This is in line with the disclosure norm set by IRDAI by its master circular No IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

**37.** बैठक के दौरान निदेशक मण्डल द्वारा 1 रु प्रति शेयर का लाभांश देने का प्रस्ताव रखा गया है जो कि वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों के अनुमोदन पर निर्भर करता है। कंपनी लेखा मानक नियम 2016 में संशोधन के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार संशोधित ए एस-4 के अनुसार 'तुलन पत्र की तारीख के बाद आकस्मिकताओं और घटनाओं के संदर्भ में, कंपनी द्वारा ₹18,08,32.94 हजार रुपये के कर सहित प्रस्तावित लाभांश का विनियमन 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाते से नहीं किया गया है।

**38.** वर्तमान वर्ष के आंकड़ों की तुलना हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों को, तुलनात्मक बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहित / वर्गीकृत किया गया है।

**37.** The Board of Directors at their meeting have proposed a dividend of ₹1 per share of the Company subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. In terms of revised AS-4 'Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date' as notified by the Ministry of Corporate Affairs through the amendments to the Companies Accounting Standard Rules 2016, the Company has not appropriated proposed dividend including tax amounting to ₹18,08,32.94 thousands from the Profit Loss Account for the year ended on March 31,2018.

**38.** The figures for the previous period/year have been re-grouped/re- classified wherever necessary to make them comparable with the current period's figures.

**(गीता मुरलीधर)**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
**(Geetha Muralidhar)**
Chairman-cum-Managing Director

**(विद्युत बिहारी स्वाई)**
निदेशक
**(Bidyut Behari Swain)**
Director

**( सरनला मालती रानी)**
निदेशक
**(Saranala Malathi Rani)**
Director

**(गणेश कुमार गुप्ता)**
निदेशक
**(Ganesh Kumar Gupta)**
Director

**(माणेक एरुच डावर)**
निदेशक
**(Maneck Eruch Davar)**
Director

**(एम. सेंथिलनाथन)**
कार्यपालक निदेशक
**(M. Senthilnathan)**
Executive Director

**(राजीव मानवी)**
मुख्य वित्त अधिकारी
**(Rajiv Manavi)**
Chief Financial Officer

**(स्मिता पंडित)**
कंपनी सचिव
**(Smita Pandit)**
Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

**कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या 100990डब्ल्यू
**For Banshi Jain & Associates**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

**(अनुज बी गोलेचा)**
भागीदार - एम.सं. 117617
**(Anuj B. Golecha)**
Partner - M.no. 117617

**कृते ए जे शाह एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या 109477डब्ल्यू
**For A. J. Shah & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109477W

**(देवेंद्र जे श्रीमंकर)**
भागीदार - एम.सं 41920
**(Devendra J. Shrimanker)**
Partner - M.no. 41920

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2018
Place : New Delhi
Dated : 29th May, 2018

## वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

## DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

**अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17**

(₹ '000)

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000) | पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| 1 | निगम की परिसंपत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं<br>The details of encumbrances to the assets of the Corporation are as under | | |
| | क) भारत में<br>a) In India | **कुछ नहीं<br>Nil** | कुछ नहीं<br>Nil |
| | ख) भारत के बाहर<br>b) Outside India | **कुछ नहीं<br>Nil** | कुछ नहीं<br>Nil |
| 2 | बकाया दायित्व<br>Commitments Outstanding | | |
| | (प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार)<br>(as per the data provided by the management) | | |
| | क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता<br>a) Commitments made and outstanding for loans and investments | **कुछ नहीं<br>Nil** | कुछ नहीं<br>Nil |
| | ख) अचल परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धता (अग्रिमों सहित)<br>b) Commitments made for Fixed Assets (Net of advances) | **161,77,08.15** | 164,96,16.55 |
| 3 | दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर<br>Claims, less reinsurance, paid to claimants | | |
| | क) भारत में<br>a) In India | **811,36,21.19** | 669,08,80.48 |
| | ख) भारत के बाहर<br>b) Outside India | **कुछ नहीं<br>Nil** | कुछ नहीं<br>Nil |
| 4 | ऐसा कोई भी दावा दायित्व नही है जहां दावा भुगतान की अवधि चार वर्षों से अधिक है<br>There are no claim liabilities where claim payment period exceeds four years | **कुछ नहीं<br>Nil** | कुछ नहीं<br>Nil |
| 5 | छः महीनों से अधिक से बकाया दावे<br>Claims outstanding for more than six months | | |
| | (सकल - भारतीय)<br>(Gross - Indian) | | |
| | दावों की संख्या<br>Number of Claims | **144** | 181 |
| | राशि<br>Amount | **1160,08,61.16** | 1504,63,50.14 |
| | छः महीनों से कम से बकाया दावे<br>Claims outstanding for less than six months | | |
| | (सकल - भारतीय)<br>(Gross - Indian) | | |
| | दावों की संख्या<br>Number of Claims | **409** | 285 |
| | राशि<br>Amount | **1134,57,52.97** | 1300,53,12.30 |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000) | पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000) |
|---|---|---|---|
| | कुल बकाया दावों की संख्या (सकल - भारतीय)<br>Total Number of Claims outstanding (Gross - Indian) | **553** | 466 |
| | राशि<br>Amount | **2294,66,14.13** | 2805,16,62.44 |
| 6 | कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर<br>Premiums, less reinsurance, written from business | | |
| | भारत में<br>In India | **838,82,48.95** | 839,64,91.37 |
| | भारत के बाहर<br>Outside India | **कुछ नहीं<br>Nil** | कुछ नहीं<br>Nil |
| 7 | घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। शुद्ध प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है<br>Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy. A reserve for un-expired risks is created at 50% of net premium. | **419,41,24.48** | 419,82,45.69 |
| 8 | निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण,<br>Details of contracts in relation to investments for, | | |
| | क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है<br>a) Purchase where deliveries are pending | **कुछ नहीं<br>Nil** | कुछ नहीं<br>Nil |
| | ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हो<br>b) Sales where payments are due | **कुछ नहीं<br>Nil** | कुछ नहीं<br>Nil |
| 9 | ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय<br>The entire operating expenses pertain to credit insurance business. | | |
| 10 | घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है<br>Investments are valued in accordance with the declared accounting policy. | | |
| 11 | सीमांत पारिश्रमिक की गणना : सरकारी कंपनी होने के कारण निगम को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 462 के अंतर्गत जी एस आर 463 के जरिए इससे छूट प्रदान की गई है<br>Computation of Managerial Remuneration: The Company is exempted vide notification: GSR 463 u/s 462 of the Companies Act, 2013, being a Government Company. | | |
| 12 | निवेशों के मूल्यह्रास के लिए ऋण प्रतिभूति परिशोधन के आधार पर प्रावधान<br>Basis of amortisation of debt securities Provision for diminution in the value of the investments | **-** | - |
| 13 | क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ व हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है<br>a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed equity shares under Fair value change a/c | **320,36,98.57** | 302,29,68.16 |
| | ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है<br>Pending realisation,credit balance in Fair value change a/c not<br>b) available for distribution. | **320,36,98.57** | 302,29,68.16 |
| 14 | निगम ने "रियल स्टेट निवेश संपत्ति" में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है<br>The Corporation does not have investment in 'Real Estate Investment Property.' | | |

| क्र.सं. Sr. No. | | विवरण Particulars | वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000) | पिछले वर्ष Previous Year (₹ '000) |
|---|---|---|---|---|
| 15 | क<br>A | तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए, निपटाए गए एवं लंबित दावे निम्नानुसार हैं<br>Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under | | |
| | | दावों की संख्या<br>Number of claims | **कुछ नहीं<br>Nil** | कुछ नहीं<br>Nil |
| | | राशि<br>Amount | **कुछ नहीं<br>Nil** | कुछ नहीं<br>Nil |
| | ख<br>B | वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गई हैं<br>All Significant accounting policies forming part of the financial statements are disclosed separately. | | |
| | ग<br>C | | | |
| | 1 | वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं<br>Deposits made in accordance with statutory requirements are as under | | |
| | | क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य 1000.00 लाख)<br>a) In India- under Section 7 of the Insurance Act 1938 ( Face Value 1000.00 lacs) | **कुछ नहीं<br>Nil** | कुछ नहीं<br>Nil |
| | | ख) भारत के बाहर<br>b) Outside India | **कुछ नहीं<br>Nil** | कुछ नहीं<br>Nil |
| | 2 | निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है<br>Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under | | |
| | | अर्जक (मानक) निवेश<br>Performing(Standard) Investments | **8806,69,10.36** | 8328,01,37.35 |
| | | अनर्जक निवेश<br>Non Performing Investments | **5,00,00.00** | 5,00,00.00 |
| | | कुल अंकित मूल्य(अंतिम मूल्य)<br>Total Book Value(Closing Value) | **8811,69,10.36** | 8333,01,37.35 |
| | 3 | क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत<br>Percentage of business sector wise | | |
| | | जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है<br>As the corporation caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable. | | |
| | 4 | 5 वर्षों के वित्तीय विवरण की समीक्षा संलग्न है ।<br>A summary of financial statements for 5 years is enclosed. | **अनुबंध 2(ख) के अनुसार<br>As per Annexure 2b** | अनुबंध 2(ख) के अनुसार<br>As per Annexure 2b |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | | वर्तमान वर्ष Current Year (₹ '000) | पिछला वर्ष Previous Year (₹ '000) | वृद्धि % Growth % |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन के समेकन के अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपात न होने पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है ) (वर्ष के अंत तक अथवा जब तक उल्लेख नहीं किया गया हो)<br>Various Financial Ratios (as compiled by the management) (in the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given.) (Year-end unless otherwise stated) | | | |
| | | सकल प्रीमियम<br>Gross Premium | 1240,41,70.70 | 1267,62,48.71 | -2.15 |
| | | शुद्ध प्रीमियम<br>Net Premium | 838,82,48.95 | 839,64,91.37 | -0.10 |
| | | शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%)<br>Net Retention Ratio (%) | 67.62 | 66.24 | 2.09 |
| | | (शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम)<br>(Net Premium/Gross Premium) | | | |
| | | शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%)<br>Profit before Tax to Share Capital (%) | 8.65 | 28.10 | -69.21 |
| | | शुद्ध संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%)<br>Profit before Tax to Networth (%) | 3.47 | 11.26 | -69.18 |
| | | शुद्ध संपत्ति पर कर पश्चात लाभ (%)<br>Profit after Tax to Networth (%) | 1.99 | 7.80 | -74.49 |
| | | सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%)<br>Expenses of Management to Gross Premium (%) | 16.87 | 16.19 | 4.20 |
| | | कुल रोजगार पर पी बी डी आई टी<br>PBDIT to Total Employment | 21,80.95 | 68,15.12 | -68.00 |
| | | शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण<br>Technical Reserves to Net Premium | | | |
| | | असमाप्त जोखिम प्रारक्षण<br>Unexpired Risks Reserve | 419,41,24.48 | 419,82,45.69 | -0.10% |
| | | बकाया दावे<br>Outstanding Claims | 5345,88,46.99 | 4879,14,42.91 | 9.57% |
| | | प्रीमियम में कमी<br>Premium Deficiency | 163,05,00.00 | 42,00,00.00 | 288.21% |
| | | कुल तकनीकी प्रारक्षण<br>Total Technical Reserves | 5928,34,71.47 | 5340,96,88.60 | 11.00% |
| | | शुद्ध प्रीमियम<br>Net Premium | 838,82,48.95 | 839,64,91.37 | -0.10% |
| | | अनुपात<br>Ratio | 7.07 | 6.36 | 11.11 |

## वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन
## DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

**अनुसूची 17 में अनुबंध - 1 (ख) / Annexure - 1 (b) to Schedule 17**

(₹ '000)

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **परिचालन परिणाम OPERATING RESULTS** | | | | | |
| 1 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium | **1240,41,70.70** | 1267,62,48.71 | 1320,72,97.15 | 1362,39,79.11 | 1303,72,59.69 |
| 2 | शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium | **838,82,48.95** | 839,64,91.37 | 903,49,64.18 | 1054,37,98.10 | 984,16,56.70 |
| 3 | निवेशों से आय (शुद्ध) Income from Investments (Net) | **421,18,52.23** | 377,94,12.18 | 352,13,64.65 | 294,39,41.80 | 262,79,35.49 |
| 4 | अन्य आय (शुल्क और प्राप्तियाँ) Other Income(Fee & Other Receipts ) | **3,85,05.23** | 2,48,01.65 | 4,33,22.99 | 3,17,39.19 | 4,31,57.70 |
| 5 | कुल आय Total Income | **1263,86,06.41** | 1220,07,05.20 | 1259,96,51.82 | 1351,94,79.09 | 1251,27,49.89 |
| 6 | कमीशन (शुद्ध) ( ब्रोकरेज सहित) Commission (Net) ( Including Brokerage) | **(58,09,97.22)** | (70,04,80.73) | (67,71,01.89) | (57,48,18.88) | (57,92,41.35) |
| 7 | परिचालन व्यय Operating Expenses | **192,78,45.71** | 195,49,31.98 | 185,56,64.81 | 205,16,70.95 | 156,58,04.34 |
| 8 | शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claim | **1138,58,81.99** | 1056,65,01.81 | 1000,62,50.19 | 1163,50,03.52 | 746,06,72.89 |
| 9 | असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन Change in Unexpired Risk Reserve | **41,21.21** | 31,92,36.41 | (34,75,83.63) | (35,10,70.70) | (76,81,96.87) |
| 10 | परिचालन लाभ / (हानि) Operating Profit / (Loss) | **(130,05,02.86)** | 138,09,89.14 | 106,72,55.08 | 5,65,52.80 | 329,73,17.14 |
| | गैर परिचालन परिणाम NON OPERATING RESULTS | | | | | |
| 11 | शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय Total Income under Shareholders' account | **259,83,55.39** | 269,39,52.70 | 280,63,42.87 | 249,50,85.62 | 213,99,69.73 |
| 12 | कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) before tax | **129,78,52.53** | 407,49,41.84 | 387,35,97.95 | 255,16,38.42 | 543,72,86.87 |
| 13 | कर के लिए प्रावधान Provision for tax | **55,49,97.61** | 125,35,00.55 | 111,13,31.25 | 75,06,81.65 | 179,11,64.87 |
| 14 | कर पश्चात लाभ/ (हानि) Profit / (Loss) after tax | **74,28,54.92** | 282,14,41.29 | 276,22,66.70 | 180,09,56.77 | 364,61,22.00 |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | विविध<br>MISCELLANEOUS | | | | | |
| 15 | पॉलिसीधारक खाता<br>Policyholders' Account * | | | | | |
| | कुल निधियाँ<br>Total Funds | **6289,14,37.20** | 5640,60,00.59 | 5150,48,47.08 | 4390,03,38.53 | 3720,35,37.59 |
| | कुल निवेश #<br>Total Investments # | **5460,14,84.42** | 4996,80,82.41 | 4294,57,16.75 | 3853,64,62.72 | 3215,80,11.35 |
| | निवेश पर प्रतिफल<br>Yield on Investments | **9.08** | 8.50 | 8.40 | 8.65 | 8.92 |
| 16 | शेयरधारक खाता' *<br>Shareholders Account' * | | | | | |
| | कुल निधियाँ<br>Total Funds | **3854,63,64.73** | 3760,40,00.39 | 3579,15,03.91 | 3449,31,23.13 | 2923,13,50.96 |
| | कुल निवेश #<br>Total Investments # | **3346,54,25.94** | 3331,20,54.94 | 2984,36,33.68 | 3027,86,49.28 | 2526,70,08.92 |
| | निवेश पर प्रतिफल<br>Yield on Investments | **9.08** | 8.50 | 8.40 | 8.65 | 8.92 |
| 17 | प्रदत्त इक्विटी पूंजी<br>Paid up Equity Capital | **1500,00,00.00** | 1450,00,00.00 | 1300,00,00.00 | 1200,00,00.00 | 1100,00,00.00 |
| 18 | निवल मालियत<br>Net Worth | **3737,11,20.47** | 3619,19,48.21 | 3279,34,83.97 | 2988,95,41.98 | 2774,40,63.63 |
| 19 | कुल परिसंपत्तियाँ<br>Total Assets | **10442,07,12.65** | 9775,15,06.80 | 8899,09,10.64 | 8047,60,82.85 | 6814,33,59.59 |
| 20 | कुल निवेशों पर प्रतिफल<br>Yield on Total Investments | **9.08** | 8.50 | 8.40 | 8.65 | 8.92 |
| 21 | प्रति शेयर आय (₹)<br>Earnings Per Share ( ₹) | **4.98** | 20.90 | 22.15 | 15.70 | 35.10 |
| 22 | प्रतिशेयर अंकित मूल्य (₹)<br>Book Value per share (₹) | **2,70.50** | 2,70.45 | 2,59.51 | 2,63.49 | 2,57.16 |
| 23 | कुल लाभांश<br>Total Dividend | **-** | 72,50,00.00 | 65,00,00.00 | 48,00,00.00 | 88,00,00.00 |
| 24 | प्रति शेयर लाभांश (₹)<br>Dividend per share (₹) | **-** | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 |

* ऊपर दर्शाई गई कुल निधियों व कुल निवेश वर्ष के अंत के हैं । पॉलिसी धारक व शेयर धारक शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है ।

* Total funds & total investments shown above are as of year end. Funds & investments has been divided into Policyholders(PH) & shareholders(SH) accounts in the ratio of total funds available at the start of year under PH & SH account.

# अनुसूची 11-नकद व बैंक शेषों के अंतर्गत निवेशों में सावधि जमाएँ शामिल हैं ।

# Investments includes Fixed deposits under Sch 11 - Cash & Bank Balances.

## 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि को मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात

## Key Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2018

**अनुसूची 17 का संलग्न 2 / Annexure 2 to Schedule 17**

(₹ '000)

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | 31 मार्च, 2018 31 March, 2018 | 31 मार्च, 2017 31 March, 2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर<br>Gross Direct Premium Growth Rate | | |
| | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर<br>Gross Direct Premium | **1240,41,70.70** | 1267,62,48.71 |
| | वृद्धि<br>Growth | **-2.15%** | -4.02% |
| 2 | निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना)<br>Gross Direct Premium to Net Worth Ratio (Times) | | |
| | कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम<br>Total Gross Direct Premium | **1240,41,70.70** | 1267,62,48.71 |
| | निवल मालियत (समापन)<br>Net Worth (Closing) | **3737,11,20.47** | 3619,19,48.21 |
| | अनुपात (गुना)<br>Ratio (times) | **0.33** | 0.35 |
| 3 | निवल मालियत की वृद्धि दर<br>Growth Rate of Net Worth | | |
| | निवल मालियत (प्रारंभिक)<br>Net Worth (Opening) | **3619,19,48.21** | 3279,34,83.97 |
| | निवल मालियत (समापन)<br>Net Worth (Closing) | **3737,11,20.47** | 3619,19,48.21 |
| | निवल मालियत की वृद्धि दर<br>Growth rate of Net Worth | **3.26%** | 10.36% |
| 4 | शुद्ध प्रतिधारण अनुपात<br>Net Retention Ratio | | |
| | शुद्ध प्रीमियम<br>Net Premium | **838,82,48.95** | 839,64,91.37 |
| | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर<br>Gross Direct Premium | **1240,41,70.70** | 1267,62,48.71 |
| | निवल प्रतिधारण अनुपात<br>Net Retention Ratio | **67.62%** | 66.24% |
| 5 | शुद्ध कमीशन अनुपात<br>Net Commission Ratio | | |
| | शुद्ध कमीशन<br>Net Commission | **(58,09,97.22)** | (70,04,80.73) |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | 31 मार्च, 2018 31 March, 2018 | 31 मार्च, 2017 31 March, 2017 |
|---|---|---|---|
| | शुद्ध प्रीमियम<br>Net Premium | **838,82,48.95** | 839,64,91.37 |
| | अनुपात<br>Ratio | **-6.93%** | -8.34% |
| 6 | प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात<br>Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio | | |
| | प्रबंधन व्यय<br>Expenses of Management | **209,20,08.35** | 205,16,56.46 |
| | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम<br>Gross Direct Premium | **1240,41,70.70** | 1267,62,48.71 |
| | अनुपात<br>Ratio | **16.87%** | 16.19% |
| 7 | प्रबंधन व्यय की तुलना में शुद्ध प्राप्त प्रीमियम अनुपात<br>Expenses of Management to Net Written Premium Ratio | | |
| | प्रबंधन व्यय<br>Expenses of Management | **209,20,08.35** | 205,16,56.46 |
| | शुद्ध प्राप्त प्रीमियम<br>Net Written Premium | **838,82,48.95** | 839,64,91.37 |
| | अनुपात<br>Ratio | **24.94%** | 24.43% |
| 8 | शुद्ध अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे<br>Net Incurred Claims to Net Earned Premium | | |
| | शुद्ध उपगत दावे<br>Net Incurred Claims | **1138,58,81.99** | 1056,65,01.81 |
| | शुद्ध अर्जित प्रीमियम<br>Net Earned Premium | **839,23,70.16** | 871,57,27.78 |
| | अनुपात<br>Ratio | **135.67%** | 121.23% |
| 9 | सम्मिलित अनुपात<br>Combined ratio | | |
| | शुद्ध उपगत दावे<br>Net Incurred Claims | **1138,58,81.99** | 1056,65,01.81 |
| | शुद्ध अर्जित प्रीमियम<br>Net Earned Premium | **839,23,70.16** | 871,57,27.78 |
| | अनुपात (क)<br>Ratio (a) | **135.67%** | 121.23% |
| | प्रबंधन व्यय<br>Expenses of management | **146,10,44.07** | 131,68,71.92 |
| | शुद्ध अर्जित प्रीमियम<br>Net Written Premium | **838,82,48.95** | 839,64,91.37 |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | 31 मार्च, 2018 31 March, 2018 | 31 मार्च, 2017 31 March, 2017 |
|---|---|---|---|
| | अनुपात (ख) Ratio (b) | **17.42%** | 15.68% |
| | सम्मिलित अनुपात (क + ख) Combined Ratio (a + b) | **153.09%** | 136.92% |
| 10 | तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात (गुना) Technical Reserves to Net Premium Ratio (Times) | | |
| | बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि Reserve for Outstanding Claims | **5345,88,46.99** | 4879,14,42.91 |
| | असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि Reserve For Un-expired Risks | **419,41,24.48** | 419,82,45.69 |
| | प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित निधि Reserve for Premium Deficiency | **163,05,00.00** | 42,00,00.00 |
| | कुल Total | **5928,34,71.47** | 5340,96,88.60 |
| | शुद्ध प्रीमियम Net Premium | **838,82,48.95** | 839,64,91.37 |
| | अनुपात (गुना) Ratio (Times) | **7.07** | 6.36 |
| 11 | बीमांकन शेष अनुपात Underwriting Balance Ratio | | |
| | बीमांकन लाभ Underwriting Profit | **(561,22,37.58)** | (245,94,77.09) |
| | शुद्ध प्रीमियम Net Premium | **839,23,70.16** | 871,57,27.78 |
| | अनुपात Ratio | **-66.87%** | -28.22% |
| 12 | परिचालन लाभ अनुपात Operating Profit Ratio | | |
| | बीमांकन लाभ Underwriting Profit | **(561,22,37.58)** | (245,94,77.09) |
| | निवेश आय Investment Income | **427,32,29.49** | 381,56,64.58 |
| | राजस्व खाते में अन्य आय Other Income in Revenue account | **3,85,05.23** | 2,48,01.65 |
| | परिचालन लाभ Operating Profit | **(130,05,02.86)** | 138,09,89.14 |
| | शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium | **839,23,70.16** | 871,57,27.78 |
| | अनुपात Ratio | **-15.50%** | 15.84% |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | 31 मार्च, 2018 31 March, 2018 | 31 मार्च, 2017 31 March, 2017 |
|---|---|---|---|
| 13 | देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियां : (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना)<br>Liquid assets to liabilities ratio: (Liquid assets of the insurer divided by the policy holders' liabilities) (Times) | | |
| | चल परिसंपत्तियाँ<br>Liquid Assets | **1144,30,09.36** | 782,04,47.43 |
| | पॉलिसी धारकों की देयताएँ<br>Policy Holder Liabilities | **5928,34,71.47** | 5340,96,88.60 |
| | अनुपात (गुना)<br>Ratio (Times) | **0.19** | 0.15 |
| 14 | शुद्ध अर्जन अनुपात<br>Net earnings ratio | | |
| | कर पश्चात लाभ<br>Profit After Tax | **74,28,54.92** | 282,14,41.29 |
| | शुद्ध प्रीमियम<br>Net Premium | **838,82,48.95** | 839,64,91.37 |
| | अनुपात<br>Ratio | **8.86%** | 33.60% |
| 15 | शुद्ध मालियत पर प्राप्ति<br>Return on net worth | | |
| | कर पश्चात लाभ<br>Profit After Tax | **74,28,54.92** | 282,14,41.29 |
| | निवल मालियत<br>Net Worth | **3737,11,20.47** | 3619,19,48.21 |
| | अनुपात<br>Ratio | **1.99%** | 7.80% |
| 16 | आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना)<br>Available Solvency to Required Solvency margin Ratio (Times) | | |
| | उपलब्ध शोधन क्षमता<br>Available Solvency Margin | **3561,22,06.93** | 3406,12,09.21 |
| | आवश्यक शोधन क्षमता<br>Required Solvency Margin | **361,17,23.43** | 391,93,24.45 |
| | अनुपात(गुना)<br>Ratio (Times) | **9.86** | 8.69 |
| 17 | अनर्जक खाता अनुपात<br>NPA Ratio | | |
| | निवेश:<br>Investment: | **0.057%** | 0.048% |
| | फ़ैक्टरिंग<br>Factoring | **100%*** | 100%* |

*अप्रैल 2010 से कोई नया व्यवसाय नहीं किया गया।

*No fresh business done since April 2010.

वर्तमान एवं पिछले वर्ष के लिए अनुपातों की गणना, आई आर डी ए आई के दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 के मास्टर परिपत्र आई आर डी ए/एफ & आई/परि/एफ & ए/ 231/10/212 एवं दिनांक 03 जुलाई, 2013 के शुद्धि पत्र आई आर डी ए/एफ & एफ ए/परि/126/07/2013 जो कि 2013-14 से प्रभावी हैं, के अनुसार की गई है।

Ratios for the Current Year & Previous Year calculated as per IRDA's Master circular IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(गीता मुरलीधर)**<br>अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक<br>**(Geetha Muralidhar)**<br>Chairman-cum-Managing Director | **(विद्युत बिहारी स्वाई)**<br>निदेशक<br>**(Bidyut Behari Swain)**<br>Director | **( सरनला मालती रानी)**<br>निदेशक<br>**(Saranala Malathi Rani)**<br>Director | **(गणेश कुमार गुप्ता)**<br>निदेशक<br>**(Ganesh Kumar Gupta)**<br>Director |

| | |
|---|---|
| **(माणेक एरुच डावर)**<br>निदेशक<br>**(Maneck Eruch Davar)**<br>Director | **(एम. सेंथिलनाथन)**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**(M. Senthilnathan)**<br>Executive Director |
| **(राजीव मानवी)**<br>मुख्य वित्त अधिकारी<br>**(Rajiv Manavi)**<br>Chief Financial Officer | **(स्मिता पंडित)**<br>कंपनी सचिव<br>**(Smita Pandit)**<br>Company Secretary |

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

| | |
|---|---|
| **कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स**<br>सनदी लेखाकार<br>फ़र्म पंजीकरण संख्या 100990डब्ल्यू<br>**For Banshi Jain & Associates**<br>Chartered Accountants<br>Firm Registration No. 100990W | **कृते ए जे शाह एंड कंपनी**<br>सनदी लेखाकार<br>फ़र्म पंजीकरण संख्या 109477डब्ल्यू<br>**For A. J. Shah & Co.**<br>Chartered Accountants<br>Firm Registration No. 109477W |
| **(अनुज बी गोलेचा)**<br>भागीदार - एम.सं. 117617<br>**(Anuj B. Golecha)**<br>Partner - M.no. 117617 | **(देवेंद्र जे श्रीमंकर)**<br>भागीदार - एम.सं 41920<br>**(Devendra J. Shrimanker)**<br>Partner - M.no. 41920 |

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2018
Place : New Delhi
Dated : 29th May, 2018

## 31.03.2018 तक बीमाधारकों द्वारा दावा न की गई राशि

## Due to Insured - Unclaimed as on 31st March, 2018

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 क/ Annexure 3(A) to Schedule 17

राशि ₹ ' 000 में/ Amount in ₹ ' 000

| क्रं सं. Sr. No | विवरण Particulars | कुल राशि Total Amount | 1-6 माह / Months | 7-12 माह / Months | 13-18 माह / Months | 19-24 माह / Months | 25-30 माह / Months | 31-36 माह / Months | 36 माह से अधिक Beyond 36 Months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/पॉलिसीधारकों की ओर से मुकदमेबाजी को छोडकर किन्हीं कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को नहीं किया गया । Claims settled but not paid to the policyholders / insureds due to any reasons except under litigation from the insured / policyholders | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | परिपक्वता पर या अन्य कारण से बीमा/पॉलिसीधारकों को देय राशि Sum due to the insured / policyholders on maturity or otherwise | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | प्रीमियम/कर अथवा कोई अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far | 95,75.93 | 6,28.45 | 1,25.08 | 3,08.49 | 1,96.67 | 7,80.20 | 21,24.94 | 54,12.10 |
| 4 | चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारक/बीमाधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं । Cheques issued but not encashed by the policyholder/ insured | 45,87.11 | 1,58.79 | 80.50 | 3,52.92 | 1,85.40 | 20,43.69 | 59.60 | 17,06.21 |
| | **कुल / Total** | **1,41,63.04** | **7,87.24** | **2,05.58** | **6,61.41** | **3,82.07** | **28,23.89** | **21,84.54** | **71,18.31** |

नोट उपरोक्त मद संख्या 4 के अधीन चेक जारी किए गए हैं परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है, जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को दावा न की गई राशि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है ।

Note : Cheques issued but not encashed under point no. 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared, the management is of the opinion that the policyholder is legally entiltled to encash the cheque anytime till the validity of cheque. Accordingly, the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.

# दिनांक 31 मार्च, 2018 को दावा न की गई राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण

## Details of Unclaimed Amounts and Investment Income thereon as on 31st March, 2018

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 (ख) / Annexure 3(B) to Schedule 17

राशि ₹ ' 000 में / Amount in (₹ ' 000)

| विवरण / Particulars | 31 मार्च, 2018 तक As on 31-March-2018 | 31 मार्च, 2017 तक As on 31- March-2017 |
|---|---|---|
| आरंभिक शेष<br>Opening Balance | 1,69,71.57 | 1,79,00.30 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित दावा न की गई राशि<br>Add: Amount transferred to Unclaimed Amount during the year | 13,85.63 | 26,54.89 |
| जोड़ें: दावा न की गई राशि के चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं। (केवल गतावधि चेक शामिल किए जाने हैं)<br>Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale) | 54.34 | 64.94 |
| जोड़ें : निवेश आय<br>Add: Investment Income | 7,70.63 | 9,54.46 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि<br>Less: Amount paid during the year | 31,99.13 | 46,03.01 |
| दावा न की राशि का अंतिम शेष<br>Closing Balance of Unclaimed Amount | 1,59,83.04 | 1,69,71.57 |

## 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा/ (नकद प्रवाह) विवरण

## Receipts & Payments Account / (Cash Flow Statement) for the year ended 31st March, 2018

(₹ '000)

| क्र सं.<br>Sr. No | विवरण / Particulars | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|---|
| क<br>A | **परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह<br>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITY** | | |
| 1 | अग्रिम प्राप्तियों सहित पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम<br>Premium received from policyholders including advance receipts | **1228,58,30.36** | 1281,34,00.27 |
| 2 | अन्य प्राप्तियाँ/वसूलियाँ/शुल्क<br>Other Receipts / Recoveries / Fees | **188,68,14.06** | 133,70,33.64 |
| 3 | पुनर्बीमाकर्ताओं के भुगतान- कमीशन व दावों को घटा कर<br>Payments to reinsurers net of commission and claims | **17,05,28.68** | 251,79,51.41 |
| 4 | दावों की अदायगी<br>Payments of Claims | **(1283,16,55.91)** | (885,33,90.16) |
| 5 | कमीशन व ब्रोकरेज की अदायगी<br>Payments of Commission & Brokerage | **(4,99,67.06)** | (3,43,03.81) |
| 6 | अन्य परिचालन व्ययों की अदायगी<br>Payments of Other operating expenses | **(181,28,28.61)** | (239,59,33.47) |
| 7 | जमा, अग्रिम व स्टाफ ऋण<br>Deposits,Advances & Staff Loan | **(11,15,89.24)** | (17,23.31) |
| 8 | अदा किया गया आयकर (निवल)<br>Income Tax Paid (Net) | **(116,13,41.98)** | (333,08,14.08) |
| 9 | अदा किया गया सेवा कर/जी एस टी<br>Service Tax / GST Paid | **(4,29.12)** | (1,33,85.90) |
| 10 | अन्य अदायगियाँ/ संग्रहण( शुद्ध)<br>Other Paymens/Collection (net) | **(1,17,26.44)** | (11,30,75.66) |
| | **असाधारण मदों के पूर्व नकद प्रवाह<br>Cash Flow before extra ordinary items** | **(163,63,65.24)** | 192,57,58.93 |
| 11 | **असाधारण परिचालन की पूर्व नकद प्रवाह<br>Cash Flow from extra ordinary operations** | **-** | - |
| | **परिचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (क)<br>Net Cash Flow from Operating Activities (A)** | **(163,63,65.24)** | 192,57,58.93 |
| ख<br>B | **निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह<br>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES** | | |
| 1 | अचल संपत्तियों की खरीद (कार्यशील पूंजी सहित)<br>Addition to Fixed Assets (including capital work in progress) | **(18,49,55.39)** | (41,08,54.91) |
| 2 | अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय<br>Proceeds from Sale of Fixed Assets | **5,75.50** | 3,71.41 |
| 3 | निवेश की खरीद व बिक्री का निवल<br>Net of Purchase and Sale of Investments | **(348,46,69.16)** | (958,14,24.05) |
| 4 | प्राप्त किराया/ब्याज/ लाभांश<br>Rent / Interest / Dividends Received | **630,44,99.31** | 590,53,63.04 |
| 5 | मुद्रा बाजार के संसाधनों एवं नकद म्यूचुअल फंडों में निवेश<br>Investments in money market instruments and in liquid mutual funds | **-** | - |
| 6 | निवेशों से संबंधित व्यय<br>Expenses related to investments | **(1,73,23.80)** | (1,34,31.09) |
| | **निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)<br>Net Cash Flow from Investing Activities (B)** | **261,81,26.46** | (409,99,75.61) |
| ग<br>C | **वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह<br>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES** | | |

(₹ '000)

| क्रं सं. Sr. No | विवरण / Particulars | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|---|
| 1 | शेयर पूंजी जारी करने से आय<br>Proceeds from issuance of share capital | **50,00,00.00** | 150,00,00.00 |
| 2 | ब्याज/प्रदत्त लाभांश<br>Interest / Dividend paid | **(72,50,00.00)** | (65,00,00.00) |
| 3 | लाभांश वितरण कर<br>Dividend Distribution Tax | **(14,75,92.94)** | (13,23,24.71) |
| | **वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ग)**<br>**Net Cash Flow from Financing Activities (C)** | **(37,25,92.94)** | 71,76,75.29 |
| **घ<br>D** | **नकद और नकद समकक्ष पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव, शुद्ध (घ)**<br>**Effect of foreign exchange rates on Cash and Cash equivalents, net (D)** | **(1,61.38)** | (1,75.63) |
| | **शुद्ध नकद प्रवाह (क+ख+ग+घ)**<br>**Net Cash Flow (A+B+C+D)** | **60,90,06.90** | (145,67,17.01) |
| **ङ<br>E** | **नकद व नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि (ङ)**<br>**Net increase in Cash and Cash equivalents: (E)** | | |
| 1 | -- वर्ष के आरंभ में<br>-- at the beginning of the year | **451,61,52.68** | 597,28,69.68 |
| 2 | -- वर्ष के अंत में<br>-- at the end of the year | **512,51,59.58** | 451,61,52.68 |
| | नकदी व नकद समकक्ष में परिवर्तन<br>Change in Cash and Cash equivalent | **60,90,06.90** | (145,67,17.01) |

**(गीता मुरलीधर)**
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
**(Geetha Muralidhar)**
Chairman-cum-Managing Director

**(विद्युत बिहारी स्वाईं)**
निदेशक
**(Bidyut Behari Swain)**
Director

**( सरनला मालती रानी)**
निदेशक
**(Saranala Malathi Rani)**
Director

**(गणेश कुमार गुप्ता)**
निदेशक
**(Ganesh Kumar Gupta)**
Director

**(माणेक एरुच डावर)**
निदेशक
**(Maneck Eruch Davar)**
Director

**(एम. सेंथिलनाथन)**
कार्यपालक निदेशक
**(M. Senthilnathan)**
Executive Director

**(राजीव मानवी)**
मुख्य वित्त अधिकारी
**(Rajiv Manavi)**
Chief Financial Officer

**(स्मिता पंडित)**
कंपनी सचिव
**(Smita Pandit)**
Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

**कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या 100990डब्ल्यू
**For Banshi Jain & Associates**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

**(अनुज बी गोलेचा)**
भागीदार - एम.सं. 117617
**(Anuj B. Golecha)**
Partner - M.no. 117617

**कृते ए जे शाह एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या 109477डब्ल्यू
**For A. J. Shah & Co.**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109477W

**(देवेंद्र जे श्रीमंकर)**
भागीदार - एम.सं 41920
**(Devendra J. Shrimanker)**
Partner - M.no. 41920

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2018
Place : New Delhi
Dated : 29th May, 2018

# प्रबंधन की रिपोर्ट

# MANAGEMENT REPORT

**बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण ( वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ) विनियमन 2002 की अनुसूची 'ख' के भाग IV की आवश्यकता अनुसार प्रबंधन रिपोर्ट।**

1. हम पुष्टि करते हैं कि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। उसे वर्ष 2017-18 के लिए नवीकृत किया गया है।

2. हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक प्राधिकारियों को अदा किए जाने योग्य सभी देयों की अदायगी की जा चुकी है / प्रावधान किया जा चुका है।

3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारण स्वरूप तथा शेयरों का अंतरण, सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।

4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसीयों के धारकों की निधियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।

5. हम पुष्टि करते हैं कि आवश्यक शोधन क्षमता को बनाए रखा गया है।

6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गयी है तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास से तुलन पत्र में विविध शीर्षों ''ऋणों'', ''निवेशों'', ''विविध देनदारों'', '' नकद'' तथा '' चालू परिसंपत्तियों '' के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन दर्शाई गयी परिसंपत्तियों की औसत राशि वसूली योग्य अथवा बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं है।

7. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के दिनांक 20.04.2009 के पत्र के जरिये निगम की विस्तारित अधिकतम देयता ' 100000,00,00 हज़ार की तुलना में कंपनी का समग्र जोखिम '96101,00,00 हजार है । कंपनी की जोखिम अनावरण की सीमा, साधारण बीमा कंपनियों के लिए इस संबंध में आई आर डी ए द्वारा अनुबद्ध संबन्धित सीमाओं के भीतर है।

8. हमारा कोई विदेशी परिचालन नहीं हैं।

9. पिछले पाँच वर्षों के दौरान अवधि वार बकाया दावे निम्नानुसार है :

**MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE 'B' OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION 2002.**

1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority of India is valid during the year. The same was renewed for the year 2017-18.

2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.

3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.

4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.

5. We confirm that required solvency margins have been maintained.

6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings "Loans', 'Investments', 'Sundry Debtors', 'Cash', and the several items specified under 'Current Assets'.

7. The overall exposure of the Company is ₹ 96101,00,00 thousands against the enhanced Maximum Liability of ₹ 100000,00,00 thousands by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 20.04.2009. Risk exposure of the Company is well within the relevant limits stipulated by IRDAI in this regard for general insurance companies.

8. We do not have any overseas operations.

9. Ageing of claims outstanding during the preceding five years is as per details below:

## दिनांक 31.03.2018 तक, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लंबित दावे निम्नानुसार हैं
## Claims Pending as on 31/03/2018, Financial Year 2017-18

(₹ '000)

| अवधि / Period | ई सी आई बी / ECIB | | पॉलिसी / Policy | | कुल / Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved |
| 30 दिन<br>30 Days | 38 | 174,40,30.40 | 114 | 48,00,23.38 | 152 | 222,40,53.78 |
| 30 दिन से 6 महीने<br>30 Days to 6 Months | 95 | 848,57,24.03 | 162 | 63,59,75.16 | 257 | 912,16,99.19 |
| 6 महीनों से 1 वर्ष<br>6 Months to 1 Year | 65 | 684,85,35.09 | 19 | 46,09,13.57 | 84 | 730,94,48.66 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष<br>1 year to 5 years | 58 | 428,63,25.18 | 2 | 50,87.32 | 60 | 429,14,12.50 |
| 5 वर्षों व उससे अधिक<br>5 years & above | - | - | - | - | - | - |
| **कुल<br>Total** | **256** | **2136,46,14.70** | **297** | **158,19,99.43** | **553** | **2294,66,14.13** |

## दिनांक 31.03.2017 तक, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान लंबित दावे निम्नानुसार हैं
## Claims Pending as on 31/03/2017, Financial Year 2016-17

(₹ '000)

| अवधि / Period | ई सी आई बी / ECIB | | पॉलिसी / Policy | | कुल /Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved |
| 30 दिन<br>30 Days | 51 | 265,51,70.07 | 49 | 24,10,33.83 | 100 | 289,62,03.90 |
| 30 दिन से 6 महीने<br>30 Days to 6 Months | 123 | 972,03,14.40 | 62 | 38,87,94.00 | 185 | 1010,91,08.40 |
| 6 महीनों से 1 वर्ष<br>6 Months to 1 Year | 127 | 1094,87,91.52 | 18 | 18,40,95.12 | 145 | 1113,28,86.64 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष<br>1 year to 5 years | 35 | 389,10,54.80 | 1 | 2,24,08.70 | 36 | 391,34,63.50 |
| 5 वर्षों व उससे अधिक<br>5 years & above | - | - | - | - | - | - |
| **कुल<br>Total** | **336** | **2721,53,30.79** | **130** | **83,63,31.65** | **466** | **2805,16,62.44** |

## दिनांक 31.03.2016 तक, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान लंबित दावे निम्नानुसार हैं
## Claims Pending as on 31/03/2016, Financial Year 2015-16

(₹ '000)

| अवधि / Period | ई सी आई बी / ECIB | | पॉलिसी / Policy | | कुल / Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved |
| 30 दिन<br>30 Days | 50 | 180,12,92.63 | 95 | 37,66,14.72 | 145 | 217,79,07.35 |
| 30 दिन से 6 महीने<br>30 Days to 6 Months | 89 | 560,05,67.61 | 105 | 55,84,43.64 | 194 | 615,90,11.25 |
| 6 महीनों से 1 वर्ष<br>6 Months to 1 Year | 63 | 573,63,62.36 | 27 | 30,29,66.74 | 90 | 603,93,29.10 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष<br>1 year to 5 years | 27 | 178,98,69.62 | - | - | 27 | 178,98,69.62 |
| 5 वर्षों व उससे अधिक<br>5 years & above | - | - | - | - | - | - |
| **कुल<br>Total** | **229** | **1492,80,92.22** | **227** | **123,80,25.10** | **456** | **1616,61,17.32** |

## दिनांक 31.03.2015 तक , वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लंबित दावे निम्नानुसार हैं
## Claims Pending as on 31/03/2015, Financial Year 2014-15

(₹ '000)

| अवधि / Period | ई सी आई बी / ECIB | | पॉलिसी / Policy | | कुल / Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved |
| 30 दिन<br>30 Days | 52 | 357,06,15.68 | 72 | 28,42,63.63 | 124 | 385,48,79.31 |
| 30 दिन से 6 महीने<br>30 Days to 6 Months | 82 | 853,41,71.27 | 81 | 48,80,42.10 | 163 | 902,22,13.37 |
| 6 महीनों से 1 वर्ष<br>6 Months to 1 Year | 21 | 239,93,95.10 | 5 | 3,63,80.25 | 26 | 243,57,75.35 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष<br>1 year to 5 years | 3 | 74,09,81.73 | - | - | 3 | 74,09,81.73 |
| 5 वर्षों व उससे अधिक<br>5 years & above | - | - | - | - | - | - |
| **कुल<br>Total** | **158** | **1524,51,63.78** | **158** | **80,86,85.98** | **316** | **1605,38,49.76** |

### दिनांक 31.03.2014 तक, वित्त वर्ष के दौरान 2013 -14 लंबित दावे

### Claims Pending as on 31/03/2014, Financial Year 2013-14

(₹ '000)

| अवधि / Period | ई सी आई बी / ECIB | | पॉलिसी / Policy | | कुल / Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved |
| 30 दिन<br>30 Days | 103 | 375,94,79.24 | 77 | 49,55,05.46 | 180 | 425,49,84.70 |
| 30 दिन से 6 महीने<br>30 Days to 6 Months | 82 | 468,07,31.51 | 100 | 44,67,88.32 | 182 | 512,75,19.83 |
| 6 महीनों से 1 वर्ष<br>6 Months to 1 Year | 7 | 72,36,90.23 | 12 | 6,43,09.17 | 19 | 78,79,99.40 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष<br>1 year to 5 years | - | - | 2 | 3,97,34.57 | 2 | 3,97,34.57 |
| 5 वर्षों व उससे अधिक<br>5 years & above | - | - | - | - | - | - |
| **कुल<br>Total** | **192** | **916,39,00.98** | **191** | **104,63,37.52** | **383** | **1021,02,38.50** |

10. पिछले पाँच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान समय की प्रवृत्ति दर्शाते हुए दावों की अवधिवार विवरण :

10. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per details below:

### दिनांक 31.03.2018 तक, वित्त वर्ष के दौरान 2017 -18 लंबित दावे

### Ageing of Claim settlement during Financial Year 2017-18

(₹ '000)

| अवधि / Period | ई सी आई बी / ECIB | | पॉलिसी / Policy | | कुल / Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved |
| 30 दिन<br>30 Days | 9 | 6,46,59.43 | 70 | 13,64,19.79 | 79 | 20,10,79.22 |
| 30 दिन से 6 महीने<br>30 Days to 6 Months | 84 | 146,41,44.38 | 397 | 116,07,11.99 | 481 | 262,48,56.37 |
| 6 महीनों से 1 वर्ष<br>6 Months to 1 Year | 76 | 826,99,06.32 | 15 | 20,70,66.46 | 91 | 847,69,72.78 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष<br>1 year to 5 years | 26 | 152,44,62.67 | 1 | 42,84.87 | 27 | 152,87,47.54 |
| 5 वर्षों व उससे अधिक<br>5 years & above | - | - | - | - | - | - |
| **कुल<br>Total** | **195** | **1132,31,72.80** | **483** | **150,84,83.11** | **678** | **1283,16,55.91** |

## वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

## Ageing of Claim settlement during Financial Year 2016-17

(₹ '000)

| अवधि / Period | ई सी आई बी / ECIB | | पॉलिसी /Policy | | कुल / Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved |
| 30 दिन<br>30 Days | 19 | 7,16,88.86 | 107 | 18,81,39.33 | 126 | 25,98,28.19 |
| 30 दिन से 6 महीने<br>30 Days to 6 Months | 112 | 228,02,94.84 | 426 | 148,94,45.02 | 538 | 376,97,39.86 |
| 6 महीनों से 1 वर्ष<br>6 Months to 1 Year | 43 | 213,13,57.72 | 41 | 29,68,87.19 | 84 | 242,82,44.91 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष<br>1 year to 5 years | 26 | 230,15,64.07 | 4 | 9,40,13.13 | 30 | 239,55,77.20 |
| 5 वर्षों व उससे अधिक<br>5 years & above | - | - | - | - | - | - |
| **कुल<br>Total** | **200** | **678,49,05.49** | **578** | **206,84,84.67** | **778** | **885,33,90.16** |

## वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

## Ageing of Claim settlement during Financial Year 2015-16

(₹ '000)

| अवधि / Period | ई सी आई बी / ECIB | | पॉलिसी /Policy | | कुल /Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved |
| 30 दिन<br>30 Days | 13 | 12,41,53.59 | 131 | 25,93,28.47 | 144 | 38,34,82.06 |
| 30 दिन से 6 महीने<br>30 Days to 6 Months | 74 | 100,81,44.12 | 271 | 71,54,77.82 | 345 | 172,36,21.94 |
| 6 महीनों से 1 वर्ष<br>6 Months to 1 Year | 40 | 616,63,66.62 | 36 | 29,83,56.45 | 76 | 646,47,23.07 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष<br>1 year to 5 years | 14 | 265,65,80.20 | - | - | 14 | 265,65,80.20 |
| 5 वर्षों व उससे अधिक<br>5 years & above | - | - | - | - | - | - |
| **कुल<br>Total** | **141** | **995,52,44.53** | **438** | **127,31,62.74** | **579** | **1122,84,07.27** |

## वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

## Ageing of Claim settlement during Financial Year 2014-15

(₹ '000)

| अवधि / Period | ई सी आई बी / ECIB | | पॉलिसी / Policy | | कुल / Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved |
| 30 दिन 30 Days | 23 | 18,85,19.57 | 93 | 14,34,72.69 | 116 | 33,19,92.26 |
| 30 दिन से 6 महीने 30 Days to 6 Months | 110 | 171,00,79.24 | 268 | 103,92,55.39 | 378 | 274,93,34.63 |
| 6 महीनों से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year | 36 | 224,82,02.90 | 12 | 8,71,16.99 | 48 | 233,53,19.89 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years | 3 | 48,16,64.90 | | - | 3 | 48,16,64.90 |
| 5 वर्षों व उससे अधिक 5 years & above | - | - | - | - | - | - |
| **कुल Total** | **172** | **462,84,66.61** | **373** | **126,98,45.07** | **545** | **589,83,11.68** |

## वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

## Ageing of Claim settlement during Financial Year 2013-14

(₹ '000)

| अवधि / Period | ई सी आई बी / ECIB | | पॉलिसी / Policy | | कुल / Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved | सं No. | शामिल राशि Amount Involved |
| 30 दिन 30 Days | 52 | 24,31,30.17 | 157 | 23,90,01.39 | 209 | 48,21,31.56 |
| 30 दिन से 6 महीने 30 Days to 6 Months | 104 | 480,51,56.02 | 211 | 77,23,78.49 | 315 | 557,75,34.51 |
| 6 महीनों से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year | 19 | 134,71,64.92 | 13 | 8,15,34.63 | 32 | 142,86,99.55 |
| 1 वर्ष से 5 वर्ष 1 year to 5 years | - | - | 2 | 148,65,43.11 | 2 | 148,65,43.11 |
| 5 वर्षों व उससे अधिक 5 years & above | - | - | - | - | - | - |
| **कुल Total** | **175** | **639,54,51.11** | **383** | **257,94,57.62** | **558** | **897,49,08.73** |

11. हम प्रमाणित करते हैं कि निवेशों का मूल्यांकन बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

12. सभी निवेश आस्तियों की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कोई भी

11. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

12. All Investment assets are reviewed periodically and we confirm that there are no non-performing assets as per Reserve Bank of India Prudential Norms.

अनर्जक परिसंपत्ति नहीं है।

13. हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं :

क) कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखा मानक, सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।

ख) प्रबंधन ने लेखा नीतियों को अपनाया है तथा उन्हें नियमित रूप से लागू किया है, वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी मामलों तथा वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा निवल लाभ की सही व निष्पक्ष स्थिति दर्शाने हेतु आई आर डी ए विनियमों तथा किए गए निर्णयों तथा उचित तथा दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार किए गए संशोधनों के अलावा कोई अन्य संशोधन नहीं किए गए हैं।

ग) प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखे व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनकी पहचान हेतु बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4 ) तथा कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है ।

घ) प्रबंधन ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए है।

ड़) प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान व परिचालित कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है ।

14. कारोबार के सामान्य तौर पर किए जाने वाले संव्यवहारों के अलावा किसी भी व्यक्तिगत फ़र्म, कंपनियाँ तथा संगठनों जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित है, को किसी प्रकार की अदायगी नहीं की गयी है।

13. We hereby confirm:

a. That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed.

b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDAI Regulations, and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.

c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.

e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.

14. There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

कृते ईसीजीसी लिमिटेड,

For ECGC Limited.

| | | |
|---|---|---|
| **(गीता मुरलीधर)** | **(विद्युत बिहारी स्वाई)** | **( सरनला मालती रानी)** |
| अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक | निदेशक | निदेशक |
| **(GEETHA MURALIDHAR)** | **(BIDYUT BEHARI SWAIN)** | **(SARANALA MALATHI RANI)** |
| Chairman-cum-Managing Director | Director | Director |
| **(गणेश कुमार गुप्ता)** | **(माणेक एरुच डावर)** | **(एम. सेंथिलनाथन)** |
| निदेशक | निदेशक | कार्यपालक निदेशक |
| **GANESH KUMAR GUPTA** | **(MANECK ERUCH DAVAR)** | **(M. SENTHILNATHAN)** |
| Director | Director | Executive Director |

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 मई, 2018

Place : New Delhi
Date : 29th May, 2018

## लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
## AUDITORS' REPORT

### स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

| | |
|---|---|
| बंशी जैन एंड एसोशियटेस<br>चार्टर्ड एकाउंटंट्स<br>5वीं मंजिल, ला मगसिन,<br>रूपकला स्टोर के ऊपर,<br>एस वी रोड, सांताक्रूज पश्चिम<br>मुंबई - 400054 | ए जे शाह एंड कंपनी<br>चार्टर्ड एकाउंटंट्स<br>सी ब्लॉक, फोर्ट, चेम्बर,<br>65 तामरिंद लेन,<br>फोर्ट,<br>मुंबई - 400001 |

प्रति,

ई सी जी सी लिमिटेड के सदस्य,

**वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :**

हमने, ईसीजीसी लिमिटेड (कंपनी) के समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च 2018 का तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता ) आदि शामिल हैं, एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी, जिसमें भारत में स्थित साठ शाखाओं, जिसमें अट्ठावन शाखाओं की लेखा परीक्षा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है, के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा की है।

तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता) को बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को तैयार करना) विनियमन 2002 , कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम तथा विनियमन), अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानक तथा भारत में सामान्य तौर पर मान्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

**वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व :**

बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए ) (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को तैयार करना) विनियमन 2002 , कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले , अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित, भारत में सामान्य तौर पर मान्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में तैयार इन वित्तीय विवरणों, जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, तथा नकद प्रवाह (प्राप्तियाँ तथा वसूलिया) की सही व निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करता है, की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल जिम्मेदार है।

### INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

| | |
|---|---|
| Banshi Jain and Associates<br>Chartered Accountants<br>5th Floor, La Magasin,<br>Above Roopkala Store<br>S V Road, Santacruz West<br>Mumbai - 400054 | A. J. Shah & Co.<br>Chartered Accountants<br>C Block, Fort Chambers,<br>65 Tamarind Lane,<br>Fort,<br>Mumbai - 400001 |

To,

The Members of ECGC Limited,

**Report on the Financial Statements**

We have audited the accompanying financial statements of **ECGC Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2018, the Revenue Account, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information, which includes the returns of sixty branches situated in India out of which fifty eight branches are audited by the appointed branch auditors.

The Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) have been drawn up in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Companies Act, 2013 ("the Acts and Regulation"), Accounting Standards notified under the Act and other accounting principles generally accepted in India.

**Management's Responsibility for the Financial Statements**

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows (Receipts and Payments Account) of the Company in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Companies Act, 2013, the accounting principles generally

इस ज़िम्मेदारी में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, तथा धोखों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचानने, उचित लेखा नीतियों के चयन तथा प्रयोग करने, उचित तथा विवेक पूर्ण निर्णय लेने तथा अनुमान करने, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूप रेखा बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने तथा उनके रखरखाव करने ताकि वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक तथा सही व निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करने वाले व धोखे अथवा चूक के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त लेखा रिकॉर्डों की सटीकता व पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके, पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों का रखरखाव भी शामिल है।

### लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी :

हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने अधिनियमों तथा विनियमों के प्रावधानों, लेखा तथा लेखा परीक्षा मानकों तथा अधिनियमों व विनियमों के प्रावधानों व उनके अधीन बने नियमों के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य मामलों का ध्यान रखा है।

हमने, अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट अनुसार लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अधीन अनिवार्य है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा यह आश्वासन कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं, प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बना कर लेखा परीक्षा पूरी करें।

लेखा परीक्षा में, राशियों से संबन्धित लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, धोखे अथवा गलती से वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिम मूल्यांकन सहित, लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं। जोखिम मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक, कंपनी के सही व निष्पक्ष वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु आवश्यक संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को ध्यान में रखता है ताकि परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षक प्रक्रियाओं की रूप रेखा तैयार किया जा सके । लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग की गयी लेखा नीतियों की उचितता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता व साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रकटन का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार लिए हमने पर्याप्त तथा उचित लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त कर लिए हैं।

### राय

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्कृष्ट जानकारी में तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, अधिनियमों तथा विनियमों, लेखा नीतियों के साथ पढे जाने वाले अधिनियम के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों तथा

accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act and Regulation, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में सही व निष्पक्ष राय प्रदान करने वाली टिप्पणियों की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं :

i. तुलन पत्र के मामले में कंपनी के दिनांक 31 मार्च 2018 तक के विवरण;

ii. राजस्व खाता मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिशेष

iii. लाभ व हानि खाता मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ तथा

iv. नकद प्रवाह विवरण ( प्राप्तियाँ व भुगतान खाता ) के मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ तथा भुगतान

## मामले का विश्लेषण

हम निम्न की ओर आकर्षित ध्यान करना चाहेंगे :

क) अनुसूची 17 के नोट सं 3, ₹398.47 हज़ार (पिछले वर्ष ₹398.47 हज़ार) तक के मूल्य की परिसम्पत्तियों के संबंध में जहां उचित प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गई हैं तथा ₹57,743.90 हज़ार (पिछले वर्ष ₹57,743.90 हज़ार) मूल्य की परिसंपत्तियों जहां करार की प्रतियाँ खो गई हैं / वर्तमान में निगम के पास उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि कंपनी के पास वर्तमान शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं जिससे यह साबित होता है कि कंपनी के पास संबन्धित परिसंपत्तियों का वैधानिक स्वामित्व है, से संबन्धित है।

ख) 31 मार्च 2018 तक दावे उत्पन्न हुए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर) तथा दावे उत्पन्न हुए परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) के संबंध में देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन को कंपनी के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा हमें उस पर विश्वास है। नियुक्त बीमांकक ने यह भी प्रमाणित किया है कि आई आर डी ए तथा आई आर डी ए की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा मानदंडों के अनुसरण में इस प्रकार के मूल्यांकनों के लिए अनुमानों पर विचार किया है।

ग) अनुसूची 17 के नोट सं 12, विविध देनदारों तथा विविध लेनदारों व जमाओं, अन्य देयताओं, ऋणों, अग्रिमों तथा वसूली योग्य राशि सहित अन्य आस्तियों तथा बीमाकृत के व्यक्तिगत बही शेषों, न्यूनतम प्रीमियम खाता, जमा प्रीमियम खाता तथा पुनर्बीमा खातों सहित विविध जमाओं से संबन्धित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं है।

## अन्य मामले

हमने, कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल साठ शाखाओं, जिनके वित्तीय विवरण/जानकारी, 31 मार्च 2018 तक के कुल 3,22,76,412.51 हजार रु की कुल परिसंपत्तियों तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 1,24,04,170.70 हजार रु के कुल राजस्व ( निवल प्रीमिय) तथा

## Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Acts and Regulation, Accounting Standards notified under the Act, read with the accounting policies and notes thereon give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2018;

ii. In the case of Revenue account, of the Surplus for the year ended on that date;

iii. In the case of Profit and Loss Account, of the Profit for the year ended on that date; and

iv. In the case of Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account), of the receipts and payments during the year ended on that date.

## Emphasis of Matter

We draw attention to the following:

a. Note no. 3 to Schedule 17 regarding properties costing ₹398.47 thousands (previous year ₹ 398.47 thousands) where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties costing ₹57,743.90 thousands (previous year ₹57,743.90 thousands), where agreements are lost/presently not available with the Company, though the Company is in possession of original share certificates which vests the Company with legal ownership of the properties;

b. The actuarial valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR), Incurred But Not Enough Reported (IBNER) and Premium Deficiency as at March 31, 2018 has been duly certified by the Appointed Actuary of the Company and relied upon by us. The Appointed Actuary has also certified that the assumptions considered by her for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDA and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDA;

c. Note no. 12 to Schedule 17 regarding pending reconciliation of and consequential adjustment of certain balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and deposits, Other liabilities, Loans, Advances and other Assets including amount recoverable, and Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium account and reinsurance accounts;

1,28,31,655.91 रु के प्रदत्त दावों में परिलक्षित होती है व जिन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है , के वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है । अट्ठावन शाखाओं के वित्तीय विवरण / जानकारी की लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है जिनकी रिपोर्टों को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है तथा हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों तथा प्रकटनों के संबंध में यह पूर्ण रूप से शाखाओं के लेखा परीक्षकों के की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं है।

अन्य कानूनी तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   क. हमने , हमारी सर्वोत्तम जानकरी व विश्वास के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक पूरी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं ।

   ख. हमारी राय में, बहियों की हमारी जांच से पाया गया है कि कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक उचित लेखा बहियों का रखरखाव किया गया है तथा हमारी द्वारा जिन शाखाओं का दौरा नहीं किया गया था उन शाखाओं से हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त विवरण प्राप्त किए गए हैं।

   ग. शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अधीन लेखापरीक्षित कंपनी के अट्ठावन शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गयी है तथा हमारे द्वारा यह रिपोर्ट बनाते समय उसका उचित ध्यान रखा गया है।

   घ. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों तथा प्राप्तियों के अनुरूप हैं जिन शाखाओं का हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है।

   ड़. हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण कंपनी ( लेखा ) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पढे जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में हैं।

   च. सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी एस आर 463 (ई) के अनुपालन में कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 164 के उपखंड (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में एवं इन नियंत्रणों पर परिचालन प्रभावशीलता हमारी पृथक रिपोर्ट 'अनुबंध क' में संदर्भित हैं एवं

   ज़. कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखापरीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसरण में , लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में

Our opinion is not modified in respect of these matters.

**Other Matter**

We did not audit the financial statements/information of sixty branches included in the financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹3,22,76,412.51 thousands as at 31st March, 2018, total operating revenues in terms of Premium of ₹1,24,04,170.70 thousands and Claims paid of ₹1,28,31,655.91 thousands for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements/ information of fifty eight branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us by the management, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

   (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us;

   (c) The reports on the accounts of the fifty eight branch offices of the Company audited under Section 143 (8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

   (d) The balance sheet, the revenue account, the statement of profit and loss, and the cash flow statement (Receipts and Payments Account) dealt with by this Report are in agreement with the books of account and returns received from the branches not visited by us;

   (e) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

   (f) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. G.S.R 463(E) dated

शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में , हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों -वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के मद सं 20 का संदर्भ लें, में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है;

ii. कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधिक करारों के कारण कोई भावी महत्वपूर्ण हानियों की संभावना नहीं है।

iii. कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

## 2. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन रिपोर्ट

### कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन निर्देश एवं उपनिर्देश

| क्र. सं. | निर्देश | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टे के लिए क्रमश स्पष्ट हक/ पट्टा विलेख उपलब्ध हैं ? यदि नहीं तो कृपया उस क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके लिए पूर्ण हक तथा पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं ? | कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टे के लिए स्पष्ट हक / पट्टा विलेख उपलब्ध हैं। |
| 2 | क्या उधार / ऋण / ब्याज आदि की छूट / बट्टे पर डाले जाने के कोई मामले हैं ? यदि हाँ तो उनके कारण तथा शामिल राशि को दर्शाएँ। | विभागों / शाखाओं द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। |
| 3 | क्या तीसरे पक्ष के पास रखे गए माल तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपहार/ अनुदान का उचित रिकॉर्ड रहा गया है ? | विभागों/शाखाओं द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार कंपनी द्वारा इस प्रकार की कोई परिसंपत्ति नहीं है। |

05.06.2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company;

(g) With respect to the adequacy of the internal financial control over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such controls refer to our separate report in “Annexure-A”; and

(h) With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements Refer Note no. 20 of schedule 17 to the financial statements;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

## 2. Report u/s 143(5) of the Companies Act, 2013

### Directions and Sub-Directions under section 143(5) of the Companies Act, 2013

| Sr. No. | DIRECTIONS | ANSWER |
|---|---|---|
| 1 | Whether the Company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and lease hold land for which title/lease deeds are not available? | As per the information given by the Company, it has clear title/lease deeds for freehold and leasehold Land. |
| 2 | Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/ loans/interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved. | As informed by the Departments/Branches, no such cases are reported by the Company. |
| 3 | Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift/ grant(s) from Govt. or other authorities? | As informed by the Departments/Branches, the Company has no such assets |

| क्र सं | उप निर्देश | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | भौतिक / डीमेट रूप में उपलब्ध सी जी एस / एस जी एस / बोंड्स / डिबेंचर्स आदि के संबंध में स्वामित्वों की संख्या तथा इनमें से उन मामलों की संख्या जो कंपनी के लेखा बहियों में दर्शाई राशि से मेल नहीं खाता हो, का सत्यापन किया जाये तथा यदि कोई विसंगति पायी जाये तो उसे रिपोर्ट किया जाये। | सी जी एस / एस जी एस में सभी निवेश आर बी आई एस जी एल खाते में किए गए हैं तथा उनका रिकोर्डों के साथ सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गयी है।सी जी एस की दो प्रतिभूतियों को द्वितीयक बाज़ार परिचालन तथा सी बी एल ओ परिचलनों के लिए सी सी आई एल के पास रखा गया है, जिसके लिए हमने आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए हैं। |
| | | बॉन्डों / डिबेंचरों को स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (संरक्षक) के पास डीमेट रूप में रखा गया है। सभी प्रतिभूतियों को अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया है तथा निम्नलिखित मामलों को छोडकर, किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गयी है : |
| | | वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 100 इकाई बॉन्ड (आई एस आई एन : INE692A09142, अंकित मूल्य 10.00 करोड़ रु) एवं एल आई सी हाउसिंग फ़ाइनेंस लिमिटेड के 50 यूनिट बॉन्ड (आई एस आई एन : आई एन ई115A07494, अंकित मूल्य 5 करोड़ रु) की परिपक्वता अवधि को परिपक्वता राशि प्राप्त हुई है। |
| | | तथापि, 31 मार्च 2018 तक, ये स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस एच सी आई एल) के होल्डिंग विवरण में प्रदर्शित हो रहे हैं क्यूंकि एस एच सी आई एल को एन एस डी एल नामे पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। |
| 2 | क्या निवेशों के संबंध में हानि रोकने की सीमा निर्धारित है। यदि हाँ, तो क्या सीमाओं का पालन किया गया। यदि नहीं तो विवरण प्रदान किया जाए। | कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कंपनी के पास ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है। कंपनी का सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो एच टी एम (हेल्ड-टू- मेच्योरिटी)/ ए एफ एस (बिक्री के लिए उपलब्ध) श्रेणी का है। |
| | | तदनुसार, कंपनी के पास हानि रोकने की पॉलिसी/ हानि रोकने की सीमा नहीं है। |

| Sr No. | SUB-DIRECTIONS | ANSWER |
|---|---|---|
| 1 | Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/ Bonds/Debentures etc. available in physical/ DEMAT form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported. | All the investments in CGS/ SGS are held with RBISGL Account and have been verified with records and no discrepancies have been found. Two Securities of CGS have been kept with CCIL for secondary market operations and CBLO operations, for which we have obtained the necessary certificates. |
| | | Bonds/Debentures are held in DEMAT account with the Stock Holding Company of India Limited (custodian). All securities have been verified with the underlying records and no discrepancies have been found except in case of the following: |
| | | During the financial year 2017-18, the Company has received redemption proceeds for 100 units of bonds of Union Bank of India (ISIN: INE692A09142, Face Value ₹10.00 Crores) and 50 units of bonds of LIC Housing Finance Ltd (ISIN: INE115A07494, Face Value ₹5.00 Crores) on respective maturity dates. |
| | | However, as on 31st March 2018, these were still appearing in the holding statement of Stock Holding Corporation of India Ltd (SHCIL) as NSDL debit confirmation is not received by SHCIL. |
| 2 | Whether stop loss limits have been prescribed in respect of the investments. If yes, whether or not the limit was adhered to. If no, details may be given. | As informed by the Company, the Company does not have trading portfolaio. Company's entire investment Portfolio is under HTM (Held-to-Maturity) / AFS (Available-for-Sale) category. |
| | | Accordingly, Company is not having stop loss policy / stop loss limits. |

3. वे मामले जिनकी अन्यत्र रिपोर्टिंग नहीं हुई है, पर, बीमा विनियम व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन, 2002 की अनुसूची ग, विनियम 3 में निर्धारित अनुसार कार्यवाही आवश्यक है;

क. निगम द्वारा अपनाई गयी लेखा नीतियाँ उचित हैं तथा इस संबंध में कंपनी (लेखा)नियम 2014 के साथ पढे जाने वाले अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के साथ पढे जाने वाले नियम 7 एवं विनिर्दिष्ट लागू लेखा मानकों तथा आई आर डी ए द्वारा निर्धारित विनियमों आदेशों / निर्देशों के जरिये निर्धारित लेखा मानकों के अनुपालन में है;

ख. हमने, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न प्रबंधन रिपोर्ट, शाखा स्तर पर की गयी समीक्षा के संबंध में शाखा के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है, की समीक्षा की है तथा वित्तीय विवरणों में कोई स्पष्ट गलतियाँ अथवा महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी गईं।

ग. कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार निगम द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 3 की उप धारा 4, में निर्दिष्ट पंजीकरण के निबंधन व शर्तों पूरा अनुपालन किया गया है।

घ. हमने (सिवाय उन शाखाओं के जहां लेखा परीक्षा संबन्धित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है तथा ऐसी शाखाओं जिनका लेखा परीक्षण नहीं हुआ के मामले शाखा प्रबन्धकों द्वारा सत्यापित किए गए हैं) वास्तविक निरीक्षण, अथवा प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति अथवा अन्य दस्तावेजी सबूत , सिवाय उन प्रतिभूतियों के जो बैंक के कब्जे में हैं व जिसके लिए पुष्टीकरण प्राप्त हो चुका है से संबन्धित नकद शेषों तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है ;

ड़. हमें प्रदान की गयी सर्वोत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशों का मूल्यांकन अधिनियम एवं इसके दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

च. हमें प्रदान की गयी सर्वोत्तम जानकारी व स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार, निगम किसी न्यास का न्यासी नहीं है; तथा

छ. कंपनी ने पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर शेयरधारकों की निधियों तथा पॉलिसीधारकों की निधियों में अलग अलग वर्गीकृत किया है तथा तदनुसार आय को राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि कंपनी द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1ख ) की शर्तों के अनुसार शेयरधाकों तथा

3. Matters required to be dealt with as prescribed by the Schedule C, Regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 to the extent not reported elsewhere:

a. the accounting policies adopted by the Company are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and with the accounting principles prescribed by the Regulations and orders/directions prescribed by IRDA in this regard;

b. we have reviewed the management report attached to the financial statements, based on the reports of branch auditors regarding such review at branch level, and there are no apparent mistakes or material inconsistencies with the financial statements;

c. as per the explanation given by the management the Company has complied with the terms and conditions of registration as laid down in sub section 4 of section 3 of the Insurance Act, 1938;

d. we have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors and in case of unaudited branches by the branch managers) and securities relating to the loans and investments made by the company by actual inspection or by production of certificates or the other documentary evidences except securities held by the bank for which confirmations have been received;

e. to the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company Investments have been valued in accordance with the provisions of the Act and these regulations;

f. to the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company, the Company is not a trustee of any trust; and

g. the Company has bifurcated shareholders' funds and policyholders' funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit and Loss Account. Since no separate

पॉलिसीधारकों से संबन्धित कोई अलग खाता नहीं रखा गया है तथा शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अत उपलब्ध रिकॉर्डों से निधियों के अनुप्रयोग का सत्यापन नहीं किया जा सकता है। लेखा बहियों के सत्यापन तथा जानकारी व हमें दिये गए स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध रिकॉर्डों की समीक्षा के आधार पर हमें ऐसे कोई मामला नहीं मिला है जहां पॉलिसीधारकों की निधियों की संपत्ति का, पॉलिसीधारकों की निधियों के अनुप्रयोग तथा निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों का परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन किया गया हो।

accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the account and based on the information and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders funds.

**कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 100990W

**कृते ए जे शाह एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण सं. 109477W

**अनुज बी गोलेचा**
भागीदार
सदस्यता संख्या 117617

**देवेंद्र जे श्रीमांकर**
भागीदार
सदस्यता संख्या . 41920

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29/05/2018

**For Banshi Jain and Associates**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

**For A.J.Shah & Co**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 109477W

**Anuj B. Golecha**
Partner
Membership No. 117617

**Devendra J. Shrimanker**
Partner
Membership No. 41920

Place : New Delhi
Date : 29/05/2018

## लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुबंध-क"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमारे द्वारा, ईसीजीसी लिमिटेड ("कंपनी") के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की गई है, जिसमें 31 मार्च, 2018 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों साथ समतारीख को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा शामिल है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का दायित्व

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आई सी ए आई') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक दिशानिर्देश लेखों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना और बनाए रखना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है।

इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं जो कंपनी के नीतियों का पालन करने, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित कंपनी के कारोबार के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने, के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन करें।

### लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा एवं आई सी ए आई द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10), आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, के अंतर्गत निर्धारित समझा जाए, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू होते हैं, और दोनों चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं की लेखा परीक्षा नोट के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है।

इन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा उन्हें बनाए रखा गया है और ये नियंत्रण सभी भौतिक रूप में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं पर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के और उनके प्रभावी परिचालन बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करना

## "Annexure-A" to the Auditors' Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls of ECGC Limited ("the Company"), which comprise as of 31st March, 2018 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI').

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial

और आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन की प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण विवरण गलत प्रस्तुत करने के जोखिमों का आकलन सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमें विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर हमारी राय प्रकट करने के लिए हमने पर्याप्त तथा उचित लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त कर लिए हैं।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से ऐसे संबंधित कि कंपनी की संपत्ति के उचित विवरण, उसके लेन-देन एवं प्रकृति को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक है संव्यवहार रिकॉर्ड किए गए हैं, तथा कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या प्रकृति की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रण की अभिसंधि या अनुचित प्रबंधन द्वारा अवहेलना की संभावना, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण विवरण गलत हो सकते हैं, का पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण द्वारा भविष्य के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में परिवर्तन हो सकता है।

## राय

हमारी राय में, कंपनी ने, सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2018 को प्रभावी ढंग से परिचालित थे, जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार

controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

## Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

## Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

## Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects,

पर भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर आधारित हैं।

| | |
|---|---|
| **कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स** | **कृतेब ए जे शाह एंड कंपनी** |
| चार्टर्ड एकाउंटेंट | चार्टर्ड एकाउंटेंट |
| फर्म पंजीकरण सं. 100990W | फर्म पंजीकरण सं. 109477W |
| **अनुज बी गोलेचा** | **देवेंद्र जे श्रीमांकर** |
| भागीदार | भागीदार |
| सदस्यता संख्या 117617 | सदस्यता संख्या . 41920 |

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 29/05/2018

an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2018, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

| | |
|---|---|
| **For Banshi Jain and Associates** | **For A.J.Shah & Co** |
| Chartered Accountants | Chartered Accountants |
| Firm Registration No. 100990W | Firm Registration No. 109477W |
| **Anuj B. Golecha** | **Devendra J. Shrimanker** |
| Partner | Partner |
| Membership No. 117617 | Membership No. 41920 |

Place : New Delhi

Date : 29/05/2018

# भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

# COMMENTS OF CAG

## मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तैयारी) विनियम 2002 के साथ पढे जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 तथा कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अनुसार निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह, उनके द्वारा दिनांक 29 मई 2018 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए उनके द्वारा किया जा चुका है।

मैंने, भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अधीन दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। अनुपूरक लेखा परीक्षा मुख्य रूप से, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकोर्डो की चयनात्मक जांच के आधार पर की गई है। मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके आधार पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई परिशिष्ट संलग्न किया जाए।

कृते एवं भारतीय नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की ओर से

**(रूप राशि)**

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा

पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-I, मुंबई

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13 जुलाई 2018

## COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

The preparation of financial statements of ECGC Limited for the year ended 31 March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section I43(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 May 2018.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of ECGC Limited for the year ended 31 March 2018. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers, of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on behalf of the

Comptroller and Auditor General of India

**(Roop Rashi)**

Principal Director of Commercial Audit and

Ex-officio Member, Audit Board-I,Mumbai

Place: Mumbai

Date : 13 July 2018

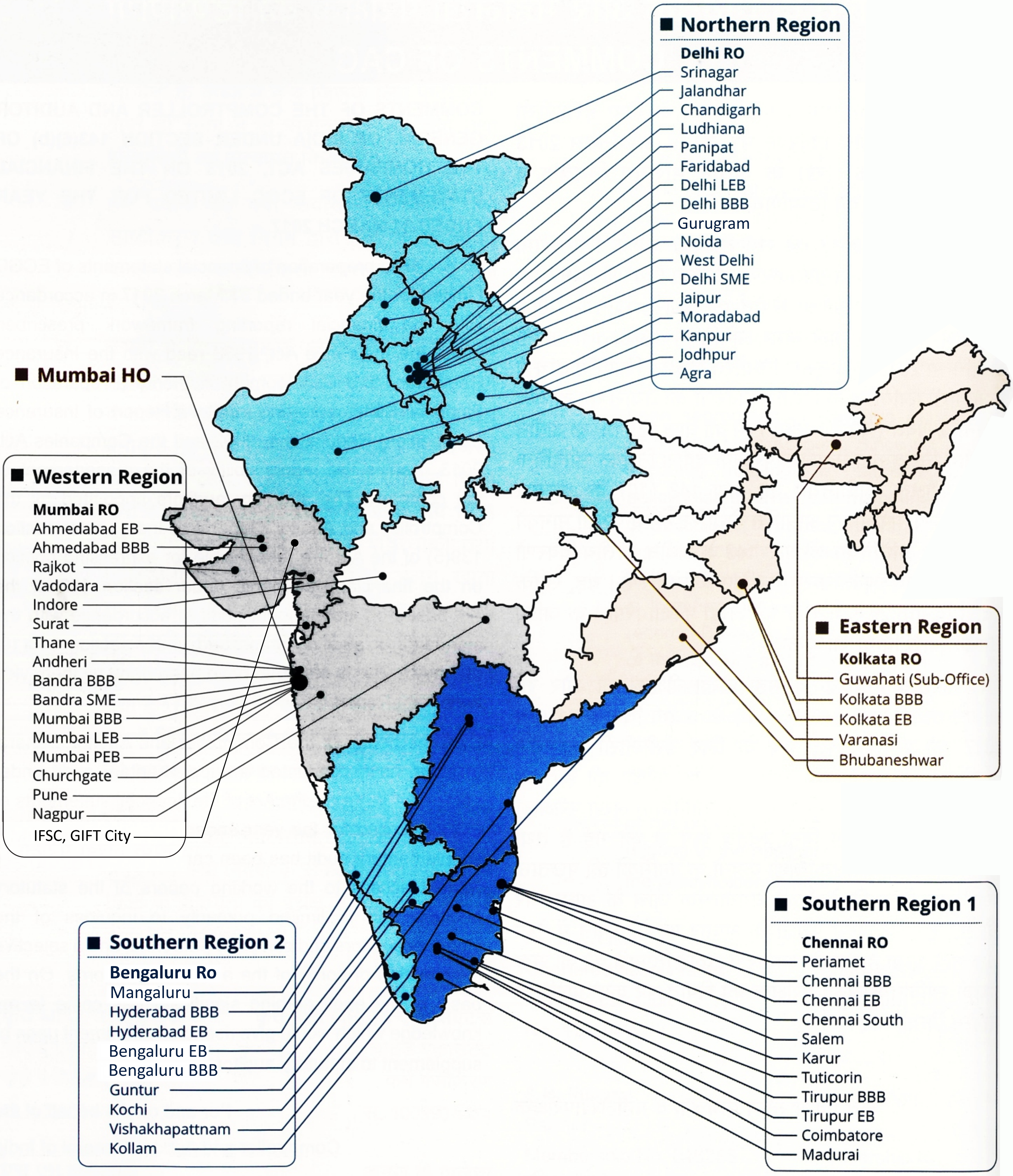


Map is not to scale and shows approximate locations only.

# सेवा तंत्र

## SERVICE NETWORK

| पता / Address | टेली. / Tel. | ईमेल / E-mail |
|---|---|---|
| **पंजीकृत कार्यालय**<br>**REGISTERED OFFICE**<br>एक्सप्रेस टावर्स, 10वी मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021<br>Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021 | (022) 66590500 / 0510 | webmaster@ecgc.in |
| **राष्ट्रीय विपणन एवं पी आर प्रभाग**<br>**MARKETING & PR DEPT**<br>निर्मल, 5वी मंजिल, 241/242, बॅकबे रिक्लेमेशन, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021<br>Nirmal, 5th Floor, 241/242, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400 021 | (022) 66590700 - 709 | marketing@ecgc.in |
| **परियोजना निर्यात शाखा**<br>**PROJECT EXPORT BRANCH**<br>दलामल हाउस, दूसरी मंजिल, जे बी मार्ग, नरीमन पॉइंट मुंबई - 400 021<br>Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021 | (022) 022-6613-8821 to 8830 | projectexport@ecgc.in |
| **बड़े निर्यातक शाखा, मुंबई**<br>**LARGE EXPORTERS BRANCH, MUMBAI**<br>दलामल हाउस, 2री मंजिल, जे बी मार्ग,नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021<br>Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021 | (022) 6613 8800-12 | leb.mumbai@ecgc.in |
| **बैंक कारोबार शाखा मुंबई**<br>**BANK BUSINESS BRANCH, MUMBAI**<br>दलामल हाउस, तीसरी मंजिल,,जे बी मार्ग, नरीमन पॉइंट मुंबई - 400 021<br>Dalamal House, 3rd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021 | (022) 6613 8600-24 | bbb.mumbai@ecgc.in |
| **पश्चिम क्षेत्र / WESTERN REGION** | | |
| **पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय**<br>**WESTERN REGIONAL OFFICE**<br>दि मेट्रोपोलिटिन, 7वीं मंजिल, प्लॉट न सी 26/27 "ई" ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई- 400 051<br>The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, ''E'' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 | (022) 6144 8110 / 8181 | wro@ecgc.in |
| **बांद्रा लवमनि शाखा**<br>**BANDRA SME BRANCH**<br>दि मेट्रोपोलिटिन, 7वीं मंजिल, प्लॉट न सी 26/27 "ई" ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई- 400 051The Metropolitan, 7th Floor, Plot No.C-26/27, ''E'' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 | (022) 6144 8110 / 8181 | bandra.mumbai@ecgc.in |
| **बांद्रा बैंक कारोबार शाखा**<br>**BANDRA BANK BUSINESS BRANCH**<br>दि मेट्रोपोलिटिन, 7वीं मंजिल, प्लॉट न सी 26/27 "ई" ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई- 400 051<br>The Metropolitan, 7th Floor, Plot No.C-26/27, ''E'' Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 | (022) 6144 8181 / 8110 | bbb.bandra@ecgc.in |
| **अंधेरी शाखा**<br>**ANDHERI BRANCH**<br>401, टाउन सेंटर, मित्तल इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास, मरोल, अंधेरी-कुर्ला ओर्ड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059<br>401, Town Centre, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059 | (022) 2859 0906 / 7614 | andheri.mumbai@ecgc.in |

| पता / Address | टेली. / Tel. | ईमेल / E-mail |
|---|---|---|
| **चर्चगेट शाखा**<br>**CHURCHGATE BRANCH**<br>तल मंजिल, चर्चगेट चेम्बर्स, विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, प्लॉट नंबर 5, न्यू मरीन लाईन्स, चर्चगेट, मुंबई - 400 020<br>Ground Floor,Churchgate Chambers, Vitthaldas Thackersey Marg, Plot No. 5, New Marine Lines, Churchgate, Mumbai 400 020 | (022) 2210 7900 | churchgate.mumbai@ecgc.in |
| **ठाणे शाखा**<br>**THANE BRANCH**<br>कुसुमांजलि, पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे (पश्चिम)- 400 602<br>Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Road, Naupada, Thane (West) - 400 602 | (022) 2534 7807/6623/6607 | thane@ecgc.in |
| **अहमदाबाद निर्यातक शाखा**<br>**AHMEDABAD EXPORTER BRANCH**<br>401, हेरिटेज, नगीनदास चैंबर्स के पीछे गुजरात विद्यापीठ के पास आश्रम रोड , उस्मानपुरा अहमदाबाद - 380 014<br>401 , Heritage Behind Nagindas Chambers Near Gujarat Vidyapith Ashram Road, Ushmanpura Ahmedabad-380 014 | (079) 2754 4499 / 4932 / 0054 | ahmedabad@ecgc.in |
| **अहमदाबाद बैंक कारोबार शाखा**<br>**AHMEDABAD BANK BUSINESS BRANCH**<br>नगीनदास चेम्बर्स, पहली मंजिल, उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380 014<br>Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014 | (079) 2754 4499 / 2925 / 0054 | bbb.ahmedabad@ecgc.in |
| **पुणे शाखा**<br>**PUNE BRANCH**<br>वास्तु चेम्बर्स, पहली मंजिल, 1202/39, शिरोले रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004<br>Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411 004 | (020) 25531998 / 25512871 | pune@ecgc.in |
| **इंदौर शाखा**<br>**INDORE BRANCH**<br>408, चौथी मंजिल, सिटी सेंटर, 570 एम जी रोड, इंदौर - 452 001<br>408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452 001 | (0731) 2544 215 / 2532 129 | indore@ecgc.in |
| **राजकोट शाखा**<br>**RAJKOT BRANCH**<br>निर्मल, दूसरी मंजिल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानन्द मार्ग, म्युनिसिपल कमिश्नर के बंगले के सामने, राजकोट-360 001<br>Nirmal - 2nd Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioners Bungalow, Rajkot - 360 001 | (0281) 2465162 2465169 / 422 | rajkot@ecgc.in |
| **वडोदरा शाखा**<br>**VADODARA BRANCH**<br>504, कॉनकोर्ड, छठवी मंजिल, आर सी दत्त मार्ग, अल्कापुरी, वडोदरा - 390 007<br>504, Concord, 6th Floor, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007 | (0265) 2354 728 / 2341615 | vadodara@ecgc.in |
| **नागपुर शाखा**<br>**NAGPUR BRANCH**<br>प्लॉट नं 317 (66), दूसरी मंजिल, एम जी हाउस के पास आर एन टैगोर मार्ग, सिविल लाइंस, नागपुर - 440 001<br>Plot No.317 (66), 2nd Floor, Beside M.G. House, R N Tagore Marg Civil Lines, Nagpur - 440 001 | (0712) 6558503/ 2550504 | nagpur@ecgc.in |
| **सूरत शाखा**<br>**SURAT BRANCH**<br>503, 21वीं सेंचुरी बिजनेस सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास, रिंग रोड सूरत- 395 002<br>503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002 | (0261) 2364074 | surat@ecgc.in |

| पता / Address | टेली. / Tel. | ईमेल / E-mail |
|---|---|---|
| **आई एफ एस सी बीमा कार्यालय, गिफ्ट एस.ई.जेड,**<br>**IFSC Insurance Office, GIFT SEZ,**<br>गिफ्ट सिटी, गांधीनगर-382 355<br>GIFT City, Gandhinagar-382 355 | (079) 27540054 / 27544499 | giftcityiio@ecgc.in |
| **पूर्वी क्षेत्र/ EASTERN REGION** | | |
| **पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय**<br>**EASTERN REGIONAL OFFICE**<br>ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1 शेक्सपीयर सरानी, कोलकाता- 700 071<br>AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071 | (033) 2282 2239 / 4003 3298 | ero@ecgc.in |
| **कोलकाता निर्यातक शाखा**<br>**KOLKATA EXPORTERS BRANCH**<br>ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1 शेक्सपीयर सरानी, कोलकाता- 700 071<br>AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071 | (033) 22820963 - 66 | kolkata@ecgc.in |
| **कोलकाता बैंक कारोबार शाखा**<br>**KOLKATA BANK BUSINESS BRANCH**<br>ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंजिल, 1 शेक्सपीयर सरानी, कोलकाता- 700 071<br>AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071 | (033) 22820963 - 66 | bbb.kolkata@ecgc.in |
| **वाराणसी शाखा**<br>**VARANASI BRANCH**<br>पी सी एफ प्लाजा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, यूनिट नं 1, नादेसर, वाराणसी-221 002<br>PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No.1, Nadesar, Varanasi - 221 002 | (0542) 2507864 / 2502534 | varanasi@ecgc.in |
| **भूबनेश्वर शाखा**<br>**BHUBANESHWAR BRANCH**<br>प्लॉट संख्या 611, तीसरी मंजिल, साहिद नगर, भूबनेश्वर - 751 007<br>Plot No. 611, 3rd Floor, Sahid Nagar, Bhubaneshwar - 751 007 | (0674) 2547 772 / 2543 592 | bhubaneshwar@ecgc.in |
| **रायपुर शाखा**<br>**RAIPUR BRANCH**<br>तीसरी मंजिल, उद्योग भवन परिसर, रिंग रोड सं 1, तेलेबंधा, रायपुर-492 006<br>3rd Floor at Udyog, Bhawan Parisar, Ring Road No. 1, Telebandha, Raipur - 492 006 | (0771) 4918826 / 4918828 | raipur@ecgc.in |
| **गुवाहाटी उप कार्यालय**<br>**GUWAHATI SUB-OFFICE**<br>शर्मा भवन, एच पी ब्रमचारी रोड, नेपाली मंदिर के पास, पी ओ रेहवारी गुवाहाटी- 781 008<br>Sharma Building, H.P. Bramachari Road, Near Nepali Mandir, P.O. Rehabari, Guwahati - 781 008 | (0361) 2635983 | guwahati@ecgc.in |
| **दक्षिण क्षेत्र - I / SOUTHERN REGION - I** | | |
| **दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - I**<br>**SOUTHERN REGIONAL OFFICE - I**<br>**स्पेन्सर टॉवर्स, सातवीं मंजिल, 770-ए, अन्न सलाई, चेन्नई- 600002**<br>Spencer Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600002 | (044) 2849 1026 / 33 | sro-I@ecgc.in |
| **चेन्नई निर्यातक शाखा**<br>**CHENNAI EXPORTERS BRANCH**<br>स्पेन्सर टॉवर्स, 7 वीं मंजिल,770-ए, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600 002.<br>Spencer Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600002 | (044) 28491026-31 | chennai@ecgc.in |
| **चेन्नई बैंक कारोबार शाखा**<br>**CHENNAI BANK BUSINESS BRANCH**<br>तीसरी मंजिल, ओवरसीज टॉवर्स, 756-एल, माउंट रोड, चेन्नई - 600 002<br>3rd Floor,Overseas Towers, 756-L, Mount Road, Chennai - 600 002 | (044) 4228 4488 - 99 | bbb.chennai@ecgc.in |

| पता / Address | टेली. / Tel. | ईमेल / E-mail |
|---|---|---|
| **चेन्नई दक्षिण शाखा**<br>**CHENNAI SOUTH BRANCH**<br>15, पहली मंजिल, सरयू पार्क, 2री मेन रोड,न्यू कॉलोनी, क्रोमपेट, चेन्नई-600 044<br>15, First Floor, Sarayu park, 2nd Main Road, New Colony, Chrompet, Chennai - 600 044 | (0444) 2241 4540/2241 5540 | chennaisouth@ecgc.in |
| **पेरियामेट शाखा**<br>**PERIAMET BRANCH**<br>लेदर सेंटर, तीसरी मंजिल, 43/53, राजा मुथइयारोड, पेरियामेट, चेन्नई- 600 003<br>Leather Centre,3rd Floor, 43/53, Raja Muthiah Road, Periamet, Chennai - 600 003 | (044) 6521 0006 / 2561 5721 | periamet.chennai@ecgc.in |
| **कोयंबतूर शाखा**<br>**COIMBATORE BRANCH**<br>चेरण प्लाजा, दूसरी मंजिल, 1690 त्रिची रोड, कोयंबटूर- 641 018<br>Cheran Plaza, 2nd Floor, 1690 Trichy Road, Coimbatore - 641 018 | (0422) 2304 775 / 776 | coimbatore@ecgc.in |
| **मदुरै शाखा**<br>**MADURAI BRANCH**<br>पहली मंजिल, नंबर 12, कामराज नगर द्वितीय गली, ओ सी पी एम स्कूल रोड, चिन्ना चोक्कीकुलम, मदुरै-625 002<br>First floor, No. 12, Kamaraj Nagar 2nd Street, O.C.P.M. School Road, Chinna Chokkikulam, Madurai- 625 002 | (0452) 2520340 / 2525521 | madurai@ecgc.in |
| **सेलम शाखा**<br>**SALEM BRANCH**<br>शांति प्लाज़ा, तीसरी मंजिल, 1/5 बृंदावन रोड, पोन्नुसामी गोडुर के सामने, तिरुमना मंडपम, फैयर लैण्ड्स, सेलम- 636 004<br>Shanthi Plaza, 3rd Floor, 1/5, Brindavan Road, Opp.Ponnusamy Gounder Thirumana - Mandapam, Fair Lands, Salem - 636 004 | (0427) 2442 275 / 2330 274 | salem@ecgc.in |
| **तिरुपुर निर्यातक शाखा**<br>**TIRUPUR EXPORTERS BRANCH**<br>137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, कुमारण रोड, तिरुपुर- 641 601<br>137/2, C.G. Complex, 1st Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601 | (0421) 2232998 / 4354 | ebb.tirupur@ecgc.in |
| **तिरुपुर बैंक कारोबार शाखा**<br>**TIRUPUR BANK BUSINESS BRANCH**<br>137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, कुमारण रोड, तिरुपुर- 641 601<br>137/2, C.G. Complex, 2nd Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601 | (0421) 2232812/ 813/997/ 3444 | bbb.tirupur@ecgc.in |
| **तूतीकोरिन शाखा**<br>**TUTICORIN BRANCH**<br>208/4ए, पहली मंजिल, वी ई रोड, तूतीकोरिन- 628 003<br>208/4A, First Floor , V E Road, Tuticorin 628 003. | (046)12324351 / 52 | tuticorin@ecgc.in |
| **करूर शाखा**<br>**KARUR BRANCH**<br>तीसरी मंजिल, के वी आर कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, करूर- 639 002<br>3rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Karur - 639 002 | (04324) 233911 / 231725 | karur@ecgc.in |
| **दक्षिण क्षेत्र - II / SOUTHERN REGION - II** | | |
| **दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - II**<br>**SOUTHERN REGIONAL OFFICE - II**<br>1105 रहेजा टॉवर्स, 11वीं मंजिल, वेस्ट विंग, 26, एम जी रोड, बैंगलुरु - 560 001<br>1105 Raheja Towers, 11th Flr., West Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001 | (080) 25596025 / 2558 5375 | sro-II@ecgc.in |

| पता / Address | टेली. / Tel. | ईमेल / E-mail |
|---|---|---|
| **बैंगलुरु निर्यातक शाखा**<br>**BENGALURU EXPORTERS BRANCH**<br>वायुदूत चेम्बर्स, चौथी मंजिल, 15-16, एम जी रोड, बैंगलुरु- 560 001<br>Vayudooth Chambers, 4th Floor,15-16, M G Road, Bengaluru - 560 001 | (080) 2558 9775 / 1729 / 2128 | bangalore@ecgc.in |
| **बैंगलुरु बैंक कारोबार शाखा**<br>**BENGALURU BANK BUSINESS BRANCH**<br>रहेजा टॉवर्स, 11वीं मंजिल, ईस्ट विंग, 26, एम जी रोड, बैंगलुरु - 560 001<br>Raheja Towers, 11th Flr., East Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001 | (080) 2558 5375 / 2578 / 0612 | bbb.bangalore@ecgc.in |
| **कोची शाखा**<br>**KOCHI BRANCH**<br>एच डी एफ सी हाउस, 2री मंजिल, रवि पुरम जंक्शन, एम जी रोड, एर्णाकुलम, कोची - 682 015<br>H.D.F.C. House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682 015 | (0484) 2359437 / 457 | kochi@ecgc.in |
| **कोल्लम शाखा**<br>**KOLLAM BRANCH**<br>सेवेन्थ डे चर्च के पास, रेसिडेंसी रोड कड़प्पकडा, कोल्लम - 691 008<br>Near Seventh Day Church, Residency Road Kadappakada, Kollam - 691 008 | 0474-2746715, 2747715, 2748715 | kollam@ecgc.in |
| **हैदराबाद निर्यातक शाखा**<br>**HYDERABAD EXPORTERS BRANCH**<br>हाका भवन, दूसरी मंजिल, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद - 500 004<br>HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004 | (040) 2323 4334 / 2324 0833 | ebb.hyderabad@ecgc.in |
| **हैदराबाद बैंक कारोबार शाखा**<br>**HYDERABAD BANK BUSINESS BRANCH**<br>छठवी मंजिल, एल बी भवन 6-3-550, मेडीनोवा के सामने, एरामंजिल, सोमेजीगुड़ा, हैदराबाद - 500 082<br>6th Floor, L.B. Bhawan, 6-3-550, Opposite Medinova, Erramanzil, Somejiguda, Hyderabad - 500 082 | (040) 23296385 / 23296383 | bbb.hyderabad@ecgc.in |
| **विशाखापट्टनम शाखा**<br>**VISHAKHAPATNAM BRANCH**<br>शंकर प्लाजा, पहली मंजिल, द्वारकानगर, शंकरमठम के सामने, शंकरमठम रोड, विशाखापट्टनम - 530 016<br>Shankar Plaza, 1st Floor, Dwarkanagar, Opp Shankar Matham, Shankar Matham Road, Vishakhapattnam - 530 016 | (0891) 2748654/ 2748653 | visakhapatnam@ecgc.in |
| **गुंटूर शाखा**<br>**GUNTUR BRANCH**<br>कृष्णा प्लाजा, दूसरी मंजिल, 26-21-22, नगरम पालेम, जी टी रोड, गुंटूर- 522 004<br>Krishna Plaza, 2nd Floor, 26-21-22, Nagaram Palem, G T Road, Guntur - 522 004 | (0863) 2337097 / 2337096 | guntur@ecgc.in |
| **मैंगलुरु शाखा**<br>**MANGALURU BRANCH**<br>एस्सेल टॉवर्स, पहली मंजिल, डोर संख्या 14-1-58/31-32,बंटस होस्टेल सर्कल, मेंगलुरु - 575 003.<br>Essel Tower, 1st floor, Door No. 14-1-58/31 -32, Bunts Hostel Circle, Mangaluru - 575003 | (0824) 2444288 / 89 | mangalore@ecgc.in |
| **उत्तर क्षेत्र / NORTHERN REGION** | | |
| **उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय**<br>**NORTHERN REGIONAL OFFICE**<br>मोहन देव, छठवी मंजिल, टॉलस्टोय मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली- 110001<br>Mohan Dev, 6th Floor, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110001 | (011) 41529912 / 13 | nro@ecgc.in |

| पता / Address | टेली. / Tel. | ईमेल / E-mail |
|---|---|---|
| **दिल्ली लवमनि शाखा**<br>**DELHI SME BRANCH**<br>एन बी सी सी प्लेस, साउथ टॉवर, चौथी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली- 110 003<br>NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003 | (011) 49284000 / 49284016-4030 | metro.newdelhi@ecgc.in |
| **दिल्ली निर्यातक शाखा**<br>**DELHI LARGE EXPORTERS BRANCH**<br>एन बी सी सी प्लेस, साउथ टॉवर, चौथी मंजिल, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली- 110 003<br>NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003 | (011) 4928 4011 | leb.newdelhi@ecgc.in |
| **दिल्ली बैंक कारोबार शाखा**<br>**DELHI BANK BUSINESS BRANCH**<br>तीसरी मंजिल, हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखम्बा रोड,नई दिल्ली- 110 001<br>3rd Floor, Hansalaya Building, 15, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001 | (011) 45333666 | bbb.newdelhi@ecgc.in |
| **पश्चिम दिल्ली शाखा**<br>**WEST DELHI BRANCH**<br>305 - 306, के एल जे, टॉवर (उत्तर), तीसरी मंजिल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110 034<br>305 - 306, KLJ Tower (North), 3rd Floor, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034 | (011) 45638141-44 | west.delhi@ecgc.in |
| **गुरुग्राम शाखा**<br>**GURUGRAM BRANCH**<br>तीसरी मजिल, उद्योग मीनार, वाणिज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज 5, गुरुग्राम-122 016<br>Third Floor, 'Udyog Minar, Vanijya Nikunj, Udyog Vihar, Phase 5, Gurugram - 122 016 | (0124) 430 0603 / 04 05/ 4219660 | gurgaon@ecgc.in |
| **लुधियाना शाखा**<br>**LUDHIANA BRANCH**<br>92, सूर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, द माल रोड, पी ओ बॉक्स नं 281, लुधियाना- 141 001<br>92, Suryakiran Complex, 2nd Floor, The Mall Road, P.O. Box No. 281, Ludhiana - 141 001 | (0161) 2441082 / 2403 349 | ludhiana@ecgc.in |
| **जालंधर शाखा**<br>**JALANDHAR BRANCH**<br>ऑफिस नंबर -1,<br>तल मंजिल, मिडलैंड फाइनेशियल सेंटर, आई सी आई सी आई बैंक के पास, 21-22 जी.टी. रोड, जालंधर - 144001 पंजाब<br>Office No.1 Ground Floor, Midland Financial Centre, Adjoining ICICI Bank 21-22 G.T. Road, Jalandhar-144001 Punjab. | 0181-2226025/2233235/2226035 | jalandhar@ecgc.in |
| **क़ानपुर शाखा**<br>**KANPUR BRANCH**<br>14/147, स्काइ लार्क, तीसरी मंजिल, चुन्नीगंज, कानपुर- 208 001<br>14/147, Sky Lark, 3rd Floor, Chunniganj, Kanpur - 208 001 | (0512) 2533 280 / 2534 024 | kanpur@ecgc.in |
| **मुरादाबाद शाखा**<br>**MORADABAD BRANCH**<br>पंडित शंकर दत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइंस, मुरादाबाद - 244 001<br>Pundit Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad - 244 001 | (0591) 2435244/2415476/2435395 | moradabad@ecgc.in |

| पता / Address | टेली. / Tel. | ईमेल / E-mail |
|---|---|---|
| **जयपुर शाखा**<br>**JAIPUR BRANCH**<br>दूसरी मंजिल, आनंद भवन, एस सी रोड, जयपुर, राजस्थान 302 001<br>2nd Floor, Anand Bhavan, S C Road, Jaipur, Rajasthan 302 001 | (0141) 2361 172 / 2367 292 | jaipur@ecgc.in |
| **आगरा शाखा**<br>**AGRA BRANCH**<br>दीपक वासन प्लाजा, दूसरी मंजिल, 17/2/4 संजय प्लेस, आगरा- 282 002<br>Deepak Wasan Plaza, 2nd Floor, 17/2/4 Sanjay Place, Agra - 282 002 | (0562) 2524985 / 2521676 | agra@ecgc.in |
| **पानीपत शाखा**<br>**PANIPAT BRANCH**<br>मलिक प्लाजा, पहली मंजिल, जी टी रोड, पानीपत - 132 103<br>Malik Plaza, 1st Floor, G.T. Road, Panipat - 132 103 | (0180) 2634 933/ **2634937** | panipat@ecgc.in |
| **जोधपुर शाखा**<br>**JODHPUR BRANCH**<br>178, नारायणम, दूसरी मंजिल, अपर चोपसनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्कल, जोधपुर - 342 003<br>178, Narayanam, 2nd Floor, Upper Chopasani Road, Near Bombay Motor Circle, Jodhpur - 342 003 | (0291) 5100531 / 5100534 | jodhpur@ecgc.in |
| **चंडीगढ़ शाखा**<br>**CHANDIGARH BRANCH**<br>पी एच डी चेम्बर्स हाउस, पहली मंजिल, सेक्टर 31 ए, चंडीगढ़- 160 031<br>PHD Chambers House, 1st Floor, Sector 31 A, Chandigarh - 160 031 | (0172) 5003628/29 | chandigarh@ecgc.in |
| **नोएडा शाखा**<br>**NOIDA BRANCH**<br>पी-3 कृष्णा अपरा प्लाज़ा, तीसरी मंजिल, रूम संख्या 312, सेक्टर 18, नोएडा- 201 301<br>P-3 Krishna Apra Plaza, 3rd Floor, Room No. 312, Sector 18, Noida - 201 301 | (0120) 4249186 / 9182 | noida@ecgc.in |
| **श्रीनगर शाखा**<br>**SRINAGAR BRANCH**<br>जे के एस एफ सी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, दुर्गा नाग, डलगेट, श्रीनगर- 190 001<br>JKSFC Bldg., 2nd Floor, Durga Nag, Dalgate, Srinagar - 190 001 | (0194) 2500260 | srinagar@ecgc.in |
| **फ़रीदाबाद शाखा**<br>**FARIDABAD BRANCH**<br>एस सी ओ-149, दूसरी मंजिल, सेक्टर-21-सी, फ़रीदाबाद हरियाणा- 121 001<br>SCO-149, 2nd Floor, Sector-21-C, Faridabad, Haryana - 121 001 | (0129) 4315114 | faridabad@ecgc.in |

# टिप्पणीयाँ / NOTES

ईसीजीसी लि. ECGC Ltd.

(भारत सरकार का उद्यम) (A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय: एक्सप्रेस टावर्स, 10 वीं मंजिल, नरीमन पाईन्ट, मुंबई - 400 021,भारत
टेली: 6659 0500 / 6659 0510 वेबसाइट: www.ecgc.in

Registered Office: Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021, India.
Tel: 6659 0500 / 6659 0510 Website: www.ecgc.in

IRDA Regn. No. 124 | CIN No. U74999MH1957GOI010918

आप निर्यात पर ध्यान केंद्रित करें, हम जोखिमों से रक्षा प्रदान करेंगें। **You focus on exports. We cover the risks.**